राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 11

सोमवार;

10 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रश्न संख्या-239 साथ ही, मंत्री महोदय, निवेदन यह है कि आप जो भी उत्तर दें जन हित में दें, ईमानदारी से दें। दूध का दूध, पानी का पानी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये शर्तें तो आप बाद में रखना। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आपको इनकी ईमानदारी पर शक है क्या? यह तो हमेशा ही ईमानदारी से जवाब देते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : बारां जिले की कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो हमेशा ही ईमानदारी से जवाब देते हैं।

श्री मदन दिलावर : +++ मंत्रियों को बरखास्त किया जाए, ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी, बारां ने पारित किया है श्रीमान् धारीवालजी के लिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके नेता सवाल पूछ रहे हैं और बीच में व्यवधान डाल रहे हैं, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : आपके पास क्या प्रमाण है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर ने जो +++ शब्द प्रयोग किया है मैं इसको एक्सपंज करता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : धारीवालजी निहायत शरीफ और ईमानदार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आह्वान करता हूं कि आप इस तरह से...(व्यवधान) गैर जिम्मेदारी से मत बोलिए।

कार्यवाहक निदेशक के पद पर दोषी अधिकारी का पदस्थापन

239.श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं करके वर्तमान में सरकार ने उक्त विभाग में कार्यवाहक निदेशक पदस्थापित कर रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यवाहक निदेशक के विरुद्ध मरम्मत सम्बन्धी कार्यों में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब किस-किस के द्वारा?

(3) क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कब किस अधिकारी से और जांच के क्या परिणाम रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मरम्मत कार्यों में अनियमितता व प्रवेश पत्रों के पुनर्विचार कराकर बतौर रिश्वत मासिक राशि वसूलने सम्बन्धी प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2002 तथा 2003 में दर्ज की गई है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिरीक्षक ने जांच प्रभावित करने की दृष्टि से उक्त अधिकारी का अविलम्ब स्थानान्तरण करने की सिफारिश की है? यदि हां, तो उक्त सिफारिश के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त जांच प्रभावित न हो इस हेतु अब सरकार उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो स्थानान्तरण कब तक कर दिया जावेगा?

कला एवं संस्कृति मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) जी हां। डी.पी.सी. नहीं होने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जेरकार सिविल रिट पिटीशन संख्या 3804/99 दिनांक 13.7.2001 के आदेश से कार्यवाहक निदेशक पदस्थापित है। एक अन्य केस 96/2000 में ट्रिब्यूनल के आदेश से रिव्यू डी.पी.सी. की कार्यवाही की जा रही है। उक्त रिव्यू डी.पी.सी. के बाद रेगुलर डी.पी.सी. की जाएगी।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत सूत्र सूचना से दिनांक 31.10.2002 को प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कर जांच की जा रही है।

(3) आरोपों पर शासन उप सचिव द्वारा जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(4) ए.सी.डी. द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 350/02 एवं 20/03 दर्ज की गई है। प्रति संलग्न है।

(5) जी हां। महानिरीक्षक ए.सी.डी. की सिफारिश व शिकायत पर उप शासन सचिव के द्वारा जांच की जा रही है।

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

(6) कोर्ट के आदेश से पदस्थापित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच के निष्कर्ष को देखते हुए कार्यवाही की जाएगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि इस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार विभाग में गबन और अन्य अनियमितताओं की जांच चालू है, दो-तीन एफ.आई.आर. इनके खिलाफ चालू हैं। और आप इनको यहां से हटाना नहीं चाहते। क्या यह सही है कि महानिरीक्षक, एंटीकरप्शन ने आपको पत्र लिखा है कि यह व्यक्ति अपने प्रभाव से जांच को प्रभावित कर रहे हैं और जांच को आगे नहीं बढ़ने देते? जिन कर्मचारियों ने इनके खिलाफ बयान दिया उनको इन्होंने कहा कि आपने क्या बयान दिया इसकी कापी मुझे दें। जब उन्होंने कापी नहीं दी तो इन्होंने सूचना का अधिकार के नाम पर जो जांच कर रहे हैं पुलिस अधिकारी उनसे कापी मांगी कि मुझे बयान बताइये क्या दिया है। जब आप इनको जांच के लिए बुलाते हैं तो यह जाते नहीं हैं। इस प्रकार की स्थिति होने के बाद आपको पत्र मिला कि नहीं मिला? इसमें उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित कर रहे हैं इसलिए इन्हें इस स्थान से हटा दिया जाए। जिस अधिकारी के खिलाफ ए.सी.डी. में दो-दो, तीन-तीन मुकदमें चल रहे हों, यह आप खुद मानते हैं, फिर जांच करने वाले अधिकारी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको हटाइये ताकि जांच पूरी करें, तो यह बताइये कि ऐसा पत्र मिला कि नहीं? नहीं मिला तो आपने उस पर कार्यवाही करने के लिए लिख दिया कि इसकी जांच उप शासन सचिव कर रहे हैं। (व्यवधान) किसकी जांच कर रहे हैं? डी.जी. ने कहा यह मेरे काम में अवरोध डाल रहा है, इस बात की जांच करवा रहे हो? कि इस पत्र की जांच करवा रहे हो आप? (व्यवधान) इसमें वह क्या जांच करेंगे? हाई कोर्ट का आप आदेश बता रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट के आदेश की वह मुख्य बात पढ़ दीजिए जिसमें इनको यहीं रखने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए इनको हटाओ मत, ऐसा कोई हाई कोर्ट का आदेश हो तो वह बता दीजिए। वह कौनसी तारीख का है, वह बता दीजिए? और जो ट्रिब्यूनल है उसमें प्रमोशन की बात-फैसला कब किया, अब तक क्यों नहीं किया, उस नाम पर कि प्रमोशन का फैसला नहीं हुआ इसलिए इसको यहां से नहीं हटाएंगे चाहे कितना ही गबन करें, कुछ भी करें, ऐसी परिस्थिति क्यों बना रखी हैं? आप एक तो हाई कोर्ट का आदेश बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने पहली बात तो पूछी कि महानिरीक्षक, पुलिस का पत्र क्या है। महा निरीक्षक पुलिस ने जो पत्र सैक्रेटरी ट्यूरिज्म को लिखा यह पत्र 19.10.2002 का है,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

इसमें उन्होंने लिखा कि जांच में असहयोग किया जा रहा है, जांच के दौरान वांछित साक्षीगण को भी अनुचित रूप से प्रभावित किये जाने का प्रयास किया गया है। ब्यूरो द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने पर यह भी लिखा गया कि जगधारी उनके सामने उपस्थित नहीं हुए और उनको निदेशक पद से अन्यत्र पदस्थापित कर दिया जाए तो उचित होगा। यह निश्चित तौर पर महानिरीक्षक ने लिखा। दूसरी बात आपने पूछी कि जांच किस बात की की जा रही है। मैंने आपको एफ.आई.आर. की नकल उपलब्ध करवाई है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस पत्र के आधार की जांच पूछ रहा हूं। जो पत्र लिखा है इनको हटा दिया जाए, उसकी जांच क्या कर रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसकी भी जांच हो रही है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एफ.आई.आर. की जांच पुलिस कर रही है, यह जो उन्होंने पत्र लिखा है...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, इनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं, जितने भी चार्जेज हैं उन सारों के बाबत जांच करने के लिए कहा गया है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कब कहां?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 20 तारीख को।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौनसी? 30?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 30?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौनसी तारीख को?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 20 तारीख को।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यही 20?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी हां, यही 20

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह प्रश्न आया होगा तब?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह प्रश्न आया होगा तब किया होगा? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप यह समझ लीजिए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : समझ क्यों लें?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने कहा 20 तारीख...(व्यवधान) 20 तारीख को ही कहा गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, मेरा सवाल यह है, भई...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 20 फरवरी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब आपके उस महानिरीक्षक ने लिखा है कि जांच को प्रभावित कर रहे हैं तो यह अनुभव तो उनका है। कर्मचारियों को दबाव दे रहे हैं, आप खुद जाते नहीं हैं। इसमें जांच क्या करवा रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, उन्हीं का अनुभव है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसका क्या कर रहे हैं आप?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन विभागीय जांच तो होगी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसकी?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सबकी होगी। जितने चार्जेज लगाये गये हैं उनकी जांच नहीं होगी? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं केवल यह पूछ रहा हूं...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप जांच की रिपोर्ट मांग रहे हो। आपने अपने सवाल में कहा कि अगर जांच हो गई हो तो रिपोर्ट पेश कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप मिक्स मत करिए। इस पत्र में उन्होंने कहा कि इसका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया जाए, उस बिन्दु पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको बता देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप किस बिन्दु की जांच कर रहे हो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने कोर्ट का भी पूछा है, आदेश क्या है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह पूछा है। पहले एक-एक चलिए, ऐसे टालिए मत। (व्यवधान) आप इसमें किस बिन्दु पर जांच कर रहे हो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी इसी बात का तो जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किस बिन्दु पर जांच कर रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब उन्होंने यह लिखा कि इसका अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जाए, क्यों नहीं किया, आपका यही सवाल है न? (व्यवधान) आपका प्रश्न यही है न कि स्थानान्तरण करने के लिए जब महा निरीक्षक ने लिख दिया तो क्यों नहीं किया? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं जवाब दे रहा हूं आपको। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : वह एडिशनल ग्राउण्ड है। वह एडिशनल ग्राउण्ड है। वैसे भी राज्य सरकार की घोषित नीति है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई चार्जेज हों तो उसको फील्ड पोस्टिंग; इम्पोरटेंट पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। मंत्रीजी, एक ऐसी एंटीकरप्शन ब्यूरो...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एंटीकरप्शन ब्यूरो के अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज होना स्वतः प्राइमाफेसी है, उसके खिलाफ चार्जेज तो हैं। ऐसे अधिकारी को आप निदेशक के पद पर क्यों रखना चाहते हो? एंटीकरप्शन ब्यूरो का डायरेक्टर आपको लिख कर दे रहा है कि जांच के अन्दर सहयोग नहीं कर रहा है, साक्ष्य को उपलब्ध नहीं होने देता, जांच को प्रभावित कर रहा है, उस स्थिति में आप कहते हैं इस बात की जांच होती है। मंत्रीजी, आप सरकार में मंत्री हैं लेकिन मैंने तो पहली दफा सुना है कि आप एंटीकरप्शन ब्यूरो जो पत्र लिख रहा है उसकी भी जांच करा रहे हैं। उसके खिलाफ कोई चार्जेज हों उसकी जांच समझ में आती है, लेकिन एंटीकरप्शन ब्यूरो कल... को खेतसिंहजी आपको पत्र लिखें, आप उसकी भी जांच कराएंगे? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपका और आपका सवाल करीब-करीब एक-सा ही है।

अध्यक्ष महोदय, इस निदेशक के पद पर 1997 में गवर्नमेंट में आई.ए.एस. अफसर की नियुक्ति कर दी। एक किया। दूसरा किया तो जो वर्तमान कार्यवाहक निदेशक हैं वे अदालत में चले गये, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने 13.?.2001 को एक आदेश दिया। जिस वक्त यह आदेश दिया गया, निदेशक के पद पर आई.ए.एस. अफसर की नियुक्ति हो चुकी थी। आदेश यह दिया गया कि–

"For the reasons and discussion made above the Annexure 15 is quashed with direction to respondent to consider the case of petitioner for promotion or to give the charge of the post of Director, Archeology to any of the Superintendent/Registering Officer, who has longest service and is senior most on a temporary arrangement till D.P.C. meets to decide for regular appointment."

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

इस आदेश से आज जो कार्यवाहक निदेशक हैं वे आज तक बने हुए हैं क्योंकि...(व्यवधान) मैं अर्ज करूं क्योंकि डी.पी.सी. नहीं हो पायी। डी.पी.सी. क्यों नहीं हो पायी, उसका कारण यह है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : डी.पी.सी. की जरूरत ही नहीं है, मंत्रीजी। अगर आप इसको हटाना ही चाहते हैं तो इसको आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी लगा दीजिए। सवाल यह है कि if you want to get rid of him.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब आप प्राब्लम सुनें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक ऐसा आदमी जो भ्रष्ट आदमी है, जिसके खिलाफ चार्जेज हैं तो आपकी सरकार की नीति है, घोषित नीति है, आप इसको किसी समकक्ष पद पर लगाकर दूसरे आदमी को चार्ज दिला दीजिए। (व्यवधान) जब इतने चार्जेज उसके खिलाफ हैं फिर आप क्यों डाइरेक्टर रखना चाहते हैं उसको? ऐसा कोई हाई–कोर्ट का आर्डर नहीं है जो आपने पढ़कर सुनाया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : घोषित नीति यह भी है कि पहले इन्क्वायरी की जाए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट एक्शन लेता है, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसके बाद में सजा मिल जाती है। उसके बाद तो सजा मिल जाती है। सजा की नहीं कह रहे हैं हम। प्रश्नकर्ता का प्रश्न सजा का नहीं है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो इतना–सा है कि आप इसको निदेशक के पद पर क्यों रखना चाहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान) यह एंटीकरप्शन का मामला है और एंटीकरप्शन से आप खूब वाकिफ हैं। आपके खिलाफ भी चालान पुटअप हो रहे हैं, याद है न? इसलिये शांत ही रहो। (व्यवधान) इसलिये आप शांत ही रहो। (व्यवधान)

हुआ क्या, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि डी.पी.सी. में देरी के क्या कारण रहे। डी.पी.सी. पहले तो एक साल तक...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जान बूझकर मामले को टालना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि इनके खिलाफ 2 एफ.आई.आर. दर्ज हुए हुई और दोनों एफ.आई.आर. एंटीकरप्शन के एडिशनल एस.पी. भरतकिशोर ने दर्ज करायीं और दोनों के अन्दर 4 करोड़ का घोटाला हुआ?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जब यह एफ.आई.आर. दर्ज हुई इससे पहले जब परिवाद आया ए.सी.डी. में, तो ए.सी.डी. ने परिवाद दर्ज किया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद ए.सी.डी. ने मामला दर्ज किया। उसके बाद डी.जी., ए.सी.डी. लिखते हैं कि इसका वहां पद पर बने रहना ठीक नहीं है। तो यह कहां लिखा है? उसकी डी.पी.सी. करो या नहीं करो, पर उसको वहां से हटाया तो जा सकता है। आप जानबूझकर भ्रष्ट अधिकारी को क्यों बचाना चाहते हैं, मंत्रीजी?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने आपको हाई-कोर्ट का आदेश पढ़कर सुना दिया।

श्री मदन दिलावर : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाई-कोर्ट का आदेश यह नहीं है...(व्यवधान) एक सैकिण्ड...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हाई-कोर्ट का जो आदेश है वह स्पष्ट है कि जब तक डी.पी.सी. नहीं की जाए...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, आप ठहरिये। आपने यह जो पढ़ा वह पूरा नहीं पढ़ा। हाई-कोर्ट का पैरा पूरा नहीं पढ़ा आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप पढ़कर सुना दें, आप बता दें। हो सकता है मैंने पूरा नहीं पढ़ा हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, मैं पढ़ देता हूं।

"and discussion made above, the annexure-15 is quashed with direction to respondent to consider.-respondent means the Govt., the case of petitioner for promotion or to give the charge of the post of Director. Archeology to any of the Superintendent..."

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आगे वाली लाइन पढ़ें, आगे वाली पढ़ दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह पढ़ रहा हूं। यहां तक तो समझ में आ गया ना आपके? "Registering Officer, who has longest service and is senior most"

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हो गयी बात। अब लोंगेस्ट सर्विस किसकी है, सीनियर मोस्ट कौन है, यह कौन तय करेगा?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनिये तो सही आप। कह दिया ना, सुनिये एक मिनट। "on a temporary arrangement till D.P.C. meets to decide for regular appointment"

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि डी.पी.सी. हुई नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरे को पूरा करने दे पहले।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब डी.पी.सी. नहीं हुई उसका कारण मैं बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि यह सवाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हाई कोर्ट ने यह बात नहीं कही।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप दोनों की बात समझ रहा हूं मैं। आप तो हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर क्लैरीफिकेशन ले ले कि ए.सी.डी. का इस प्रकार का लैटर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आवश्यकता नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, व्यासजी, ऐसा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी प्राब्लम साल्व हो जाएगी। (व्यवधान) हां, यह ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस पर विचार कर लेंगे...(व्यवधान) हां, यह अच्छा सुझाव दिया आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं, ठहरो, ठहरो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यह सुझाव अच्छा है आपका। सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं शांतिजी, शान्ति रखिये। सुन लें जरा शांति से।

"...till DPC meets to decide for regular appointment. The person working in the cadre/service cannot be made to suffer because of slackness of State to finalise the inter seniority as it was required and ordered to be done in 1997 itself."

फिर क्या कहा उन्होंने आगे? "The State shall implement the order as per the direction within one month from the receipt of certified copy of this order."

जो आर्डर हुआ, 13.7.2001 को डाइरेक्शन ये दिये कि एक महीने में तय कर दीजिए, यह तो है ना?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बिलकुल आपने सही पढ़ा। एक बात तो बहुत साफ हो गयी कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि लोगेंस्ट सर्विस और सीनियर मोस्ट होगा, उसको बिठाया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसको रखा जाए, यह नहीं कहा है। इसको रखा जाए, यह नहीं कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह नहीं कहा?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, यह नहीं कहा इसको रखा जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन सीनियर मोस्ट कौन होगा?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं मालूम कौन होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो देखा जाएगा ना? अब समस्या सुनिये आप, इसमें समस्या क्या आयी। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप हाई कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, चलो सही, उनको रखें। पर यह कह दिया क्या कि इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करें, इसको सस्पैंड नहीं करें? एक तरफ आपका जी.ए.डी. डिपार्टमेंट सर्कुलर निकालता है कि जिनके खिलाफ ए.सी.डी. में परिवाद दर्ज हुआ है या एफ.आई.आर. दर्ज हो और जो ए.सी.डी. का खुद डिप्टी एस.पी., एडिशनल एस.पी. कराए उसको उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ आप उसको वहां रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होती है, सस्पेंशन नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है कि डी.जी., एंटीकरप्शन लिखता है उसकी जांच करेगा डिप्टी सैक्रेटरी? एक अदना-सा आई.ए.एस. अफसर जांच करेगा डी.जी., एंटीकरप्शन की। मतलब आप सीधा बचाना चाहते हैं। 4 करोड़ 23 लाख का घोटाला है। कोई एक-आध रुपये का नहीं है, 4 करोड़ 23 लाख का घपला, एडिशनल एस.पी. ने जांच करके एफ.आई.आर. दर्ज करायी, एडिशनल एस.पी., एंटीकरप्शन ने जांच करके दर्ज करायी।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : फिर आप कहेंगे कि आप आरोप मत लगाओ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि मंत्रीजी उनसे मिल चुके हैं और बहुत बड़ा घालमेल करके उनको पद पर रखे हैं। (व्यवधान) मेरा आरोप नहीं है, यह मैं बात कह रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह क्या आरोप लगा रहे हैं?

डा. सी.पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : यह तो मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। 2001 का केस है, 2003 चल रहा है। मंत्री तो अभी बने हैं और मंत्री मिल चुके हैं? खाली रोज यह आरोप लगाना धन्धा बना रखा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अभी तक कार्यवाही नहीं की।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : निश्चित तौर पर यह सारी सामग्री मैं उपलब्ध करवा चुका हूं आपको। जो चार्जेज आपने बताये हैं चार करोड़ हो, एक करोड़ हों, मैं उसमें तो नहीं जाता। लेकिन आपके पास सारे चार्जेज आ चुके हैं कि ए.सी.डी. में किस प्रकार का केस रजिस्टर हुआ है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी हुई, एफ.आई.आर. भी हुई है। एक ही नहीं, दो-दो हुई। यह सब बातें हैं। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है वह तो, उसके बाद क्या?...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा निवेदन यह है कि मैं उसकी डी.पी.सी. पर जाता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डी.पी.सी. नहीं, आप तो बता दें कि यह कहां लिखा हुआ है कि उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी? आप डी.जी., एंटीकरप्शन के पत्र को, उसने यह लिखा है कि वह पद पर नहीं बना रहेगा...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन हाई कोर्ट का आदेश का क्या करें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाई कोर्ट का आदेश यह नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हाई कोर्ट का आदेश है, आप सुन लीजिए, मैं उसको बताता हूं। अच्छा, अगर यह आदेश नहीं माना जाए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सस्पेंड कर दीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, हाई कोर्ट का आदेश भी मान लीजिए...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप क्लेरीफिकेशन ले लीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ले लेते हैं, क्लेरीफिकेशन ले लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप क्लेरीफिकेशन ले लें। आपको यह बताना...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सस्पैंड कर दें आप उसको। (व्यवधान) अब डी.जी. ने लिख दिया आपको तो आप उसको सस्पैंड कर दीजिए। जब सस्पैंड करेंगे तो अपने आप दूसरा लग जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सस्पैंड कर नहीं सकते हैं। बिना ड़ी.ई. के सस्पैंड कैसे कर देंगे?

श्री धर्मपाल चौधरी : क्यों नहीं कर सकते जब उसके घोटाले हैं तो? बहुत लोगों को सस्पैंड कर रखा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अब यह सारी एंटीकरप्शन की कार्यवाही है उसके बारे में तो मंत्री महोदय कुछ नहीं

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कहना चाहते हैं। हाई कोर्ट का जो हवाला आप देते हैं, हाई कोर्ट के हवाले से क्या लेना-देना है उस बात का? आप ट्रांसफर कीजिए वहां से ताकि वह प्रभावित नहीं करे, उनको जिन्होंने गवाही दी है, सरकारी कर्मचारियों ने। आप उसको सस्पैंड कर दीजिए इसके लिये कहां हाई कोर्ट ने रोका है आपको? (व्यवधान) एक मिनट, हाई कोर्ट के सारे मामले मान रहे हैं क्या?

श्री जसवन्तसिंह गुर्जर (बाड़ी) : करते हैं कि नहीं करते हैं, यह बता दो आप?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 3 हजार रोडवेज के कर्मचारी केस जीतकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आये हैं, क्या उसको इम्पलीमेंट कर रहे हैं?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आपके माध्यम से मंत्रीजी को पूछना चाह रहे हैं कि उसे सस्पैंड करने की मंशा रखते हैं कि नहीं, आप तो यह बता दें? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जांच के निष्कर्षों को देखते हुए ही यह कार्यवाही की जाएगी।

श्री धर्मपाल चौधरी : कितने दिन में हो जाएगी? 2001 में कोर्ट ने कहा है आज तक तो कोई कार्यवाही आपने नहीं की? कब तक करेंगे कार्यवाही, यह बता दें आप?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सीधी कार्यवाही है, साहब।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया है आपने "the State shall implement the order as per the direction within one month."

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने यह पूछा है कि कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी। एक महीने में...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो अलग बात है। हाई कोर्ट ने आपको 13.7.2001 को यह डाइरेक्शन दिया था कि "within one month from the receipt of certified copy of this order." वह दिया था आपको 13.7.2001 को आज 3 साल में भी आप उसको वहां रखना चाहते हैं। अच्छा फर्ज कीजिए कि आज वह इस्तीफा दे दे तो कौन चार्ज सम्भालेगा? यह आदमी इस्तीफा दे दे तो किसको बिठाएंगे?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं अर्ज करता हूं, अब इसमें एक समस्या नहीं है। आप बिराजिये पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, इसका बताएं पहले।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर मान लें, यह खुद ही इस्तीफा दे दे तो किसको बिठाएंगे आप?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप सरकार की तरफ से ऐसा +++ जवाब दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी बात तो सुनिये हुजूर। आपने जैसा पूछा कि यह इस्तीफा दे दे तो। अब दे दे तो...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मान लो, तो फिर क्या करेंगे? फिर यह खाली हो जाएगी तो किसको लगाएंगे? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनसे जूनियर जो हैं वह श्री...(व्यवधान) वह श्री रामदास, अधीक्षक, कला संरक्षक हैं, उनके खिलाफ भी ए.सी.डी. का केस है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, मजे हैं आपके तो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सारा डिपार्टमेंट ही चोर है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह और भी खुशी की बात है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डिपार्टमेंट ही चोर है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसके बाद एक जगदीश चन्द जोशी हैं, जो अभी वर्तमान में पुरातत्व विभाग...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उनके खिलाफ भी है क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, इनके खिलाफ नहीं है। इसीलिए डी.पी.सी. करवाना बहुत आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर कौन मना करता है आपको? करवाइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी समय दिया है, रिव्यू डी.पी.सी. के लिए तारीख तय हो गई, दो बाद तारीख तय हो गई। फिर अभी तारीख तय हुई है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, डी.पी.सी. का सस्पैंशन से क्या लेना-देना है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो बार डी.पी.सी. की तारीख...(व्यवधान) फिर अभी तय हुई है, उसके बाद रैगुलर डी.पी.सी. हो जाएगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, डी.पी.सी. का ट्रांसफर और सस्पैंशन से क्या लेना-देना है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : डी.पी.सी. कौनसी तय हुई है?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना : डी.पी.सी. के लिए कौनसी तारीख तय हुई है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, तारीख तय, एक मिनट, मैं बताता हूं आपको...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : शायद नहीं हुई है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी डी.पी.सी. हो रही है कि नहीं मंत्रिमण्डल की?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा निवेदन यह है कि...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उससे आपको क्या लेना-देना है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमको लेना-देना है इसलिए न कि कौन श्रेष्ठ है और कौन भ्रष्ट है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : पहले बी.जे.पी. की तो कर लो। कार्यकारिणी तो बना लो आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले कौन श्रेष्ठ है और कौन भ्रष्ट है इसका तो पता लगता। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप पहले बी.जे.पी. की कार्यकारिणी तो बना लो। छह महीने हो गये कार्यकारिणी बनाते-बनाते, आप...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डी.पी.सी. में इसको...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : डी.पी.सी. हो रही है। कार्यकारिणी में बी.जे.पी. की तो मान ही रहे हो और हमको पूछ रहे हो...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कौन श्रेष्ठ है और कौन भ्रष्ट है, यह तो पता लगता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, 19.10.2002 को ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि रिव्यू डी.पी.सी. करवाई जाए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौनसी तारीख को दिया, वह बताओ न?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 19.10.2002 को। मेरी बात तो सुन लें। मेरी अर्ज सुनिये आप। (व्यवधान) उसके बाद डी.पी.सी. हुई 3.1.2003 को, उसमें कार्मिक विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई इसलिए वह पोस्टपोन हो गई। फिर एक रिव्यू डी.पी.सी. हुई उसमें फिर यह तय किया गया कि पत्रावली मंगाई जाए। अब यह पत्रावली के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा होली के बाद की तिथि तय करने की बात की गई है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एंटीकरप्शन में गई है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : होली के बाद वह रिव्यू डी.पी.सी. हो जाएगी और

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

उसके बाद फिर रैगुलर डी.पी.सी. हो जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सवाल यह नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो मामले हैं। अध्यक्ष महोदय, एक मामला डी.पी.सी. का है परन्तु एक मामला, अध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा करप्शन का मामला है। मेरा सीधा सवाल यह है, मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मंत्रीजी, आप सदन को यह आश्वस्त करेंगे कि एक माह के भीतर यह डी.पी.सी. हो जाएगी। क्या आप सदन को यह आश्वस्त करेंगे कि एक माह के भीतर-भीतर डी.पी.सी. हो जाएगी और इस पर कार्यवाही हो जाएगी?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह सवाल ही नहीं है, साहब, सुनिये तो। यह था कि...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डी.पी.सी. के लिए तो मैं तारीख तय नहीं कर सकता लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, कोई बात नहीं। You are not...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वह एक माह के अन्दर-अन्दर पूरी हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो सवाल हैं। एक सवाल डी.पी.सी. का है। मंत्री महोदय, आपके हाई कोर्ट के आदेश आड़े आते हैं। आप करवाइये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं आते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दूसरा मामला, अध्यक्ष महोदय, एंटी करप्शन के अधिकारियों ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, प्रिलिमिनरी जांच हुई और जांच में यह दोषी पाया गया। आज वह दोषी आदमी वहां पर बना रहे। मंत्री महोदय, आप जांच करवा रहे हैं? डी.जी. एंटीकरप्शन ने लिख दिया कि आप इनको निलम्बित क्यों नहीं करते और डी.जी. की जांच को आप एक डिप्टी सैक्रेटरी से करवाना चाहते हैं, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, आपको मामला मालूम है कि भरतपुर में घपला हुआ और वहां...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बता दो, आप जिससे चाहें उनसे करवा लेंगे। नहीं, आप फर्मा दें। नहीं, आप नाम बता दो कि हम उनसे करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप सस्पैंड करो न। आप यह बता दो कि आपके पास जी.ए.डी. का सर्कुलर है या नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि जिनके खिलाफ एंटीकरप्शन के मामले हों, जिनके खिलाफ एंटी–करप्शन की एफ.आई.आर. हो उनको उस पोस्ट पर नहीं नहीं रखा जाए? इस तरह का सर्कुलर आपकी सरकार ने जारी किया है, आप उसकी पालना करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, फिर इस अब कोर्ट के आदेश का क्या करें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, कोर्ट से यह थोड़े ही हैं? कोर्ट ने यह कहा है कि सीनियर मोस्ट को ही रखें? उसको वहां से तो हटाओ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में भारी घोटाला, यह जयपुर में इसके फोटो हैं, भारी घोटाला, यह आमेर में भारी घोटाला, टिकटों का, ऐसे भारी घोटालों के बाद जांच हो गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेवजी, आप बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एंटीकरप्शन ने तीन–चार बार जांच कर दी, आपको रिपोर्ट दे दी। डी.जी.पी. ने लिख कर दे दिया।

श्री अध्यक्ष : बैठिये–बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कार्यवाही कुछ नहीं, हम तो बैठ जाएंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष : आहूजाजी, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम तो बैठ जाएंगे, साहब। आपके आदेश पर हम तो बैठ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : अनुमति नहीं है आपको, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पर आप खुद संतुष्ट नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : भंवरलालजी लास्ट सप्लीमेंटरी पूछ लीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, ये इतने बड़े सबूत हैं हमारे पास में कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ तो आदेश दें, आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचारियों के लिए यह...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनिये, यह जो पत्र है महानिरीक्षक का, उसकी दो लाइन मैं पढ़कर सुना देता हूं यहां पर। "जांच के दौरान ब्यूरो द्वारा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के कथन लेखबद्ध किये गये उनसे श्री अध्यक्ष जगधारी द्वारा संवेदन कर्मचारी से जांच अधिकारी को दिये गये ब्रयानों की प्रति उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाला जिससे श्री जगधारी द्वारा जांच को प्रभावित करने के अनुचित प्रयास प्रमाणित हैं। श्री जगधारी को भी ब्यूरो द्वारा जानकारी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया परन्तु श्री जगधारी उपस्थित नहीं हुए।" इससे स्पष्ट है कि वे जांच प्रभावित करना चाहते हैं। इसके बाद भी, काहे की जांच करवाएंगे आप? यह जो उन्होंने पत्र लिखा है, ये दो-तीन फैक्ट उन्होंने बताये, उसकी जांच किसी अधिकारी से करवा रहे हो आप? तो यह बात सही थी या नहीं थी कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच के बाद ही लिखा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह क्या जांच का विषय है? जो आदमी खुद ही लिख रहा है, खुद जांच कर रहा है, निष्पक्ष आदमी है। फिर लिखा उसने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जांच के बाद लिखा है। यह जो पत्र है, अध्यक्ष महोदय, यह इनका पत्र, यह जांच के बाद ही डी.जी. ने लिखा है। पूरी जांच के बाद लिखा है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब इसमें क्या जांच करवाएंगे आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच के बाद फिर जांच?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यानि, उसकी बात को नहीं मानने का कारण क्या है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुप्रीम कोर्ट कहता है कि suspension is no punishment. और आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो, सस्पैंड कर सकते हैं, डी.ई. की पूरी जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यस यस।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सस्पैंशन में क्या प्राब्लम है? आप ट्रांसफर तो नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Why do you want to keep him? आप उसको रखना क्यों चाहते हो वहां? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब एक डाइरेक्टर जनरल लिख देता है उसके बाद... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप उसको रखना क्यों चाहते हो वहां पर?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो बात है, एक तो आपने डिपार्टमैंटल इंक्वायरी के लिए समय पूछा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मैंने नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक माह में डिपार्टमैंटल इंक्वायरी करवा ली जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो करवा लीजिए लेकिन सवाल इस बात का है कि आप...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं इसको भी दिखवा लूंगा कि अगर बगैर डिपार्टमैंटल इंक्वायरी के सस्पैंशन हो सकता है, या और कुछ पनिशमैंट मिल सकता है तो...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ट्रांसफर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आप...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद आप...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के बाद...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो चल रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो सात दिन में हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज, साहब आप इस सदन में...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ए.सी.डी. के द्वारा हुई है और जिसकी हमने एफ.आई.आर. दर्ज की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या ए.सी.डी. ने कहा है वहां पर...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डिपार्टमैंट के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब यह...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यहां से ट्रांसफर करके उसको आप...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जांच में जो दोषी पाया गया है उसको उसी जगह पर रखना चाहते हो आप। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, माननीय मंत्री महोदय, यदि आपके पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हमको जांच नहीं करने देते, जांच पूरी नहीं हो सकती तो उसके लिए आप फिर क्या उपाय कर रहे हो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसके लिए पूरा सहयोग किया है डिपार्टमैंट ने। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसने किया है? यह लैटर आया है न?

श्री मदन दिलावर : यह बता दें कि किसने किया है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह लैटर आया है, यह बहुत पहले की बात है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्रीजी, बहुत उलझ गये आप इस मामले में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो 13.10.2002 का लैटर है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसके बाद जहां-जहां पर सहयोग उन्होंने मांगा सैक्रेटरी से और...(व्यवधान) डाइरेक्टर के साथ सहयोग किया।

श्री मदन दिलावर : उनको बचाया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, 19.10.2002 को आपको महानिरीक्षक पुलिस, द्वितीय, एस.बी., राजस्थान, जयपुर ने पत्र लिखा कि जब तक यह हटेंगे नहीं तब तक जांच पूरी होना सम्भव नहीं, तो आप...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उसके बाद जांच में बचा क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जांच के बाद लिखा है। उसके बाद भी आप उनको क्यों नहीं सस्पैंड करना चाहते हो?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उसके बाद केवल आप ही बचे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप घोषणा करिये कि इनको सस्पैंड किया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इनको सस्पैंड तो करिये। सस्पैंड तो करिये इनको। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, इतनी निष्ठुर सरकार को तो हमने नहीं देखा कि जो राजस्थान की जनता का धन लुट रहा हो और ऐसे व्यक्ति को वहां बैठा रखा हो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर आपने जो बात कही है, जो सुझाव आपने दिये हैं उस पर...(व्यवधान) सरकार कार्यवाही करेगी कि बहुत अच्छे सुझाव आपने दिये। बचानें का किसी को कोई मंतव्य नहीं है। स्पष्ट है, और यह आप भी मानते हैं। लेकिन अब उठाने के लिए आपके पास कोई...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप एक का उत्तर और दे दीजिए कि यह जो पत्र लिखा है आपको महानिरीक्षक ने उसके बाद भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, साहब।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। यह तो हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घपला है, अध्यक्ष महोदय, यह घपला सीधा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप यह जो मानते हैं, सुनिये जरा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें इनकी क्या प्रगति है? यह लाइन लिखने के बाद इंवेस्टिगेशन की क्या प्रगति है? अगर व्यवधान नहीं डाल रहे हैं तो प्रगति बता दीजिए कि क्या हुई इसमें? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस पत्र के लिखने के बाद जो रिकार्ड उनके द्वारा मांगा गया है, जिसमें 10 रिकार्ड, यह 10 लिस्ट पूरी की पूरी उनको सौंप दी गई है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, प्रगति क्या है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनसे यह कहा गया कि आप इसको तेजी से करिये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रमजान खान।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें क्या प्रावधान किया गया है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनसे यह कहा गया कि आप तेजी लाइये। ए.सी.डी. वालों से कहा गया कि डिपार्टमैंट की तरफ से...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप तेजी लाइये मगर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भंवरलालजी, बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और यह चार-पांच बयान भी उसमें रजिस्टर कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलालजी, आप बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपको कहना है कि तेजी लाइये और वह तेजी लाने से रोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सस्पैंड करने की घोषणा करिये आप इस सदन में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सस्पैंड करिये आप उसको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सदन में सस्पैंड करने की घोषणा करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें सीधा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का आरोप भी ए.सी.डी. ने लगाया है और सस्पैंड भी नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री मदन दिलावर : इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको सस्पैंड करने की घोषणा करनी चाहिए राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने एश्योरेंस दे दिया है।

श्री मदन दिलावर : राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अगर, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के कारण कोई पकड़ा जाता है तो उसे तुरन्त सस्पैंड किया जाता है। एक थानेदार का आया, एक हजार रुपये की रिश्वत में उसको सस्पैंड किया जाता है। यह करोड़ों रुपये का घोटाला है और करोड़ों के घोटाला करने वाले को सस्पैंड नहीं कर रहे हैं और पुलिस वाले सब कुछ लिख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, आप उसको सस्पैंड क्यों नहीं कर रहे हो?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आज पुलिस वालों ने सब कुछ लिख दिया। एक पटवारी को सस्पैंड थोड़े से रुपयों के लिए किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, बैठिये आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : और यह इतना बड़ा घोटाला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतना बड़ा घोटाला है।

श्री मदन दिलावर : करोड़ों का घोटाला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई छोटा कर्मचारी होता तो आप उसको तुरन्त सस्पैंड कर चुके होते। लेकिन क्योंकि यह अधिकारी न जाने किस बड़े मंत्री का सम्बन्धी है इसलिए आप, बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, इतना हो गया।

श्री मदन दिलावर : पटवारी को तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, कलक्टर करवा देता है। ग्राम सेवक को बी.डी.ओ. कह कर सस्पैंड कर देता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों बचाते हो आप? और कहां जाएं हम? सदन के अन्दर यह मामला आ गया। एंटीकरप्शन में मामला दर्ज करवाया है और फिर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और उसके बाद कार्यवाही नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खान।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार और ईमानदारों का तिरस्कार।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बचाना नहीं चाहती सरकार। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठिये। अब नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय से घोषणा तो करवाइये, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आपको घोषणा तो करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धारीवालजी, ईमानदार हो तो घोषणा तो करो। मंत्री महोदय, घोषणा तो करवाइये।

पुष्कर सरोवर (अजमेर) की परिधि का सीमांकन

240. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर सरोवर (अजमेर) की पवित्रता को बनाये रखने के लिए वर्ष 1991 में सरकार ने कोई नियम बनाये? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नियमों के अन्तर्गत पुष्कर सरोवर की 100 फीट की परिधि में सीमांकन करने के लिए आदेश जारी हुआ था? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नियमों के तहत पवित्र सरोवर का सीमांकन कराया गया था? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि पुष्कर सरोवर की 100 फीट की परिधि में आये दिन अतिक्रमण हो रहे हैं? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगरपालिका, पुष्कर ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री तकीउद्दीन अहमद) : (1) जी हां। पुष्कर सरोवर स्वच्छता एवं सुन्दरता उप नियम, 1991 बनाये गये हैं। प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। नियमों में सीमांकन करवाने की व्यवस्था नहीं है।

(4) यह सही है कि पुष्कर सरोवर की 100 फीट की परिधि में भी अतिक्रमण होते रहते हैं परन्तु पालिका द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर उक्त अतिक्रमणों को हटाया गया है। 11 अतिक्रमियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), पुष्कर में चालान प्रस्तुत किये जाते हैं। न्यायालय द्वारा उक्त अतिक्रमियों पर जुर्माना आरोपित किया गया है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट–1 देखें)

श्री रमज़ान खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से खण्ड–2 में मैंने पूछा था कि उक्त नियम, 1991 के तहत पवित्र पुष्कर सरोवर का सीमांकन करवाया गया है? इन्होंने कहा है जी नहीं। खण्ड–3 में इन्होंने कह दिया कि उक्त 1991 में सीमांकन कराने की कोई व्यवस्था नहीं

(श्री रमजान खान)

है, जबकि इस उप नियम में यह साफ लिखा हुआ है, ये उप नियम ही इसी कारण से बने हैं, "कि पुष्कर सरोवर क्षेत्र की सीमा में बने हुए मकानों को इन उप विधियों के प्रभावशील होने के पश्चात् होटल में परिवर्तित किया जाएगा।" दूसरा है, पुष्कर सरोवर क्षेत्र की सीमा में बने हुए सभी भवनों, घाटों के सौन्दर्यीकरण के लिये बाहरी तरफ सफेदी अथवा सफेद रंग का उपयोग किया जाएगा। पुष्कर सरोवर की सीमा में स्थित सभी मकानों एवं घाटों के लिये किसी भवन एवं घाट का निर्माण या निर्माणाधीन अथवा पुनः निर्माण, उसमें परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु पूर्व में लिखित अनुमति आवश्यक होगी जो कि जिला कलक्टर की अभिशंसा पर दी जाएगी।

आप कह रहे हैं कि सीमा ज्ञान कराने का इस उप नियम में कोई प्रावधान नहीं है मेरा यह निवेदन है कि जब सीमा ज्ञान ही नहीं होगा तो हमको क्या मालूम पड़ेगा कि पुष्कर सरोवर की परिधि में कौन-कौनसे मकान आते हैं, कौन-कौनसी होटलें आती हैं, कौन-कौनसा रास्ता आता है। इसलिए आपने यह जो उत्तर दिया है यह बिलकुल गलत है।

दूसरा, क्या यह सही है कि अधिनियम, 1991 के तहत पवित्र सरोवर की सीमा में किसी नये भवन के निर्माण के लिये जिला कलक्टर से अभिशंसा करवानी पड़ेगी, तभी निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी? आज तक जिला कलक्टर से किसी भी प्रकार की कोई अभिशंसा नहीं करायी गयी। केवल वहां का पालिका अध्यक्ष और सैक्रेटरी दनादन आदेश दे रहे हैं निर्माण कार्य के और निर्माण कार्य करवा रहे हैं। यह सही है कि पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों में से कुछ घाटों पर मूर्तियां तोड़ दी गयीं, समाधियां तोड़ दी गयीं, शिवलिंग तोड़ दिया गया, परिक्रमा मार्ग तोड़कर वहां पर होटल की सीढ़ियां बना दी गयी और कई दुकानें, आवासीय भवन बनाकर उनके ताले लगा दिये गये, परन्तु अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। हमने बार बार आन्दोलन किये, इसके लिये बार बार लिखित में दिया कि शिवलिंग को तोड़ा जा रहा है, वहां पर मकान बनाये जा रहे हैं, वहां पर मकान के ताला लग गया, उस शिवलिंग को आप वापस स्थापित करो। हमारी वहां पर सुनवाई नहीं हुई। हमने यह भी कहा कि वहां पर मूर्तियां तोड़ दी गयी हैं। जहां पर औरतें वस्त्र बदला करती हैं स्नान करने के बाद, उस वस्त्र गृह को तोड़कर वहां पर बड़े बड़े हॉल बना दिये गये घाटों के ऊपर, जिसकी वजह से आज औरतों को वस्त्र खुले में चेंज करने पड़ते हैं। कई विदेशी लोग उनकी फोटुएं खींचते हैं और हमारी माता और बहनों की बेइज्जती होती है।

(श्री रमजान खान)

उसकी तरफ भी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि सीमांकन कराने का कोई प्रावधान नहीं हैं इसके अन्दर। क्या यह सही है कि यज्ञ घाट पर देवी प्रतिमा समाधि स्थल पर शिवलिंग को तोड़ दिया गया और उसके स्थान पर आवासीय मकान बना दिये गये? क्या यह भी सही है कि ब्रह्म घाट पर गुजराती धर्मशाला के नीचे महिला वस्त्र गृह को तोड़कर उसका भी मकान बना दिया गया? क्या यह भी सही है कि रामघाट जनाना वस्त्र गृह को तोड़कर मकान बना कर उसके ताला लगा दिया गया? क्या यह भी सही है कि परिक्रमा मार्ग को तोड़कर उसके अन्दर एक होटल ने अपनी सीढ़ियां बना लीं जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को परिक्रमा लगाने में तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें हुई हैं और आप कहते हैं सीमांकन का कोई पता ही नहीं है। बारह साल हो गये इस उप नियम को बने हुए और अभी तक इसके ऊपर कोई क्रियान्विति नहीं हुई।

श्री तकीउद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय सदस्य ने क्वेश्चन के जरिये मुझसे मांगी थी उसमें यह पूछा था कि क्या सीमांकन के लिये कोई प्रावधान नियमों में है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अब मैं फिर दुबारा आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आपने जिन-जिन चीजों का यहां जिक्र किया है इनके बारे में नया क्वेश्चन पूछिये। आपने इसके लिये एक वर्ड भी मुझसे नहीं पूछा है। आपने सिर्फ सीमा ज्ञान के बारे में एतराज किया है। उसके अलावा भी...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : पुष्कर सीमा के बारे में ही बात कर रहा हूं। मैं तो सरोवर की सीमा के बारे में बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : दूसरा सवाल पूछने के लिये कह रहे हैं। वहां के स्थानीय विधायक महोदय ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं इसके बाद क्या आपको नया सवाल देना पड़ेगा? आपकी नालेज में कोग्नीजेंस लेने के लिये काफ़ी नहीं है क्या? फिर नया सवाल पूछने की आवश्यकता कहां है?

श्री तकीउद्दीन अहमद : बैठिये। आपने जो सवालात पूछे हैं उनके बारे में नियम 1991 में बना था 1991 से लेकर 1998 तक आपकी सरकार थी, आपने जो नियम बना है उस पर कुछ कार्यवाही ही नहीं की, एक बात। दूसरी बात यह है, आप मुझे यह बताएं कि हमारी सरकार के आने के बाद उस 100 फीट की परिधि में कोई अगर अतिक्रमण हुआ है तो किस पर्टीकुलर पर्सन का हुआ है? अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है।

श्री रमजान खान : मैंने आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, सरकार किसकी? उस समय थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : आपकी सरकार में ही हुए हैं यह। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पुष्कर की पवित्रता का सवाल है यह। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : हमने तो 1991 में माननीय भंवरलालजी शर्मा जब मंत्री थे...(व्यवधान) सब आपकी सरकार में हुए हैं। (व्यवधान)

श्री तकीउद्दीन अहमद : बैठिये। फिर भी आपकी बात का लिहाज रखते हुए इन सारी चीजों के बारे में जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री रमजान खान : नहीं, क्या उचित कार्यवाही की जाएगी? अध्यक्ष महोदय, जब हम आन्दोलन करते हैं तो पुलिस हमारे पर लाठीचार्ज करती है। हम कहते हैं कि इस शिवलिंग को तोड़ दिया गया है, यहां पर मकान बना रहे हैं तो पुलिस हमारे को धक्का देकर जेलों के अन्दर बन्द करती है। क्या न्याय करोगे? कहीं छोटी-सी जगह किसी शहर के अन्दर कोई मूर्ति तोड़ देता है...(व्यवधान) नहीं, कोई मूर्ति तोड़ता है तो बबाल मच जाता है, पूरा शहर ही बन्द हो जाता है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : रमजान खान की तरह सच्चे मुसलमान बनो। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : पुष्कर जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वहां पर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और शिवलिंग हटाये जा रहे हैं, वहां पर मकान बनाये जा रहे हैं, उसके लिये आप कह रहे हैं कि तत्काल कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) आप क्या तत्काल कार्यवाही करेंगे?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक मात्र हिन्दुओं का पवित्र धार्मिक स्थान है। इसकी पवित्रता बनाये रखना इस पवित्र सदन की सीमा में आता है, गरिमा में आता है, इसलिए मैं आपसे स्पेशल निवेदन करना चाहता हूं सरकार को आप सीधा डायरेक्शन दीजिये। इस सम्बन्ध में जितनी भी कार्यवाही की जा सकती है, अतिक्रमण हटानें हैं, जो भी मूर्तियां वगैरह तोड़ी गयी हैं, उनकी अविलम्ब जांच कराकर, पुष्कर की पवित्रता को बनाये रखने के लिये जितना भी करना चाहिये, उतना इस सरकार को करना चाहिये।

श्री रमजान खान : आप कितने दिन में करवा दोगे, यह तो बताओ? मंत्री महोदय, आप कितने दिन में करवा दोगे?

श्री तकीउद्दीन अहमद : उचित कार्यवाही उचित टाइम में हो जाएगी। (व्यवधान) जरूरी सारी कार्यवाही जरूरी टाइम में हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : नहीं, कितने दिन में हो जाएगी? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक निश्चित समय सीमा तय करिये। (व्यवधान)

श्री तकीउद्दीन अहमद : निश्चित समय सीमा मैं नहीं दे सकता क्योंकि आप ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हिन्दुओं की भावनाओं का मामला है, नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? (व्यवधान)

श्री रमजान खान : यह क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह उचित टाइम क्या होता है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं उचित कार्यवाही उचित टाइम पर हो जाएगी। यह हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का यत्न है–जहां शिवलिंग तोड़ दिया गया हो, जहां धार्मिक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको कौन क्या कह रहा है, बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : एक चीज नोटिस में ला दी, नियम, उप नियम में नहीं है। पवित्र सरोवर की 100 फीट की परिधि है, उसका सीमा ज्ञान किये बगैर आप कैसे अतिक्रमण तोड़ेंगे? (व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : आपको केवल हल्ला करना है, पुष्कर आपने देखा ही नहीं जाकर। इनसे पूछो, कभी गये हैं क्या आप? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हां, गये हैं। हां, गये हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम : घाट का मुंह ही बता दो, किधर है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम तो पुष्कर सरोवर स्नान करने गये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मदन दिलावरजी से पूछ रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार से यह आश्वासन तो दिलाइये कि उसका सीमा ज्ञान कराने की व्यवस्था करके आदेश जारी करेंगे जिससे इनको पता लगे कि पवित्र सरोवर की परिधि कितने में है और तब यह कार्यवाही कर सकेंगे। इसमें तो कोई अन्यायपूर्ण मांग नहीं है।

श्री नाथूराम : नहीं, घाटों के नाम बताओ आप। (व्यवधान)

श्री तकीउद्दीन अहमद : 100 फीट की सीमा के अन्दर नियमों के तहत अगर किसी किस्म का अतिक्रमण होता है, उसके बारे में पूछा है, और अतिक्रमण किसी का नहीं होने दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सीमा ज्ञान...

श्री तकीउद्दीन अहमद : देखिये, यह सीमा 100 फीट की है, उस 100 फीट

(श्री तकीउद्दीन अहमद)

के अन्दर किसी किस्म का कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है। होगा तो हटा दिया जाएगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं।

श्री रमजान खान : सीमा ज्ञान कब तक कराओगे आप? मंत्री महोदय, यह सीमा ज्ञान कब तक कराओगे आप? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो चौथा पार्ट है इसमें आपने कहा है कि इसमें अतिक्रमण होते रहते हैं और हटाते रहते हैं। जो अधिकारी वहां लगे हुए हैं, क्या कभी किसी के खिलाफ आपने कार्यवाही की है? कितने लोगों के खिलाफ की? (व्यवधान)

श्री नाथूराम : 9 साल तक रमजान खानजी मंत्री रहे हैं, एक कार्यवाही की हो तो सदन में बताओ।

श्री रमजान खान : हमने तो ये उप नियम बना दिये, इन उप नियमों की क्रियान्विति आपकी सरकार से नहीं हो रही है। क्या पूछते हो हमको? ये उप नियम हमनें बनाये हैं 1991 में।

श्री नाथूराम : आपने क्यों नहीं करवायी?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : बना कर घर में लेकर बैठ गये।

श्री रमजान खान : घर में लेकर नहीं बैठ गये, कार्यवाही नहीं की। आपकी सरकार को करनी चाहिए थी कार्यवाही। (व्यवधान)

श्री नाथूराम : आपके टाइम में तो कुछ किया नहीं।

श्री रमजान खान : आप चाहते हो क्या कि पुष्कर सरोवर की पवित्रता भंग हो?

श्री संयम लोढ़ा :...(व्यवधान) कितने मन्दिरों की जमीन खा गये? (व्यवधान)

श्री रमजान खान : लोढ़ाजी, आप चाहते हो क्या कि पुष्कर की पवित्रता भंग हो?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है।

श्री रमजान खान : मंत्रीजी ने क्या जवाब दिया है?

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी ने जवाब दिया है न कि हटवा रहे हैं अतिक्रमण। हटा रहे हैं, कह दिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कोटा में जवाहर सदन के सामने...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : समय सीमा तय करने की बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन दिलावर :...(व्यवधान) ...माताजी की मन्दिर की जमीन है।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन दिया मंत्रीजी ने। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : समय सीमा तय करने की बात है, आश्वासन नहीं।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, आप यहां पर आसन पर बैठे हैं, समय सीमा तय करें, पुष्कर की बात है। मंत्रीजी, समय सीमा तो बताओ कि कब तक कर देंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, समय सीमा बताइये कि कब तक करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जसवन्त सिंह।

श्री रमजान खान : दो महीने में, एक महीने में, कब तक कर देंगे आप?

श्री मदन दिलावर : यह पवित्र तीर्थराज पुष्कर का मामला है इसलिए उन अतिक्रमणों को हटाने के लिए सीमा ज्ञान कब तक करवा देंगे, यह निश्चित करें। बहुत महत्वपूर्ण मामला है, अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पुष्कर से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तो निश्चित करें।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तो निश्चित करवाएं। यह बहुत इम्पोर्टेंड क्वेश्चन है, यहां आप बिराजमान हैं, मंत्री महोदय को समय सीमा तो निश्चित करनी चाहिए कि हम इतने दिन के अन्दर करवा देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पुष्कर तीर्थ स्थान पूरे देश और विदेश के हिन्दुओं की भावना का मामला है, दुनियाभर के हिन्दू आते हैं, समय सीमा तो तय करवाएं। माननीय सदस्य यह डिमांड कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तय नहीं कराएंगे तो मैं यहां पर धरने पर बैठ जाऊंगा और जब तक समय सीमा तय नहीं करेंगे मैं उठूंगा नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, पुष्कर तीर्थराज की पवित्रता का सवाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार कर लिया कि 100 मीटर की परिधि में...(व्यवधान)...अतिक्रमण हुआ है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ आप, आपकी भावनाओं का मामला है, पूरी दुनिया के हिन्दुओं का मामला है।

श्री मदन दिलावर : सीमा ज्ञान करवाना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री रमजान खान : कब तक कर देंगे आप? हम यही तो पूछ रहे हैं कि कब तक इन अतिक्रमणों को हटा देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : समय सीमा का पूछ रहे हैं इसके अलावा कोई बात आपसे पूछ नहीं रहे हैं। मंत्रीजी, बताएं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी।

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : अयोध्या का मामला निपटेगा उससे पहले करा देंगे।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह क्या है? (व्यवधान) वहां राम का मन्दिर बनेगा ही, उसको कौन रोक सकता है? परन्तु यहां पर मन्दिर क्यों तोड़ रहे हैं, शिवलिंग क्यों तुड़वा रहे हो, पुष्कर तीर्थराज की पवित्रता क्यों समाप्त कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बता दें न। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विधि मंत्रीजी, बिराजें। हमारे हिन्दुओं का सब का मामला है। पूरी दुनिया के हिन्दुओं का मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समय सीमा बता दें।

श्री रमजान खान : समय सीमा मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विधि मंत्रीजी, आप तो शेख अब्दुल्ला टोपी लगा कर आये हैं परन्तु हैं तो हिन्दू ही। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : कम से कम समय सीमा तो बताएं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : यह आपके सवाल से तो करने वाले नहीं हैं, बाकी वो करेंगे। उन्होंने कहा है न कि शीघ्रातिशीघ्र करूंगा, कि जल्दी से जल्दी कराएंगे।

श्री रमजान खान : मंत्रीजी, मैं आप से पूछ रहा हूं कि कब तक करा दोगे?

श्री तकीउद्दीन अहमद : दो महीने में करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जसवन्त सिंह।

बाड़ी (धौलपुर) में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय की स्थापना

241. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में कितने अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय कहां-कहां पर खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

(2) क्या सरकार बाड़ी (धौलपुर) में उक्त न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या बाड़ी उक्त न्यायालय हेतु निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण कर रहा है? यदि हां, तो अब न्यायालय कब तक खोल दिया जाएगा?

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) गत दो वर्षों में दिनांक 20.3.2001 को 4, दिनांक 31.3.2001 को 40 फास्ट ट्रैक कोर्ट और दिनांक 12.7.2002 को 13 फास्ट ट्रैक, कुल मिलाकर 57 कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के खोले गये हैं। न्यायालयों की विस्तृत विवरण सूची परिशिष्ट "ए" में आपको सुपुर्द कर दी गयी है।

(2) जी नहीं। दिनांक 18.4.1995 को तत्कालीन सरकार ने नये न्यायालय खोले जाने बाबत एक मापदण्ड अर्थात क्राइटेरिया निर्धारित किया था और वो मापदण्ड निम्नप्रकार से हैं :-

(I) नया ए.डी.जे. कोर्ट प्रति 1000 से 1200 केसेज पर।

(II) सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड (एडीशनल चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट) कोर्ट प्रति 1200 से 1500 केसेज पर।

(III) सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड (मुंसिफ मजिस्ट्रेट) कोर्ट प्रति 1700 से 2000 केसेज पर।

इस मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए बाड़ी क्षेत्र में फिलहाल नया ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने की सम्भावना नहीं है क्योंकि बाड़ी क्षेत्र के कुल मिलाकर वर्तमान में 552 केसेज ही लम्बित हैं, पैंडिंग हैं।

(3) जी नहीं। बाड़ी जिला धौलपुर में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज न्यायालय की स्थापना हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या 552 ही है जो निर्धारित मापदण्ड 1000-1200 प्रकरणों से बहुत कम है। लिहाजा निकट भविष्य में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट खोलना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि मापदण्डों के आधार पर खोले जाएंगे, और मापदण्ड इन्होंने निर्धारित कर रखे हैं। इन्होंने बताया है कि बाड़ी में 552 ही केस लम्बित हैं इसलिए वहां नहीं खोला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है कि क्या ये जो भी कोर्ट आपने खोले हैं वे सारे के सारे मापदण्ड के आधार पर ही हैं? अगर मापदण्ड के आधार पर हैं तो आपने जो परिशिष्ट-ए पर संख्या तीन में बताया है बयाना में, मुझे एक तो बयाना की

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

बताएं कि यहां कितने केसेज हैं और डीग में कितने केस हैं?

श्री अरुण सिंह (डीग) : डीग में अपराध ज्यादा हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : चूरू, बूंदी और प्रतापगढ़ इनकी संख्या मुझे बताएं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिराजें, मैं कह देता हूं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : हां, हुकुम, बिराज रहा हूं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि ए.डी.जे. न्यायालय क्या उच्च न्यायालय की अभिशंसा पर खोले जाते हैं या राज्य सरकार की अभिशंसा पर क्या सरकार बिना उच्च न्यायालय की अभिशंसा के न्यायालय खोल सकती है? अगर हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों?

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से यह भी पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि प्रदेश में कई ए.डी.जे. कोर्ट बिना निर्धारित मापदण्ड के खोले गये हैं, ये मैंने पूछे हैं, कृपया उनको बताएं।

चौथा, बाड़ी डांग क्षेत्र है और बाड़ी के आसपास कोई ए.डी.जे. कोर्ट भी नहीं है, मात्र धौलपुर है जो वहां से करीब 85-90 किलोमीटर की दूरी पर है, उच्च न्यायालय से अभिशंसा लेकर क्या बाड़ी में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की सरकार मंशा रखती है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न में माननीय सदस्य ने पूछा था कि ये मापदण्ड कैसे और कब तय हुए। जब आपकी गवर्नमेंट थी और भैरोंसिंहजी साहब मुख्य मंत्री थे उन दिनों में उनके पास लॉ डिपार्टमेंट भी था, उन्होंने उन दिनों में यह मापदण्ड तय किया और इसी मापदण्ड के अनुसार ये सारे कोर्ट आज भी खोले जा रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैं तो संख्या पूछ रहा हूं। मैंने संख्या पूछी है। ये जो आपने मापदण्ड बताये हैं, मैंने दो-चार जगहों के नाम बताये हैं कि उनमें कितने केसेज हैं, कितने केसेज पर खोली है, वह संख्या बताएं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मापदण्ड तो आप समझ गये न?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : हां, समझ गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरा सवाल आपने यह पूछा है कि क्या हाई कोर्ट से स्वीकृति ली जाती है। जी हां, कोर्ट खोलने में हाई कोर्ट की ही स्वीकृति के बाद ये कोर्ट खोले जाते हैं। तीसरा सवाल आपने यह पूछा...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैंने पहले में ही संख्या पूछी है, अध्यक्ष महोदय। मैंने जो चार-पांच जगहों के नाम बताये हैं वहां की संख्या चाह रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : पांच जगह जो कोर्ट खोली हैं आपने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा जवाब सुन लीजिये। तीसरा प्रश्न आपने पूछा कि डीग में कितने केसेज हैं, बयाना में कितने केसेज हैं, बूंदी में कितने केसेज हैं। मान्यवर, यह अगर आप इस प्रश्न में पूछते तो मैं बाकायदा आपको सारी डिटेल्स देता। आपका प्रश्न सीधा सा है, आपने यह पूछा है कि गत दो वर्षों में कितने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कहां-कहां पर खोले गये। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके अलावा भी कोई माननीय सदस्य पूछ सकता है या नहीं कृपया मुझे आसन यह बताएं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न की परिधि में नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : परिधि में नहीं है, हुजूर। परिधि में पूछिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहती हूं कि उस परिधि में सपोटरा आता है या नहीं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती कमला बृजलाल : यह बी.जे.पी. का मामला नहीं है, यह कांग्रेस का मामला है। यह आता है या नहीं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : किसी का भी हो, मैं प्रश्न का जवाब एट रेण्डम नहीं दे सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा था...

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, साहब।

पिछले दो सालों में कहां-कहां आपने न्यायालय खोले इस सम्बन्ध में तो अपने आप आ गया, लेकिन खोलने के लिए कोई ग्राउण्ड तो होगा? यूं ही खोल दिये क्या फिर?

श्री अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है।

वन क्षेत्र की भूमि में सड़क निर्माण

242. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :- (1) क्या यह सही है कि कालूजा से आसन जिलेलाव 8 किलोमीटर सड़क मार्ग नेशनल हाइवे नम्बर 8 से

(श्री हीरासिंह चौहान)

नेशनल हाइवे नम्बर 14 के बीच में 3 से 5 किलोमीटर तक वन विभाग का क्षेत्र आता है?

(2) क्या उक्त वन भाग से गुजरने वाले दो किलोमीटर की लम्बाई से अलग वन क्षेत्र की तारबंदी अलग से लगी हुई है? क्या वन विभाग को उक्त सड़क मार्ग को मारवाड़–मगरा व मेवाड़ क्षेत्र से जिला, अजमेर तथा राजसमन्द व पाली को जोड़ने में कोई आपत्ति है?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. सी. पी. जोशी) वन मंत्री, (श्रीमती बीना काक के स्थान पर) : (1) जी हां।

(2) उक्त वन क्षेत्र से गुजरने वाले कच्चे मार्ग पर अलग से तारबंदी नहीं है।

उल्लिखित क्षेत्र के वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में आने के कारण सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजने से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति आवश्यक है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1962 से कालूजा से आसन जिलेलाव तक ग्रेवल रोड बनी हुई है और उसके बाद में जब–जब अकाल के काम हुए, उन सालों में दस बार इस सड़क की मरम्मत होकर यह अच्छी सड़क हो गयी। पिछले दो सालों में जिस पर आप तारबंदी की बात कह रहे हैं वहां पर विधायक कोष से 15 लाख रुपये लगाकर मैटल रोड बन गयी। मैटल रोड बनी तब तक तो वन विभाग ने किसी प्रकार का आब्जेक्शन नहीं किया और जब इसका डामरीकरण होने लगा, उस समय वन विभाग ने जिला कलक्टर को लिखकर उस पर डामरीकरण करने से रोक दिया। माननीय मंत्रीजी, उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत रोकने की कार्यवाही कर रहे हैं, इस अभयारण्य क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों में किस कानून के तहत, उच्चतम न्यायालय की बात मैं नहीं कर रहा हूं–केन्द्रीय सरकार के या वन विभाग के जो भी नियम बने हुए हैं, मैंने भी अपनी तरफ से पूर्ण जानकारी ली है, जानकारी लेने पर यह पाया गया कि वर्षों पुराने जो रास्ते चल रहे हैं, जो आमदरफ्त के रास्ते हैं, उन रास्तों पर डामरीकरण करने की रोक–टोक सरकार की ओर से नहीं है। जो बिलकुल नये रास्ते बनाये जा रहे हैं उनमें डामरीकरण की रोक है। इसी क्षेत्र में तीन सड़कें पिछले पांच सालों में बनीं। हरिपुर से गालव कलां 18 किलोमीटर और फोरेस्ट में बाराकरण से लेकर गंटाल्या तक रोड बनी। अब जब यह रोड बनने लगी, मैटल रोड हो गयी, 15 लाख रुपये खर्च हो गये, खर्च होने के बाद डामरीकरण का काम आया तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यहां पर मैटल रोड के पैसे खर्च

(श्री हीरासिंह चौहान)

हुए उस समय वन विभाग ने इसमें रोक-टोक क्यों नहीं की? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के फोरेस्ट में जो रास्ते चलते हैं, जहां पर अभयारण्य क्षेत्र से हटाकर तारबंदी की हुई है और लोगों के लिए आमदरफ्त के रास्ते बने हुए हैं उन रास्तों में वन विभाग के अभयारण्य क्षेत्र के भी अलग नियम और उप नियम हैं जिसके तहत ऐसे रास्तों को बनाने में कोई रुकावट नहीं पैदा होती है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय का कौनसा आदेश है? जानकारी चाहता हूं। आपसे यह भी जानकारी चाहता हूं कि केन्द्रीय वन अधिनियम के तहत कौन-कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, कौन-कौनसे ऐसे प्रतिबन्ध हैं जिनके कारण से ऐसे आमदरफ्त के पुराने रास्तों के निर्माण में सरकार द्वारा व्यवधान पैदा किया जाता है?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी ओर–The Hon'ble Supreme Court of India has passed two important orders relating to the National Parks and Sanctuaries. One dated 13.11.2000 in WP No. 337/95 where they have directed that the pending further orders no de-reservation of the Sanctuaries and National Parks shall be affected. In the other order dated. 14.2.2000 in WP No. 202/95 the Hon'ble Supreme Court has restrained all the States from ordering even the removal of dead, disease dying or falling trees in grasses etc. from any National Park or Sanctuary. In view of the above order of the Supreme Court State Governments are advised not to submit any proposal for diversion of forest land in the National Parks and Sanctuaries under the Forest Conservation Act, 1980 without seeking prior permission of the Supreme Court.

श्री हीरासिंह चौहान : That is very correct, Hon'ble Minister, Sir.

डा. सी.पी. जोशी : आप सुन लें पहले एक मिनट।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, मैं जिस वन खण्ड की बात कर रहा हूं वह न तो सैंक्चुरी में आ रहा है और न ही नेशनल पार्क में आ रहा है।

श्री रमजान खान : राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है।

श्री हीरासिंह चौहान : जहां तक आप कह रहे हैं Definitely I am agreed, कहीं सैंक्चुरी हो, कहीं नेशनल पार्क हो वहां पर डिफोरेस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता लेकिन यह दोनों की डेफिनेशन में यह फोरेस्ट में नहीं आ रहा है। इसकी जानकारी चाहता हूं मैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 20 के अन्तर्गत यह फोरेस्ट घोषित हुआ। वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1972 के अन्तर्गत 1983 में इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित किया गया। भाग एक में आपने जो प्रश्न पूछा कि कालूजा से आसन जिलेलाव तक 1983 में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित की, यह उसका पार्ट है। आप कह रहे हैं कि पार्ट नहीं है तो मैं जांच करवा लूंगा। बाकी हमारे रिकार्ड के अनुसार यह उसका पार्ट है, और पार्ट है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू होता है। और जब लागू होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के होते हुए हम कोई चीज आज के दिन आल्टर करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्री महोदय, मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस नेशनल पार्क और सैंक्चुरी का कह रहे हैं, यह जो रास्ता चल रहा है, वह इन दोनों ही सीमाओं के अन्दर नहीं आता. इसलिए आप इसकी पुनः जांच करवाएं। पुनः जांच के बाद आप पाएंगे कि 1962 से रोड है, बाकी तो यह वर्षों पुराना रास्ता चल रहा है और इसमें राज्य सरकार के लाखों करोड़ों रुपये ख़र्च हो गये। मैटल रोड वहां पर बन चुकी है इसलिए उसकी वापस जांच करवाएं। आप। जांच के बाद आप पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो अभी आपने हवाला दिया उन दोनों की परिधि में यह फोरेस्ट नहीं आता है, नहीं आता है। इसीलिए मैं आपसे पुनः गुजारिश कर रहा हूं कि इसकी आप पुनः जांच करवाएं। जो प्रतिबन्ध लगाया गया है बिना किसी कारण से, फिर वहां मैटल रोड क्यों बनने दी? मैटल रोड बनवाने के लिए जो उदयपुर के फोरेस्ट के अधिकारी थे वे इसमें दोषी हैं, फिर उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने 15 लाख रुपये खर्च करवा दिए और जब डामरीकरण होने लगा तो वहां पर बिना मतलब का प्रतिबन्ध लगाकर कलक्टर को लैटर लिख दिया। इसलिए पुनः जांच का विषय है, आप दोनों प्रकार की जांच करवाइये।

डा. सी.पी. जोशी : आपने जो तथ्य रखे हैं उनके आधार पर जांच करवा लेंगे। यदि फोरेस्ट का पार्ट नहीं है तो उसी तरह की कार्यवाही कर देंगे और यदि फोरेस्ट का पार्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को फालो करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, कालूजा से आसन जिलेलाव तक यह आठ किलोमीटर की

(श्री रमजान खान)

जो सड़क है वह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण ही एम.एल.ए. हैड से आठ किलोमीटर सड़क पर 15–16 लाख रुपये लगे और यह बनी, और अब वह सड़क चालू है उस पर जीपें भी जाती हैं, कारें भी जाती हैं, क्या इस सड़क को वन विभाग के इस अधिनियम को हाथ में लेकर बन्द करोगे? कभी बन्द नहीं हो सकती यह सड़क। यह तो आम रास्ता है। आदमी चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, बसें जा रही हैं, जीपें जा रही हैं, कारें जा रही हैं और राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसके ऊपर लाखों रुपये लग गये और अब आप इसकी अनुमति देने में कतरा रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ज़जमेंट में जो पेड़ हैं उनको हटाने तक के लिए मना कर दिया गया है, तो आज की डेट में हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाउण्ड हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट हमको परमिशन नहीं देगा तब तक वह सड़क है, या उसमें होकर आने-जाने का रास्ता है, हम कुछ नहीं कर सकते। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो बात कही उसकी जांच करवा लेंगे। यदि नहीं है तो कार्यवाही करवा लेंगे। इसका फैसला मैं अभी क्या करूंगा?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय जोशीजी, यह वही आसन जिलेलाव है जहां पूरा मंत्रिमण्डल गया और माननीय शिवचरणजी माथुर, पूर्व मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि नेशनल हाइवे नम्बर 8 से 14 को हम जोड़ेंगे। तीन किलोमीटर तो मैंने बढ़वाई उसमें से, उसी का एक भाग है। नेशनल हाइवे नम्बर आठ और चौदह को यह रोड जोड़ती है, जहां पर केवल तीन किलोमीटर डामरीकरण का काम बाकी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, 2000 के सुप्रीम कोर्ट के पहले की बात बता रहे थे, 2000 के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उसमें कोई भी चीज आल्टर करने पर बैन कर रखा है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2000 के बारे में फर्माया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने आदेश बताया है यह फाइनल जजमेंट है या इंटरलोकेटरी आर्डर है, यह बता दीजिए मेरे को आप? इस इंटरलोकेटरी आर्डर के अन्दर क्या आप इस तरह से रोक सकते हैं, मुझे इसका भी जवाब दे दीजिए?

डा. सी.पी. जोशी : सुप्रीम कोर्ट का जो जजमैंट है, आज के दिन जिस स्थिति में...(व्यवधान) उसके बाद हम कोई चीज ऐसी नहीं कर...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इंटरलोकेटरी आर्डर है क्या, यह बता दीजिए?

डा. सी. पी. जोशी : इंटरलोकेटरी आर्डर है तब भी हमें इसको फेथफुली आब्जर्व करना पड़ेगा। (व्यवधान) यह कौनसे कानून की व्याख्या आप कर रहे हैं? I don't think that you are so competent Advocate, कि इंटरलोकेटरी आर्डर को नहीं लागू करेंगे। We are bound by this.

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क्यों नहीं लागू कर सकते आप? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुकी है और उस जजमेंट के बाद ऐसा इंटरलोकेटरी आर्डर आया है। वन विभाग अपनी दादागीरी कर रहा है और दादागीरी से इंटरलोकेटरी आर्डर को दिखा दिखाकर...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए इस सड़क पर आवागमन बंद करेंगे? क्या इस सड़क पर, माननीय मंत्री महोदय, आवागमन फोरेस्ट एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बंद करेंगे?

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो प्रश्न पूछा था कि सरकार को आप निर्देश दें कि इसकी जांच करावें तथा यह रेवेन्यू रिकार्ड...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पिछड़ी जाति के डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स (सिविल) की वरिष्ठता सूची

340. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या आयोजना (जनशक्ति) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जन शक्ति (आयोजना) विभाग द्वारा पिछड़ी जाति के डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स (सिविल) की वरिष्ठता सूची का संधारण विधिवत रूप से नहीं किया जा रहा? वर्तमान में इनके निरीक्षण की क्या व्यवस्था है? वर्ष 1997 से अब तक की वर्षवार पिछड़ी जाति की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विगत 10 वर्षों में जनशक्ति विभाग की उदासीनता के कारण विभिन्न बोर्ड/संस्थानों द्वारा अपने-अपने नियमों की आड़ में उक्त वर्गों का कोटा पूरा किये बिना हजारों इंजीनियर्स की सीधी भर्ती की गई? यदि हां, तो विभाग ने उक्त सीधी भर्ती के विरुद्ध क्या प्रयास किये? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न बोर्ड/निगम आदि द्वारा अनुभवी आशार्थी लेने की भ्रमित विज्ञप्ति के आधार पर नियम विरुद्ध फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्तियां की गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। जनशक्ति निगम द्वारा पिछड़ी जाति के सिविल डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स की वरिष्ठता सूची का संधारण विधिवत रूप से किया जा रहा है तथा किसी भी विभाग से मांग पत्र प्राप्त होने पर मैरट के अनुसार नाम भेजने से पहले मेरिट सूची की जांच उप निदेशक/सांख्यिकी अधिकारी द्वारा की जाती है। विभाग में मेरिट सूची कम्प्यूटर पर हमेशा तैयार रहती है। विभिन्न अभ्यर्थियों का पंजीयन प्रतिदिन होने की वजह से इनकी पंजीयन दिनांक एवं प्राप्तांक अलग-अलग होते हैं। इस कारण विभाग की मेरिट सूची किसी भी नये अभ्यर्थी के पंजीयन करवाने पर परिवर्तित होती रहती है। विभाग में वर्षवार मेरिट सूची तैयार नहीं की जाती है। किसी भी विभाग से मांग पत्र प्राप्त होने पर मांग पत्र की दिनांक को आधार मानकर ही मेरिट सूची निकालने की प्रक्रिया ही विभाग में है। अतः विभाग में पंजीकृत पिछड़ी जाति के सिविल डिप्लोमाधारियों की दिनांक 31.12.2002 को आधार मानकर तैयार की गई वरिष्ठता सूची परिशिष्ट "अ" पर दी गई है।

(2) विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल नगर सुधार न्यास, अजमेर में अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा पूरा किये बिना एक कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति की है जो उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में की गई है विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है

(3) जी नहीं। इस विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका लाडनूं (नागौर) को सड़कें तोड़ने के पेटे प्राप्त राशि

341. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं जिला, नागौर को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और टेलीफोन विभाग ने सड़क तोड़ने के पेटे राशि का भुगतान किया है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि नगरपालिका को कब-कब किस-किस विभाग से प्राप्त हुई और उक्त राशि को पालिका ने किस-किस कार्य में कब-कब खर्च की?

उत्तर

जी हां। गत पांच वर्षों में जलदाय विभाग व टेलीफोन विभाग से जितनी जितनी राशि जब-जब प्राप्त हुई व उक्त राशि को पालिका ने किस-किस कार्य में कब-कब खर्च किया, का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-4 देखें)

नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ की कच्ची बस्तियों का नियमन

342. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ में कितनी कच्ची बस्तियां हैं? कच्ची बस्ती नियमन के लिए राज्य सरकार ने क्या कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं? यदि हां, तो जारी निर्देशों के अनुसार ''प्रशासन शहर की ओर'' में अब तक कितने लोगों को भू-आबंटन/नियमन कर दिया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका सीमा विस्तार में गांव बगवास, गुआलतलाई, मालीखेड़ा, मानपुरा व तालाब खेड़ा कब से सम्मिलित किया गया है? क्या सीमावृद्धि के पूर्व उक्त गांवों में निवास करने वालों को अपने पुस्तैनी मकानों का सर्वेक्षण कर जमीन का पट्टा दे दिया गया है? यदि हां, तो ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ में 10 कच्ची बस्तियां है। कच्ची बस्ती नियमन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ''प्रशासन शहरों की ओर'' अभियान में अब तक 104 व्यक्तियों के अतिक्रमणों का नियमन किया है। सूची संलग्न है।

(2) नगरपालिका सीमा विस्तार में गांव बगवास, रघुनाथपुरा एवं मानपुरा को राजपत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1983 भाग 6 (क) से सम्मिलित किये गये है। गुआलतलाई के बाबत अधिसूचना में कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु गुआलतलाई गांव बगवास का राजस्व सीमा का भाग है। गांव तालाब खेड़ा को उपरोक्त अधिसूचना के जरिये सम्मिलित नहीं किया गया है।

सीमा वृद्धि से पूर्व उक्त गांवों में निवार्स करने वालों को पट्टे देने के सम्बन्ध में पालिका को जानकारी नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-5 देखें।)

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका डीडवाना (नागौर) द्वारा अनियमितता

343. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री जस्साराम गोदारा ने नगरपालिका मण्डल डीडवाना (नागौर) के अधिशासी अधिकारी के पद का कार्यभार दुबारा संभाला, तब राजकीय स्वीकृति के अभाव में एक पात्रता की अनदेखी करते हुए, कार्मिक श्रीमती कमला देवी से उक्त भू-खण्ड की कीमत जमा करवाई है?

(2) क्या श्रीमती कमला देवी ने उक्त भू खण्ड बिना निर्माण करवाये शासन

(डा. रतन लाल जाट)

की स्वीकृति के अभाव में विक्रय कर दिया है तथा क्रेता को मकान निर्माण की स्वीकृति भी श्री गोदारा ने दी है?

(3) क्या उक्त कालोनी के भू-खण्ड–14 की लीज शुदा भूमि पर उक्त क्रेता के पक्ष में श्री गोदारा द्वारा छोटी भूमि का आबंटन एवं कब्जा बतला कर नियमन किया गया है तथा विक्रय विलेख पत्र निष्पादित किया गया है?

(4) क्या उक्त बिन्दुओं की शिकायत निदेशालय में दिनांक 6.5.2002 को प्रस्तुत होने के उपरान्त भी अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है? क्या सरकार श्री जस्साराम गोदारा की अनाधिकृत कार्यवाही को दबाने के लिये उसे पुनः डीडवाना स्थानान्तरित कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। अध्यक्ष की स्वीकृति से उक्त भूखण्ड की कीमत जमा करवाई है।

(2) जी हां। उक्त निर्माण की स्वीकृति के समय श्री गोदारा न.पा. डीडवाना में कार्यरत थे परन्तु उक्त निर्माण स्वीकृति श्री कानाराम सैनी कर निर्धारक के हस्ताक्षर से जारी की गई है।

(3) जी हां।

(4) उप निदेशक (क्षेत्रीय) अजमेर से जांच करवाई जा रही है।

(5) जांच करवाई जा रही है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नगरपालिकाओं/परिषदों के निर्वाचित सदस्यों के वेतन भत्तों में वृद्धि

344. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा नगरपालिकाओं/परिषदों में निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों को मानदेय भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों को कितनी राशि?

(2) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्रों के पार्षदों, अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के प्रति माह के भत्ते बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना-कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम के सदस्यों को अधिकतम 2150/- रुपये, नगर परिषद् के सदस्यों को 1650/- रुपये एवं नगरपालिकाओं के सदस्यों को 1100/- रुपये प्रतिमाह भत्ते दिये जाते हैं।

(2) जी नहीं।

नगरपालिकाओं/परिषदों में रोड लाइटों के भुगतान की राशि में राहत

345. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विद्युत वितरण निगम द्वारा नगरपालिकाओं/परिषदों से रोड लाइट्स की राशि वसूल की जाती है? यदि हां, तो उक्त के समाधान के लिये क्या सरकार स्वायत्त शासन विभाग व विद्युत वितरण निगम से उच्च स्तरीय वार्ता कर नगरपालिकाओं को रोड लाइट उपभोग के पेटें वसूल की जाने वाली राशि में राहत प्रदान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। रोड लाइट्स उपभोग के पेटे वसूल की जाने वाली राशि में पृथक से कोई राहत प्रदान करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

नगर परिषद् अजमेर के स्वामित्व वाली राजकीय भूमि का बेचान आबंटन

346. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् ने नगर परिषद् के स्वामित्व वाली राजकीय भूमि एवं भवन, स्कूलों, अस्पताल, डिस्पेंसरी, धर्मशाला, रेनबसेरा एवं मनोरंजन क्लब आदि को सार्वजनिक हितार्थ प्रयोग करने के लिए लीज पर दी है? यदि हां, तो किन-किन को कितनी समयावधि के लिये दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद्/अजमेर द्वारा सम्बन्धित पक्षकारों से इसके लिए लिखित अनुबन्ध/इकरारनामा/लीज डीड निष्पादित की है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्पत्ति को पंजीकृत दस्तावेज द्वारा विक्रय किये जाने हेतु नगर प्रशासन ने अनुमति प्रदान की है? यदि हां, तो कब? अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) लीज पर दी गई उक्त सम्पत्ति को किस विधि/प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति/संस्था को बेचान किया जा सकता है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के तहत बनाये गये राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के प्रावधानों के

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

अनुसार लीज पर दी गई सम्पत्ति का "लीजी" द्वारा बेचान नहीं किया जा सकता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में निर्मित कियोस्क

347. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कितने कियोस्कों का निर्माण कराया गया है?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नगरपालिका द्वारा मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत कियोस्क निर्माण नहीं करवाये गये है। 210 कियोस्क निर्माण हेतु भू खण्ड आबंटित किये गये है।

नगरपालिका लाखेरी (बून्दी) में धार्मिक स्थान/सार्वजनिक बावड़ियों पर अतिक्रमण

348. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, लाखेरी, (बून्दी) क्षेत्र में बावड़ी के बालाजी का धार्मिक स्थान है व उसके पास सार्वजनिक बावड़ियां बनी हुई हैं जिनमें पर्याप्त पानी है? यदि हां, तो क्या उक्त धार्मिक व सार्वजनिक स्थान पर व्यक्ति विशेष द्वारा ईंट भट्टा लगवाकर बावड़ियों से पानी देकर ईंट भट्टा मालिक से हजारों रुपये लिये गये हैं?

(2) क्या उक्त बावड़ियों से जनता पानी पीती थी व जलदाय विभाग द्वारा भी उक्त बावड़ियों से पानी उपलब्ध करवाया जाता रहा है? क्या इस भीषण पेयजल संकट में जनता को पानी उपलब्ध न करवाकर बिना लाइसेंस व बिना अनुमति के लगाये ईंट भट्टा को पानी दिया जाना उचित है? यदि हां, तो कैसे?

(3) क्या जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी को लिखित में व मौखिक निवेदन करने पर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। बावड़ियों से पानी देकर ईंट भट्टा मालिक से हजारों रुपये लिये जाने की जानकारी पालिका को नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) तहसीलदार इन्द्रगढ़ (बूंदी) के पत्रांक 174 राज./2003 दिनांक 04.03.2003 के अनुसार अतिक्रमी मोहन/कल्याण माली

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

गणेशपुरा का प्रकरण सं. 4/2003 दिनांक 01.02.2003 को एल.आर. एक्ट की 90 "ए" के अन्तर्गत दर्ज कर लिया है एवं ईंटें जप्त करली हैं ईंटें नीलामी एवं बेदखली की कार्यवाही बेकार है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अजमेर रोड का छह लाइन सड़क में परिवर्तन

349. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर, विकास प्राधिकरण ने अजमेर रोड को छह लेन में बनाये जाने की योजना बनाई है? यदि हां, तो उक्त सड़क कहां से प्रारम्भ होकर कहां तक चौड़ी की जावेगी?

(2) अब उक्त योजना पर कब से कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर रोड छह लेन में बनाये जाने की योजना है। इस सड़क को जैकब रोड चौराहे से अमानीशाह नाले के पुल तक बनाये जाने की योजना है।

(2) उक्त कार्य हेतु कंसलटेंसी करायी जा रही है तथा कंसलटेंसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् कार्य का पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

अलवर के दाउदपुर जोहड़ पर अतिक्रमण की जांच

350. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर के दाउदपुर में स्थित जोहड़ में से कुछ व्यक्तियों ने षड्यंत्रपूर्वक पानी निकालकर उक्त में मिट्टी भरवाई थी? क्या उक्त व्यक्ति उक्त भूमि पर कब्जा करने का विचार रखते हैं?

(2) क्या मिट्टी भरवाने के विरुद्ध एक विधायक द्वारा नगर सुधार न्यास, अलवर के सचिव को पत्र लिख सूचना दी गई थी? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त जोहड़ के कितने हिस्से पर अतिक्रमण है? उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? उक्त में अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या नगर विकास न्यास ने उक्त जोहड़ की भूमि किसी समुदाय विशेष को आबंटित की है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह गलत है। वास्तविकता यह है कि खसरा नं. 276 दाउदपुर जो गैर मुमकीन जोहड़ के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित था इसे राजस्व विभाग द्वारा ना. सं. 485 दिनांक 14.02.2002 के द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर के नाम दर्ज किया जा चुका है। दाउदपुर के वासिन्दगान के आवेदन पर इस जोहड़ में स्थित गंदे पानी के गड्डे को भरने के लिये नगर विकास न्यास द्वारा सड़क निर्माण के बाद बची मिट्टी को डलवाना प्रारम्भ किया गया था, जिस पर वहां के कुछ वासिन्दगान द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने पर मिट्टी डलवाने का कार्य बन्द करवा दिया गया। क्योंकि उनके द्वारा यह बतलाया गया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसकी जांच विचाराधीन है।

(2) यह सही है कि इस जोहड़ में मिट्टी भरवाने के विरुद्ध एक विधायक द्वारा एक पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया था। जिस पर न्यास द्वारा जोहड़ में मिट्टी डलवाने का कार्य बन्द करवा दिया गया।

(3) दाउदपुर का खसरा नं. 276 रकबा 1.05 हैक्टर गै.मु. जोहड़ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका नामान्तकरण न्यास के नाम 14.02.2002 को राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। न्यास के नाम उक्त जोहड़ की जमीन होने के पश्चात् कोई अतिक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। इस जोहड़ की भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी इस जोहड़ के सीमांकन के बाद ही पता चल सकेगी।

(4) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा उक्त जोहड़ की भूमि किसी समुदाय विशेष को आबंटित नहीं की गई है।

विश्वकर्मा नगर प्रथम दुर्गापुरा (जयपुर) के पार्क की बाउण्डरीवाल का निर्माण

351. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महारानी फार्म दुर्गापुरा, जयपुर स्थित जलमहल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वकर्मा नगर प्रथम में स्थित पार्क की एक साइड में कुछ मकान निर्मित हो जाने के कारण उक्त साइड की कम्पाउण्ड वाल जयपुर, विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं बनवायी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्बन्ध में भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 10.7.2002 में उक्त प्रकरण को विचारार्थ लिया जाकर दोनों योजनाओं में फैसिलिटी एरिया में सहकारी समिति द्वारा भू खण्ड सृजित किये जाने के कारण उक्त के विरुद्ध जयपुर, विकास प्राधिकरण

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

के सम्बन्धित ज़ोन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि विश्वकर्मा नगर–प्रथम के प्लाट सं. 231 से 240 पर ओवरलेपिंग एवं साइड में काफी लम्बे अरसे के बावजूद भी कम्पाउण्ड वाल नहीं बनवाने के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी?

(5) अब उक्त पार्क की शेष एक तरफ की कम्पाउण्ड वाल को कब तक बनवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि महारानी फार्म दुर्गापुरा, जयपुर स्थित जलमहल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वकर्मा नगर (प्रथम) में स्थित पार्क की एक साइड में कुछ मकान निर्मित हो जाने के कारण उस साइड की कम्पाउण्ड वासल जयपुर, विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा नहीं बनवायी गयी है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 10.7.2002 में उक्त प्रकरण को विचार्थ लिया जाकर दोनों योजनाओं में फैसिलिटी एरिया में सहकारी समिति द्वारा भू खण्ड सृजित किये जाने के कारण उक्त के विरुद्ध जयपुर, विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित जोन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया था। दो एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न हैं।

(3) जानकारी करने पर थानाधिकारी, शिप्रा पथ मानसरोवर ने अवगत कराया है कि एफ.आई.आर. सं. 209/2002 में बाद अनुसंधान एफ.आर.नं. 2 दिनांक 24.1.2003 को दी जा चुकी है एवं एफ.आई.आर. सं. 219/2002 में अनुसंधान जारी है।

(4) जी नहीं। मौके पर मकानों आदि के अतिक्रमण होने के कारण बाउण्डरीवाल नहीं बनायी जा सकी। कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(5) अतिक्रमण हटाने के पश्चात् कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर की चन्दवरदाई आवासीय योजना के तहत खेल नगर निर्माण

352. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर की चन्दवरदाई आवासीय एवं बहुउद्देश्यीय योजना में चन्दवरदाई खेल नगर निर्माण का निर्णय न्यास द्वारा लिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खेल नगर योजना का प्रस्तावित निर्माण नक्शा किसके स्तर पर तैयार किया गया? क्या प्रस्तावित नक्शा न्यास की बैठक में अनुमोदित किया गया? यदि हां, तो कब? प्रस्तावित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चन्दवरदाई नगर में किन किन खेलों के लिये क्या-क्या सुविधाएं/मैदान का प्रावधान किया गया? उक्त से सम्बन्धित का निर्माण कब-कब किया गया और उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) खण्ड 3 में वर्णित का निर्माण क्या न्यास द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त खेल नगर के मूल प्रस्तावित प्रारूप को क्या मुख्य नगर नियोजक राजस्थान व वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर से अनुमोदित/स्वीकृत कराया गया? यदि हां, तो उक्त के अनुमोदन/स्वीकृति पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या न्यास प्रथम प्रस्तावित प्रारूप में परिवर्तन करने का विचार रखता है? यदि हां, तो परिवर्तित प्रारूप क्या न्यास की बैठक में अनुमोदन किया जा चुका है?

(7) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर ने जो निर्माण किया है वह मूल प्रस्तावित प्रारूप से भिन्न है? यदि हां, तो क्या इसके लिये न्यास से स्वीकृति प्राप्त की थी? यदि हां, तो पत्राचार व स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) खेल नगर की मूल योजना कितने बीघा जमीन पर प्रस्तावित की गई थी? उक्त में आने वाली पूरी भूमि क्या सरकारी है? यदि नहीं, तो अन्य भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) खण्ड 8 में वर्णित भूमि का कब्जा किस-किस दिनांक को लिया जाकर उसका नकद मुआवजा या भूमि के बदले भूमि के तहत विकसित भू खण्ड दिये जा चुके हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(10) उक्त स्टेडियम की मूल योजना परिवर्तन करने पर कितने बीघा

(श्री ललित भाटी)

जमीन कम हो जायेगी तथा कौन-कौन से खसरा नम्बर की भूमि छोड़ दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(11) उक्त स्टेडियम की चारदीवारी का काम कब शुरू किया गया? क्या कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर की चन्दवरदाई नगर आवासीय योजना में खेल नगर निर्माण का निर्णय न्यास बैठक दिनांक 18.7.1995 में लिया गया है।

(2) खेल नगर योजना (गेम्स काम्पलेक्स) का प्रस्तावित मानचित्र सर्वप्रथम नई दिल्ली के वास्तुविद् श्री के.के. चड्डा से न्यास निर्णय दिनांक 18.3.1996 के तहत तैयार करवाया गया था। प्रस्तावित मानचित्र का अनुमोदन न्यास बैठक में नहीं किया गया था, तत्पश्चात् न्यास स्तर पर तत्कालीन अध्यक्ष के निर्देश पर इसमें स्थानीय वास्तुविद से संशोधन करवाये गये। प्रस्तावित मानचित्र की प्रति संलग्न है।

(3) खेल नगर में स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, हाकी स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, टेनिस/बैडमिंटन कोर्ट, बास्केट बाल, खो-खो, तीरन्दाजी आदि खेलों के लिये प्रावधान है। न्यास स्तर पर उनके निर्माण पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्टेडियम के ट्रेक व तीरन्दाजी भवन का निर्माण कराया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(4) खण्ड-3 में वर्णित निर्माण अब तक न्यास द्वारा नहीं किया गया है जो निर्माण शेष है, विभिन्न चरणों में राशि की उपलब्धता के अनुरूप कराया जावेगा।

(5) खेल नगर का मूल प्रस्तावित प्रारूप मुख्य नगर नियोजक, जयपुर/वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर से स्वीकृत नहीं करवाया गया है, क्योंकि उक्त खेल परिसर प्रारूप चन्दवरदाई नगर योजना का ही भाग है जो वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर से स्वीकृत है। इस कारण खेल परिसर के अन्दर का मानचित्र जो खेल सुविधाऐं, स्टेडियम आदि को दर्शाता है, का पृथक से नगर नियोजन विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(6) जी हां। प्रथम प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन का विचार रखती है। लेकिन परिवर्तित प्रारूप को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अतः न्यास बैठक में अनुमोदन हेतु नहीं रखा गया है।

(7) जी हां। यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया निर्माण मूल प्रस्तावित प्रारूप से आंशिक

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

रूप से भिन्न है। इसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न्यास से मौखिक रूप से सहमति प्राप्त की गई थी।

(8) चन्दवरदाई नगर योजना के योजना मानचित्र अनुसार खेल नगर 176-10-03 बीघा भूमि पर बसाया जाना प्रस्तावित किया गया था। उक्त खेल नगर में आने वाली समस्त भूमि सरकारी नहीं है। उसमें 94-01-03 बीघा खातेदारी एवं 21-17-10 बीघा भूमि भारत सरकार द्वारा जारी गजट दिनांक 14.1.1956 अनुसार निष्क्रान्त भूमि है तथा 60-11-10 बीघा भूमि सरकारी है।

(9) खेल नगर में आने वाली 60-11-10 बीघा सरकारी भूमि का कब्जा दिनांक 14.7.1977 एवं 23.7.1988 को प्राप्त किया गया हैं तथा शेष खातेदारी एवं निष्क्रान्त भूमि जिसका मुआवजा भुगतान चैक द्वारा नकद एवं सक्षम न्यायालय में जमा कराया जाकर एवं भूमि के बदले भूमि के तहत विकसित भूखण्ड दिये जाकर, कब्जा विभिन्न दिनांकों को प्राप्त किया गया है जिसकी सूची संलग्न है।

(10) स्टेडियम की मूल योजना को आंतरिक परिवर्तित किये जाने पर भी कुल भूमि में कोई कमी नहीं होगी। वर्तमान में कोई भूमि नहीं छोड़ी गई है।

(11) स्टेडियम की चारदीवारी निर्माण दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में कार्यआदेश दिनांक 24.9.1996 एवं द्वितीय चरण में कार्य आदेश दिनांक 23.3.1998 द्वारा शुरू करवाया गया था। कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। निर्माण स्थल की भूमि का स्वामित्व विवादित होने से कार्य अभी अपूर्ण है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नेमीसागर कालोनी जयपुर में बहुमंजिलीय फ्लैट्स के निर्माण की जांच

353. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि क्वीन्स रोड, जयपुर स्थित आवासीय योजना नेमीसागर में विभिन्न भू-खण्डों पर बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स निर्मित हुये हैं?

(2) क्या उक्त बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स के निर्माण हेतु अनुमति जयपुर, विकास प्राधिकरण, जयपुर ने दी है? यदि नहीं, तो उक्त आवासीय फ्लैट्स के बगैर अनुमति के निर्माण के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स के निर्माण

(श्री उदय सिंह राठौड़)

में भवन विनियमों की साफ तौर पर अवहेलना की गई है एवं उक्त बाबत नेमीसागर कालोनी विकास समिति द्वारा शिकायत भी आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को की गई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई?

(4) क्या भविष्य में नेमीसागर कालोनी में कोई बहुमंजिला आवासीय या व्यावसायिक परिसर का निर्माण नहीं हो इसके लिये सरकार ने कोई पुख्ता कार्यवाही की है? क्या किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पाबन्द किया है? यदि हां, तो किस अधिकारी को और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोई बहुमंजिला इमारत नहीं बनाई गई है। कुछ भूखण्डों जो कि 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के है, एक से अधिक आवासीय इकाइयां बनाई गई है, जो नियमानुसार है।

(2) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भवन विनियम 2000 के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर से कम भूखण्डों पर निर्माण हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भवन निर्माण विनियम 2000 के विपरीत कोई निर्माण नहीं हुआ है। अतः किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है।

(3) जी नहीं। भवन निर्माण विनियम की अवहेलना नहीं की गई है। नेमीसागर कालोनी विकास समिति की शिकायत पर जैन मन्दिर के सामने किये जा रहे निर्माण को प्रर्वतन शाखा द्वारा रुकवा दिया गया था जो आज भी रुका हुआ है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रत्येक जोन में नियमों के विपरीत किये जाने वाले निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रवर्तन अधिकारी पदस्थापित है। अतः उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है।

दी जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवासीय कालोनी हेतु जारी पट्टों की जांच

354. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दी जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. गोविन्द विहार, जयपुर द्वारा ग्राम बुद्धसिंहपुरा, जयपुर में आवासीय कालोनी के पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दी जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा गोविन्द विहार, जयपुर में कौन-कौनसी योजनाओं/स्कीम के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड काटे गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल नागर)

(3) क्या उक्त सोसाइटी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को अपनी समस्त योजनाओं के सम्बन्ध में कोई मानचित्र एवं अन्य विवरण प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो कौन–कौनसी स्कीम के तथा उनमें कितनों को पट्टे जारी किये गये हैं?

(4) क्या सरकार को उक्त सोसाइटी द्वारा भूमि के अनियमित खरीद एवं बेचान के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस–किस के सम्बन्ध में तथा सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त योजना को जयपुर विकास प्राधिकरण में नियमितीकरण के सम्बन्ध में सूची प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कौन–कौन भूखण्डधारियों के नाम? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त योजना का नियमितीकरण कैम्प लगवाकर कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार उक्त स्कीम द्वारा की जा रही अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति, गोविन्द विहार, जयपुर द्वारा ग्राम बुद्धसिंहपुरा में गोविन्द विहार आवासीय योजना के पट्टे जारी किए गए हैं। सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची संलग्न है।

(2) जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गोविन्द विहार प्रस्तुत हुई है। इस योजना की जो भूमि है उसके कुछ भाग में से तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बुद्ध विहार, शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कृषि नगर भी प्रस्तुत हुई है। अभी तक किसी भी योजना का नियमन नहीं हुआ है।

(3) जी हां। उक्त सोसाइटी द्वारा अपनी समस्त योजनाओं के प्रस्तुत किए गए विवरण मय जारी पट्टों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टे
1	2	3
1.	श्री विहार	शून्य
2.	गोविन्द विहार	शून्य
3.	अमर विहार	शून्य
4.	नरसिंह विहार (योजना विकास समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है)	10

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

1	2	3
5.	सीताबाड़ी	51
6.	रूप नगर	8
7.	धीर विहार	46
8.	कैलाश विहार	1
9.	वृन्दावन विहार	94
10.	विस्टल विहार	शून्य
11.	ऋषि कालोनी	39
12.	भवानी निकेतन विहार	शून्य
13.	हनुमान विहार	शून्य
14.	आनन्द विहार	शून्य
15.	कृष्ण विहार	शून्य
16.	गोपाल विहार	16
17.	दाधीच नगर	शून्य

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित जोन एवं सहकारिता प्रकोष्ठ में भी भूमि की अनियमित खरीद एवं बेचान के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी हां। उक्त योजना के नियमितीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त रिकार्ड के साथ भूखण्डधारियों की सूची प्राप्त हुई है। सूची प्रश्न सं. 1 के साथ संलग्न है।

(6) जी नहीं। उक्त योजना का नियमितीकरण नहीं किया गया है। मौके पर काश्त होने व अन्य समितियों की योजनाओं में इस योजना की भूमि शामिल होने के कारण नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की गई है।

(7) उपायुक्त जोन-9 में प्रस्तुत स्कीम गोविन्द विहार के विरुद्ध सम्बन्धित जोन के स्तर पर कोई कार्यवाही करना विचाराधीन नहीं है, स्कीम की भूमि पर अन्य सोसायटियों के ओवर लेपिंग का मामला है, यह निजी भूमि है जिसमें जविप्रा का हित प्रभावित नहीं होता है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-6 देखें)

सिन्धु नगर स्कीम मुरलीपुरा जयपुर के आवासीय भू-खण्डों का नियमन

355. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिन्धु नगर स्कीम नं. 16 मुरलीपुरा, जयपुर का सर्वे कराने के पश्चात् दिनांक 10.12.2002 एवं 11.12.2002 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन शिविर सामुदायिक केन्द्र मुरलीपुरा में लगाया गया था? यदि हां, तो दिनांक 10.12.2002 के शिविर में किन-किन भूखण्डधारियों की पत्रावलियां एकत्रित की गई एवं उनकी क्या-क्या जांच की गई? पत्रावलियों की सूची एवं प्रत्येक में की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमन्त कुमार)

(2) वर्तमान में सिन्धु नगर स्कीम नं. 16 मुरलीपुरा के पुराने नक्शे के अनुसार एवं नये नक्शे के अनुसार कौन-कौन भूखण्डधारी बसे हुए हैं? व्यक्तियों के नाम, प्लाट एरिया व संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कालोनी में सर्वे के हिसाब से कौन-कौनसा भूखण्ड कितनी-कितनी नाप का है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त नियमन शिविर में कौनसा नक्शा कालोनी का अनुमोदित रखा गया?

(5) अब उक्त कालोनी का नियमन कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की स्कीम नं. 16 का नियमन शिविर दिनांक 10.12.2002 को आयोजित नहीं किया गया था। सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम नं. 16 का नियमन शिविर दिनांक 09.12.2002 व 11.12.2002 को सामुदायिक केन्द्र, मुरलीपुरा में निर्धारित किया गया था। दिनांक 09.12.2002 के नियमन शिविर में 219 आवेदन पत्र प्रार्थियों, द्वारा नियमन हेतु पेश करने पर उन आवेदन पत्रों की जांच के दौरान विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से अधिकतर भूखण्डों पर आपत्ति उठाई गई जिस पर पूरी योजना के क्रम में मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने आपत्ति की, कि कई भूखण्डों में दो-दो व्यक्तियों के नाम आबंटन है तथा राजस्थान राज्य सहकारी न्यायाधिकरण में प्रकरण भूखण्डों के परिवर्तन बाबत विचाराधीन है। यह जानकारी प्राप्त होने पर नियमन शिविर स्थगित किया गया। प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के पुराने नक्शे अनुसार संलग्न सूची में दर्शाये गये भूखण्डधारी है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। समिति द्वारा संशोधित नया नक्शा पेश नहीं किया है। प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराया जाकर संशोधित नक्शा तैयार करवाया गया है। जिसके अनुसार भूखण्ड संख्या एवं उसका क्षेत्रफल परिशिष्ट "स" में दर्शाया गया है। चूंकि अभी तक भूखण्ड स्वामित्व का मामला विवादित है। इसलिए भूखण्डधारियों का नाम नहीं दिया जा सकता है।

(3) जविप्रा द्वारा सर्वे के हिसाब से भूखण्ड की नापे संलग्न सूची परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(4) उक्त नियमन शिविर में परिशिष्ट "द" पर संलग्न मानचित्र रखा गया है।

(5) न्यायालयों के वाद के निर्णय पश्चात् नियमन शिविर लगाने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्याधर नगर आवासीय योजना की नीलामी दर में वृद्धि

356. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण ने विद्याधर नगर आवासीय योजना में दिनांक 1.1.2000 के बाद में कितने-कितने व कौन-कौन से प्लाट/फ्लैट्स नीलामी में बचे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्लाट/फ्लैट्स की साइज व नम्बर क्या थे तथा नीलामी की तिथि कौनसी थी? क्रेता का नाम व पता, अन्तिम बोली दर, प्रतिवर्ष नीलामी की दर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण अपनी प्रत्येक आवासीय योजना में समय-समय पर आरक्षित दर बढ़ाता रहा है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में उक्त दर कब-कब, कितनी-कितनी व किस आधार पर बढ़ाई गई?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर योजना में दिनांक 1.1.2000 के बाद प्लाट/फ्लैट्स जो नीलामी में विक्रय किये गये उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विद्याधर नगर योजना में दिनांक 1.1.2000 के बाद नीलाम किये गये प्लाट/फ्लैट्स के क्रेताओं के नाम पते अंतिम बोली प्रति वर्ष नीलामी की दर सहित सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) जी हां। यह सही है कि जविप्रा द्वारा राजस्थान नगर सुधारन्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 12 (5) के प्रावधानानुसार आरक्षित दर समय-समय पर बढ़ाई जाती है। विद्याधर नगर योजना की आरक्षित दर संलग्न सूची में वर्णित तिथियों के अनुसार बढ़ाई गयी:-

क्र. सं.	दिनांक	सेक्टर	आरक्षित दर प्र.व.मी. आवासीय	व्यवसायिक
1.	8.7.1986		190	
2.	12.5.1989		300/400	1200
3.	04.11.1992		800	2400
4.	1.04.1993		920	2760
5.	1.4.1994		1060	3180
6.	1.04.1995		1220	3660
7.	1.11.1995	3,8,10	1400	4200
		4,7	1500	4500
		5,6	1800	5400
		1,2	2300	6900
8.	20.2.1998		2100	6300
9.	10.3.1998		2100	6300
10.	13.4.2001		2100	4200

(सूची के लिए परिशिष्ट-7 देखें)

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में पत्थर के ठेके

357. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 में तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में रेत व पत्थर के ठेके कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि में छोड़े गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 में तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में खनिज बजरी का एक ठेका व खनिज चुनाई पत्थर का एक ठेका, वार्षिक ठेका राशि क्रमशः रुपये 3,75,863/- व 7,86,786/- में दिया गया जिसकी सूची निम्नानुसार हैं :-

क्रम संख्या	नाम ठेकेदार	क्षेत्र (तहसील)	खनिज	वार्षिक ठेका राशि	ठेका अवधि
1.	श्री मोहम्मद हुसैन	आसीन्द	बजरी	3,75,863/-	1.4.2001 से 31.3.2003
2.	श्री मांगीलाल विश्नोई	आसीन्द	चुनाई पत्थर	7,86,786/-	25.9.2002 से 31.3.2004

तहसील प्रतापगढ़/अरनोद (चित्तौड़गढ़) के वन क्षेत्र में तस्करी की रोकथाम

358. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1998 से 2002 तक जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में विभाग अथवा पुलिस ने तस्करी करने वाले वन माफियाओं का क्या कोई लेखा-जोखा रखा है? यदि हां, तो उक्त वर्षों में वन सम्पदा की तस्करी में पकड़े गये वन माफिया लोगों की सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तस्करी में कितने लोगों का न्यायालय में चालान पेश किया व कितनों को आर्थिक दण्ड दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में वन माफिया नहीं होने से लेखा-जोखा रखने तथा उनको पकड़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) वन माफिया तथा तस्करी नहीं किये जाने से न्यायालय में चालान पेश करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कुण्डा आमेर शहर (जयपुर) के क्षतिग्रस्त परकोटे की मरम्मत

359. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि योगी आश्रम के पास, कुण्डा आमेर शहर (जयपुर) के परकोटे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उक्त आश्रम/मन्दिर को भारी खतरा पैदा हो गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परकोटे की मरम्मत हेतु नागरिकों द्वारा समय-समय पर भेजे गये कई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(3) अब कब तक उक्त परकोटे की मरम्मत करा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) योगी आश्रम के पास कुण्डा, आमेर शहर (जयपुर) के परकोटे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उक्त आश्रम/मन्दिर को कोई खतरा नहीं है।

(2) उक्त परकोटे की मरम्मत हेतु कोई प्रार्थना-पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) उक्त परकोटे की मरम्मत बजट उपलब्धता के अनुसार कराने का प्रयास किया जावेगा।

निदेशक पुरातत्व द्वारा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

360. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय द्वारा जयपुर स्थित संरक्षित स्मारकों पर 10-15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपर्युक्त आदेश क्रमांक 64/7 दिनांक 1.6.2002 के द्वारा स्थानान्तरित कुछ कर्मचारियों को मात्र 7 माह की अवधि के अन्दर ही प्रशासनिक दबाव के कारण आदेश क्रमांक 1010-29 दिनांक 24.1.2003 द्वारा पुनः उक्त कर्मचारियों को पुराने स्थल पर वापस स्थानान्तरित किया गया? क्या उक्त कार्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध है? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को अन्य स्मारकों पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जयपुर स्थित संरक्षित स्मारकों पर 10-15 वर्षों से

(पुरातत्व मंत्री)

अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण विभाग के आदेश क्रमांक प. 2 (72) पु.सं./स्था/1999/6417-69 दिनांक 1.6.2002 एवं क्रमांक प.2(72)पु.सं./स्था/1999/6821-60 दिनांक 11.6.2002 द्वारा किया गया था। प्रति संलग्न है।

(2) उपर्युक्त आदेश क्रमांक: 6417-69 दिनांक 1.6.2002 के द्वारा जिन 20 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था, उनमें से प्रशासनिक विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत तीन कर्मचारियों को मात्र 7 माह की अवधि के अन्दर ही विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (72) पु.सं./स्था/1997/1110-29 दिनांक 24.1.2003 द्वारा पुराने कार्य स्थल पर वापस स्थानान्तरित कर दिया गया। प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों के स्थानान्तरण गुणावगुण के आधार पर किये जाते हैं।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर भर्ती

361. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में कहां-कहां पर पशु चिकित्सालय खोले गये हैं?

(2) उक्त क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में कितने कौन-कौन से पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय, एडपोस्ट व उपकेन्द्र बिना भवन के संचालित हैं?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं।

(2) उक्त क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में निम्न पद रिक्त हैं :-

1. पशु चिकित्सालय, बाड़ी	सईस	एक
2. पशु चिकित्सालय, सरमथुरा	पशु चिकित्सा अधिकारी	एक
	सईस	एक
3. पशु चिकित्सालय, सिंगोरई	पशु चिकित्सा अधिकारी	एक
	सईस	एक
4. पशु चिकित्सालय, बसईडांग	सफाईकर्ता	एक

जी नहीं। वर्तमान में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पशु चिकित्सा अधिकारी

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भरे जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) उक्त क्षेत्र के दो उपकेन्द्रों के भवन की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई तौर पर पंचायत भवन में की गई है।

कोटपूतली आगार से बहरोड हेतु "शटल" संचालन

362. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटपूतली आगार से कितनी "शटल" पावटा-बहरोड चलाई जाती है?

(2) क्या छात्रों/कर्मचारियों की सुविधा हेतु एक-दो शटल कोटपूतली बहरोड़ और बढ़ाने का विचार आगार प्रभारी का है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

कोटपूतली-बहरोड एक शटल बस सेवा संचालित की जा रही है। इस बस को भी पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलता है। इसलिए इस सेवा में वृद्धि करना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है।

जयपुर के घाटगेट बस स्टेण्ड का अन्यत्र स्थानान्तरण

363. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि घाटगेट इलाके में भारी भीड़-भाड़ और पथ परिवहन निगम एवं निजी बसों के स्टेण्ड होने के कारण आये दिन "ट्रेफिक जाम" की समस्या से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 का यातायात प्रभावित होता है?

(2) क्या यह भी सही है कि भीड़-भाड़ ट्रेफिक जाम को देखते हुए सरकार घाटगेट बस स्टेण्ड को अन्यत्र स्थापित कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुचारू यातायात की व्यवस्था कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और घाटगेट बस स्टेण्ड को कहां ले जाया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) यह सही है कि घाटगेट पर निगम व निजी बसों के स्टेण्ड पास-पास होने के कारण सुबह शाम यातायात का दबाव रहता है, जिससे कई बार यातायात अवरुद्ध होने की स्थिति बन जाती है।

(2) आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित जयपुर ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड के समक्ष घाटगेट स्थित निजी बस स्टेण्ड को अन्यत्र

(यातायात मंत्री)

स्थानान्तरित करने का बिन्दु विचाराधीन है। वर्तमान में निगम के घाटगेट बस स्टेण्ड को अन्यत्र ले जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जिला भीलवाड़ा में अवैध वाहनों के संचालन पर रोक

364. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगापुर जिला भीलवाड़ा में कुल कितने वाहन किस-किस श्रेणी के पंजीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में संचालित अवैध वाहनों को रोकने के कोई उपाय किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब तथा उसके क्या परिणाम हैं और नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के कुल कितने वाहन किस-किस श्रेणी के पंजीकृत हैं? क्या उक्त वाहनों की समय समय पर जांच की जाती हैं? गत पांच वर्षों में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अवैध वाहनों की रोकथाम के लिये क्या क्या प्रयास किये गये?

(4) क्या उक्त अवैध वाहनों पर नियंत्रण नहीं होने से समय-समय पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर रोक के लिए सरकार ने क्या-क्या उपाय किये तथा उसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत वाहनों की संख्या 5546 है। पंजीकृत वाहनों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	बस	28
2.	ट्रक	83
3.	ट्रेक्टर	204
4.	ट्रोली	40
5.	जीप/कार	58
6.	टैक्सी कैब	2
7.	मैक्सी कैब	14
8.	दुपहिया यान	5117
	कुल योग	5546

(2) वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में तीन परिवहन उड़नदस्ते कार्यरत हैं। प्रत्येक उड़नदस्ते का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया हुआ है। गंगापुर क्षेत्र सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र का भाग है। एक उड़नदस्ता इस क्षेत्र के लिए गठित है। भीलवाड़ा जिला, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के अधीन है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कार्यालय में एक क्षेत्रीय स्तर के उड़नदस्ते का गठन भी विभाग द्वारा किया गया है। समय-समय पर इस उड़नदस्ते द्वारा भी

(यातायात मंत्री)

उक्त क्षेत्र में चैकिंग की कार्यवाही की जाती है। उपखण्ड स्तर पर भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड के समस्त थानाधिकारी एवं परिवहन विभाग के निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा भी प्रतिमाह कम से कम सात दिन का चैकिंग अभियान चलाया जाता है। समय-समय पर की गई चैकिंग कार्यवाही का विवरण निम्नप्रकार है :-

वर्ष	चालान बनाये गये	जब्त वाहन	कुल प्राप्त राशि
2001-2002	41	21	1,22,300/-
2002-2003 (जनवरी, 2003 तक)	65	32	1,56,000/-

(3) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या 8246 है। पंजीकृत वाहनों का श्रेणीवार विवरण निम्नप्रकार है :-

1.	बस	84
2.	ट्रक	187
3.	ट्रेक्टर	311
4.	ट्रोली	170
5.	जीप/कार	109
6.	आटोरिक्शा	4
7.	टैक्सी कैब	5
8.	मेक्सी कैब	28
8.	दुपहिया यान	7348
	कुल योग	**8246**

जी हां। उक्त वाहनों की समय-समय पर जांच की जाती है। इस प्रश्न के खण्ड-2 में वर्णित व्यवस्था इस क्षेत्र के लिये भी लागू है। इस व्यवस्था के तहत गत पांच वर्षों में अधिकारियों द्वारा निम्न कार्यवाही की गई :-

वर्ष	चालानों की संख्या	जब्त वाहन	प्राप्त राशि
1997-1998	38	17	56,900/-
1998-1999	58	25	89,600/-
1999-2000	62	26	98,300/-
2000-2001	53	19	76,300/-
2001-2002	41	21	1,22,000/-

(4) यह सही नहीं है। वाहनों के अवैध संचालन का सड़क दुर्घटनाओं से सीधा सम्बन्ध नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण यातायात नियमों की शिक्षा का अभाव, वाहन चालक द्वारा असावधानीपूर्वक वाहन चालान एवं वाहन के पर्याप्त रखरखाव इत्यादि है। दुर्घटनाओं

(यातायात मंत्री)

की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाता है, जिसके माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी एवं सड़क सुरक्षा के महत्व को प्रचारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन एवं ट्रेफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की जाती है। दुर्घटना करने वाले दोषी व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध विभाग द्वारा वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त/निलम्बन, पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बन करने की कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में अपूर्ण विकास कार्य

365. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक क्या-क्या विकास कार्य हुये हैं? सूची ग्रामवार मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं एवं कौन-कौन से प्रगति पर हैं?

(3) उक्त में से किन-किन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी क्यों नहीं हुये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक हुए विकास कार्यों की ग्रामवार सूची मय लागत के परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों में से अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त में से जिन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुए, कारण सहित सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न हैं।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ व उमरेण (अलवर) में कराये गये विकास कार्य

366. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ व उमरेण (अलवर) में मेवात विकास बोर्ड तथा विधायक कोटे से कितने कार्य कराये गये हैं?

(2) उक्त कार्यों में से अब तक कितने कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी)

(3) क्या उक्त पंचायत समितियों में कराये गये कार्य पूर्ण हो चुके हैं? क्या कार्य पूर्ण होने का प्रमाण जारी किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ व उमेरण में मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कुल 181 कार्य स्वीकृत किये गये।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से वर्तमान में 65 कार्य अपूर्ण हैं, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त पंचायत समितियों में स्वीकृत 181 कार्यों में से 116 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 116 पूर्ण कार्यों में से 109 कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं, शेष 7 कार्यों के कार्यकारी संस्थाओं से अभी तक व्यय विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं। शेष प्रगतिरत 65 कार्यों के पूर्ण होने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जावेंगे।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-9 देखें)

जिला बून्दी के गांवों में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच

367. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सीन्ता, जिला बून्दी के गांवों में गत पंचायत चुनाव के बाद निर्माण कार्य करवाए गए हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य? स्वीकृति आदेश सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों का मौके पर किया गया भौतिक सत्यापन सही नहीं है तथा जितना कार्य होना प्रदर्शित किया गया है, उतना कार्य मौके पर मौजूद नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों द्वारा निर्माण कार्य घटिया स्तर के होने तथा इसमें पंचायत समिति तालेड़ा के अधिकारियों की मिलीभगत होने सम्बन्धी प्रस्तुत शिकायत की जांच निष्पक्ष अधिकारियों से नहीं करवाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब उक्त जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत सीन्ता जिला बूंदी के गांवों में गत पंचायत के चुनाव के बाद 20 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गये हैं। उक्त अवधि में स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट–I पर अवलोकनीय है। स्वीकृति आदेशों की प्रति परिशिष्ट–II पर अवलोकनीय है।

(2) ग्राम पंचायत सीन्ता द्वारा करवाये निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन पंचायत समिति–तालेड़ा के कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा किया गया है। जितना कार्य प्रदर्शित किया है उतना कार्य मौके पर है। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भौतिक सत्यापन का विवरण परिशिष्ट–I पर सम्बन्धित कार्यों के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) ग्रामवासियों से निर्माण कार्य घटिया होने की शिकायत प्राप्त होने पर, जांच हेतु आदेश दिनांक 14.11.2002 द्वारा सहायक अभियन्ता एवं पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद् को संयुक्त रूप से जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।

(4) जिला परिषद् द्वारा जांच परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त आगे कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

चामुण्डेरी (पाली) हेतु स्वीकृत विधायक कोष की राशि

368. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र बाली के चामुण्डेरी गांव के कौन–कौन से वार्डों हेतु विधायक कोष से कितनी–कितनी राशि स्वीकृत हुई है? उक्त आबंटित राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाली के चामुण्डेरी गांव के जिन–जिन वार्डों हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जितनी–जितनी राशि स्वीकृत हुयी एवं उक्त स्वीकृत राशि के पेटे जितनी–जितनी राशि का उपयोग किया है का विवरण निम्नानुसार हैं :– **(राशि लाखों में)**

कार्य का नाम	वार्ड संख्या	स्वी. राशि	उपयोग की गयी राशि (व्यय राशि)
खरंजा व नाली निर्माण	वार्ड नं.2	0.50	0.50
पाइप लाइन बिछाना	वार्ड नं.2, 3,4एवं6	2.00	1.72
हैण्ड पम्प निर्माण	वार्ड नं. 12	0.38	

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के महाविद्यालयों के विकास हेतु स्वीकृत राशि

369. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के महाविद्यालयों में विकास एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिये दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कौन-कौन से कार्य किये गये हैं? विवरण मय स्थान, तिथि व लागत के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में संचालित महाविद्यालयों के विकास एवं सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत, व्यय, स्थान, तिथि व लागत आदि का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-10 देखें)

वैदिक कन्या महाविद्यालय, राजापार्क, जयपुर में अनियमितताओं की जांच

370. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदानित वैदिक कन्या महाविद्यालय राजा पार्क, जयपुर में कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों को पिछले नौ माह से एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को गत चार माह से वेतन भुगतान महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा महाविद्यालय में जमा फण्ड के दुरुपयोग करने के मामले में खातों की गहन जांच के आदेश दिए थे? यदि हां, तो दोषी प्रबन्ध समिति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष उक्त महाविद्यालय ने 12 व्याख्याताओं को गैर कानूनी रूप से सेवामुक्त कर दिया था? यदि हां; तो किन नियमों के तहत? क्या सरकार उक्त प्रबन्ध समिति को भंग कर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की जानकारी में है कि जयपुर में संचालित अनुदानित वैदिक कन्या महाविद्यालय राजा पार्क में कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों को पिछले 6 माह एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

4 माह से वेतन भुगतान महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा नहीं किया गया है। समय पर वेतन भुगतान नहीं किये जाने वाले कारणों की जांच कराई जा रही है।

(2) जी हां। उक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा जमा फण्ड के दुरुपयोग के मामले की गहन जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां, उक्त महाविद्यालय द्वारा सेवामुक्त किये गये। 2 व्याख्याताओं के आदेश दिनांक 18.5.2002 को स्थगित कर दिये गये हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने अथवा नहीं करने पर विचार किया जावेगा।

तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) में महाविद्यालय की स्थापना

371. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार तहसील आसींद (भीलवाड़ा) में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण आसीन्द में राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

कोटा खुला विश्वविद्यालय में अनियमित पाठ्यक्रम

372. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा खुला विश्वविद्यालय में कितने पाठ्यक्रम बिना मान्यता के चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकार बिना पाठ्यक्रम को मान्यता मिले पाठ्यक्रम चलाने का क्या प्रयोजन है? उक्त में दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में इस तरह का कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं है जिसकी मान्यता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो।

(2) इसका उत्तर बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

श्री स्वरूप गोबिन्द पारीक कालेज जयपुर की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध लम्बित जांच

373. श्री अशोक तंवर (फागी) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अशोक तंवर)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम, 1993 के अनुसार श्री स्वरूप गोबिन्द पारीक कालेज प्रबन्ध समिति के चुनाव नहीं कराये जाने की निदेशक (कालेज शिक्षा) की जांच के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई और लाखों रुपये की अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि कालेज शिक्षा निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा जांच स्वीकार नहीं करने की बात भी की है?

(3) पारीक कालेज प्रबन्ध समिति के चुनाव सम्बन्धी जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है एवं जांच के परिणाम क्या रहे?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री स्वरूप गोबिन्द पारीक कालेज, जयपुर की प्रबन्ध समिति के चुनाव गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम, 1993 के नियम–23 के अनुरूप नहीं कराये जाने पर संस्था को अप्रैल, 2002 से अनुदान जारी नहीं किया गया है।

(2) जी हां।

(3) निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर में पदस्थापित संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक) श्री डी.पी. अग्रवाल द्वारा पारीक कालेज प्रबन्ध समिति के चुनाव सम्बन्धी प्रकरण की जांच कराई गई। जांच के परिणाम निम्न रहे हैं :–

1. श्री स्वरूप गोबिन्द पारीक कालेज एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के चुनाव कराये गये हैं। शिक्षण संस्थाओं की संचालन समिति (मैनेजमेंट) के पदाधिकारियों के चुनाव नहीं करायें।
2. संस्था ने चाहे गये अपेक्षित दस्तावेज व वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करायें।
3. सूचनाओं के अभाव में संस्था के प्रशासक काल में अवैध नियुक्तियों के सम्बन्ध में जांच किया जाना व निष्कर्ष देना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में सड़कों का निर्माण

374. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2001 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी ने कितनी राशि किन

(श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी)

किन सड़कों के निर्माण पर व्यय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मद से पुरानी सड़कों की भी मरम्मत की गई है? यदि हां, तो कितनी किलोमीटर?

उत्तर

(1) वर्ष 2001 से जनवरी 2003 तक विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निम्न सड़कों का निर्माण बोर्ड के माध्यम से करवाया गया:–

मण्डी समिति का नाम	सड़क का नाम	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाख रु.)	निर्मित गई वर्ष
1.अलवर	स.स. इन्दौक	1.50	11.31	2001
2.खेडली	स.स. बड़ौदा कान से बड़का	2.00	16.24	2001

(2) जी नहीं। अपितु सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002 में निम्न पुरानी सड़कों की मरम्मत कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में की गयी :–

सड़क का नाम	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाख रु.)
1. कफनवाड़ा से बूटोली	9.50	22.25
2. बडेर से शीतल वाया घाट	7.20	17.30
3. शीतल से बूटोली सड़क	5.70	11.30
4. पिनान से चिमरावली	9.50	27.00
5. स.स. मालाखेड़ा से हल्दीना	5.80	12.00
कुल योग	37.70	89.85

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से "पंजाब केसरी" के बीकानेर स्थित कार्यालय प्रमुख की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से जिला दौसा कि पंचायत समिति महुवा के विकास अधिकारी

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सांवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भिनाय के विधायक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य शुरू नहीं होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य की ओर से धवान के सरपंच द्वारा फर्जी मस्टररोल के आधार पर अकाल राहत कार्यों का भुगतान प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में।

(5) ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से अलवर के सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक दैनिक सांध्य समाचार पत्र को विज्ञापन दिलवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से ग्राम मारोठ की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव विषय के स्थगन नहीं है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री हीरासिंह चौहान : पहली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा है जबकि पहले सैशन में हमेशा प्रतिदिन लगता था।

श्री अध्यक्ष : और भी लगते रहेंगे।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से सूचना आ जाएगी जो कुछ भी, पत्रकारों को छह बजे सुबह पंजाब केसरी के प्रतिनिधि हरिओम गर्ग को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : बीकानेर में पन्द्रह पुलिस वाले जैसे कोई डकैत को गिरफ्तार करके ले जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कब्रिस्तानों व मजारों के नाम पर शहरों की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(2) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़ में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के एक पद को कनिष्ठ विशेषज्ञ में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से कृषि विभाग द्वारा फव्वारा सैट का पंजीकरण करने के उपरान्त भी अनुदान नहीं देने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से शिक्षाकर्मियों को वरिष्ट शिक्षाकर्मी (तृतीय वेतन श्रृंखला) दिए जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ललित भाटी, सदस्य की ओर से नगर परिषद अजमेर क्षेत्रान्तर्गत परचूनी की दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण में एक डाक्टर द्वारा हस्ताक्षर के नाम पर खुली लूट करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान लागू करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के लिए स्वीकृत 33 के.वी., जी.एस.एस. का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्वीकृत अकाल राहत कार्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में। श्री मदन दिलावर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा स्थगन था।

श्री उपाध्यक्ष : कल आ जाएगा। बहुत टाइम है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव आया है कि 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

पढ़े हुए माने गये।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट–11 देखें)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : 295 पढ़े हुए मान लिये गये। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीवालजी, आसन से सहयोग कीजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ज्ञानदेवजी का लिखिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेलों में हो रही अव्यवस्था और घोटाले के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे से मिल लेना, फिर बात करेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे से मिल लेना फिर करेंगे, फिर बता देना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कोई मिनट नहीं, आप बिराजें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मिल लेना, मैं जरूरी समझूंगा तो...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नन्दलालजी, आप बैठिये प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अलवर जिले से कैदियों की फरारी के मामले में बेगुनाहों को सजा

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में जेलों में हो रही अव्यवस्था, गबन, घोटाले और कैदियों पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में पर्ची के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वैसे तो जेलों में भारी अव्यवस्था है लेकिन विशेष रूप से अलवर, धौलपुर और...

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूरे राजस्थान की जेलों में जेल मंत्री के आराम से सोने के कारण, जेलों की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण आज भारी अव्यवस्था है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जेल मंत्री खुद...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

(श्री नन्दलाल बंशीवाल, सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कारागार मंत्री खुद पूर्वी राजस्थान के ही नहीं अलवर जिले के हैं। अभी पीछे समाचार आया कि धौलपुर जेल से दो कैदी फरार हुए। उनमें से एक कैदी पहले भी वहां से फरार हो चुका है। इतना ही नहीं, उसको एक सप्ताह पहले एक प्रभावशाली नेता की रिकमंडेशन पर जेल मंत्रीजी ने धौलपुर जेल में स्थानान्तरित किया था।

मैं अलवर जेल के एक विशेष प्रकरण पर पर्ची के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अलवर जेल से 20 दिन पहले चार कैदी फरार हुए। कैदी फरार होने से पहले वहां एक सुपरिंटेंडेंट को हटाया गया, वह और दूसरा सुपरिंटेंडेंट आया, दोनों ही कार्यरत है। जेल मंत्री अलवर जिले के होने के बावजूद भी उन्होंने वहां जेल में गबन, घोटाले और अव्यवस्थाओं को कभी नहीं देखा। फरार चार में से दो कैदी तत्काल गिरफ्तार कर लिये गये और दो को एक-एक करके गिरफ्तार किया गया। उसमें से एक अजीत सिंह, सन आफ भरतसिंह, जो हरियाणा का रहने वाला है, जब उसको जेल लाया गया तो वहां जेल के कर्मचारियों ने, प्रहरियों ने, अधिकारियों ने मिलकर उसको बैल्टों, डंडों से खूब मारा और उसे भारी घायल कर दिया। यह घटना एफ.आई.आर. में लाज समय के अनुसार 1.30 बजे की है। अजीत सिंह जाट को इतना मारा कि वह लहूलुहान और मरने की हालत में हुआ। उसको बैरक एक से ट्रांसफर करके तीन में रखा गया। डेढ़ बजे की घटना है, उसी समय जेल कर्मचारी चाहते तो हास्पिटलाइज कराते, डाक्टर्स को दिखाते, मेडिकल बोर्ड को दिखाते, किन्तु दुर्भाग्यवश उसको मरने की हालत होने पर दिखाया गया। जेल में डैथ होने के बाद जनरल हास्पिटल में डाक्टरों के पास लाया गया तो वहां उसकी मृत्यु घोषित कर दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रकरण सिर्फ यहीं समाप्त नहीं हो रहा है, एफ.आई.आर. के हिसाब से आप देखेंगे तो जिन कर्मचारियों ने पीटा उनके खिलाफ एफ.आई.आर. लाज नहीं हुई। अन्याय यह हुआ कि एक डाक्टर ऋषिपाल नागर जो

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बहुत होनहार और खिलाड़ी है, उसको पहले भी एक केस में फंसाया गया और इस केस में भी लिप्त किया गया तथा अन्य कैदियों को भी लिप्त किया गया। डाक्टर ऋषिपाल होनहार खिलाड़ी और प्रतिभावन युवक का नाम इसलिये दिया गया कि पूर्व में उन्होंने कैदियों के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार उनको तंग करने, उनसे पैसा वसूल करने के खिलाफ सुपरिंटेंडेंट और सी.ओ. दीपचंद की शिकायत की थी। पूर्व कैदियों में से ही सी.ओ. बनाया जाता है। इस केस में डाक्टर और अन्य चार, पांच, छह को भी लिप्त किया गया। इस प्रकार जेल कर्मचारियों, प्रहरियों द्वारा की गयी वारदात में निरीह कैदी जो किसी कैस में पहले गये होंगे, कुछ ट्रायल कैदी हैं, कुछ का केस चल रहा है, उनको फंसाया गया। मेरा मुख्य रूप से कहना है कि डाक्टर निर्लिप्त है, उनका कोई गुनाह नहीं है। गुनाह हो तो भले ही सजा मिले, लेकिन गुनाह नहीं है और इस केस में उनको झूठा फंसाया जा रहा है, उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है। मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय जेल मंत्रीजी बैठे हैं, वैसे तो नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा देना चाहिये ऐसी शर्मनाक घटना पर कि कैदी फरार हुए, मर गये। लेकिन वह तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। डाक्टर और अन्य कैदियों को झूठा फंसाया जा रहा है। इसकी जांच क्राइम ब्रांच से हो, तब तक उनके बारे में कोई कार्यवाही न हो। सी.आई.डी. और क्राइम ब्रांच से जांचकर जो बेगुनाह हैं उनको गुनहगार साबित न किया जाए, बेगुनाह को बेगुनाह रहने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डाक्टर ऋषिपाल जैसे लोगों को...(व्यवधान) इस पर जवाब चाहिये, साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, बिराजो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी आज तक बोले नहीं इस विधान सभा में, तो फिर जो कैदियों को फंसाया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपालजी, प्लीज बिराजिये। कोई जरूरी नहीं है जबबि। (व्यवधान) आप बिराजो प्लीज। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तो फिर इस सम्बन्ध में मंत्रीजी को खुद को बोलना चाहिये। कैदियों को फंसाया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। आप प्लीज बैठे। आप बिराजिये प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : कैदियों को सिर्फ इसलिये फंसाया जा रहा है, अब बैठे हैं तो...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी बैठे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या है? कोई तरीका है क्या? आप बिराजिये प्लीज। मंत्रीजी को जवाब देना जरूरी नहीं है किसी पर्ची पर। कोई जरूरी नहीं है। आप बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी बिराजमान हैं, वह देने के लिये तैयार हैं। अलवर का मामला है। वह कैदी वैसे ही सजा काट रहे हैं और उनको झूठा फंसाया जा रहा है। मंत्रीजी तैयार बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह देने के लिये बाध्य नहीं है। आप बिराजिये प्लीज। श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह तैयार बैठे हैं। तैयार खड़े हुए हैं, मंत्रीजी तैयार खड़े हुए हैं। कैदियों को फंसाया जा रहा है। डाक्टर ऋषिपाल नागर...(व्यवधान) वह जवाब देने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, आप जवाब देने के लिये, कि ऐसे ही खड़े हो? (व्यवधान) मैं कहां रोक रहा हूं? श्री सुरेन्द्र व्यास। (व्यवधान) बिराजिये प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : नाजायज ही कैदी लोग फंस रहे हैं, मंत्रीजी बैठे हैं दे देंगे जवाब आप चाहोगे तो। (व्यवधान) दे दो, आप ही दे दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसकी क्राइम ब्रांच से जांच हो। निरपराध कैदियों को फंसाया जा रहा है, मंत्रीजी बैठे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : हां, बैठेंगे तो? बिराजिये, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, आप कई बार जवाब दिलवाते हैं। मंत्रीजी बैठे हैं और +++ से हंस और रहे हैं। पहले जवाब देने के लिये खड़े हुए, अब हंस और रहे हैं। +++ से हंस रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आहूजाजी, प्लीज बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी बैठे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : हां, बैठे हैं, मुझे दिख रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तो जवाब मिल जाए। वह कह रहे हैं इंक्वायरी हो रही है। वह बैठे-बैठे कह रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, खड़े होकर कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये ना। मैं नहीं कहूंगा उनको खड़ा होने के लिये।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका प्रोटेक्शन चाहिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : इतना तो कह सकते हैं जो नाजायज कैदियों को फंसाया गया है उनको नहीं फंसाएंगे। इतना-सा कहने में क्या लग रहा है?...(व्यवधान) अब मंत्रीजी बैठे हैं, अलवर जेल का मामला है, वह कह दें नाजायज कैदियों को फंसाया है, उनको नहीं फंसाएंगे। यहां विधान सभा में आए हैं, पर्ची लग रही है, मंत्रीजी बैठे हैं और कैदी जिनका कोई कसूर नहीं है उनको फंसाया जा रहा है। बेगुनाह कैदियों को फंसाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। कोई मामला हो, पर्ची के ऊपर जवाब देना मंत्रीजी का जरूरी नहीं है। आपने अपनी बात कह दी, मंत्रीजी की हो गयी, अब जवाब देना चाहे तो मैं रोक नहीं रहा हूं। बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर जिले का मामला है...(व्यवधान) आपने अधिकार दिया है बोलने का। मंत्री महोदय बैठे हैं, बेगुनाह कैदियों को फंसाया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना बहुत।

श्री धर्मपाल चौधरी : तो कह दें मंत्रीजी, बेगुनाहों को नहीं फंसाएंगे। बस इतना ही तो कहना है। बैठे बैठे बोल चुके, अब खड़े होकर बोल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वही बात है। आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जांच हो रही है, वह बोल चुके बैठे बैठे।

श्री धर्मपाल चौधरी : खड़े होकर कह देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? खड़े होकर कह दो कि निर्दोष कैदियों को नहीं फंसाया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर हिम्मत है तो खड़े होकर बोलो।

श्री चन्द्रशेखर (जेल, राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जांच हो रही है, जांच से जो निकलेगा उसे हम दे देंगे। क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बेगुनाह लोगों को फंसाया नहीं जाए, इतना ही कहना है। बेगुनाह लोगों को नहीं फंसाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आपको तो इनको खड़ा करना था जो खड़ा कर दिया, और क्या बात है?

श्री चन्द्रशेखर : आप इंक्वायरी आफिसर नहीं है...(व्यवधान) यह इंक्वायरी करेंगे...(व्यवधान) इन्हें क्या...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका गुनाह है, आपके जिले में जेल से कैदी फरार हो गये। आपका बड़ा गुनाह है, सजा तो आपको होनी चाहिये। आप इस ढंग से कह रहे हैं, सजा तो आपको होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, अब बिराजिये प्लीज।

राजस्थान रोडवेज को जयपुर में बस स्टैण्ड हेतु आबंटित भूमि सम्बन्धी प्रकरण

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में लैंड माफिया ने भूमि घोटाले का धंधा अपना रखा है–लालकोठी, पृथ्वीराज नगर योजना, जोधपुर की पाल योजना। उस श्रृंखला के अन्दर एयरपोर्ट के पास में स्व. श्री काशी प्रसाद जी तिवाड़ी की 56 बीघा जमीन थी, उसमें 12.4.1973 को नोटिफिकेशन इश्यू किया गया एक्वायर करने के लिये और 1980 में एक्वायर भी करली। इसी अंतराल में 1977 में कोई गढ़ी हथरोई समिति के नाम से उन्होंने बेचान कर दिया। जैसा अमूमन होता आया है कि समिति के नाम से ही आते हैं, वह बेचान करके उसने उस पर चार सौ प्लाट भी काट दिये। 1983 में जे.डी.ए. ने कब्जा भी कर लिया। उपाध्यक्ष महोदय, अब उन सब खरीददारों से फर्जी बेनामे चार भू-माफियाओं ने मिलकर अपने नाम करा लिये। इसमें सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी भूमि पर एक इंच पर कोई निर्माण नहीं हो रखा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट से जीतने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के सब फैसले तो सरकार ने उलट दिये। लालकोठी में भी उलट दिये, पृथ्वीराज नगर में भी उलट दिये। इसलिये वह बात कहना या दोहराना कि सुप्रीम कोर्ट तक आप जीते हुए हैं, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन वहां से भी मुख्य मुद्दा मैंने जब यह उठाया था कि रिक्त भूखण्ड का क्यों आपने नियमन किया, तो माननीय तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने यहां वापस अपने कंधे पर वजन लेकर कहा, उसमें भेदभाव कैसे करेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने तो यहां तक कहा कि सात हजार बीघा के लिये लाखों किसान मुझसे मिले थे। कहा है ना कोर्ट में? उपाध्यक्ष महोदय, अब आप ही अंदाज़ा कर लें कि सात हजार बीघा के अन्दर लाखों किसान कैसे हो सकते हैं। यहां मेरे बहुत-से भाई, खेती करने वाले माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, पांच बीघा जमीन तो होगी, एक बीघा तो होगी, इंचों के अन्दर जमीन थोड़े ही होती है काश्तकार के ऊपर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी गम्भीरता इसलिए बता रहा हूं कि 25 बीघा जमीन इसके अन्दर राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं संस्कृत विश्वविद्यालय को भी अलाट हुई थी, संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं था और है और कब्जा ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से सिर्फ दो कागज पढ़ना चाहता हूं जिससे इस विषय की गम्भीरता मालूम पड़े। सरकार का ध्यानाकर्षित नहीं करना चाहता हूं, सरकार इस पर कतई ध्यान नहीं देने वाली है। जहां तक

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सरकार का ध्यान देने की बात है, सरकार की इसमें मिलीभगत है। लेकिन सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

एक तो यह नोट शीट है, सैक्रेटरी ने यह नोट शीट सब्मिट की है। अब यह जे.डी.ए. मिनिस्टर हैं, उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक जयपुर द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को प्रेषित पत्र, विशेषाधिकारी मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिव द्वारा आपके अर्द्ध शासकीय टीप संख्या फलां-फलां, दिनांक फलां से आपको आवश्यक कार्यवाही करके तथ्यों से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराने के लिए प्रेषित किया गया है। उपरोक्त पत्र पर माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य भिजवाने हेतु निर्देशित किया है। माननीय विधायक महोदय को विशेषाधिकारी मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रेषित पत्र की छाया प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है। पूरा पत्र नहीं पढ़कर आपकी अनुमति से आपरेटिव लास्ट का पोर्शन पढ़ देता हूं।

"जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में होने से उक्त भूमि पर अवैध निर्माण, बाउण्डरीवाल, कमरे आदि को ध्वस्त किया जाकर दिनांक 6.9.2000 को कब्जा लिया जा चुका है। उपरोक्त राजकीय भूमि में से 25 बीघा भूमि को राजस्थान रोडवेज को दिनांक 6.9.2000 को बस स्टैण्ड एवं कार्यालय हेतु आबंटित की जाकर भौतिक कब्जा भी दिया जा चुका है। शेष रही भूमि में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान में उपरोक्त भूमि का उपयोग कामर्शियल एवं जनरल बिजनेस दर्ज होने के कारण व्यावसायिक होटल की नीलामी हेतु प्लानिंग की जाकर सुरक्षित रखा हुआ है। अतः प्रकरण विस्तृत तथ्यों के निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय के अवलोकन किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।" यह सैक्रेटरी हैं, भवदीय सचिव। पत्र नहीं है, आफिस की नोट शीट है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोसीडिंग है, 1.8.2002, दिनांक 20.7.2002 तथा 23.7.2002 को माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर आयोजित हुई बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण है। दिनांक 20.7.2002 को बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

(1) श्री बी.डी कल्ला (2) श्री इन्द्रजीत खन्ना (3) श्री एम.डी. कोरानी (4) श्री के.एल. मीणा, सब डिफरेंट-डिफरेंट लोग हैं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पृथ्वीराज नगर योजना का भी इसमें सिलसिला आता है, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहूंगा। जो वर्तमान प्रकरण है इसके सन्दर्भ में पैरा 5 में कहते हैं कि आर.एस.आर.टी.सी. को आबंटित 25 बीघा भूमि अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाए क्योंकि भविष्य में इस स्थान पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। 56 बीघा भूमि में से यह 25 बीघा भूमि भी आप निकाल दें और फिर इनके नाम नियमन कर दें। यह काशीपुरी विकास समिति की तरफ से एक दरखास्त लगा दी कि आपने पृथ्वीराज नगर को भी किया है, लालकोठी को भी किया है, इसलिए हमारी भी गाढ़ी कमाई का पैसा है, हमारे भी नाम नियमित कर दें। किसी आदमी का वहां पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा आज भी जे.डी.ए. का है और वहां पर नीलामी हो चुकी है। 28.11.2002, 29.11.2002 और 8.1.2003 को वहां पर 9 हजार की रेट प्रेस्क्राइव की है मिनिमम 1 लाख 68 हजार स्क्वायर मीटर जमीन है, उसमें से आप 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र निकाल भी देते हैं तो 201 करोड़ की जमीन है और यह नीलामी में 13 हजार पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से छूटी है। प्लाट नम्बर 14 का पूरा पैसा जमा करा चुके हैं। एक हाई कोर्ट में रिट हुई है जिसका ये बहाना लेना चाहते हैं। 13 व्यक्तियों ने जो विवाद खड़ा किया तो डी.बी. में गया है, उन 13 व्यक्तियों वाले में स्टे आर्डर जारी किये हैं, only with regard to 13 persons कि 13 आदमियों का यहां पर कब्जा है। उनके प्लाट के अलावा कोई स्टे नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इन लोगों को नीलामी छूटी है, ये 13 प्लाट अलग हैं। यह 13 हजार रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से नीलामी छूटी है और ये पूरा पैसा जमा करा चुके हैं। अब इनको क़ब्जा नहीं दे रहे हैं और रोडवेज का वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं बस स्टैण्ड। मुझे इतना-सा निवेदन करना है, यह एक समाचार पत्र है, समाचार पत्र के आधार पर मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यह निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। जयपुर के तकीउद्दीन जी का खुद का लैटर है, जो आज खुद मंत्री हैं, इन्होंने खुद ने सिफारिश की है कि इस जमीन को इनके नाम नियमित कर दिया जाए। किस बात का नियमन कर दिया जाए? इनका कोई कब्जा नहीं है, कब्जा जे.डी.ए. का है। और भी दूसरे यहां से जयपुर के कांग्रेस के विधायक लगे हुए हैं, मंत्री लगे हुए हैं इस काम के अन्दर मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है उसमें यह तय होता है कि 25 बीघा जमीन जो रोडवेज को आबंटित की गयी है उसको अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाए। तो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं सिर्फ सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनियमितता करके आखिर राजस्थान का आप क्या करना चाहते हैं इस प्रदेश के साथ पूरे राजस्थान में 25 हजार करोड़ रुपयों का घोटाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां डिमांड की है कि श्वेत पत्र प्रकाशित करें। ये श्वेत पत्र प्रकाशित नहीं करते कि कहां कहां इन्होंने नियमन किया है और कहां नहीं किया है। इस नियमन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यह मैं आज सदन के रेकार्ड पर इसलिए लाना चाहता हूं कि कल यदि कोई सरकार कहे तो राजस्थान की जनता को भी इस बात की जानकारी रहनी चाहिए। कल यह कहें कि हमको तो पता नहीं था और अफसरों ने कह दिया। यह राजस्थान सरकार की नालेज में है, राजस्थान सरकार के जिम्मेदार मंत्री और जिम्मेदार विधायक रूलिंग पार्टी के वे सब इसमें शामिल हैं और भू-माफिया शामिल हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सब शामिल हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब का नहीं, I beg to withdraw it. सब तो नहीं हो सकते। यह बात तो सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन-कौन हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : I beg to correct myself. इस विवाद में नहीं पड़ता। सब तो शामिल नहीं हो सकते हैं, यह तो मैं भी मानता हूं। लेकिन उसमें बहुत-से लोग शामिल हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यहां पर आपकी अनुमति से कि 7 हजार बीघा के लिए तो लाखों किसान मिल ही लिये। यह भू-माफिया की तरफ से नेगोशिएट कौन करता है? भीमसेन गर्ग उसका मोबाइल नम्बर हमने यहां पेश किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात पहले हो गयी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसका जवाब भी नहीं दिया। He should explain it.

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमल जी, यह रिपिटेशन है आपका। इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट कर चुके हैं। प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह निहित स्वार्थों की खातिर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब अंकित नहीं होगा। श्री कनकमलजी। आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। हो गया बहुत।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर मसला है तो आप इसको उठा चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। श्री कनकमलजी।

सागवाड़ा की भीखा भाई माही नहर पर काम की शुरूआत

श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए माही नहर सागवाड़ा जो अभी भीखा भाई नहर के नाम से जानी जाती है, उसके कार्य को प्रारम्भ करने के लिए आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय एवं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। सागवाड़ा माही नहर के नाम से 10-15 वर्ष से कांग्रेस पार्टी और सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से चुने जाने वाले आदरणीय-स्वर्गीय भीखा भाई साहब वोट लेते रहे। 1984-85 में माही बजाज सागवाड़ा से सागवाड़ा माही नहर को जोड़ा गया, तब से आज तक किसी प्रकार की कोई पहल नहीं हुई। विभाग की ओर से कोई पहल नहीं हुई। अकाल राहत के माध्यम से समय-समय पर कुछ काम प्रारम्भ किया गया जिसमें आज तक लगभग आठ करोड़ रुपये तक की राशि व्यय की गयी। इस माही नहर के अन्दर कुल जो गांव हैं-सागवाड़ा, आसपुर, सीमलवाड़ा, पंचायत समिति के 169 गांव जिसमें 140 बड़े गांव हैं और 29 मजरे और ढाणियों इसके अन्तर्गत आते हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 12859 परिवार, अनुसूचित जनजाति के 54130 परिवार, अन्य प्रकार के 3086 परिवार, कुल 70,075 परिवार इसका लाभ लेते हैं। जब-जब भी चुनाव आए तब-तब माही का नाम लिया गया, लेकिन इस काम को बाद में ऐसे का ऐसे धरा का धरा रहने दिया। उस क्षेत्र की यह मूलभूत आवश्यकता है। गुजरात में हमारे आदिवासी क्षेत्रों के गरीब काश्तकार और आदिवासी भाई मजदूरी के लिए जाते हैं पर वहां मजदूरी नहीं मिलती, उसके कारण से कई मौतें भी हुई हैं। ऐसे महत्वपूर्ण काम सागवाड़ा नहर को प्रारम्भ करने के लिए अभी हाल ही उप चुनावों के समय माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने उसका शिलान्यास किया और स्वर्गीय आदरणीय भीखा भाई साहब के नाम से माही सागवाड़ा नहर का नाम रखा गया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कनकमल कटारा)

जब उसका शिलान्यास किया उस समय तो मजदूर लगा दिए, लेकिन बाद में इस काम को बन्द कर दिया गया। क्या इस अकाल की स्थिति में ऐसे आदिवासी क्षेत्र में अकाल राहत के माध्यम से राशि अलाट नहीं की जा सकती? केन्द्रीय जल आयोग से इसकी स्वीकृति अब तक क्यों नहीं प्राप्त की गई? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह उस क्षेत्र के लिए मूलभूत आधार है। अगर इस माही नहर का कार्य प्रारम्भ किया जाता है सीमलवाड़ा तहसील के कुआं क्षेत्र तक 125 किलोमीटर नहर की दूरी है, इससे वहां के क्षेत्रीय लोगों और वहां के गरीब लोगों की जमीन को सिंचित कर पाएंगे और काश्त कर पाएंगे। उन्हें अन्य दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको वोटों का आधार न बनाएं और हम इस बात को तय करें। बीकानेर हो या इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र, वहां लाखों-करोड़ों रुपयों का बजट स्वीकृत होता है, लेकिन हमारे जैसे गरीब क्षेत्र में ऐसे काम प्रारम्भ क्यों नहीं करते हैं?

मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि इतने लम्बे समय के बाद भी इस योजना को धरी की धरी ही रहने दिया और उस पर पहल नहीं की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की माही नहर का कार्य विलम्ब प्रारम्भ कर दिया जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में अकाल राहत में कितना बजट आपने अलाट किया और कितना करने वाले हैं, उसमें आपकी यह करने की मंशा है या नहीं? केन्द्रीय सरकार के जल आयोग से इसको प्रारम्भ करने के लिए, इसका बजट स्वीकृत कराने के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? इस काम को अति महत्वपूर्ण समझते हुए, यह इस क्षेत्र की प्रमुख मांग है, लम्बे समय से चलती आ रही है, इस काम को प्रारम्भ किया जाए, इसके लिए मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

इस क्षेत्र में माही नहर की कुल प्रस्तावित लम्बाई 125 किलोमीटर है, उसके साथ-साथ 21 हजार हैक्टेयर का कमाण्ड एरिया है। मैं आपसे पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं कि इससे 169 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे, उदयपुर के सलूम्बर के कुछ गांव भी इसमें पड़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को पूर्ण करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही की जाए जिससे इस क्षेत्र के गरीब लोगों को लाभ दिलाया जा सके। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत के अन्दर इसमें पर्याप्त कार्य यदि प्रारम्भ किए जाते और मजदूरी में लोग लगे रहते तो हमारे ग्राम

(श्री कनकमल कटारा)

पंचायत जैसाला के रोलिया फला के 5 मजदूर जो गुजरात में मजदूरी के लिए गए, मजदूरी नहीं मिली, भटकते हुए वे वापस आ रहे थे, उस समय दुर्घटना में उन पांचों की मृत्यु हो गई। इन पांचों के नाम मैं पढ़कर सुनाता हूं– हाला पूजा, पारगी, दावा सीवा पारगी, तुलसी पारगी, हलिया पारगी, शंकर लारजी,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्ची का सम्बन्ध नहीं है इससे, बिराजिए प्लीज। यह इसके साथ पढ़ने की अनुमति नहीं दी है। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री कनकमल कटारा : इस प्रकार की स्थिति में माही नहर का काम प्रारम्भ किया जाता तो दुर्घटना में मरने नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस माही नहर, सागवाड़ा, जिसे भीखा भाई माही नहर के नाम से जाना जाता है, उस काम को प्रारम्भ करने के लिए अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाए और अकाल राहत के काम प्रारम्भ किए जाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अभी बजट पर बोलेंगे आगे तब बोल लेना इस पर, बिराजिए। अभी आप बोलेंगे बजट पर, उस वक्त बोल लेना न। आई विल नॉट अलाउ।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, बिराज जाऊंगा लेकिन यह लम्बे समय से चला आ रहा है और बांसवाड़ा का मामला है...

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी है तो बोल लेना न, आप भी कल दे देना पर्ची। मैं पर्ची पर अलाउ नहीं करूंगा कि दूसरा सदस्य बोले।

राज्य सरकार के विमान को उड़ाने हेतु मुख्य पायलट पद पर अनुभवहीन की नियुक्ति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मितव्ययता, सादगी और पारदर्शिता का ढोंग रचने वाली सरकार के नित नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। कष्ट इस बात का है कि सर्वोच्च और पवित्र सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो तथ्य हम सदन के सम्मुख रखते हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा सदन के सामने हम लेकर आते हैं, सरकार की संवेदनहीनता ऐसी है कि सरकार की तरफ से न तो कोई उत्तर आता है और न ही सरकार इसके प्रति कोई गम्भीर है।

श्री राजेन्द्र चौधरी (श्रम एवं नियोजन, राज्य मंत्री) : आपने "ढोंग" शब्द बोला, "ढोंग" का थोड़ा-सा विश्लेषण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब से आई है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, सब्जैक्ट पर आइए, आप पर्ची पर बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरकार नित नए नारे गढ़ती है। अब नया नारा मुख्य मंत्री ने गढ़ा है, "सूचना आपकी और दायित्व सरकार का"। मैं मेरे दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। मैं सरकार के सम्मुख कुछ तथ्य रख रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि सरकार अपने सूचना और दायित्व के नारे के हिसाब से काम करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के पास एकमात्र हवाई जहाज है जिसके अन्दर हमारी सरकार का मुखिया और संवैधानिक प्रमुख यात्रा करते हैं। उसके जो मुख्य पायलट थे, मिस्टर खन्ना, सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह दूसरे मुख्य पायलट की नियुक्ति के लिए सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 1.10.2002 को एक विज्ञापन निकाला, विज्ञापन संख्या एफ. 1/2/जी.ए.डी./6/2000, उपाध्यक्ष महोदय, विज्ञापन के साथ मुख्य पायलट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, इस हेतु एक परिपत्र जारी किया, परिपत्र संख्या है प. 29/13/जी.ए.डी./16/83, उपाध्यक्ष महोदय, यह परिपत्र जो डी.सी. सिविल एविएशन है उन्होंने वी.आई.पी. को लेकर जो हवाई जहाज और हैलीकाप्टर उड़ते हैं, उनके लिए एयर सेफ्टी सर्कुलर निकाला था, उसके सम्बन्ध में उन्होंने जारी किया। उस परिपत्र में जो मुख्य शर्तें हैं, वह आपके माध्यम से मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मुख्य पायलट बनने के लिए मुख्य शर्त थी कि तीन हजार घंटे उस विमान को उड़ाने का अनुभव होना चाहिए और जिस विमान को पायलट उड़ाएगा, यानि राज्य सरकार के जिस विमान को उड़ाने की बात तय हुई...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पांच मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो यह बता दीजिए कि जिस पायलट का आप बता रहे हैं, क्या वह पायलट इन वी.आई.पी. को उड़ाता है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि इस सारे मामले में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी मूल बात यह है कि जो पायलट आप बता रहे हैं, वह पायलट वी.आई.पीज. को उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा है, यह बता दीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आता हूं मैं सदन का ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, आपने सही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहा। मैं उन शर्तों की तरफ भी नहीं जाना चाहता जो शर्तें रखी थीं। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उसमें साफ यह था कि जिस मेक का हवाई जहाज सरकार के पास उपलब्ध है, उसको 50 घंटे उड़ाने का अनुभव होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब सरकार ने क्या किया? एक सलेक्शन कमेटी बनाई। 11 लोगों ने आवेदन किया, 7 आवेदन पत्र छांटकर उसमें से सरकार ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। 4 लोगों को संलैक्ट किया–आर.पी. सिंह, कैप्टेन केसर सिंह, बी.प्रकाश और कैप्टन सोनी। इनमें आर.पी. सिंह और कैप्टन केसर सिंह, इनको पूरा अनुभव था, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने तय की थी उसको वे पूरा करते थे। परन्तु कैप्टन सोनी और बी. प्रकाश, इनके पास अनुभव नहीं था। अब कैप्टन बी. प्रकाश, जिनके पास 50 घंटे का अनुभव नहीं था, उनके लिए दिल्ली से एक टेलीफोन आया और उसके सहारे सरकार ने उनको नियुक्ति दे दी। नियुक्ति पत्र में यह शर्त लगा दी कि उनको राज्य सरकार के पास उपलब्ध वायुयान को उड़ाने का वैध लाइसेंस कार्यभार सम्भालने के पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए। यह सरकार ने खुद नियुक्ति के टाइम दिया। परन्तु जब उसने कहा कि मेरे पास वैध लाइसेंस नहीं है, तब सरकार ने कहा कि आप हमारा जो सरकारी विमान है उससे अपना अनुभव प्राप्त करें और 50 घंटे सरकारी विमान को उड़ाएं। यह 20.2.2003 का एक आदेश प्रमुख शासन सचिव ने निकाला और उसमें कोट किया, कि मुख्य मंत्रीजी के मौखिक निर्देश पर मैं आदेश जारी करता हूं कि सरकारी विमान से जो अनुभवहीन मुख्य पायलट को नियुक्त किया वो उस हवाई जहाज को उड़ाकर अपना अनुभव प्राप्त कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे गौरतलब बात यह है कि 50 हजार रुपये एक घंटे के लग रहे हैं और आज हो क्या रहा है? यह विमान 22 फरवरी के कुलांचे मार रहा है, आकाश में उड़ रहा है। यहां से जी.ए.डी. विमान के सैक्रेटरी साहब रोज टेलीफोन करके किसी अफसर को पूछते हैं कि आपको आज नाश्ता उदयपुर में करना हो तो हमारे पायलट जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो उड़ाना है इसलिए उदयपुर में नाश्ता और वापस आकर दिल्ली के अन्दर खाना। यह हो क्या रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे गम्भीर बात यह है कि इस विभाग में एक चीफ इंजीनियर हैं हरप्रीत सिंह, जो इस सरकारी वायुयान की वर्षों से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने जब यह सब देखा तो उन्होंने एक पत्र सरकार को लिखा और उसमें यह लिखा कि आपने मुख्य पायलट के रूप में जिस अनुभवहीन व्यक्ति को रखा है वह वी.आई.पीज. को लेकर उड़ेगा, कोई भी दुर्घटना घट सकती है और उसका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मिथ्या दोषारोपण मुझ पर हो सकता है, लिहाजा मैं इस पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, 25 लाख रुपये सरकार के एक मुख्य पायलट...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों में व दूसरी जगह चर्चा यह है कि अम्बिकाजी सोनी हैं जिनके इशारे से सरकार बनती है और बिगड़ती है...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं होगा प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए प्लीज। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं होगा। नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लालजी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री कन्हैया लालजी। (अनुपस्थित) श्री चन्द्रशेखरजी। बिराजिए प्लीज। (व्यवधान) यह क्या हो रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप बैठ जाएं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

समाज कल्याण विभाग

श्री चन्द्रशेखर (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अधिसूचना संख्या एफ. 14(1) मुबाअ/सकवि/02/31626 दिनांक 20 जुलाई, 2002 जिसके द्वारा दी राजस्थान जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन) रूल्स, 2002 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। बता दिया ना गम्भीर। क्या हुआ इसमें? बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

पशुपालन विभाग

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)(डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या एफ. 5(8)पपा/97 दिनांक 20 जनवरी, 2003 जिसके द्वारा राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो तो सही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो ना। हां, बिलकुल नहीं होगा अंकित। नहीं होगा अंकित।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आने का मतलब है...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्लीज, आर्डर।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विवरण प्रस्तुत किया है और जो एक विशेष उल्लेख किया है वो सबकी जांच करके, परीक्षण करके आपके सामने जो सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं वे सदन को अवगत करा देंगे। इसलिए आप किस चीज का किस चीज से कैसे संदर्भ जोड़ रहे हैं, उसका कुछ आधार है भी या नहीं, इसका उसके बाद ही पता लग सकेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आप बिराजिए। आप बिराजो। हरिसिंहजी बिराजिए। राज्य के आय-व्ययक पर अग्रेत्तर वाद-विवाद। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मार्च को माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा इस सदन में 2003-2004 का जो बजट अनुमान यहां प्रस्तुत किया था, उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : वित्त मंत्रीजी तो हैं ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्य मंत्रीजी बिराजे हुए हैं ना।

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्रीजी जो ईद के चांद हो गये। कभी-कभी दर्शन देते हैं मुख्य मंत्रीजी भी।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएंगे, आप चिन्ता मत करो, बिराजो।

श्री देवीसिंह भाटी : साहब, थोड़ा-सा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे तो फर्क पड़ेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : पूरे वर्ष में केवल 45 दिन तो हाउस चलता है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी 45 मिनट भी यहां बैठते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, बिराजो, आप बोलोगे जब आ जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो आपकी गरिमा की बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी नहीं रहेगा तो भी हम अपनी बात कहेंगे। पर कुछ तो करो साहब, वित्त मंत्रीजी को बुलाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इसको भी अंकन से बाहर निकाल दो। इसको भी अंकित मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएंगे। वे शायद एक्सपैक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी डिबेट चालू हो जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसा ही कुछ है। आ गये। आपकी बात सुन ली, माननीय वित्त मंत्रीजी आ गये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बहुत जल्दी टेप बदली है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप +++ चालू कर दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं क्या कहूंगा, राजेन्द्रजी, 1990 का आपका भाषण भी मैं साथ लेकर आया हूं, आपने जो पुरानी विधान सभा में दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज अपनी बात कहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, यह बजट एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड है, यह राज्य सरकार की पाजिटिव थिंकिंग को दर्शाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमाम अर्थाभावों, आर्थिक सीमाओं के बावजूद राज्य सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, यह विकास एवं जन कल्याण के प्रति राज्य सरकार की इच्छाशक्ति एवं समर्पण भावना को दर्शाता है।

श्री देवीसिंह भाटी : 48 हजार करोड़ का तो कर्जा ले लिया, अब क्या अर्थाभाव रह गया?

मोहम्मद माहिर आजाद : वह अभी आ रहा हूं मैं, माननीय कोलायत से आने

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

वाले वरिष्ठ सदस्य महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो संघीय ढांचा है उसमें केन्द्र सरकार की जो नीतियां होती हैं, उनकी जो आर्थिक प्राथमिकताएं होती हैं, उन आर्थिक व्यवस्था और प्राथमिकताओं के प्रबन्धन के अनुरूप ही राज्य सरकार को भी आचरण करना पड़ता है। आज केन्द्र सरकार की भूमण्डलीकरण की, विदेशी एवं निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने की और कर्जे पर आधारित विकास योजनाओं को संचालित करने की जो नीतियां हैं, राज्य सरकार भी उससे अलग और प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका ज्वलंत प्रमाण है वैस्ट बंगाल जहां वामपंथियों की सरकार है। वो हमेशा केन्द्र सरकार की इन नीतियों के विरुद्ध ढिंढोरा पीटते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्योति बसु से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य तक भी केन्द्र सरकार की इस विदेशी निवेश और निजी कम्पनियों के निवेश का विरोध करने की बात करते हुए भी–आपको याद होगा, वो इंग्लैंड गये, अमरीका गये और वहां जाकर उन्होंने विदेशी कम्पनियां की और देश की निजी कम्पनियों की जो चिरोरी की, उनको रैड कारपेट वैलकम का जो आश्वासन दिया। यानी उनकी मजबूरी थी। आज जो फैडरल सिस्टम है, केन्द्र सरकार की जो नीति है, राज्य सरकार अपने आपको उससे अलग नहीं कर सकती। इसलिए इस फैडरल सिस्टम के अन्दर जो कर्जे पर आधार बढ़ता जा रहा है, यह स्वाभाविक है। राज्य सरकार की भी कर्जे पर निर्भरता बढ़ी है। लेकिन विडम्बना यह है कि बी.जे.पी. के हाथ से जब सत्ता चली जाती है तब तो कर्जे का भार इनको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मुझे तुलसीदासजी का वह दोहा याद आ रहा है "पर उपदेश कुशल बहुतेरे।" जो काम स्वयं करो तब अच्छा है और दूसरा अगर वह काम करे तो उसमें आपका परहेज नहर आता है, उसमें आपको बुराई नजर आती है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य महोदय, आपको याद होगा, जब 1990 में कांग्रेस से बी.जे.पी. ने शासन सम्भाला था तब कांग्रेस 6 हजार करोड़ रुपये का कर्जा छोड़कर गई थी, लेकिन जब 1998 में वापस कांग्रेस ने बी.जे.पी. से सत्ता सम्भाली तो यह कर्जा बढ़कर चौगुना हो गया था, 6 हजार करोड़ रुपये से 24 हजार करोड़ रुपये के लगभग यह कर्जा हो गया था। (व्यवधान) नहीं, चौगुना मैं वही बता रहा हूं मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं 23840.11 हजार करोड़ है; यानी 24 हजार करोड़ रुपये हो गया। तब आपने यह नहीं सोचा था कि यह कर्जा जो आप ले रहे हो, यह कर्जा चुकाना भी पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राज्य सरकार का कर्जे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

का भार बढ़ा है यह इसलिए बढ़ा है कि इन्होंने जो 24 हजार करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ा था उस कर्जे को चुकाने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ता है। उस कर्जे का ब्याज भी चुकाना पड़ता है इसलिए स्वाभाविक है कि कर्जा बढ़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यों के इस कर्जे की अर्थव्यवस्था की शुरूआत कब हुई? यह शुरूआत फिफ्थ पे कमीशन के आने से फिफ्थ पे कमीशन इस कर्जे का भार बढ़ाने के लिए टर्निंग पाइंट था। जब फिफ्थ पे कमीशन की सिफारिशें लागू करने का सवाल आया तब पूरे देश में बी.जे.पी. के भारतीय मजदूर संघ सहित सारे मजदूर संगठन और बी.जे.पी. सहित सारी पोलिटिकल पार्टियां इस फिफ्थ पे कमीशन को लागू करने की मांग इस देश में कर रही थी। मैं आज यहां यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि पूरे देश में आंध्रप्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने इस फिफ्थ पे कमीशन की सिफारिशों को अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को खराब बताकर लागू करने से इनकार कर दिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी माननीय शेखावत साहब की बी.जे.पी. की सरकार थी, अगर हिम्मत थी तो आप भी मना कर देते कि हम फिफ्थ पे कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करेंगे तो आज राजस्थान की जो चरमराती हुई आर्थिक स्थिति हुई है, यह नहीं होती। लेकिन आपने यह साहब नहीं दिखाया और फिफ्थ पे कमीशन की सिफारिशें लागू कीं। उसी का रिजल्ट है कि आज राज्य की स्थिति खराब हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप गुड़ खाओ और गुलगुलों से परहेज करो, जब आप सारी चीजें चाहते हो तो आपको फिर उसका रिजल्ट भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कटु सत्य है कि कर्जे को बढ़ाने को या डैट ट्रैप में जाने को हम किसी भी दृष्टि से जायज करार नहीं दे सकते, यह चिन्ता का विषय है, लेकिन मजबूरी है और शायर ने सही कहा है कि "कुछ बोझिल सांसें भी लेनी पड़ीं, क्या करते। हवा का चारों तरफ से दबाव ही कुछ ऐसा था। इसलिए हालात और मौके की नजाकत के कारण यह स्थिति आज राजस्थान की बनी। इसका ज्वलंत उदाहरण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि आज वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर विकास की योजनाओं को चलाने की एक परम्परा-सी बन गई है। मैं तो यह तक भी कहूंगा कि वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर खास कर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करने की तो केन्द्र सरकार ने एक तरीके से नीति ही बना ली है। यहां तत्कालीन ऊर्जा मंत्रीजी बैठे हैं, इसकी शुरूआत भी माननीय शेखावत साहब की सरकार के समय हुई। तत्कालीन मुख्य सचिव श्री

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मीठा लालजी मेहता के नेतृत्व में उच्चाधिकारियों की एक टीम अमेरिका गई थी, आपको जानकारी होनी चाहिए। 1996 के आसपास की बात है, याद कर लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विद्युत सुधार कार्यक्रम के उपलक्ष्य में गई थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसके लिए? वर्ल्ड बैंक से नेगोसिएशन करने गई थी। (व्यवधान) वर्ल्ड बैंक से नेगोसिएशन करने के लिए गई थी। अगर मेरी बात गलत हो तो आप बता देना।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच में इंटरप्शन हो रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : फिर यह बोलेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कर लिया था, सही है न मेरी बात?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने विरोध किस मुंह से किया था? हम तो लोकतांत्रिक लोग हैं, हमने तो विथड्रा कर लिया था विरोध को देखते हुए, फिर आप ही लेकर आये थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही कह रहा हूं, तत्कालीन मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्चाधिकारियों की एक टोली वहां गई, वर्ल्ड बैंक से नेगोसिएशन किया और बिजली सुधार कार्यक्रमों के लिए कर्जा लेने की बात की। आज वाजपेयी सरकार राज्य सरकारों को डंडा खटखटा रही है कि आप बिजली सुधार कार्यक्रम तुरन्त गति से लागू करो, अब मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से निहायत अदब के साथ यह पूछना चाहता हूं, आप स्वयं तय कर लें कि क्या हम वाजपेयी सरकार की जो नीति है कि कर्जा लेकर बिजली सुधार कार्यक्रम लागू करो, उस पर चले? अगर उस पर नहीं चले तो आप केन्द्र सरकार से, यहां प्रतिपक्ष के नेता महोदय बैठे हैं, कहलवा दीजिए कि नहीं, आपको कर्जा लेकर यह काम करने की जरूरत नहीं है। एन.डी.ए. सरकार की जो राष्ट्रीय पालिसी हो गई कि बिजली सुधार कार्यक्रम लागू किया जाए, इसके लिए सेंटर को या तो निर्देश देना चाहिए कि आप कर्जा लेकर मत कीजिए और जब बिजली सुधार कार्यक्रम लागू करना है तो कर्जा लेकर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इतना जबरदस्त भार हो रहा है किसानों के ऊपर और ये कर्जा ले रहे हैं, इसको कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा आखिर में?

मोहम्मद माहिर आजाद : हम ही चुकाएंगे, आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे, फिर वह बोलेंगे, क्या फायदा है इससे?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही बात ए.डी.बी. के लोन पर भी लागू होती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ए.डी.बी.।

मोहम्मद माहिर आजाद : ए.डी.बी. ही कह रहा हूं-एशियन डवलपमेंट बैंक आप तो लिख भी रही हो, सुन भी रही हो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय वित्त मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यह बजट प्रस्तुत किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी निवेश चाहे निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए चार चीजें जरूरी होती हैं-पहली बिजली, दूसरी सड़क, तीसरी पानी और चौथी टैक्निकल स्टाफ, टैक्नोलोजी। राजस्थान सरकार ने बिजली के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का अनुकरणीय काम किया है और मैं आशा करता हूं कि विदेशी निवेश और निजी निवेश को राजस्थान में बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जो सड़कें हैं, सड़कों पर पहले कुल बजट का 4 प्रतिशत व्यय होता था, इसको इस सरकार ने बढ़ाकर लगभग 8 प्रतिशत दुगुना करने का काम किया है। 1998 से 2003 तक 293 हजार करोड़ रुपये सड़कों पर व्यय किये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 699 करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान में सड़कों को इतना बढ़िया और दुरुस्त बनाया गया है कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को राजस्थान की सड़कों को देखकर आश्चर्य होता है।

(12.59 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

पानी का जहां तक सवाल है, माननीय सभापति महोदय, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे पेयजल का हो-बजट के पृष्ठ 19 पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में भी आई.जी.एन.पी. पर 177 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। यह एक अच्छा और प्रशंसनीय काम है। मैं कहना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्रीजी, केन्द्र सरकार से हम जो सिंचाई परियोजनाओं पर और दूसरी योजनाओं पर लोन लेते हैं, हमको यह लोन तो 2-3 प्रतिशत पर ही मिलता है लेकिन चूंकि भारत सरकार इसकी गारंटी देती है तो भारत सरकार भी 5-6-7 प्रतिशत तक अपना उसमें हिस्सा जोड़ लेती है और यह जाकर 9 प्रतिशत, 10 प्रतिशत पड़ जाता है। मैं यह चाहूंगा कि केन्द्र सरकार, एज ए स्पेशल केस, राजस्थान की भयावह अकाल की स्थिति और इसके स्थाई समाधान को देखते हुए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना और इसकी लिफ्ट कैनाल के काम को शीघ्र पूरा कराने के लिए राजस्थान को 2-3 प्रतिशत पर ही लोन मुहैया कराने में सहयोग दें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(13.00 बजे)

यह डिजायरेबल है, यह वांछनीय है। केवल कायदे कानूनों की आड़ में ही कि राज्य सरकार डायरेक्ट नहीं ले सकती, केन्द्र सरकार ही ले और इतने अधिक ब्याज दर पर ले, इसी वजह से राजस्थान में सिचाई के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं हो पा रहा है।

पेयजल के सम्बन्ध में भी राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं और उद्योगों में निवेश के लिए दूसरे लोगों को आमंत्रित करने में एक सराहनीय काम किया है। और जो चौथा काम होता है टैक्नोलॉजी का या तकनीकी स्टाफ का, यह बहुत सुखद स्थिति है कि राजस्थान में निजी क्षेत्रों में इतने इंजीनियरिंग कालेज खुले। अकेले जयपुर में ही शायद 10 इंजीनियरिंग कालेज हैं और खुलने के बाद आज उनमें कुछ सीटें खाली हैं। सीटें खाली होने से यह चीज साफ होती है कि जो मां-बाप यह चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़-लिखकर इंजीनियर बने, उन सब ने प्रवेश दिला दिया। कोई भी ऐसा राजस्थान में छात्र नहीं है जो तकनीकी शिक्षा अर्जित करना चाहता हो और उसे मौका नहीं मिला हो। तो ये चारों चीजें- बिजली, पानी, सड़क और टैक्नोलोजी की व्यवस्था करके राजस्थान सरकार ने विदेशी निवेश और निजी कम्पनियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो सराहनीय काम किया है इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, यह सही है कि एक बार में बजट से आप पूरे प्रदेश का कायाकल्प नहीं कर सकते। या मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, या हथेली में सरसों नहीं उगा सकते, कि सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और सारे काम एकदम हो जाएं। लेकिन इन्होंने जो शुरूआत की है उसकी गम्भीरता पर जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में इन्होंने इन्दिरा आवास के जरिये 32 हजार लोगों को जिनके कच्चे और पक्के मकान हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए जो 45 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, वह वाकई में सराहनीय कदम है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हालांकि हमारे कई साथी कोई छोटी-मोटी घटना हो जाती है उस घटना को लेकर यह जो मिड-डे मील योजना है, घूघरी वाला काम है, इसकी आलोचना यहां करते हैं। लेकिन कभी उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखकर यह सोचा कि राजस्थान सरकार 60 हजार विद्यालयों के 70 लाख से अधिक बच्चों को दोपहर का भोजन मुहैया

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करा रही है? अब राजस्थान की आबादी 5 करोड़ 64 लाख के आसपास है, उसमें से शहरी आबादी डेढ़ करोड़ को आप निकाल दें तो देहाती क्षेत्र की आबादी है उसके 20 प्रतिशत लोगों को एक टाइम का मुफ्त में भोजन दे रहा है राजस्थान का मुख्य मंत्री और राजस्थान की सरकार। यह क्या सराहनीय काम नहीं है?

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने यह भी फैसला ले लिया कि जिन बच्चों को स्कूल आने की आदत पड़ गई, जिनको हम दोपहर में मिड–डे मील दे रहे हैं, गर्मियों में एक–डेढ़ महीने का अवकाश होगा तब उनको भोजन कहां से मिलेगा? राजस्थान सरकार ने इसको सोचकर यह निर्णय लिया है कि हम ग्रीष्मावकाश में भी यह दोपहर का भोजन उपलब्ध कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, तीर नहीं है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप सोच नहीं सकते। 70 लाख लोगों को दोपहर का भोजन एक कल्पना है, कितने लोगों को मिड–डे–मील, घूघरी दे रहे हैं। (व्यवधान) क्या बात करते हो, फूड किसी भी रूप में जाए, खूब खाते हैं। घूघरी मेरी मां बचपन में भी बनाती थी, यह कोई बात नहीं है। (व्यवधान) जानते हैं, हम कोई अमेरिका या इंग्लैण्ड से नहीं आये हैं, जीतमलजी। आप आदिवासी क्षेत्र में जन्मे हो तो हमने भी गरीबों के क्षेत्र को देखा है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, 678 ऐसे विद्यालय हैं जिनके भवन नहीं है। जो बच्चे खुले आकाश में बैठकर, पेड़ की छांव भी जिनको नसीब नहीं होती थी, धूप में बैठकर, बरसात में बैठकर शिक्षा अर्जन करने का काम कर रहे थे, राजस्थान सरकार की उन पर नजर गई। आप और हम यहां विधान सभा के इस एयरकंडीशन भवन में बैठकर इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से राज्य सरकार ने 678 भवनविहीन विद्यालयों पर 28 करोड़ रुपये खर्च करके उनको भवन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह भी वाकई में सराहनीय काम है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इन्होंने एक जन सहभागी विद्यालय भवन निर्माण योजना भी वापस चालू की है। कई जगह जो हमारे दानदाता हैं, हमारे जो भामाशाह हैं, जिनको भगवान ने, मालिक ने धन और दौलत से नवाज रखा है, वे लोग यह चाहते हैं कि उनके गांवों के, उनके क्षेत्र में स्कूल भवन बनें। राज्य सरकार ने जन सहभागी विद्यालय भवन निर्माण योजना चालू की है जिसमें 70 प्रतिशत गवर्नमेंट देगी और 30 प्रतिशत हिस्सा राशि वे लगाएंगे। यह जो योजना बनायी है, जो प्रावधान रखा है, यह भी स्वागत योग्य कदम है।

माननीय सभापति महोदय, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि राजस्थान की

(मोहम्मद माहिर आजाद)

यह लोक कल्याणकारी सरकार चिकित्सा, परिवार कल्याण, आयुर्वेद और यूनानी सेवाओं पर अरबों रुपया खर्च करेगी, करोड़ों नहीं। इसके लिए 11 अरब 28 करोड़ 43 लाख रुपये का जो प्रावधान किया है, यह भी बहुत सराहनीय और अनुकरणीय काम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सब लोगों को भी इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए, आज तक जो विकलांग दम्पती का विवाह होता था पति भी विकलांग और पत्नी भी विकलांग, तो उसको पांच हजार की सहायता मिलती थी। उसको पांच हजार से एकदम चौगुना करके 20 हजार रुपये की सहायता मुहैया कराने का जो काम किया है, 20 हजार रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है।

श्री मदन दिलावर : दोनों में से एक भी विकलांग होता था तो पहले पांच हजार मिलता था।

मोहम्मद माहिर आजाद : पांच हजार का 20 हजार तो किया। चार गुना किया है तो गलत किया है क्या?

श्री मदन दिलावर : दोनों जरूरी कर दिये। दोनों विकलांग हों, यह पहले नहीं था।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप समाज कल्याण मंत्री रहे हैं, यह गलत काम किया है क्या?

श्री मदन दिलावर : दोनों विकलांग होने चाहिए, यह जरूरी है, तब मिलेंगे। एक विकलांग होगा तो नहीं मिलेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी समझ में नहीं आ रहा है, माननीय आप इस योजना का विरोध करते हो क्या? यह गलत किया है क्या 20 हजार बढ़ाकर?

श्री मदन दिलावर : मैं इस योजना का विरोध इसलिए करता हूं कि दोनों में से कोई एक भी विकलांग हो तो 20 हजार मिलना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो सुझाव है, आप नया एड करा दीजिये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहूंगा, आप पर कोई ज्यादा आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा, कि आप बराये मेहरबानी इस 20000 को एक रुपया बढ़ाकर 20001 करने का कष्ट करें क्योंकि एक रुपया हमारे यहां शुभ माना जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिए कहा कि मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि जब हम कहीं भी किसी की मृत्यु पर या खर्च पर पैसा देते हैं तो हमको 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये यानि लास्ट में जीरो होनी चाहिए कि समाप्त हो गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लेकिन किसी के जन्मदिन पर, किसी के विवाह पर, किसी के शुभ कार्य के अन्दर अगर हम पैसा दें तो एक रुपया ऊपर बढ़ाकर इसलिए देते हैं कि वह एक से नई अपनी शुरूआत करे। ये दम्पती अपने नये वैवाहिक जीवन की शुरूआत करेंगे, अगर इनकी शुरूआत आप 20001 से कर दें तो यह भारतीय परम्पराओं के अनुसार शुभ रहेगा। यह मेरी बात आपको मान लेनी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अभी जीतमलजी खांट जो आदिवासी क्षेत्र से यहां आते हैं, कह रहे थे, आपको सोचना चाहिए कि आदिवासी और खासकर भील जो दुर्गम पहाड़ियों के क्षेत्र में रहता है, जहां बिजली की लाइन नहीं जा सकती, क्या उसकी पूरी जिंदगी में यह उसका सपना नहीं है कि उसके घर में भी कभी दीया जले, उसके घर में भी कभी रोशनी जले? राजस्थान सरकार ने पहली बार दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को लाइट मुहैया कराने के लिए इन्होंने जो 18 हजार...

श्री जीतमल खांट : जो बिजली जल रही थी वह भी इस राज के आने के बाद गायब हो गई, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : 1800 परिवार के लोगों को जो सोलर ऊर्जा से लाइट उपलब्ध कराने का आपने फैसला लिया है, इससे केवल यही नहीं कि उनके घर में रोशनी होगी। मैं यह बात इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई या गांव में रहने वाले चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वे अंधविश्वास और चमत्कार के अन्दर विश्वास करते हैं। आज भी रूढ़िवादी धारणा उनके मन में है, लेकिन जब सोलर ऊर्जा से उनके घर में बिजली जलेगी तो निश्चित रूप से उन्हीं में नहीं, उनके बच्चों में, उनकी ढाणियों और मजरों में रहने वालों के अन्दर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसकी कभी पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कल्पना की थी, पैदा होगा। रोशनी से केवल उजाला नहीं होगा, उनके मन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बी.पी.एल. के उन परिवारों के छात्रों को जो 12वीं क्लास तक शिक्षा अर्जित किये हुए हैं और बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, आपने उनको 300 रुपये माहवार जो बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, वाकई में बहुत ही अभूतपूर्व योजना है, स्वागत योग्य कदम है। इसमें आपने जो बेरियर लगाये हैं कि बी.पी.एल. का हो, 12,000 से अधिक की वार्षिक आय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं हो, 12वीं पास हो, यह सब तो ठीक है लेकिन आपने रोजगार कार्यालयों में तीन वर्ष उसके रजिस्ट्रेशन वाली शर्त लगाई है, यह मुझे व्यावहारिक नहीं लगती। इसके कारण जो मंशा है राज्य सरकार की कि हम उस दरिद्र नारायण की सेवा कर सकें, उस करीब आदमी की सेवा कर सकें, वह पूरी नहीं हो पाएगी। गांव में न तो रोजगार के कार्यालय उपलब्ध होते हैं। तीन वर्ष के पंजीयन की जो आपने शर्त रखी है, या तो आप इस शर्त को बिलकुल हटा दीजिये या अगर वास्तव में आप उनको लाभ देना चाहते हों तो इसमें एक वर्ष का आप कर दें कि एक वर्ष का पंजीयन होने के बाद उसको यह सुविधा मुहैया कराएंगे, यह मेरा आपको इस सम्बन्ध में सुझाव है, इससे अच्छा इम्प्रेशन आपका जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथी शायद यह सोच बैठे थे कि राम इनके हिस्से में आ गया, और राज की भी कल्पना करने लग गये थे। एक आदमी मुझे गांव में कह रहा था कि राम के कब्जे में भाजपा नहीं है बल्कि राम भाजपा के कब्जे में है। मैंने पूछा, वह कैसे तो कहा कि जब इच्छा होती है तब राम का मामला उठा लेते हैं और जब इनकी इच्छा नहीं होती है तब उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, तब मन्दिर में बिठा देते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने मन्दिरों के लिए...

श्री जीतमल खांट : आपके कब्जे में है कि नहीं?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुन लीजिये मेरी बात। जो हमारे प्राचीन मन्दिर हैं, जहां प्राचीन देवी-देवताओं की मूर्तियां बिराजमान हैं और बुजुर्ग लोगों की आस्था भी उन पर है, उनमें भोग के लिए एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा है, मैं उसका तहेदिल से स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, देखने में यह आता है कि राजस्व देने वाले जो मन्दिर हैं या दरगाहे हैं, चाहे वह नाथद्वारा का श्रीनाथजी का मन्दिर हो, चाहे वह जयपुर का गोविन्ददेवजी का मन्दिर हो, चाहे केसरियाजी का हो, चाहे महावीरजी का जैन मन्दिर हो, वहां तो करोड़ों लोग आते हैं और खूब चढ़ावा आता है। लेकिन जो प्राचीन मन्दिर छोटे-मोटे कई गांवों में थे, उनकी कोई सुध नहीं लेता, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी सुध नहीं ली। इनको तो राम केवल राज के लिए, राजनीति के लिए याद आता है। राजस्थान सरकार ने उन प्राचीन मन्दिरों की सुध ली है, उसके लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने गौ-सेवा आयोग को एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हूं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं निहायत अदब के साथ माननीय वित्त मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि मन्दिरों के भोग के लिए एक करोड़, गौ-सेवा आयोग को एक करोड़ और राजस्थान में अल्पसंख्यकों की कितनी आबादी है, माननीय वित्त मंत्रीजी 1991 की आबादी के हिसाब से भी हम मानें, यहां बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, तो 50 लाख से कम अल्पसंख्यकों की आबादी राजस्थान में नहीं होगी। लगभग 10 प्रतिशत है। 50 लाख की आबादी को आप केवल 50 लाख रुपये दे रहे हैं और उस 50 लाख रुपये में भी यह क्लीयर नहीं है कि वह कम्प्यूटर शिक्षा, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए है या जो वफ्क बोर्ड की सम्पति है, उसके रखरखाव के लिए है या वफ्क बोर्ड के कर्मचारियों का बकाया वेतन चल रहा है उसका अनुदान देने के लिए या नये मदरसे हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे उसके लिए है। यह मेरी समझ में नहीं आता, यह इसमें आपने क्लीयर नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी, कि एक करोड़ तो आप गौशालाओं को दे रहे हैं, आप एक करोड़ रुपये भोग के लिए दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को तो कम से कम इतना कम मत सोचें। या आपका सोच भी बन गया कि अल्पसंख्यक तो हमारे हैं ही, चाहे हम कुछ दे या नहीं दे? मैं समझता हूं कि ऐसा सोच राजस्थान सरकार का और माननीय वित्त मंत्रीजी का नहीं हो, इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप इस राशि को भी बढ़ाकर एक करोड़ रुपये मदरसा बोर्ड के लिए और एक करोड़ रुपये वक्फ बोर्ड के लिए, दोनों के लिए एक-एक करोड़ रुपये देने का प्रावधान करने का कष्ट करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जहां से मैं आता हूं मेवात क्षेत्र से, वहां आपने मेवात विकास बोर्ड बना रखा है। उस मेवात विकास बोर्ड की 6 अगस्त, 2002 को मीटिंग हुई थी, उसमें आपने ढाई करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया था। मुझे याद है कि सदन में जब ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने अपना उत्तर दिया था तब इन्होंने यह कहा था कि मेवात विकास बोर्ड की जो योजनाएं संचालित हैं, उन कार्यों में हमने 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिये हैं। आपने ढाई करोड़ का जो 6 अगस्त, 2002 को बजट पास किया था, इसमें से केवल सवा करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की है, माननीय वित्त मंत्रीजी, जो बाकी के काम हो गये, उनका पेमेंट हम कहां से करेंगे? होना तो यह चाहिए था कि आप इस ढाई करोड़ को बढ़ाकर पांच करोड़ का बजट करते। वह पांच करोड़ तो आपने किया नहीं और ढाई करोड़ में से भी कटौती कर रहे हैं। चुनाव का वर्ष है, आप आखिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार

(मोहम्मद माहिर आजाद)

क्यों कर रहे हैं? आप तो खुद पूर्वी राजस्थान से आते हैं, पूर्वी राजस्थान में आपने माडा बंद कर दी, केवल एक मेवात विकास बोर्ड की योजनाएं ही तो संचालित है जिससे हम मेवात के क्षेत्र के लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का, शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस बजट को आप वापस ढाई करोड़ पिछला रिलीज करेंगे और इस वर्ष भी अगर पांच करोड़ नहीं करें तो आप कम से कम ढाई करोड़ तो आप इसको करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज के लिए और मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण था, उस 30 प्रतिशत में पांच प्रतिशत आपने विधवाओं के लिए उसमें स्लैब बनाकर रिजर्व किया है। यह वाकई आपका बहुत सराहनीय काम है, इसका मैं स्वागत करता हूं, प्रशंसा करता हूं। लेकिन आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं, और मेरे निवेदन का सदन में उपस्थित माननीय सदस्य भी मुझे आशा है समर्थन करेंगे कि इसमें विधवाओं के साथ में "परित्यक्ता" वर्ड और जोड़ दें, क्योंकि जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी स्थिति भी किसी भी सूरत में विधवाओं से अच्छी नहीं है। वे कहां जाएंगी उनका क्या होगा? उनकी स्थिति मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा खराब है, लेकिन विधवाओं से कहीं भी स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए अच्छा यह हो कि आप इसमें विधवाओं के साथ ओब्लिक करके परित्यक्ता भी जोड़ दे। इसमें आपको कोई भार नहीं पड़ेगा और उन परित्यक्ता महिलाओं को इससे लाभ मिल जाएगा, यह मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और पांच के बजाय आठ प्रतिशत करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह आप अपने भाषण में कह देना। मेरा तो कहना इतना है कि इसमें परित्यक्ता शब्द जरूर जुड़ना चाहिए। मेरे से कई महिलाएं भी मिली हैं इस प्रकार की।

आपने भवन एवं भूमि कर समाप्त करके जो साहसिक निर्णय लिया है, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह कदम आपका बहुत अच्छा है और इससे राजस्थान के काफी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी को कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा आपके मार्फत पहला सुझाव तो मैं आपको यह देना चाहता हूं कि आपने सिनेमा मालिकों के लिए मनोरंजन कर को 100 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत जो किया है और 30 प्रतिशत की छूट दी है, यह,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

छूट देना व्यावहारिक नहीं है। अगर आपको छूट देनी थी तो यह छूट गांव के जो पिक्चर हाल हैं जिनमें बैठने के लिए न डनलप की कुर्सी है, लकड़ी के फंटों के ऊपर लोगों को बैठना पड़ता है, न ए.सी. भवन है, बारिश में पानी की बूंद के टपके पड़ते हैं, कहीं-कहीं तो धूप के चिलके भी पड़ते हैं, अगर यह छूट आप उनको देते तो ज्यादा व्यावहारिक रहता। दूसरा, ए.सी. पिक्चर हाल या मल्टीप्लैक्टस सिनेमा हाल हैं उनको जो शॉ-टैक्स की छूट दी है, यह भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के पिक्चर हाल को देते तो भी मेरी समझ में आता। यह सबको दी है। अगर द्रेनी थी तो उन लोगों को देनी चाहिए थी जो आगे बैठकर पिक्चर देखते हैं। जो बालकनी में बैठकर या बाक्स में बैठकर देखते हैं, जो पैसा देने की स्थिति में हैं, उनको मेरी राय है कि छूट नहीं देनी चाहिए। उनसे तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए और जो गरीब हैं, जो दरिद्र हैं, जैसा कि कांग्रेस की पालिसी है उसको आपको लाभ देना चाहिए। यह मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, हो सके तो आप इस पर गहनता से विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को एक सुझाव और देना चाहता हूं, आज आर्थिक मंदी के दौर में और आर्थिक दृष्टि से जब सारा देश कर्जे की व्यवस्था में डूब रहा है, आपने जो ये सफेद हाथी पाल रंखे हैं इन सफेद हाथियों का क्या औचित्य है? सभापति महोदय, एक आपका शासन सचिव होता है और एक आपका उप शासन सचिव होता है, उसके बीच में आपने एक विशिष्ट शासन सचिव और बना दिया, इस विशिष्ट शासन सचिव की क्या उपयोगिता है? प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी आपको सिफारिश दी है, आपने स्वयं ने भी इसकी जांच कराई है। एक फाइल, डिप्टी सैक्रेटरी ही सारा उसको डील करता हैं और उस फाइल को सैक्रेटरी के पास भेज देता था, आपने बीच में केवल इन आई.ए.एस. और आई.पी.एस. को, इन प्रशासनिक अधिकारियों को खुश करने के लिए एक स्पेशल सैक्रेटरी की पोस्ट बीच में और डाल दी। मुझे आप जरा यह तो बताएं कि उनका काम क्या है? आखिर स्पेशल सैक्रेटरी का काम क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? इसलिए इस पद को समाप्त किया जाना चाहिए। इसी तरीके से और पद हैं। पहले डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ का एक पद होता था और पूरे राजस्थान में खूब अच्छे तरीके से काम चलता था। अब आपने अलग-अलग पद बना दिये- डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ का अलग पद है, डाइरेक्टर, आई.ई.सी. का अलग पद है, डाइरेक्टर, एड्स का अलग पद है, डाइरेक्टर, मलेरिया और ई.एस.आई.

(मोहम्मद माहिर आजाद)

और कहीं आर.सी.एच., मतलब दुनिया भर के डाइरेक्टर बना दिये, उसके बाद भी आपकी कोई स्थिति नहीं सुधरी। परिवार कल्याण को अलग बना दिया, परिवार कल्याण में करोड़ों-अरबों खर्च करने के बाद, उस रोज भी मैंने कहा था, आज हम पुरुष नसबंदी को एक प्रतिशत से आगे नहीं पढ़ा पाये। आज भी 99 प्रतिशत तो महिलाएं नसबंदी कराती हैं, पुरुषों का एक प्रतिशत है, कोई अचीवमेंट उसमें नहीं आ रहा। इसी तरीके से और दूसरे भी विभाग हैं। पहले एक सी.एम. एण्ड एच.ओ. होता था, अब सी.एम.एच.ओ. अलग और पी.एम.ओ. अलग, और पता नहीं क्या-क्या कर दिया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, आप स्वयं विद्वान हैं, वित्त मंत्रीजी, आपकी कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट भी आई है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी रिपोर्ट दी है, इसलिए आप इन प्रशासनिक व्ययों में अगर कमी करने का निर्णय रखते हैं और इसका अगर आप सख्ती से पालन कराना चाहते हैं तो प्रशासनिक व्ययों में कमी करने के लिए आपको गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और जो फिजूल के पद हैं, जिनकी कोई सार्थकता नहीं है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनको आपको समाप्त करने पर विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं, मुझे आशा है कि आप मेवात विकास बोर्ड और अल्पसंख्यकों के कल्याण की जो कांग्रेस की नीति रही है, जो परम्परा रही है उसको लागू करते हुए इसका बजट बढ़ाएंगे। जो यह बजट आपने यहां पेश किया है, यह प्रदेश को विकासोन्मुखी गति देने वाला और कल्याणकारी बजट है, इसकी मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए आपको भी धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह मृतप्राय: और भागती सरकार का अंतिम बजट है और वित्त मंत्रीजी, जो कार्यशैली आपकी रही है उस कार्यशैली को देखते हुए मुझे ही नहीं, राजस्थान के आम व्यक्ति को यह लगता है कि अब आने वाले दस-पन्द्रह वर्ष आपको इस सदन के अन्दर बजट प्रस्तुत करने की तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। सभापति महोदय, हमारे अर्थशास्त्री तो...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो हम ही करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे अर्थशास्त्री तो बजट को वह दर्पण मानते हैं जिसमें सरकार के पिछले वर्ष के कार्यकलाप और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आगामी वर्ष की योजना दृष्टिगोचर होती है। मैंने, सभापति महोदय, इस बजट के प्रथम पृष्ठ से लेकर अन्तिम पृष्ठ तक पढ़ा है और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि यह बजट कपोल-कल्पित आंकड़ों पर तैयार किया हुआ है। यह बजट राज्य की न तो कोई दशा में सुधार कर सकता है, यह दिशाहीन बजट है, इसमें कही राजस्थान का गांव दिखाई नहीं देता, राजस्थान का गरीब दिखाई नहीं देता। हां, अगर पैनी निगाह डाले तो वे धन्ना सेठ जरूर दिखाई देते हैं जिनके इशारे पर चलना इस संरकार की आदत रही है।

सभापति महोदय, बजट के अन्दर वित्त मंत्रीजी ने कई घोषणाएं की हैं और निश्चित तौर पर बजटीय घोषणा मैं कह सकता हूं कि राज्य में हुकूमत करने वाली सरकार और राज्य के आम व्यक्ति के बीच में एक तरह से पवित्र करार है। इस सदन के अन्दर जो बात इस बजट घोषणा के माध्येम से सरकार के वित्त मंत्री कहें, वह एक तरह से यह माना जाता है कि उसे को पूरा करने का नैतिक दायित्व सरकार का है। वित्त मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आपने जो 2002-2003 के अन्दर बजट पढ़ते हुए घोषणाएं कीं, उस बजट की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं जिन-जिन बातों को कहूं, सरकार की कैसी पकड़ है, सरकार की तरफ से न तो कोई अधिकारी हमारे सुझाव नोट करता। हालांकि वित्त मंत्रीजी जरूर एक कागज पर छोटा-मोटा लिखते हैं, लेकिन शायद उसका अर्थ नहीं क्योंकि आपका भाषण तैयार है, आप बातें वही कहेंगे कि पूरे देश के अन्दर इस तरह कर्जा हो गया, पूरे देश में प्लान साइज इस तरह कम हो गई। वह आपका तैयार है, परन्तु जो बातें आपने पिछली बार बजट में कहीं, उन बातों पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा।

आपने 22 मार्च, 2002 को जब बजट प्रस्तुत किया तो बजट के पैरा 73 में आपने कहा कि बीकानेर में नया विश्वविद्यालय खोलेंगे। आपने घोषणा की थी। पैरा 91 में आपने जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात कही। और जब आपके मंत्रिमण्डलीय सहयोगी धारीवाल साहब ने आपको हड़काया तो आपने बजट का रिप्लाई करते हुए कहा कि आप कोटा के अन्दर भी एक विश्वविद्यालय खोलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, एक वर्ष व्यतीत हो गया, आपका एक भी विश्वविद्यालय आज प्रारम्भ हुआ क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक भी विश्वविद्यालय को मान्यता दी क्या? सभापति महोदय, मजाक उस वक्त किया जब इन्होंने विश्वविद्यालय के अन्दर बजटीय प्रावधान पहले तो किया एक-एक करोड़ का और बाद में जब संशोधित अनुमान लेकर आये तो दस-दस लाख कर दिया आप अंदाजा लगाइये, किस तरह का मजाक राजस्थान के उस शिक्षित वर्ग के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साथ करना चाहते हैं। दस लाख रुपये में आज विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकती है क्या? आज जब यह दूसरा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, अखबारों में छपा है, कल जोधपुर के अन्दर आयुर्वेद विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए मुख्य मंत्रीजी जा रहे हैं।

मैं आपका ध्यान आपके पिछले वर्ष के बजट के पैरा 87 की ओर दिलाना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि आप इनको नोट करे और जवाब भी दे। पैरा 87 में आपने कहा था कि आप उस वित्तीय वर्ष में दो सौ चिकित्सा उप केन्द्रों को उच्चीकृत उप केन्द्रों में क्रमोन्नत करेंगे। आपने एक को भी किया क्या, आपका पूरा साल समाप्त हो गया? आपने पैरा 76 के अन्दर यह कहा था कि चूरू के पोलिटैक्निक कालेज को, आपके बजट भाषणा से कह रहा हूं, 2 करोड़ 18 लाख रुपये देंगे भवन निर्माण के लिए। आपने फूटी कौड़ी दी क्या? आपने इसके अलावा पैरा 54 के अन्दर कहा, आज पशुपालन मंत्रीजी यहां नहीं हैं, दूसरे किसी मंत्री की इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि यह तो कप्तान बाबू हैं न, आपने पैरा 54 के अन्दर यह कहा था कि आप दो सौ नवीन उप केन्द्र स्थापित करेंगे पशुओं के। आपने एक भी किया क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आपने पिछली बार बजट प्रस्तुत करते हुए पैरा 81 में यह नहीं कहा था कि प्रत्येक जिले के अन्दर आप हाट बाजार स्थापित करेंगे? आप उत्तर दे तो बताएं कि कितने जिलों में आपने हाट बाजार स्थापित किये। आपकी वह बात जो आपने दो बजटों में लगातार कही, सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, लम्बी-चौड़ी घोषणाएं, अखबारों में विज्ञापन और धन्यवाद लेने वाली सरकार ने घोषणा की थी, सांगानेर-जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मण्डी बनाएंगे, आज कहां है आपकी मण्डी, सरकार आपकी जाने की तरफ है? आपका तो यही है कि विद्यालय को क्रमोन्नत करके झूठी वाहवाही ले लो, मास्टर लगाओ नहीं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी इस बार भी एक शगूफा लेकर आये हैं। बी.पी.एल. परिवार के उन लोगों को जो दसवीं पास हैं, तीन साल का रजिस्ट्रेशन है, उनको आप माहवार पैसा देंगे तीन सौ रुपये। आप उसकी तो क्या घोषणा करोगे, मैं बाद में मेरी बात कहूंगा तब उस बात पर भी अपनी बात तर्कों से आपसे पूछूंगा। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं, पिछली बार आपने बजट में पैरा 69 में यह घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति के नवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें देंगे। एक विद्यालय बता दो राजस्थान में जहां निःशुल्क पुस्तकें आपने बांटने का काम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया। और तो और, इस बार भी बजट में आपने लम्बी-चौड़ी घोषणाएं की हैं, कहा है कि हम धार्मिक स्थलों को, पर्यटक स्थलों को सड़कों से जोड़ेंगे। मुझे तकलीफ इस बात की है कि अभी ताजा-ताजा कांग्रेस में शामिल होने वाले नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सड़कों को लेकर बहुत बड़ी बड़ाई कर दी। मैं लम्बी-चौड़ी बात पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बजटीय घोषणा पर जाऊंगा, आपने पिछली बार 19 सड़कों की घोषणा की थी, 19 सड़कों में से, सभापति महोदय, जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, 9 सड़कें बनी हैं, दस अभी तक अधूरी हैं। क्या यह सही नहीं है, वित्त मंत्रीजी, कि 1999-2000 में पहला जब बजट आपकी सरकार ने रखा, तब आपने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर अभियांत्रिकी सेवा प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। आपने कितनी बार घोषणा की, कितनी बार राजस्थान के बेरोजगारों को आपने लुभाने की कोशिश की? मुख्य मंत्री रोजगार योजना, एक लाख लोगों को रोजगार, सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चार साल पहले जिस मुख्य मंत्री रोजगार योजना के नाम पर बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक इस सरकार में बैठे लोगों ने किया, आज चार साल बाद 4427 लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। एक लाख का जो इनका लक्ष्य था उसे घटा कर पिछली बार सरकार ने 25 हजार कर दिया। यह तो इस सरकार की बजटीय घोषणा है। आपने घोषणा की थी, वित्त मंत्रीजी, राजस्थान में कच्ची बस्ती में बसे हुए लोगों को गुमराह करने के लिए कि 15 अगस्त, 1998 को जो लोग कच्ची बस्ती में थे, 1 लाख 60 हजार परिवारों का नियमन करने की ये बात करेंगे। सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में इसी सरकार ने यह कहा है कि हमने अब तक 50 हजार लोगों को लाभान्वित किया है। इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है? अभी बात कर रहे थे नगर से आने वाले माननीय सदस्य, मदरसा बोर्ड की, आपने मदरसा बोर्ड, युवा बोर्ड, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड कितने बोर्डों की घोषणा की। आपके युवा बोर्ड गठित नहीं हुआ, आपके वरिष्ठ नागारिक कल्याण बोर्ड गठित नहीं हुआ। मदरसा बोर्ड में पिछले साल आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। हां, सोनिया गांधी जी को राजी करने के लिए राजीव गांधी के नाम पर डेढ़ दर्जन मिशन इन्होंने बनाये हैं। उसका लक्ष्य कुछ नहीं है, मात्र राजनीतिक रूप से उस महिला को खुश करना जिनके इशारे से आपकी कुर्सी बनती और बिगड़ती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस सरकार ने न केवल बजटीय घोषणाओं को तोड़ कर बजट की गरिमा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को नष्ट किया है बल्कि बजट के प्रति आम व्यक्ति का विश्वास उठाने का काम आपने किया है। वित्त मंत्रीजी, आप सरकार में आये थे, आते ही आपने श्वेत पत्र जारी किया था। आपने उस श्वेत पत्र के माध्यम से पिछली सरकार के ऊपर जमकर कीचड़ उछाला। परन्तु इसके साथ–साथ आपने उस श्वेत पत्र के माध्यम से आपकी पांच सालों की कौन सी आर्थिक नीतियां हों, उनको भी परिलक्षित किया था। मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह पहला बजट है इस सरकार का, मैं कोट कर रहा हूं, "राज्य में जिस आर्थिक स्थिति में हमने पुनः शासन की बागडोर सम्भाली है वह अत्यन्त कठिन है। हमने जब शासन छोड़ा था उस समय 6127 करोड़ का कर्जा था, उसके 31 मार्च, 1999 तक बढ़ कर 23532 करोड़ 96 लाख हो जाने का अनुमान है। बढ़ते हुए ऋण का प्रभाव यह हुआ कि 1998-99 में जिस ब्याज के पेटे 437 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता था, 1989-90 की समाप्ति पर 2243 करोड़ 43 लाख रुपये का होने का अनुमान है। 9 वर्ष के अन्तराल में पांच गुना से अधिक ब्याज का भुगतान बढ़ा कर राज्य के अपने कर राजस्व का लगभग आधा भाग केवल हम ब्याज भुगतान पर व्यय कर रहे हैं।" बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी आपने। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपने क्या कहा था, इस सदन के अन्दर आपने कहा था 2000-2001 में निकाल लो पृष्ठ-13 कि कर्ज लेकर योजना का आकार बढ़ाना अव्यावहारिक है। "ठीक नहीं मानते। कर्ज लेने से इसके दुष्परिणाम राज्य की वित्तीय स्थिति को लम्बे समय तक प्रभावित करते हैं।" आपने कहा था न, फिर आपने किया क्या? जब हमने शासन छोड़ा था तो आपके आंकड़ों के अनुसार 23,844 करोड़ का ऋण था राजस्थान पर और ऋण पर ब्याज अदायगी थी 2217 करोड़ वित्त मंत्रीजी, जो खुद कांच के मकान में रहते हैं न वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। परन्तु क्योंकि आपकी आदत है, आपकी सरकार की आदत है मुस्कराते हुए फोटो छपा कर लम्बे-लम्बे विज्ञापन के जरिये सरकार का धन व्यय करना। नतीजा कुछ नहीं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2003-04 के जो आपके बजट अनुमान है उनके अनुसार राजस्थान पर 52, 563 करोड़ 92 लाख का कर्जा हो गया, यानी पांच साल में आपने कर्जा लिया 28723 करोड़। हमने 8 वर्षों में 16 हजार करोड़ के लगभग कर्जा लिया, बड़ा गुनाह कर दिया।

श्री नारायण सिंह : वो आप वाला ब्याज ही मुश्किल हो रहा है। वो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है आप वाला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, आपने कर्जा लिया 28,723 करोड़ पर आपने किया क्या? आपने बिजली की दरों को दुगुना बढ़ाया, आपने सिंचाई शुल्क को शत-प्रतिशत बढ़ाया, आपने बच्चों की फीस बढ़ायी, रोडवेज का किराया बढ़ाया। गांवों में विकास के काम ठप किये। अब हालत क्या है? मैं आपका ध्यान, वित्त मंत्रीजी, यह पुस्तिका है "बजट एट ए ग्लांस", इस "बजट एट ए ग्लांस" के पैरा 2.1 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। "बजट एट ए ग्लांस" के पैरा 2.1 में आपने लिखा है कि आप 6579.72 करोड़ का ऋण इस बार ले रहे हैं। ये इनके बजट अनुमान हैं, और ये रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट्स लेकर आयेंगे तो यह ऋण 7 हजार करोड़ से ज्यादा होगा। एक साल में 7 हजार करोड़ का ऋण, यह आपने रिकार्ड कायम किया है राजस्थान बनने के बाद। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी आदत रही है, आप बजट अनुमानों में आंकड़े छुपाने की कोशिश करते हैं और बजट अनुमानों के बाद रिवाइज में आते हैं तब उस राशि को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। वित्त मंत्रीजी, आप लिखोगे नहीं, क्योंकि जवाब मैंने पहले कहा कि वही बना बनाया आपके वित्त सचिव एम.डी. कोरानी का लिखा हुआ पढ़ोगे। खैर, 2002-03 में आपको कर्जा लेना था 5,672 करोड़ रुपये आपकी पुस्तिका यह कहती है। पर आपने रिवाइज करके कितना लिया? रिवाइज्ड एस्टीमेट में आये तब 5,974.71 करोड़, यानी लगभग चार सौ करोड़ रुपये बढ़ा दिया। इसलिए, वित्त मंत्रीजी, मैं क्या लेखा-जोखा दूं। एक-एक साल का कर्जा इनका पढूंगा तो समय लगेगा। 52,563 का कर्जा इन्होंने कर दिया। उसका आज क्या है? आज 4,793.11 करोड़ रुपये, यह इनका "बजट एट ए ग्लांस" कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, 4793.11 करोड़ रुपये तो इनको हर वर्ष ब्याज में चुकाने पड़ते हैं। हर एक महीने में 399.42 करोड़ रुपये और एक दिन के 24 घंटे में 13.31 करोड़ रुपये जो सरकार ब्याज के चुका रही है वो सरकार कैसे चलाएगी? हमारे समय में 1997-98 में मैंने विधान सभा में आपसे एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में आपने ही बताया। 1997-98 में प्रति वर्ष ब्याज पर अदायगी थी। 1896.67 करोड़, प्रतिमाह 158 करोड़ थी और प्रति दिन 5.20 करोड़। क्या किस तरह का अर्थ तंत्र करेंगे ये? फिर आपने क्या कहलवाया अपने समधी जी से वित्त मंत्रीजी, जब पहला बजट प्रस्तुत कर रहे थे? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने उनसे यह कहलवाया कि सर्वप्रथम सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य की ऋण लेने की, राजकीय प्रतिभूतियां जारी करने की सीमा निर्धारित की जाएगी। सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव विधान सभा के इसी सत्र में प्रस्तुत करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्यों नहीं किया आपने सीमा निर्धारण? आप तो प्रस्ताव लेकर आ रहे थे न? परन्तु हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। आज, सभापति महोदय, राजस्थान के हर व्यक्ति, गांव में रहे, शहर में रहे, 10,512 रुपये का उस पर ऋण है। 1997–98 में जो प्रति व्यक्ति ऋण भार 4377 रुपये था, वो 2001–2002 में 6,937 हो गया। वित्त मंत्रीजी, फिर आप मेरे से पूछोगे कि आप क्या कह रहे हो। यह आपने जो मुझे मेरे तारांकित सवाल के उत्तर में जवाब दिया न, उससे बोल रहा हूं। मेरे आंकड़े गलत हो तो आपको बताना चाहिए। 2002–2003 में वो बढ़ कर हो गया 8027 करोड़ रुपये और आज राजस्थान के हर नौजवान पर, हर गरीब पर, हर किसान पर इस सरकार के चलते, इस भ्रष्ट सरकार के चलते 10,512 रुपये का ऋण है। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए शर्मनाक बात है।

इसके अलावा, वित्त मंत्रीजी, आपने किया क्या है? मीर क्या मारे हैं? आपके राज में प्रति व्यक्ति आय की क्या हालत हैं? आपने हमें यह आर्थिक समीक्षा दी है, मैं आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ–1 के कालम–5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1993–94 की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1999–2000 में थी 8,550 रुपये और आज 2002–2003 में गिर कर हो गयी 7,930 यानी जिस राज में प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़े, प्रति व्यक्ति आय कम हो। उसके अलावा आपका सकल घरेलू उत्पाद जो एक तरह से आर्थिक प्रगति का प्रदेश का मेरूदण्ड है, उसकी हालत क्या है? आप दुबारा देखे आपकी आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ–1 में, 2001–2002 में सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर है 89,727 और 2002–2003 में हो गया कम होकर 87,372 यह तो प्रचलित कीमतों पर है। जबकि 1993–94 की स्थिर कीमतों पर है 57,379 और कम हो कर हो गया 53,223 यानी प्रति व्यक्ति आय कम, सकल घरेलू उत्पाद कम और फिर कह रहे हैं, सत्ता पक्ष में बैठे लोग जोर–जोर से तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा विकासोन्मुखी बजट है। मेरी समझ में नहीं आया, वित्त मंत्रीजी, आप आंकड़ों के बाजीगर तो हो सकते हो, परन्तु धरातल में सारी बातें जाएंगी तब राजस्थान की जनता आपसे सवाल करेगी।

अब आप क्या कर रहे हो? आपने वार्षिक योजना जो सदन में प्रस्तुत की है वो है 5857.98 करोड़, और आप कर्जा कितना ले रहे हो? यह आपकी पुस्तिका कह रही है, कर्जा ले रहे हो आप 65,89.22 यानी वार्षिक योजना से 731 करोड़ रुपये ज्यादा यह सरकार कर्जा ले रही है। पूरी की पूरी योजना उधार पर बना डाली। सभापति महोदय, इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अलावा आपने देखा क्या, प्रति वर्ष इस पर ब्याज में कितना पैसा देना पड़ेगा? आपकी पुस्तिका कह रही है, "बजट एट ए ग्लांस" कह रहा है कि आपको 4,793.11 करोड़ रुपये ब्याज के चुकाने पड़ेंगे इस वित्तीय वर्ष में आपकी योजना है 5,857 ब्याज में यह पैसा चुकाएंगे तो बचेगा क्या इनके पास 1064 करोड़ प्लान असिस्टेंस के बचेंगे। कहां से विकास करोगे? इसलिए बजट में घोषणा मत किया करो, आपके बस की बात नहीं है। आप कह दो, हमारे पास कुछ नहीं है।

आपने रट लगाई थी, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मुख्य मंत्रीजी तोता रट की तरह हर जगह कहे, चाहे व्यापारियों में जाएं, चाहे उद्योगपतियों में जाएं। सभापति महोदय, यहां अन्तरराष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन बुलाकर मुख्य मंत्रीजी ने उनको कहा कि हमारे यहां खजाना खाली है, बिजली की कमी है। एक उद्योग नहीं आया। वातावरण किस तरह का पैदा कर दिया? सभापति महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिये, चांदपोल की तरफ जो लोग बैठे रहते हैं–दे दाता के नाम, दे दाता के नाम वे कहते हैं मुख्य मंत्री को तो हमारा नेता होना चाहिये। कटोरी लेकर हमेशा मुझे दे दो, मुझे दे दो, केन्द्र सरकार से दे दो, और पत्र लिख दो। वित्त मंत्रीजी, आपने 2000–2001 का बजट प्रस्तुत करते हुए इसी सदन में कहा, राजस्व घाटे को योजना बनाकर आप कम करोगे। मैं कोट करना चाहता हूं पेज, 10 "आगामी वर्ष में हमारा जोर फिजिकल कंसोलिडेशन पर रहेगा, फिजिकल डिसिप्लिन पर रहेगा। हम एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर राजस्व घाटे को तीन वर्ष में समाप्त करना चाहते हैं। जहां तक राजकोषीय घाटे का प्रश्न है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इसका एक सीमा से अधिक होना चिंता की बात है। इस वर्ष बजट अनुमान के अनुसार हमारा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 8.84 है, संशोधित अनुमानों के आधार पर यह 8.51 प्रतिशत रहना सम्भावित है। आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 7.46 प्रतिशत रहना सम्भावित है। आगामी कुछ वर्षों में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत तक करने का हम संकल्प लेते हैं। हम विस्तार के स्थान पर कंसोलिडेशन को प्राथमिकता देते हैं।" आपने किया क्या है? आपका राजस्व घाटा तीन साल में आप शून्य कर रहे थे न, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, फिर आप देख लो। आपने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा हो तो शायद आपके अधिकारियों ने आपको समझाने की कोशिश की होगी कि कहीं न कहीं कुछ सच्चाई की तरफ तो आएं। बजट एट ए ग्लांस का पेज-2 कालम 8 और इसके साथ मुझे विधान सभा में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसी 22 मार्च को आपने उत्तर दिया, उन दोनों में 1997-98 में जब हमारा राज था, जिस राज पर आपने आरोप लगाया कि हमने राजस्थान को आर्थिक भयावह स्थिति में पहुंचा दिया, उस समय राजस्व घाटा था 581.84 करोड़ वित्त मंत्रीजी, उसके बाद आपका पदार्पण हुआ, मैं पीछे आंकड़ों पर नहीं जाता, पर 2001-2002 में वह बढ़कर हो गया 3044 करोड़। 2002-2003 की बी.ई. में था 3901 करोड़, आर.ई. में हो गया 4074 करोड़। अब आप इस बार बजट में लेकर आये हैं कि हमारा राजस्व घाटा अनुमानित है 3672.79, अब जब आप वापस आर.ई. में आएंगे, जिस तरह की आपकी पुरानी आदत रही है, यह राजस्व घाटा 5000 करोड़ को पार करेगा। यानी 900 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की रफ्तार से इनका राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। 1997-98 में हमारी सरकार पर कीचड़ फेंक रहे थे और कह रहे थे, हम तीन वर्षों में राजस्व घाटे को शून्य में बदल देंगे। अब तो आपके जाने के दिन हैं, क्या बदल दोगे? वित्त मंत्रीजी, आपने 6 गुना राजस्व घाटे को बढ़ा दिया। इसके अलावा अब बजटीय घाटा इन्होंने प्रस्तुत किया है। जितने बजट प्रस्तुत किये, एक भी बजट ऐसा नहीं था जिसमें इन्होंने बजटीय घाटे के आंकड़े को छुपाने का काम नहीं किया। इन्होंने एक तरह से जो अर्थनीति है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है।

सभापति महोदय, यह पवित्र सदन है, इस सदन में जो बातें आएं, मैं समझता हूं साफगोई से सरकार को सारी बातों को सामने लेकर आना चाहिये परन्तु आंकड़े छुपाने का षड्यंत्र अगर किसी ने किया है तो वित्त मंत्री, सिंहजी, यह आपने किया है। इन वर्षों में सिर्फ जब आपके समधीजी थे तब उन्होंने 1998-99 में प्रारम्भिक घाटा और बजटीय घाटा जोड़कर अंतिम घाटे की बात कही। 1201 करोड़ का आपका अंतिम घाटा, उसको यह कहकर छोड़ दिया कि यह तो नान प्लान में सेंट्रर से असिस्टेंस मिलेगा उससे पाट देंगे। अब आप मुझे बताओ 1999-2000 में, 2001-2002 में, 2002-2003 में आपके संशोधित अनुमानों के अनुसार जो बजटीय घाटा था, जो बजट में घाटा रह गया, उस बजटीय घाटे को आप आगे क्यों नहीं लेकर आये? आपने क्यों यह छुपाने का काम किया? वास्तविक स्थिति से आपको आंख नहीं चुरानी चाहिये। 1998-99 में 1201 बजटीय घाटा अपूरित छोड़ा 1999-2000 में 766.96 का अपूरित छोड़ा 2000-2001 में आपने 699.36 का अपूरित छोड़ जाए और 2001-2002 में आपने 900 करोड़ का अपूरित छोड़ा। 2002-2003 में अब आपने इस आंकड़े को जरूर सामने लाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं करना चाहिये आपको।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके अलावा राज्य की आर्थिक स्थिति का आंकलन करने का सबसे सैंसिटिव कोई इंडिकेटर है तो वह है राजकोषीय घाटा। सभापति महोदय, किसी भी राज्य में राजस्व प्राप्तियां देनदारियों की 50 प्रतिशत से कम हों, वह हाई फिस्कल स्ट्रैस में आ जाता। 11वें वित्त आयोग ने तो यह भी कह दिया कि राज्य की कुल ब्याज की अदायगी अगर 18 प्रतिशत से ज्यादा हो तो वह हाई फिस्कल स्ट्रैस में आएगा। दोनों मापदण्डों के अनुसार आज राजस्थान कहां खड़ा है? आपने राजस्थान को वापस उसी ट्रैप में लाकर खड़ा कर दिया। इसका अगर कोई दोषी है तो, वित्त मंत्रीजी, आप दोषी हैं। आपका बजट एट ए ग्लांस आप फिर देखें, पेज 2 कालम 10, 2001-2002 में इनका राजस्व घाटा था 5748.73 करोड़, 2002-2003 में जब ये आर.ई. में आये तब था 6504.60 और अब 2003-2004 में आपने जो अनुमान लगाये हैं वह 7415 करोड़। मैं कहता हूं जब आप आर.ई. में आओगे, हालांकि आप लेकर नहीं आते हो, पर लेकर आओगे तो वह 8500 करोड़ से ज्यादा होगा। और जी.डी.पी. का इसका अनुपात निकालो तो आप तो कम कर रहे थे, 4 प्रतिशत पर ले जा रहे थे न, यह 8.48 के लगभग आता है। यानी राजकोषीय घाटा बढ़ा, राजस्व घाटा बढ़ा, सकल घरेलू उत्पादन गिरा है और फिर कहते हैं हम श्वेत पत्र जारी करेंगे।

अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य राजस्व व्यय की बात कर रहे थे, वित्त मंत्रीजी भी अभी यही कहेंगे और इन्होंने अपने बजट भाषण में भी यह कह दिया कि 5वें वित्त आयोग की सिफारिशें मानकर पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। वित्त मंत्रीजी, कर्मचारियों को भी हम सरकार का अंग मानते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ साथ वह कर्मचारी जो इस सारी योजना को लागू करता है, उसकी भी बहबूदी हो। 5वें वित्त आयोग की सिफारिशें राजस्थान ने अकेले ने नहीं मानी हैं, यह एक तरह से कमिटमेंट था। हम आपकी तरह से बजटीय बातों को कहकर भूलते नहीं हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत जी ने कर्मचारी संघों के साथ जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को लागू किया। आप कितने दिनों तक रोना रोओगे कि 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों से आप पर वित्तीय भार बढ़ गया? 1997-98 में आई थीं 5वें वित्त आयोग की सिफारिशें, और उसका इम्पैक्ट आना था 1998-99 में आ गया। आप उत्तर देओ तब बता देना, 1997-98 में इनका राजस्व व्यय था 8986 और 1998-99 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशें आ गई तो वह बढ़कर हो गया 11576 अब आपसे कोई पूछे कि अब आपका राजस्व व्यय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्यों बढ़ रहा है, आप तो कम करने की बात कह रहे थे? 2001-2002 में आपका था 15948 करोड़ और 2002-2003 में हो गया 17570 करोड़ और अब आप बी.ई. में लेकर आये हो 19097 करोड़, आप राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हो? ये सारी बातें आपको सदन को बतानी चाहिये।

मैं एक निवेदन और करूं, आप ने अपने इस श्वेत पत्र में क्या कहा था और क्यों कहा था आपने। मैं पढ़कर सुनाता हूं, आपने श्वेत पत्र में कहा था, "स्थिति निश्चित ही संकटपूर्ण है। हर स्तर पर राजकीय खर्चों में मितव्ययता," सभापति महोदय, यह इनका संकल्प है, "वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि, तीव्र वसूली और बकाया करों का एकत्रीकरण ही इसका सशक्त समाधान है। किन्तु जनता विशेष कर लोक सेवकों और करदाताओं के सहयोग से राज्य की आर्थिक तस्वीर को बदलने के लिये हम संकल्पबद्ध हैं।" आपने बड़ा लम्बा-चौड़ा संकल्प लिया था। मैं तो आज धन्यवाद देना चाहता हूं, अगर आज तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य वित्त मंत्री नहीं हैं तो उसके पीछे यह था कि उन्होंने जो कहा उसको लागू करना चाहते थे। उन्होंने पिछलग्गू बनकर काम नहीं किया। उनसे क्या कहलवाया आपने? पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण लेकर, पूंजीगत प्राप्तियों को पर कैपिटल रिसीट बनाना ठीक काम नहीं है। कैपिटल रिसीट जोड़कर, कैपिटा एक्सपेंडिचर कम करके उससे जो आधिक्य आएगा उससे रेवेन्यू डेफिसिट को पाटना तो बहुत बड़ा गुनाह है। आपने एक वर्ष भी ऐसा किया क्या? कैपिटल रिसीट जितना बी.ई. में बजट अनुमान के अनुसार होगा, ऋण लेने की बात आपने कही, आपने उससे लगभग डेढ़ गुना ज्यादा ऋण लिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2002-2003 में आपने 10773 करोड़ का ऋण लेने की बात कहीं और आप आर.ई. में आये तो कहां पहुंच गये, 17910 यानि 7137 करोड़ रुपये...

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : What is net? नैट के ऊपर जाओ, काउंटिंग सिस्टम के ऊपर मत जाओ। थोड़ा समझ लो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों नहीं जाऊं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस अकाउंटिंग सिस्टम को समझकर कि व्हाट इज नैट, साल के आखिर में कैपिटल रिसीट्स कितनी रहीं, इसको जब तक नहीं समझोगे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, मेरे को आपसे नहीं समझना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं समझना तो आप कभी समझोगे भी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपसे ज्यादा आंकड़ों को तोड़-मरोड़कर सदन को गुमराह करने वाला, अपने आपको अक्लमंद समझने वाला तथा सामने वालों को बेवफूक समझने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, अगर कोई दूसरा देश होता तो आप जैसे आदमी को एक दिन भी इस कुर्सी पर नहीं बैठने देता। आपने राजस्थान की जनता के साथ जिस तरह का अन्याय किया है, हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रहे थे, हमने कैपिटल रिसीट्स के अन्दर बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, पैसा ले लिया और कैपिटल एक्सपैंडीचर कम किया उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट उससे बांट दिया। आपने क्या किया? आपने वही काम किया। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, आपके पूंजीगत व्यय भी लगातार कम होते गये।

इसके अलावा हो क्या रहा है? आपके राज में अगर कोई सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है तो वह है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू पिछली बार बजट अनुमानों से कम हुई कि ज्यादा हुई? नहीं है तो जरा जानकारी ले लेना। 2002-2003 में आपने 7027 करोड़ की टैक्स रेवेन्यू का अनुमान किया था, आपका बजट एट ए ग्लांस कहता है, और जब आप आर.ई. में आये तब यह हो गई 6481, मतलब 546.29 करोड़ कम। वित्त मंत्रीजी, मुझे नहीं कहना चाहिए, आपने तो पूरी सरकार को घर का मान लिया। आप किसी इण्डस्ट्री का चाहते हैं कि इसका सेल्स टैक्स वेव करना चाहिए, कोई न कोई बहाना लेकर सेल्स टैक्स वेव। मैं समझता हूं कि कानून का जामा पहनाकर अगर सबसे ज्यादा किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो मौजूदा सरकार ने किया है। इस सरकार के बैठे हुए सेल्स टैक्स कमिश्नर समाचार पत्रों में यह वक्तव्य देते हैं कि 1500 करोड़ रुपये का सालाना सेल्स टैक्स चोरी होना तो आम बात है। यह किस तरह की बात कर रहे हैं?

इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी, आपने पंचवर्षीय योजनाओं के साथ क्या किया है, क्या खिलवाड़ किया है। आपने कहा था इस बजट के अन्दर 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी, उसके पीछे राज्य सरकार का अपना आर्थिक आधार बहुत कम था। वस्तुतः धनराशि की व्यवस्था-ऋण, अल्प बचत, जन लेखा निधियों से की गई जो उचित नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं? इस वर्ष के एनुअल प्लान में 80 प्रतिशत वित्त पोषण ऋण, अल्प बचत या जन लेखा से है। आपने 10वीं पंचवर्षीय योजना 31831 करोड़ की बना तो ली पर इसको पूरी करने की आपकी मंशा नहीं है। हमने 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना बनाई थी जो 7वीं पंचर्षीय योजना से पांच गुणा और 8वीं और 9वीं से ढाई गुणा बड़ी थी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने योजना का आकार तो 15 प्रतिशत बढ़ाया है परन्तु जिस हिसाब से, जिस बेरहमी से सारे बजटीय अनुमान का तोड़-मरोड़कर इस वार्षिक योजना में कटौती की है, यह कभी नहीं हुआ। यह वार्षिक योजना सदन के सामने क्यों प्रस्तुत की जाती है? यह एक तरीके से सरकार का कमिटमेंट है लेकिन आप तो अकाल के नाम पर योजना काटते चले गये। सिवाय सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. के एक पैसा सरकार ने अकाल राहत प्रबन्धन में खर्च नहीं किया। मैंने पूरा जोड़ किया है, आपने 1998-99 में योजना काटी 468, 1999-2000 में फिर काटी 894 2000-2001 में योजना पूरी की, मैं इसके लिए किसको धन्यवाद दूं? कैसे पूरी हो गई? यह तो वैसे ही पूरी हो गई, आपको पता नहीं लगा, वरना आप तो इसमें भी उड़ाते। 2001-2002 में आपने फिर 388 काटी और 2002-2003 में आपने 789.22 काटी। यानी 2548.94 करोड़ की योजना काटकर राजस्थान निर्माण के बाद राजस्थान के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने का काम अगर किसी ने किया है तो इन माननीय वित्त मंत्रीजी ने किया है, क्योंकि यह तो समझते नहीं हैं ना। यह तो अहंकार में हैं कि जनता ने जनादेश दे दिया, अगली बार भी यही आएंगें।

वित्त मंत्रीजी, आपने राजस्थान को फिर बीमारू प्रदेश बना दिया। आपने विकास के नाम पर विनाश किया है। आर्थिक, सामाजिक स्वास्थ्य राजस्थान का चर-मराकर गिर रहा है। राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य की आर्थिक साख को बट्टा लगा है। सभापति महोदय, आर.बी.आई. की रिपोर्ट क्या कहती है? पिछले साल के 365 दिन माने तो 249 दिन तो वेज एण्ड मीन्स और बहुत सारी चीजों, ओ.डी. का सहारा इस सरकार ने लिया, ओवर ड्राफ्ट नहीं दिया। इनके पास खुद का कुछ नहीं है, फिर आप बहुत बड़े हिमायती बनते हो। आप किसानों की बात करते हो कि दो करोड़ रुपये रोज खर्च करके किसानों को बिजली दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, किसानों का दर्द आप समझते हो, कोई नहीं समझता। इन्होंने क्या किया वार्षिक योजना में? कृषि क्षेत्र में योजनागत व्यय कितना रखा? योजनागत व्यय रखा टोटल का 2.15। यह मैं नहीं कह रहा, यह इनकी बजट स्टडी कह रही है। सभापति महोदय, इस योजना में 5857 में से 126 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं कृषि पर और बात बहुत बड़ी कर रहे हैं।

आप ग्रामीण विकास पर क्या कर रहे हैं? यह मैं नहीं कह रहा, आपकी पुस्तक कह रही है। ग्रामीण विकास पर पूरी योजना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का 9 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। आपका योजनागत व्यय, बजट एट ए ग्लांस में आपने बताया है, सिर्फ 7 प्रतिशत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप राजस्थान के लोगों को, क्योंकि आप जा रहे हो, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए।

बी.पी.एल. का क्या शगूफा लेकर आए हो, बेरोजगार बच्चों को जिनकी वार्षिक आय 12,000 से अधिक, सभापति महोदय, आप स्वयं गांव से बिराजते हैं, अभी तक तो कोई सर्वे भी नहीं है कि बी.पी.एल. परिवार की आय 12,000 से कम किसकी है। यह 20,000 का मापदण्ड है और तीन वर्षों से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। जब इसकी बात चली तो मैंने भी सोचा कि बहुत बड़ा कल्याण किया होगा। मैं खुद उस जिले से आता हूं जो मरुस्थलीय है। मैंने मेरे जिले के अन्दर रोजगार कार्यालय से आंकड़े मंगवाएं। चूरू जिले के रोजगार कार्यालय में 28.2.2003 तक कुल 11711 पंजीयक हैं उनमें महिला 1598, पुरुष 10113, एस.सी. के 2000, एस.टी. 381, ओ.बी.सी. के 1680 और बी.पी.एल. के निल। एक भी कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसको कोई पैसा नहीं मिल सकता, तीन साल पुराना होना चाहिए। यह पूरा जिला जिसकी जनसंख्या लगभग 16 लाख, उसमें रजिस्ट्रेशन 11000, इसलिए कि पिछले वर्षों में कभी रोजगार कार्यालय से नाम नहीं मंगाए गये। अब आप कहना क्या चाहते है? आप समझते हैं कि इस तरह लोग भूल जाएंगे और आ जाएंगे–गरीबों के मसीहा प्रद्युम्न सिंहजी, गरीबों के मसीहा अशोकजी गहलोत?

एक बात और कहना चाहूंगा। नगर से आने वाले माननीय सदस्य की एक बात से सहमत हूं, आपने पूजा-अर्चना में देवालयों को एक करोड़ और गौ-सेवा आयोग के लिए एक करोड़ की राशि की है। यह वही बात की है, हिन्दू संस्कृति के अन्दर जब व्यक्ति का अन्तिम कार्यकलाप हो जाता है ना, तो तर्पण के लिए जाते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि देवालयों में भेंट पूजा करो। सभापति महोदय, पहले कहा करते हैं, गायों को दान करो। ये दोनों काम तो आपने कर दिये। सरकार तो आपकी गई, इसलिए आपने ये किये हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप यह कहना चाहते हैं कि आप तो ये दोनों काम किये बगैर ही चले गये? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आपको तो दिन में, रात में एक ही बात नजर आती है कि सरकार गई। यह सरकार जाने वाली नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : देवताओं को राजी करो। (व्यवधान) गायों को राजी करो। आपको तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मुंगेरीलाल वाले सपने लेना छोड़िए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो पुण्य का काम किए बिना ही चले गए। (व्यवधान) आपकी तो आत्मा भटक रही है वापस राज के लिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, समाचार पत्रों में लिखा है कि कप्तान...(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): सभापति महोदय, मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके रहते हुए यह सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आत्मा से कह रहे हैं? आप आत्मा से कह रहे हैं क्या? देखो वह अन्दर की बात अपन दोनों की है। पण्डितजी, देखो, फिर पाप लगेगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : जब तक आप बिराजमान हैं यह सरकार यहीं रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं कह रहा था, वित्त मंत्रीजी को कोई कप्तान साहब कहता है तो इनकी बांछें खिल जाती हैं, बड़े खुश होते हैं। वित्त मंत्रीजी, आप कप्तान हो, पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान वकार युनूस जैसे हो। क्या हालत हुई है उनकी, अभी कल दूरदर्शन में हवाई अड्डे पर उतरते देखा ना। आपका मुकाबला किससे है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : आप बांग्लादेश के कप्तान हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो बांग्लादेश का कप्तान हूं या नहीं हूं, आप कप्तान की उपाधि लिए बैठे हो। जिस तरह वकार युनूस का स्वागत हो रहा है, आपकी हालत भी वही होगी। जब राजस्थान की जनता में जाओगे, उसी तरह होगा। आपका मुकाबला इस बार सौरभ गांगुली के रूप में वसुन्धरा राजे से है, समझे आप?

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं, एक प्रगति जरूर हुई है। हमारे मुख्य मंत्री ईद के चांद तो हैं ही, आप पूरे सदन के अन्दर इनका भाषण उठाकर देख लें, 50 मिनट से ज्यादा नहीं बोलते। इनको न जाने क्या गलतफहमी है कि इनका मुख खुलेगा तो ना जाने कितने लोग क्या हो जाएंगे। शुरू के अन्दर तो थे मारवाड़ के गांधी, वहां बैठे हुए पीछे से कई माननीय सदस्य कह रहे थे मारवाड़ के गांधी हैं। फिर यह अगले बजट में अशोक महान हो गये क्योंकि अपने नाम से...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : लोक देवता हो गये। अब तो यह लोक देवता हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यही कह रहा हूं। यह पहले मुख्य मंत्रीजी हैं, सभापति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, खुद के नाम से अशोक गार्डन। मैंने तो पत्र भी लिखा था कि जीवित व्यक्ति के नाम से कभी उनकी स्मृति में उद्यान नहीं बना करते हैं। इन्होंने अशोक गार्डन बना लिया जोधपुर में, फिर यह हो गये चक्रवर्ती सम्राट अशोक और अब लोक देवता अशोक। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट जिसकी न दशा है न दिशा है, यह दिशाहीन गांव विरोधी बजट, यह किसान विरोधी बजट, यह बजट आपका अन्तिम बजट और इस बजट के माध्यम से आपकी अन्तिम क्रिया निश्चित तौर पर होगी और राजस्थान की जनता आपको छोड़ेगी नहीं, चारों खाने चित्त लाएगी। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(14.00 बजे)

श्री मोहन लाल चौहान : राजस्थान की जनता ने तो प्रशंसा की है बजट की।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, 5 तारीख को आपने बजट पेश किया और 6 तारीख को हिन्दुस्तान टाइम्स की हैड लाइन थी...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): यह क्या हो रहा है, सभापति महोदय?

श्री सभापति : बिलकुल ठीक हो रहा है सब। इसके बाद डाक्टर साहब आएंगे, करण सिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उलटा हो गया, 2 प्रतिशत के और एक सत्ता पक्ष का।

श्री सभापति : नहीं, नहीं। ऐसा मुझे तो कोई डाइरेक्शन...

श्री हरिसिंह (महुवा): यह हो ही गया ना।

श्री सभापति : I got some directions from Hon'ble Deputy Speaker. उसी व्यवस्था के तहत चल रहा है। उसके बाद करण सिंहजी है। I have called the name of Vyasji. I was directed by the Hon'ble Deputy Speaker.

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय हरिसिंहजी, अब वापस बिठाएंगे क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा): आपको नहीं कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई बात नहीं।

श्री सभापति : मैं आपसे भी कह रहा हूं ना। बिराजिए आप।

श्री हरिसिंह (महुवा): नहीं, आप...

श्री सभापति : नहीं, मैं ठीक चल रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य सचेतक महोदय, with your permission.

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब तो आप बोलेंगे ही, आप बोलेंगे। मैं तो आगे के अपने हितों की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : मुख्य सचेतकजी, इसके बाद डाक्टर करणसिंहजी साहब बोलेंगे। इसके जस्ट बाद।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वैसे आसन की मर्जी, नहीं बुलवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं।

श्री सभापति : नहीं, वह पहले से व्यवस्था है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, उसके बाद आप स्वयं वहां पधारना। आपका भी नम्बर है बोलने का।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, माहिर आजाद जी को बुला रहा हूं। हां, शुरू कीजिए व्यासजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 5 तारीख को बजट पेश हुआ 6 तारीख को हिन्दुस्तान टाइम्स की हैड लाइन थी– "Pradyuman Plays Jaswant." यह सिर्फ बजट के लिये हैडलाइन होगी, स्टोरी होगी कि यह बजट भी चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और केन्द्रीय वित्त मंत्री जसवन्त सिंहजी ने भी चुनाव को ध्यान में रखकर बजट बनाया है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आपकी आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है, कोई अन्तर नहीं है। इस देश के, आधुनिक भारत के निर्माता पण्डित जवाहर लाल नेहरू इसकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, उन्होंने प्रारम्भ की और बरसों तक फार डिकेड्स टुगैदर हमारी कंट्री ने उस इकोनोमी को फालो किया। उस इकोनोमी को गुड-बाय किसने किया? पी.वी. नरसिंह राव ने। पी.वी. नरसिंह राव के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, वे आज भी आपके नेता है। पी.वी. नरसिंह राव को तो आपने खैर इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया, वह अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंहजी आज भी आपके नेता हैं। बी.जे.पी. या एन.डी.ए. की गवर्नमेंट आयी, इन्हीं पालिसीज को ज्यादा एग्रेसिवली फालो किया। स्टेट गवर्नमेंट, आप चाहे जो कुछ कहें, आपके राजनैतिक आरोप-प्रत्यारोप के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है।

(14.03 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

इधर से माननीय सदस्य बोलते हैं, आपके खिलाफ आरोप लगाते हैं, आप उधर से लगाते हैं, लेकिन आप ठण्डे दिमाग से, डिसपैशोनेटली विचार करे तो बहुत अन्तर नहीं है आपकी नीतियों के अन्दर। आपने बिलकुल सेंट्रल गवर्नमेंट को फालो किया, उनकी नीतियों का अनुसरण किया। 90 के दशक में लिबरलाइजेशन का वक्त आया था, समय आ गया है कि आज हम यह तसल्ली बैठकर देखें, let us take stock of the situation now, कि क्या रिजल्ट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रहा है लिबरलाइजेशन का इण्डस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, एम्प्लायमेंट जनरेट हुआ है? सैंट्रल गवर्नमेंट भी एम्प्लायमेंट जनरेट नहीं कर सकी, एम्प्लायमेंट जनरेट आप भी नहीं कर सके। और यह अनएम्प्लायमेंट इतना सारी समस्याएं देश के अन्दर पैदा करता है कि एजुकेटेड अनएम्प्लायड लोगों की फ़ौज होती है और आपका क्राइम ग्राफ भी इसी से ऊपर जाता है। आपके सुमेधा अपहरण काण्ड के अन्दर एक सज्जन जो एक्यूज्ड हैं वह एम.पी. बंनते-बनते बच गये, आपकी जानकारी में है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि Pradyuman plays Jaswant, but Rajasthan Government needs one Arun Shourie also. डिसइंवेस्टमेंट तो आपकी सोनियाजी ने खुद ने कहा है कि जो लास मेकिंग यूनिट्स हैं उनका हम डिसइंवेस्टमेंट करेंगे। प्रोफिट मेकिंग तो मत कीजिए आप, लास मेकिंग यूनिट्स में भी आपने कौनसी यूनिट्स को डिसइंवेस्ड किया है? आज तक नहीं किया। ये जितने भी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, सभापति महोदय, उनके अन्दर ब्यूरोक्रेट्स ही रहते हैं। उनके गाड़ी-घोड़ों की व्यवस्था, अमूमन एक्स-आफिशियो सब सैक्रेटरी उसके अन्दर बैठे हुए हैं। बड़े कारपोरेशंस, रोडवेज जैसे को जाने दीजिए आप, पर छोटे-छोटे आपने बहुत सारे राजकीय उपक्रम बना रखे हैं उनमें सब पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष आपके सैक्रेटरी होते हैं। अब आपने एक नयी जमात खड़ी करके पोलिटिकल लोगों को बना दिया। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मूल बात वह की वह रही कि गाड़ी-घोड़ों से, जो आप पोलिटिशियंस को देते हैं चाहे ब्यूरोक्रेट्स को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था के ऊपर तो जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वह पड़ता ही है।

सभापति महोदय, अब अपन इस वर्तमान बजट पर आ जाएं। अकाल पर बहुत चर्चा हो चुकी है, बार बार उस बात की चर्चा करना उचित नहीं है। मेरे को इस बात की प्रसन्नता है कि आपने अपने भाषण में यह संकल्प दोहराया है कि केन्द्र सरकार से अपेक्षित नकद राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में हम अपने बलबूते पर संसाधनों की व्यवस्था करेंगे, चाहे इसके लिये हमें अन्य खर्चों की कटौती करनी पड़े। मैं चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी सदन की जानकारी के लिये यह बताएं कि क्या आपने प्रावधान किया हुआ है अकाल के लिये? वित्त मंत्रीजी, मैं व्यक्तिशः आपका बड़ा आदर करता हूं इस वजह से कि मैं आपको बड़ा समझदार आदमी मानता हूं। ये पोलिटिकल आरोप-प्रत्यारोप तो आप लगाइये, मुख्य मंत्रीजी पोलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टेट को, उनके लिये वाजिब है पोलिटिकल स्टेटमेंट देना, रोजाना केन्द्रीय सरकार को

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

गाली निकालना। मैं केन्द्रीय सरकार की डिफेंस में भी खड़ा नहीं हुआ हैं, वित्त मंत्रीजी, यह बता दूं आपको। लेकिन मेरे मन में यह धारणा है कि शायद आप आंकड़ों से बात करते हैं, आप तथ्यों से बात करते हैं। मैंने उस रोज जो कोट किया था, लेकिन अब मुझे वह डाकूमेंट मिला है-कैलेमिटी रिलीफ फण्ड, 2002-2003, लेटेस्ट है, सभापति महोदय, एज आन 24 अक्टूबर, 2002 या तो आप इसका प्रतिवाद करे या उसके बाद दुबारा यह रिपीट करने की हिम्मत मत कीजिए। यह आन्ध्र प्रदेश को लीजिए आप, सैंट्रल शेयर 16377 लाख और स्टेट शेयर 5459 लाख, टोटल 21836 लाख और मनी रिलीज्ड 12283 लाख। राजस्थान का सैंट्रल शेयर 17116 लाख, स्टेट शेयर 5705 लाख, टोटल 22821 लाख, मनी रिलीज्ड 17116 लाख। टोटल मनी आपको रिलीज की है। And you topped the list. मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की बड़ी कृपा है कि आपको यह राशि दे दी। पर यह पेपर मेरे पास है, यह स्टडी है कि वाकई में राजस्थान की बड़ी हालत चिन्ताजनक है, और आपका हिस्सा बनता है, निश्चित रूप से बनता है जो आपकी फेमिन कंडीशन है, जो अपने प्रदेश के अन्दर ग्रेविटी है फेमिन की, उसके हिसाब से आपका हिस्सा बनता है और जो हिस्सा बनता है वह आपको मिल गया। आन्ध्र प्रदेश को पूरा मनी रिलीज नहीं हुआ, आपका मनी रिलीज हुआ है। आपने अकाल के प्रबन्धन में कोई काम नहीं किया। अकाल की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। मैंने यह बात सिर्फ इसलिये निवेदन की है कि वित्त मंत्रीजी जैसा आदमी अब इस आरोप को नहीं दोहराएगा। आपको आगे कुछ मांगना हो, मांगिये। अपनी जरूरत के हिसाब से मांगिये, वह भी आपका अधिकार है। मैं उस संज्ञा में भी जाना चाहता हूं, कटोरा मांग कर प्रदेश के हित में आप कोई मांग करते हैं तो मैं कोई उसको भिक्षा नहीं मानता हूं। आपका वह भी अधिकार ही है। कर्तव्य और अधिकार दोनों का समावेश है, सभापति महोदय। यह अधिकार भी है, कर्तव्य भी है आपका।

अब सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी, आप फिगर्स को छिपाते क्यों हो? 24 हजार का कर्जा, 23 हजार कुछ थे, आपने करैक्ट कर दिया, 1999 में जाकर जब से 24 हजार करोड़ बताया, जब आपने गवर्नमेंट सम्भाली। आपने यह नहीं बताया कि टोटल कुमुलेटिव कर्जा कितना है स्टेट के ऊपर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कहां है, बता दीजिए?

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाकूमेंट है ऐसा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौन-सा डाकूमेंट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अपना जो बजट है न उसको देख लें। उसमें ये डाकूमेंट्स, राजेन्द्रजी राठौड़ उसी से कोट कर रहे थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उससे कोट कर रहे थे वह ईयरली कर रहे थे लेकिन...(व्यवधान) 51000 करोड़ का कर्जा कहीं जाकर...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये 2003-2004 के बजट एस्टीमेट्स हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां 2003-2004 नहीं, बजट एस्टीमेट्स में नहीं है, टोटल नहीं है, आपका एनुअल है। अब... (व्यवधान)

यह एक आपने कल मेरे को एक सवाल के जवाब में कहा, वित्त विभाग का जवाब है, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा छोड़े गये कर्ज को आपने घोषणा पत्र के अनुरूप कम करने के क्या प्रयास किये और इन प्रयासों में क्या सफलता मिली है? यदि नहीं, तो क्यों? कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। यह, वित्त मंत्रीजी, जवाब उचित नहीं है। आपने स्वयं ने, घोषणा पत्र यह रहा, घोषणा पत्र में आपने लिखा है-वर्ष 1989-90 के आन्तरिक एवं भारत सरकार का ऋण व अन्य देनदारियां कांग्रेस को सत्ता छोड़ते समय 6026 करोड़ रुपये थीं जो कि भाजपा शासन के आठ वर्षों में बढ़कर 23361 करोड़ हो गईं। इस राशि पर 2210 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्य को ब्याज चुकाना पड़ता है। यह राशि राज्य के कुल कर राजस्व का 50 परसेंट है। Hon'ble Finance Minister, Kindly correct me, अब जो कुल राजस्व कर है, वह अभी जो आपका अनुमान है, 7257 है और आप क्या इंटरेस्ट पे करेंगे? 4793, It is nearly 60% नहीं, नहीं आप... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, मैं टोकना नहीं चाहता, मुनासिब भी नहीं है लेकिन रिकार्ड को स्ट्रेट करने के लिए टोटल रेवेन्यू रिसीट के यह...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : टोटल नहीं है, यह आपने लिखा है कर राजस्व, मैं इससे चल रहा हूं। मैं इससे चल रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको जो बता रहा हूं, जो अपना फाइनेंशियल सिस्टम और प्रोसीजर है उसके हिसाब से इंटरेस्ट लायबिलिटी का परसेंटेज कितना है, टोटल रेवेन्यू रिसीट का, हम उससे निकालते हैं राज्य का बजट बनाते वक्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बिलकुल ठीक कहते हैं। मैं उस बात को कतई प्रतिवाद नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कर रहा। मैं सिर्फ आपने जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के लिए यह कहा घोषणा पत्र के अन्दर कि कुल कर राजस्व का 50 परसेंट है, यह भी एक रिकार्ड की बात है। Kindly correct me, I am subject to correction. लेकिन आप आज यह बता दीजिए कि इनका 50 परसेंट था और आपका 65 परसेंट है, फिर आपकी, वित्त मंत्रीजी, क्रेडिबिलिटी क्या आएगी? बजट 2002-2003, उधार एवं देनदारियां, बोरोइंग्स एण्ड अदर लायबिलिटीज, 10666.73 करोड़, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 17826.70 करोड़, अब आप कहते हैं कि 14123.80 करोड़... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसके दूसरे आंकड़े के अन्दर ही अगर आप देखेंगे तो यह मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमारी कैपिटल रिसीट्स इतनी हैं। और इस पर खर्चा, रीपेमेंट भी किया है हमने जो नैट बचा वह आपका बचा एक तरह से कर्ज की मात्रा यह इसी का है। यही चूरू से आने वाले सम्माननीय सदस्य कह रहे थे, मैंने उनको कहने की कोशिश की तो नाराज हो गये। वे समझे कि मैं उनको टोक रहा हूं या नीचा दिखाने की दृष्टि से कह रहा हूं। लेकिन रिकार्ड को स्ट्रेट करने की दृष्टि से कहा बाकी तो आपको स्वतंत्रता है, जिस किसी को जो कहना है वह आप कहे। उसके आगे मैंने यह भी दर्शाया है अपने बजट भाषण में कि ये तो कैपिटल रिसीट्स हैं और यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसका नैट जो आया वह आप देख लें। उसको... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्रीजी, मैं न तो कोई नाराज होता हूं मैं तो अपना ज्ञानवर्द्धन करना चाहता हूं। आपकी बात को ग्रहण करता हूं लेकिन आप बात को घुमाइये मत। सवाल सिर्फ टोटल रिसीट्स का सवाल नहीं है। Borrowings and other liabilities, the figure that you proposed initially in your budget for the year 2002-03 were 10,666.73 crores and revised estimates were 17,826.70 crores. अब 14123.80 करोड़ का आपने फिगर दिया है। व्हेयर इज द गारंटी कि यह 25000 पर नहीं पहुंचेगा? देखिये, वित्त मंत्रीजी, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, आप सीधी बात कह रहे हैं। जवाब सरकार को देना ही है। आप जवाब देंगे अपना। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह इसलिए नहीं पहुंचेगा कि ओ.डी. की और वेज एण्ड मीन्स की लिमिट फिक्स की हुई है इसलिए सीमा से ज्यादा इसकी बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप लिमिट्स को और सीलिंग को फालो करते हैं, वित्त मंत्रीजी? रिजर्व बैंक आफ इंडिया और इलेवंथ फाइनेंस कमीशन, टेंथ फाइनेंस कमीशन क्या कहता है राजस्थान के लिए? "Rajasthan has crossed fiscal stress zone and has been fast approaching alarming situation. The economy has taken a downturn from 1998-99"...after यह मैं मन से एड किया है after Congress assumed power, यह वहां पर नहीं लिखा हुआ है। यह मैं एड कर रहा हूं क्योंकि 1998-99 में आप आ गये थे सत्ता में। "G.S.D.P. 1999-2000 40.3%, for 2000-2001 44.3%, 2001-2002 45.1%, 2002-2003, it will touch somewhere near 50%." और यह जो परमिसिबल लिमिट है, norms suggested by the 11th finance Commission, 27 परसेंट, 27 परसेंट को क्रास करने के साथ ही आप फाइनेंशियल स्ट्रैस के अन्दर आ जाते हैं। यह कम्प्लीट डैट ट्रैप के अन्दर राजस्थान सरकार फंसी हुई है। फंसी हुई का सवाल नहीं है, सभापति महोदय, इस बात को हमको बारीकी से समझना पड़ेगा। यह सवाल नहीं है, कर्ज लेना एक प्रक्रिया है। हर सरकार को सरकार चलाने के लिए प्रदेश का विकास करने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कर्ज लेना पड़ता है। कौन कितना कर्ज लेता है, उस वक्त पता नहीं क्या परिस्थितियां थीं, इनको हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। लेकिन आपको कर्ज लेने का बहुत शौक है। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभापति महोदय, ये कर्जे के चक्कर में ब्यूरोक्रेसी को मैनीपुलेट करती हैं। आप देखिये, वर्ल्ड बैंक हो या ए.डी.बी. हो, ये डिक्टेट करती हैं टर्म्स और टर्म्स डिक्टेट करके कंसल्टेंट अपाइंट करती हैं। उस कंसल्टेंट को हेफ्टी अमाउंट मिलता है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मंत्रीजी, और वह जो कंसल्टेंट है जिसको हेफ्टी अमाउंट मिलता है, वह किक–बैक्स देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वह किक–बैक्स देता है बोरोइंग स्टेट को। यह मैं नहीं कह सकता कि इसमें देता है या नहीं देता, यह तो एक अलग विषय है। सिस्टम की जो भी पावर दैट वी, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पोलिटिशियंस हैं, मुझे नहीं पता कौन हैं लेकिन उनको किक–बैक्स मिलते हैं। वह जो कंसल्टेंट है वह लोगों को किक–बैक्स देता है और वह मैनेज करता है आपके लोन के लिए। फिर, मंत्रीजी, लोन में आपकी प्रायोरिटीज बहुत गलत हैं। आप वित्त मंत्री हैं राजस्थान के जितने भी राजकीय उपक्रम हैं, जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी है, ये इंडिपेंडेंस और सोवरीनटी क्लेम नहीं कर सकते। आपसे इनको जो लोन मिलता है वह स्टेट गारंटी पर है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आपने जयपुर में बहुत काम किया। अनाप–शनाप फ्लाई ओवर बना दिये। लोगों के मकान तोड़ दिये। सड़कें चौड़ी कर दी। विस्तृत बना दिये। वित्त मंत्रीजी, रेलवे ट्रैक पर आपने फ्लाई ओवर बनाया, जस्टिफाइड है। जरूरत थी। एक, नहीं, दो, तीन, तीसरा भी बन रहा था, तीनों की जरूरत थी, पर अब आप जगह-जगह ही फ्लाई ओवर बना रहे हैं। वित्त मंत्रीजी, यह भी एक व्यवस्था है, जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टीविटी करेंगे उसके अन्दर 20 परसेंट का सेफ मार्जिन है। यह सिस्टम बना हुआ है, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से खर्चा किया जा रहा है। मुझे आप यह बता दीजिए, वित्त मंत्रीजी, कि आज जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या स्थिति है? कोई भी मिडल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चे को पैट्रोल ड्रिवन टू-व्हीलर में नहीं भेजेगा। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और रोजना बड़ी दर्दनाक मौतें होती हैं। आज आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिलकुल खतम है। यहां कोई प्राइवेट बस आपरेटर्स हैं, आपको अगर करना ही था तो इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशंस को बुलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारते। बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो, आप कभी स्कूल में जाएं, वित्त मंत्रीजी, कोई भी स्कूल में चले जाएं, इन-एलीजिबल चिल्ड्रन, 14-14, 15-15 साल के, जिनको लाइसेंस नहीं मिल सकता, जो लाइसेंस के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि निर्धारित आयु सीमा को पार नहीं किया उन्होंने, वे सब पैट्रोल ड्रिवन टू-व्हीलर लेकर आ रहे हैं। लम्बी कतार की कतार खड़ी है। और पेरेंट्स भी कोई राजीखुशी नहीं देते, मजबूरी है रोजाना अपनी दाल-रोटी का धंधा छोड़ कर बच्चा उनके साथ तो जाएगा ही नहीं कि साहब उनको छोड़ेंगे, या लेने आएगा। ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था है ही नहीं आपके। आपकी प्रायोरिटी है क्या?

आपने बजट के अन्दर शिक्षा का और चिकित्सा का यह स्टेंड लिया कि हम जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको स्ट्रैंथन करेंगे I welcome it. But do you really mean it? आप बिल्डिंग बना रहे हैं, 38 हजार अध्यापकों की इस प्रदेश के अन्दर कमी है। आप अनावश्यक रूप से रोज-रोज खड़े होकर यह बात कहते हैं राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला। गांव के अन्दर प्राइवेट स्कूल चलते हैं, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला की क्या स्थिति है, मंत्रीजी, कभी आत्म-निरीक्षण कीजिये। थोड़ा बहुत...(व्यवधान) सुनिये आप, गम्भीर बात हो रही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। सभापति महोदय, गांवों के अन्दर थोड़ा एजुकेट आदमी होता है, वह प्राइवेट स्कूल के अन्दर पढ़ाता है। एक-एक बच्चे के तीन-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तीन; चार-चार जगह नाम लिखे हुए हैं। लो-पैड आपने एम्प्लोई रखे हैं। सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी, मिडल स्कूलों में कितने अध्यापकों की जरूरत है, आप नहीं जानते हैं। वित्त मंत्रीजी यह पैसा आप उधर लगाते। बिल्डिंग के अभाव में गांव का बच्चा पेड़ के नीचे तो पढ़ लेगा, लेकिन बिना अध्यापक के नहीं पढ़ सकता। आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रैंथन किया है?

आपका विद्युत का कार्यक्रम विफल हो गया। विद्युत के ऊपर अलग से चर्चा होनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत के ऊपर अलग से चर्चा होनी चाहिये। एक बड़ा गहन सब्जैक्ट है। यहां मैंने एक दफे कहा पिछले साल, पिछले साल कि वाटर रैगुलेटरी कमीशन आएगा, तो तत्कालीन मंत्रीजी ने उसका प्रतिवाद किया। बाद में दूसरे सैशन के अन्दर उसको एग्री कर लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करता हूं प्लान की, प्लान बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। किस का प्लान है यह, मंत्रीजी?

श्री हरिसिंह (महुवा) : राजस्थान का।

श्री सुरेद्र व्यास : हां, राजस्थान का ही। हरिसिंह जी, my dear class fellow, kindly keep quiet for only a few minutes. आपने यह मेमोरेण्डम पेश किया है Your government has prepared a memorandum and submitted to the Central Government. "The State is already facing a difficult financial situation and work on all the plan works is almost stopped." कब से स्टॉप किया हुआ है आपने? किसका प्लान बना रहे हो आप? अब आपकी फाइनेंशल स्थिति सुधर गयी क्या? (व्यवधान) अब आपके पास पैसे कहां से आएगा? फिर प्लान आलमोस्ट स्टाफ, बिलकुल यह लिखा हुआ है। आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। फिर, मंत्रीजी, आपने यह प्लान फंडिंग क्यों नहीं बताया? नहीं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं फिर कहता हूं, मेरे मित्र राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने कहा कि आप असत्य आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, असत्य प्रस्तुत नहीं करते आप, आप वे आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते जो आपके लिये असुविधाजनक होते हैं। आप वे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जिन्हें आप घुमा-फिराकर जवाब देकर कर दें। आप प्लान फंडिंग के आंकड़े पहले पेश करते थे, अब क्यों नहीं करते? रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास प्लान के? मैं कुछ हासिल कर सका हूं इसके अन्दर, ये 2003-04 के संसाधन है-राजकीय उपक्रमों का योगदान 150 करोड़, प्रोविडेंट फण्ड 1080 करोड़।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

गवर्नमेंट सर्वेंट को अपन रात-दिन ही कोसते हैं, और सबसे बड़ा भार हैं। 1080 करोड़ तो आपने लोन लिया है न? मंत्रीजी, मुझे करैक्ट कर दें आप, प्रोविडेंट फण्ड लोन हो गया न? टोटल बोरोइंग है, आपका टोटल प्लान बोरोइंग पर आधारित है। इस प्लान का अर्थ क्या है? मंत्रीजी जिस प्लान को आप लागू नहीं कर सकते, जिस प्लान के आंकड़ों को, उपलब्धियों को अर्जित नहीं कर सकते, इन लक्ष्यों को आप प्राप्त नहीं कर सकते, फिर उस प्लान को बनाने का प्रयोजन क्या है? यह तो एडमिटेड पोजीशन है, आपके खुद के मेमोरेण्डम से साबित है। सभापति महोदय, अकाल को विकास में बदलने की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने लगातार कही है। आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिये कि आपने निर्देश दे रखे हैं कि नहीं दे रखे? टोटल मैटीरियल कम्पोनेंट का आप एक्सैप्ट नहीं करते हैं, सैंशन नहीं करते आप? ठीक है, जून में कर दो, आप नहीं करोगे। जुलाई में नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप क्यों नहीं करते, लेकिन जो स्थिति है उसको स्वीकार क्यों नहीं करते आप?

सभापति महोदय, अब मल्टीप्लैक्स सिनेमा की बड़ी चिन्ता हो रही है, गोलछा जी आपके रिश्तेदार हैं इसलिए तो चिन्ता नहीं हो रही है आपको? (व्यवधान) नहीं, यह मजाक की बात है लेकिन आपको पूंजीपतियों के लिये चिन्ता हो रही है। मल्टीप्लैक्स का मतलब वही बिल्डर, बिल्डर का मतलब वही लैण्ड ट्रांजेक्शन। और यह राजस्थान सरकार ने, निश्चित रूप से आरोप है वही भू-माफिया, यह राजस्थान की सरकार स्टेट की रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर रही है। रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इनकम जनरेट कर रहे हैं एक तो लोन्स से, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिस्टम, अनाप-शनाप लोन लेंगे जहां लोन चाहिये। आपके उत्तरों में लगातार आ रहा है अधिकांश सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम का पैसा आपके बचता है। उस बात की पुनरावृत्ति करना कोई लाभदायक नहीं होगा, लेकिन सभापति महोदय, आप जानते हैं इस बात को, एक नहीं अनेक सवालों के जवाब में आपने यह एडमिट किया है, क्योंकि सवाल का जवाब तो देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में मनी लैप्स क्यों होती है? क्योंकि आपके पास मैचिंग शेयर नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। मेरे पास फिगर्स हैं कि फरवरी और मार्च में कितना पैसा भारत सरकार से रिलीज होकर आया। आज यह इश्यूज भी रिजोल्व हो जाएगा and you will appreciate the stand taken by the government. यहां पर यह जो भ्रम फैलाया जाता है, यह मैं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपको क्लीयर कर दूंगा। I don't want to interrupt you. Please carry on.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपका आभारी होऊंगा यदि यह भ्रम है। अगर आप कोई तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरे भ्रम को दूर करूंगा लेकिन it should be based on facts. अब देखिये मेरी यह समझ है कि आपके पास मैचिंग शेयर नहीं है इसलिए आप की स्कीम्स कम्प्लीट नहीं हो सकती। हां, नहीं हो सकती। आप करैक्ट कर देंगे, आप करैक्ट करके फिगर देंगे तो मैं मान लूंगा। मेरा यह सुझाव था कि आप उसके लिये लोन लेते तो कोई बात समझ में आती। एक तो यह डीएक्विजिशन वाला किस्सा, तमाम् डीएक्वायर करके ओपन लैण्ड्स को, आज जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्रीजी, पृथ्वीराज नगर और लाल कोठी का कितना पैसा पैदा किया है, वह पैसा स्टेट काफर में नहीं दिया। कहां गया, वह राजस्थान के वित्त मंत्री अधिक समझते हैं। लेकिन पैसा तो पड़ा हुआ है। आप उस कमेटी के मालिक थे, यही नहीं, वित्त मंत्री थे, निर्णय के भी आप मालिक थे। आपने एक तो यह धंधा चला रखा है, चाहे उदयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, स्टेट काफर में नहीं जाता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह कहां जाता है रेवेन्यू?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह कहीं जाता ही होगा। अब मैं फिगर्स की बात करने के बाद...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं, समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : प्लीज कनक्लूड। आज कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, सरकार का रिप्लाई भी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं बोलना चाहता पर मैं आलोचना करने मात्र के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, इसलिए इस टाइप के सुझाव भी नहीं देना चाहता हूं। ये सुझाव मानते हैं क्या? They are very hard skinned people. ये वी जो सोचकर आते हैं, वहीं करते हैं। 153 आदमी हैं वैसे ही नहीं माने, और डैमोक्रेसी में कौन मानता है? प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारीजी कहते हैं कि प्रजातंत्र संख्या का खेल है। यह तो अच्छा है, वित्त मंत्रीजी, आपको किसी को जंच जाए तो आप 153 आदमी मिलकर यह प्रस्ताव पारित कर दो कि सुरेन्द्र व्यास भ्रष्ट है, यह आरोप लगाता है इसलिए भ्रष्ट है। कर दो, आपके क्या दिक्कत है? आपको फैक्ट्स की जरूरत नहीं है? वह अलग बात है मैं सुझाव नहीं देता हूं। सुझाव आप मानने वाले भी नहीं हो। लेकिन मैं इस टैम्पटेशन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

को रोक नहीं पा रहा हूं, कि और कुछ किया नहीं किया लेकिन यह जो मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष है, इसने बड़ी वैल्युएवल सर्विस प्रदेश को दी है इसलिए इसकी मुक्त कठं से मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। सड़कों का भी आपने लिया है। सड़कों से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप देर आये दुरुस्त आये, देर से लिया है, पर सड़कें इण्डस्ट्री ग्रोथ के लिये बहुत जरूरी हैं। मिसिंग लिंक्स का जैसे जिक्र आया तो कुछ है इसके अन्दर, लेकिन एक बात मैं और कहता हूं। मैं मेरे मित्र राजेन्द्र सिंहजी वाली भाषा में नहीं कहता लेकिन जो बी.पी.एल. वाला झगड़ा है, प्रद्युम्न सिंहजी, यह आपको बहुत भारी पड़ेगा। यह जो 300 रुपये मासिक वाले दे रहे हो न, यह पोलिटिकली बड़ा इंकन्वीनिएंट होगा। आप तो समझ रहे हो आपको फायदा होगा इससे। गांव के अन्दर अकाल के अन्दर बी.पी.एल. और ए.पी.एल. और जो स्वर्ण लोग हैं, जो उच्च श्रेणी के लोग हैं–जाट, गुर्जर या जो काश्तकार लोग हैं जिनके पास 100-100 बीघा, 200-200 बीघा जमीन है और जिनके पास ट्रैक्टर है, वे मुझे गांव में मिले और उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं लिखा। मैंने कहा आपका नाम इसलिए नहीं लिखा कि आपके पास ट्रैक्टर है, जमीन है, तो वे कहते हैं ट्रैक्टर को क्या खावें क्या। क्या करें ट्रैक्टर का? मैंने कहा इसको बेच दो, तो वे कहते हैं कि आप बताओ कौन लेने वाला है। कोई भी अकाल के समय में लेने वाला नहीं है। अब आपके बी.पी.एल. की लिस्ट की लगातार इस आधार पर चुनौती देते आ रहे हैं, आलोचना करते आ रहे हैं कि यह बी.जे.पी. के शासन में तैयार की हुई थी। तो फेयर लिस्ट तो आप भी नहीं मानते हैं। आपकी सरकार नहीं मानती इस लिस्ट को फेयर। परिवर्तित परिस्थितियों के अन्दर चूंकि वह लिस्ट आपने रिवाइज नहीं की तो आपने खुद ने ए.पी.एल. लिस्ट बनवायी है, और ए.पी.एल. के जो नार्म्स हैं वे वही के वही हैं जो बी.पी.एल. के हैं। उसके बावजूद भी, वित्त मंत्रीजी, गांवों में कितना असंतोष है। उसमें मैं फिर सरकार का दोष नहीं बताता हूं, सरकार यह हो, चाहे वो हो, कोई भी हो, ग्राम के स्तर पर पटवारी और जो सरकारी कर्मचारी काम करता है, गलतियां भी होती हैं, बेईमानी भी होती है। सभी नहीं करते, कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ अनावश्यक शिकायत भी करते हैं लेकिन उसका हार्ट वर्निंग होता है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है वह एक गहन समस्या है। आप पहले तो निर्णय नहीं कर पाओगे। आप निर्णय करके किसी को सलैक्ट कर भी दोगे तो it is not going to pay you political dividends, Mr. Pradyuman Singh, let me tell you.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

As a friend and as a well-wisher, I can warn you, यह पोलिटिकली भी आपके लिए बड़ा इनकंवीनिएंट होगा। इसलिए इस पर आप विचार कीजिये, ऐसा कोई रचनात्मक काम कीजिये जिस पर पूरा जन–साधारण आपसे प्रभावित हो।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ भी करे लेकिन यह मेरी प्रार्थना और अंतिम मांग है, वित्त मंत्रीजी, इतिहास में बहुत बड़ा कलंक यह सरकार अर्जित करके जाएगी यदि अब के आपने अकाल घोषित नहीं किया। क्योंकि 100 साल के अन्दर आपके खुद के कथनानुसार वास्तविक स्थिति यह है, और भारत सरकार भी इसको मानती है चाहे यहां पोलिटिकली कोई भी बात करे लेकिन भारत सरकार के ये डाकूमेंट भी मेरे पास हैं, समय इतना नहीं है वरनामैं पढ़ कर सुनाता कि राजस्थान की भीषणतम स्थिति है। उस भीषणतम स्थिति में ऐसी क्या आफ़त होने वाली है आपको? आप पर और फाइनेंशल बर्डन बढ़ जाएगा। आप रोक दीजिये सब काम को। आपने आलरेडी मेमोरेण्डम में कहा है, all plan works have been stopped. कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए राजनीति में भी बहुत फायदेमंद होगा। अभी लोगों को पता नहीं है कि आपने अकाल ही घोषित नहीं किया, अभावग्रस्त घोषित कर रखा है इसकी स्टेट्यूटरी पोजीशन। वह भी सरकार नहीं करती थी पहले, यह बात मैं भी मानता हूं, पर कभी इतनी भीषण हुई ही नहीं।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि मेरे सुझाव के ऊपर, प्रतिपक्ष की मांग पर यह सरकार, वित्त मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी यह घोषणा कर दें कि राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित किया जाता है, यह सम्भव नहीं है। यह पोलिटिकल डिसीजन है। ये नहीं कहेंगे, ये तो हमेशा समझेंगे क्रेडिट का मुझे क्या फर्क पड़ता है क्रेडिट और डिसक्रेडिट से, I am a lonely figure लेकिन आप नहीं चाहोगे विपक्ष की मांग पर तो आप मत कीजिये, लेकिन आप इस मांग को अपने दिमाग में रखिये, जब उपयुक्त समय हो आप इस मांग को अपने हिसाब से यह घोषणा कीजिये, राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित कीजिये, यह मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है।

वित्त मंत्रीजी, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वरना मैं आपका गांव में घुसना बन्द कर दूं। यह दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और देश का कि कांग्रेस और बी.जे.पी. के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मेरे पास पार्टी होती तो मैं आपका गांव में घुसना बन्द कर देता। आप इस स्थिति में भी अकाल घोषित नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं लोनली आदमी हूं इसलिए कह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रहा हूं आपको, विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इन परिस्थितियों में, इन जटिल परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में और ऐसे विषम अकाल के अन्दर मेहरबानी करके या तो इस किताब को फेंक दीजिये अभी तो सैशन विधान सभा का चल रहा है, आप रिपील कीजिये फेमिन कोर्ड को। खैर, यह तो प्रशासनिक आदेश से रिपील हो जाएगा। अगर यह स्टेट्यूट बुक पर रहता है तो आप अकाल घोषित कीजिये, वरना आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं चुनाव की और उसकी बात नहीं कहता हूं लेकिन इतिहास के अन्दर एक निश्चित रूप से बहुत बदनामी आप लेकर जाएंगे। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय डा. करण सिंहजी यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : सभापति महोदय, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाले और मानव संसाधन के प्रति समर्पित इस बजट को माननीय विपक्ष के सदस्य अपने चश्मे से देख रहे हैं। वे आम जनता के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, समाज के कमज़ोर आदमी के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस सरकार की लोकप्रियता के बौखलाए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में जनता ने जो व्यवहार किया है उससे प्रताड़ित इनको इस बजट की हर चीज नेगेटिव ही नेगेटिव नजर आती है। आप भूल क्यों रहे हैं, आंकड़ों के मायाजाल इन पुस्तकों से पढ़ कर राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा ये सारी चीजें इकोनोमिक्स के छात्र रहे चूरू से आने वाले माननीय विधायक खुद हर बार यहां सदन में करते रहे हैं। मैंने इनके चार साल के बजट भाषण पढ़े हैं, वही इनकी शुरूआत होती है कि यह बजट दशाहीन है, दिशाहीन है लेकिन, सभापति महोदय, राजस्थान का आम आदमी आकलन करता है कि चार साल में विकास की गंगा यहां बही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, डाक्टर साहब। अपन ने साथ-साथ काम किया था, आप तो भले आदमी थे। आप तो बिलकुल ही बदल गये, डाक्टर साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनका जी जानता है कि आपके साथ कैसे काम करते थे।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, राजस्थान का आम आदमी कैसे भूलेगा उन सड़कों को उन आठ साल तक जिन खुरदरी सड़कों को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो प्रधानमंत्री योजना में बनीं।

डा. करण सिंह यादव : जैसा आप कहते थे कि छाले पड़े हुए थे जिन सड़कों पर, आज उन सड़कों पर सरपट दौड़ता

(डा. करण सिंह यादव)

हुआ राजस्थान का आम आदमी कैसे भूलेगा? राजस्थान का आम आदमी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, उसको कैसे भूल सकता है-चाहे वे राजीव गांधी पाठशालाएं हों, चाहे इन पिछले सालों में दर्जनों की संख्या में क्रमोन्नत होने वाली स्कूलें हों, चाहे शिक्षण संस्थाओं के नाम पर दर्जनों इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, पोलिटैक्निक कालेज हों, जहां आज राजस्थान का पढ़ने वाला छात्र राजस्थान में ही रह कर पढ़ सकता है। उस बात को राजस्थान का आम आदमी भूल नहीं सकता।

इन कठिन परिस्थितियों में जिनकी हम चर्चा करते हैं चार साल से-अभावग्रस्त, अकालग्रस्त, उसके बावजूद राजस्थान के अन्दर वित्तीय प्रबन्धन जिस जिम्मेदारी से इस सरकार ने निभाया और जो विकास के काम किये, उसी कड़ी में यह बजट है और मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी बजटीय घोषणाओं के लिए। यह कमजोर शब्द, निःशक्त शब्द, पिछड़ा शब्द, दलित और एस.सी., एस.टी. शब्द, सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के डिक्शनरी में नहीं है। अभी जिक्र कर रहे थे कर्मचारियों का कि हमने पांचवां वित्त आयोग लागू करके कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। कर्मचारी आपसे खुश नहीं थे, इन्हीं कर्मचारियों ने आपको 33 के अन्दर समेट कर रख दिया। आज कर्मचारियों के लिए ठोस बात हम लेकर आये हैं। आम कर्मचारी का बेटा जब बारहवीं पास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ने की सोचता है तो कर्मचारी के मन में धुकड़-फुकड़ रहती है कि कहां से उसकी फीस लाएगा, कैसे उसको पढ़ाएगा। माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी कल्याण कोष पैदा कर कर्मचारियों को इस बात का संदेश दिया है कि राजस्थान की यह सरकार कर्मचारियों का हित देखने वाली सरकार है और इसका फायदा आपको आज भी मिलेगा और आने वाले समय में भी मिलेगा।

सभापति महोदय, महिला आरक्षण में से 5 प्रतिशत विधवाओं के लिए आरक्षण देकर आपने समाज की उस वंचित महिला के प्रति अपना सम्मान दर्शाया है जिसके प्रति हमारा सामाजिक दायित्व है। उन महिलाओं को आगे लाने के लिए यह संदेश दूर-दूर तक जा रहा है कि राजस्थान की यह लोक कल्याणकारी सरकार आज इस वंचित वर्ग के प्रति पूरी तरह से लगनशील है।

माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों की अतिरिक्त सुविधा हेतु सौ छात्रावासों की जन सहयोग से निर्माण की घोषणा की है उसको मैं बहुत दूरगामी परिणाम देने वाली बात समझता

(डा. करण सिंह यादव)

हूं। आज जगह-जगह छात्रावासों की कमी है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर निजी क्षेत्र में चलने वाली, सरकार क्षेत्र में चलने वाली कालेजों की भारी संख्या को देखता हूं, पर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि पास में छात्रावासों की सुविधा नहीं है। आपने जो यह घोषणा इस बजट में की है छात्रावासों के उन्नयन के लिए, यह बहुत दूरगामी परिणाम देगी।

सभापति महोदय, डाक्टरी पेशे से जुड़ा होने के नाते मैं पेंशनर्स की समस्या से पूरी तरह से वाकिफ हूं, आपने इस बार के बजट में पांच करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करके पेंशनर्स के लिए जो राशि आबंटित की है उसका सभी पेंशनर्स में भारी स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर, माननीय वित्त मंत्री महोदय, मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। आम तौर पर वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों पर बहुत खर्चा आता है-खास तौर पर हृदय रोग की बीमारियों में, बाईपास आपरेशंस में, वाल्व बदलने के आपरेशन में, गुर्दा प्रत्यारोपण में, एंजियोग्राफी में और एंजियोप्लास्टी में। इसी कारण से आपको बजट में विशेष प्रावधान करना पड़ा। आज राजस्थान के जो मेडिकल कालेज और हास्पिटल्स हैं उनके अन्दर बहुत उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध है। आपने गरीबी रेखा के नीचे चयनित परिवारों को आपरेशन की निःशुल्क सेवा जीवन रक्षा कोष के माध्यम से आपरेशन की दी है तब से इन अस्पतालों पर भारी दबाव है। आज भारी संख्या में अपना जीवन रक्षा कार्ड लिए हुए रोगी आते हैं और अस्पताल में इस सरकार के मजबूत इरादे की वजह से अपना इलाज करवा जाते हैं। इस वजह से आज सवाई मानसिंह अस्पताल के इन विभागों पर भारी दवाब है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सेवारत राज्य कर्मचारी यदि अपना आपरेशन जयपुर के अन्य निजी चिकित्सालय में करवाना चाहे, आपको जानकारी है, सभापति महोदय, सन्तोकबा दुर्लभजी अस्पताल में हृदय रोग के काफी आपरेशन बहुत सालों से हो रहे हैं, यहां टोंग्या हार्ट एण्ड जनरल अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को उन अस्पतालों में आपरेशन करवाने की सुविधा दें इस शर्त के साथ में, मैं कतई नहीं चाहूंगा कि प्राइवेट सुविधा देकर राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़े। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक्सपेंडीचर आज सवाई मानसिंह अस्पताल में बाईपास सर्जरी में आता है, जो वाल्व बदलने में एस.एम.एस. अस्पताल में आता है आप उतना एक्सपेंडीचर रिएम्बर्स कर दीजिए। आज यह सुविधा आप दे रहे हैं, सरकार देती है। मरीज यदि आल इण्डिया इंस्टीट्यूट में जावे या

(डा. करण सिंह यादव)

मरीज एस्कार्ट अस्पताल में जावे, बाम्बे हास्पिटल में जावे, सी.एम.सी., बैंगलोर में जावे, उसको पूववर्ती सरकार तो खैरात बांटती थी, पूरा का पूरा खर्च उनको दे देती थी लेकिन वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि एस.एम.एस. अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध है तो हम राज्य का पैसा फालतू क्यों खर्च करें। इसलिए यह निर्णय लिया गया। फिर भी कोई आदमी अपनी चिकित्सा के लिए अपनी सुविधा के लिए जाना चाहता है तो वह उतना खर्चा रिएम्बर्स कर दे जितना एस.एम.एस. अस्पताल में खर्चा आता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टर होने के नाते, मुझे बहुत सारे पेंशनर्स और कर्मचारी मिलते हैं जो इन प्राइवेट अस्पतालों की सुविधा इस शर्त पर लेना चाहते हैं कि सिर्फ जितना राज्य में पैसा मिले उतना पैसा रिएम्बर्स कर दिया जाए। उससे हमें दो लाभ होंगे, एक तो यहां पर जो निजी क्षेत्र में चलने वाले अस्पताल हैं, आज लोग भागकर दिल्ली जाते हैं, एस्कार्ट जाते हैं, बत्रा जाते हैं, बाम्बे जाते हैं, उनका भागना कम हो जाएगा। और दूसरा, एस.एम.एस. अस्पताल और सरकारी अस्पतालों पर जितना दबाव है, आज शिकायत यह रहती है कि बी.पी.एल. वाले मरीज को, गरीब आदमी को इन्तजार करना पड़ता है। जब मैं सवाई मानसिंह अस्पताल छोड़कर आया था तो तीन सौ ओपन हार्ट आपरेशन हुआ करते थे। इन चार सालों में दुगने आपरेशंस चालू करने के बावजूद आज डाक्टर्स के ऊपर यह दबाव है कि बहुत सारे लोगों को इन्तजार करना पड़ता है। आप अगर इस वर्ग को छूट दे देते हैं तो सरकारी अस्पतालों की सुविधा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो आर्थिक दृष्टि से वंचित हैं, बी.पी.एल. लोग हैं उनको बेहतर और जल्दी मिल सकेगी। यह विचार मैं माननीय वित्त मंत्रीजी के विचारार्थ रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर एक और बहुत अच्छी घोषणा हुई है कि पांच साल तक सरकारी कर्मचारी को अवैतनिक साधारण अवकाश दे दिया जाएगा और उसकी सीनियरिटी मेंटेन रहेगी। सभापति महोदय, इसमें चिकित्सकों को छोड़ दिया गया, शिक्षकों को छोड़ दिया गया। पुलिस वाली बात तो समझ में आती है लेकिन चिकित्सक समाज का ऐसा वर्ग है जो पांच साल की छुट्टी लेकर अपना कारोबार चालू कर सकता है। पांच साल की या दो साल की छुट्टी लेकर देश-विदेश में जाकर काम कर सकता है, वहां प्रशिक्षण ले सकता है। पूर्व में हमारे चिकित्सक मिडल-ईस्ट के कंट्रीज में जाकर अपनी सेवाएं देते थे। डैपुटेशन पर जाते थे और बाद में आकर राज्य सरकार की सेवा कर लेते थे। मुझे इसमें कोई विसंगति दिखाई नहीं दे रही, मैं समझता हूं क्यों नहीं हम अपने चिकित्सकों को भी बाहर जाने की सुविधा

(डा. करण सिंह यादव)

दें। आज ऐसी बात नहीं है कि ट्रेण्ड मैन पावर की कोई कमी है। आप विषय के डाक्टर हृदय रोग के शल्य चिकित्सक चाहे तो राजस्थान में आधा दर्जन ऐसे बैठे हुए हैं जो कल लैक्चरर के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं। आज अगर एस.एम.एस. अस्पताल का डाक्टर विदेश दो साल के लिए जाना चाहे तो उसको छुट्टी पर क्यों नहीं जाने दिया जाए? आप किसी भी स्पेशलिटी का नाम ले लीजिए। राजस्थान में एक बात जरूर काबिले तारीफ है कि यहां हर तरह का मानव संसाधन उपलब्ध है। चिकित्सकीय क्षेत्र में आप जिस विषय के डाक्टर की बात करेंगे वह आपकी जगह भरने के लिए कांट्रैक्चुअल नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए यह जो सुविधा पांच साल के लिए अन्य कर्मचारियों को दी गयी है, मेरा यह सुझाव है कि यह सुविधा चिकित्सकों को, चिकित्सक शिक्षकों को और नर्सिंग कर्मियों को भी दी जाए। यहां जो बेरोजगार बैठे हैं उनको उनकी एवज में काम करने का मौका मिलेगा और जो विदेश जाकर काम करेंगे वे धन भी कमाएंगे और ज्ञान भी कमाएंगे हो सकता है, उनमें अपना खुद का कांफीडेंस आएगा तो वे अपना खुद का काम करेंगे। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सुविधा चिकित्सकों को भी दी जाए।

सभापति महोदय, आने वाले बजट में जो योजना का आकार रखा गया है उसमें बहुत अच्छी राशि सामाजिक सेवाओं के लिए आबंटित की गयी है, विद्युत क्षेत्र के लिए आबंटित की गयी है। आज विपक्ष के भाइयों के पास में कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज राजस्थान में विद्युत में कहीं भी, माननीय सुरेन्द्रजी व्यास कह रहे थे, अकाल पर चर्चा हो रही थी उसमें भी बिजली के बारे में कोई बात नहीं हुई। आज राजस्थान के किसान को छह घंटे बिज़ली की सप्लाई अनइन्टरप्टेड मिलती है और यही कारण है कि लोग संतुष्ट है, जिनको जहां बिजली की आवश्यकता है। इस बार जो बजट के अन्दर प्रावधान किये गये हैं भारी संख्या में 220 के, 400 के और 132, 133 के.वी. के सब-स्टेशंस का प्रस्ताव किया गया है, मैं समझता हूं राजस्थान को विद्युत की दिशा में और आगे लेकर जाएंगे। यह बात सदन में बार-बार दोहराई जा रही है और माननीय सदस्यों को सबको मालूम है कि किस तरह से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन राज्य सरकार ने चार सालों में करके राजस्थान को विद्युत में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है, आने वाले सालों में मैं समझता हूं इस दिशा में और प्रगति होगी।

सभापति महोदय, यहां पर वित्त मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं लेकिन वरिष्ठ उप मुख्य मंत्री महोदया यहां पर विराजमान

(डा. करण सिंह यादव)

हैं। लोग कहते हैं कि यह लोक लुभावना बजट है, चुनावी बजट है, मैं तो यह प्रार्थना करूंगा वित्त मंत्रीजी से कि इसको चुनावी बजट बनाएं। चुनावी बजट बनेगा तब आप अपनी घोषणा के मुताबिक दस हजार या पन्द्रह हजार या बीस हजार पैरा टीचर्स को रैगुलर नियुक्ति दें जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब जवाब दे तब इस बात का उसमें समावेश करें जिससे कि राजस्थान के युवाओं के अन्दर एक सन्देश जाए कि उनको राज्य सरकार में नियुक्तियां मिलेगी। मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां राज्य सरकार कांट्रेक्ट पर काम करने वाले इन पैराटीचर्स को रैगुलर करने की बात सोच रही वहीं नर्सिंग सेवा में भी पिछले चार साल से प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी हैं जो हजारों की तादाद में है। इस साल भी नये पद सृजित किये गये हैं जिनके लिए इंटरव्यूज होने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी क्रम में पुराने जो नर्सिंग कर्मी हैं, जो कांट्रेक्ट पर लगे हुए हैं, उनकी सेवा शर्तों को ध्यान में रखते हुए उनको भी राज्य सेवा में कंफर्म करके रैगुलर ग्रेड अपाइंटमैंट दिया जाए। इसी तरह से कांट्रेक्ट पर काम करने वाले डाक्टरों को रैगुलर नियुक्ति दी जाए।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में निश्चित रूप से नये अस्पताल–प्राइमरी हैल्थ सेंटर, सब सेंटर, पशु चिकित्सा केन्द्र जरूर खुलवाने का प्रयास करें क्योंकि आज राजस्थान में सब प्रयासों के बावजूद अस्पतालों की पशु केन्द्रों की भारी कमी है। आज पशुधन की देखभाल की मैं समझता हूं कि मानव धन से भी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें आने से ही यह लोक लुभावना या चुनावी बजट होगा, वरना चुनावी बजट हम कैसे कहते हैं इसको? मैं तो समझता हूं कि यह बहुत संतुलित और गम्भीर बजट है जिसके अन्दर प्रदेश की जरूरत को देखते हुए बहुत संयम बरता गया है। मानव संसाधन जुटाकर अस्पताल, स्कूल और पशु केन्द्र का प्रावधान इस बजट में किया जाए।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि एम.एल.ए. लैड की राशि जो साठ लाख रुपये है, उसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाए। सभापति महोदय, यह सारा पैसा हम गांव वालों की मांग पर वहां जाकर खर्च करते हैं, और अकाल की अगर स्थितियां हैं तो हम इस सारे पैसे को अकाल में ही खर्च करेंगे, उसी सामग्री के लिए खर्च करेंगे। बहुत सारी ऐसी जरूरते हैं जिनको अन्य स्कीमों के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जिन्होंने इस बजट को रखा है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं आम सदस्यों की भावना से कि दिल्ली और आसपास के

(डा. करण सिंह यादव)

अनेकों राज्यों के अन्दर एक करोड़ और उससे भी अधिक एम.एल.ए. लैड की राशि है, इसलिए हमारे यहां भी इसको बढ़ाया जाए तभी यह बजट हमारी जरूरतों को पूरा कर पाएगा।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जहां भवन रहित स्कूल बनाने का प्रावधान किया गया है, भवनों के रख-रखाव का प्रावधान किया गया है, फर्नीचर का प्रावधान किया गया है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रख-रखाव का प्रावधान किया गया है, पुस्तकालयों का प्रावधान किया गया है, मेरा यह मानना है कि इन सब प्रावधानों से ज्यादा जरूरत है नये स्कूल खोलने की। हम कम टीचर से भी पढ़ा सकते हैं। हमारा अध्यापक वर्ग अपनी मेहनत से काम करता है। सरकार ने गैस्ट फैकल्टी की एक योजना बना रखी है जिससे गांव के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दे करके स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूलें जरूर खोलें, यह मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्रीजी को जिन्होंने बहुत अच्छी सोच का परिचय दिया है। आपने एस.एम.एस. अस्पताल में कोरोनरी केयर यूनिट और न्यूरो सर्जरी यूनिट के लिए अच्छे प्रावधान किये हैं जिसकी बड़ी भारी जरूरत है। आप सदैव कहते रहते हैं कि न्यूरो सर्ज़री वार्ड में चलने की जगह नहीं है, वहां अतिरिक्त वार्ड की जरूरत है। नई बिल्डिंग बन रही है उस पर एक्स्ट्रा फ्लोर बनेगा। हृदय रोगों के लिए आई.सी.सी.यू. बन रही है। जोधपुर के अन्दर नई कार्डियक केथेटराइजेशन लैब और नया सी.टी.सर्जरी, कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमैंट खुल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हृदय रोग डब्ल्यू. एच.ओ. की फाइंडिंग है कि एपिडेमिक हो गया। हर परिवार के अन्दर हृदय रोगी मिलेगा। हाइपर टेंशन, डायबिटीज और स्ट्रोक ये सारी की सारी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां है। इसलिए हार्ट डिजीजेन के लिए जो बीकानेर में और जोधपुर में नये कार्डियक सर्जरी डिपार्टमैंट खोले जा रहे हैं, नया प्रावधान किया जा रहा है, मैं सोचता हूं कि यह माननीय वित्त मंत्री महोदय की दूरगामी सोच का परिणाम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जितना अधिक इंवेस्टमेंट किया जा सके उतना ही लाभदायक होगा।

इसके अलावा सामुदायिक केन्द्रों के अन्दर एक्स-रे मशीन, कैलोरी मीटर्स और अन्य उपकरणों के लिए जो प्रावधान किया गया है वह सदैव स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, मैं यहां एक और विचार आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का भी

(डा. करण सिंह यादव)

मूल्यांकन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी हैल्थ सेंटर है जहां दो-दो यूनिट्स काम कर रही हैं। प्राइमरी हैल्थ सेंटर भी काम कर रहा है, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र भी काम कर रहा है। जहां दो डाक्टर हैं और दोहरी चिकित्सा व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि उनमें से एक चिकित्सा व्यवस्था को हटाकर पड़ोस के किसी दूसरे गांव में जहां जरूरत हो, अगर हम वहां ले जाएं तो राजस्थान के 232 जो ब्लाक पी.एच.सी. हैं, जहां पर दो-दो डाक्टर हैं, उनको बाइफरकेट करने से हम 232 नये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बिना किसी आर्थिक भार के कर सकते है। इसके बहुत सारे ऐसे सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र हैं जो आपरेशनल नहीं हैं। जहां पर सर्जन हैं, गाइकोनोलोजिस्ट है, फिजिशियन हैं लेकिन वहां बेहोशी का डाक्टर नहीं है तो वे अपना काम ढंग से नहीं कर पाते और वहां हाथ पर हाथ धरे डाक्टर बैठे रहते हैं। इसलिए हर केन्द्र का मूल्यांकन हो और जिस तरह का समानीकरण शिक्षा विभाग में किया गया, वैसा ही जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस तरह से री-डिप्लाय करे अपने रिसोर्सेज को ताकि हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था दे सकें। मेरा यह मानना है कि इन परिस्थितियों के अन्दर यह बहुत संतुलित बजट है और जो कुछ सुझाव मैंने स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिए, नये चिकित्सा भवन खोलने के लिए दिए हैं उनके ऊपर माननीय वित्त मंत्रीजी ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट...

श्री सभापति : आपने एम.एल.ए. लैड बढ़ाने की बात भी कही है।

डा. करण सिंह यादव : पिछली बार एम.एल.ए. लैड आदरणीय नवल किशोर जी शर्मा साहब के नेतृत्व में बढ़ा, अब मैं दुबारा से, बाउजी, आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री सभापति : अभी बाउजी आ गये इसीलिए मैंने कहा कि आप रिपीट करो।

डा. करण सिंह यादव : यह सारा पैसा हम सब आप जानते हैं कि गांव वालों की मांग पर खर्च करते हैं। सारा अकाल में खर्च करते हैं, गांव के विकास में खर्च करेंगे। बाउजी, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके...

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जिम्मा ही ले लो ना। आज तक, माननीय नवल किशोरजी, आप जिस बात से सहमत हुए हैं आपकी वह शख्यित है कि आप सरकार से वह मनवा सकते हो। पूरे सदन ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है, आपका विराट व्यक्तित्व है, अदने से मुख्य मंत्रीजी को जरा दूसरी भाषा में आंख दिखाकर कह दोगे तो हो जाएगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : आपका और मेरा सबका एक ही स्तर है, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो यह कह दो कि आप निर्देश दोगे मुख्य मंत्रीजी को। वित्त मंत्रीजी को भी आप...

श्री नवल किशोर शर्मा : निर्देश तो मेरी देने की हैसियत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जन नेता हैं।

श्री सभापति : आप मांग कर रहे हैं क्या खुद भी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मांग कर रहा हूं।

श्री सभापति : ठीक है। श्रीमती मधु दाधीच।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावना 2003-2004 का तहेदिल से हम स्वागत करते हैं। पूरे राजस्थान के अन्दर, राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों के अन्दर और देश के अन्दर इस प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद विकासोन्मुख बजट प्रावधान किया गया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस बजट से पूर्व भी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व के अन्दर वित्त मंत्री जी ने जो भी बजट प्रस्तुत किये, उसके अन्दर पूरे राजस्थान को तेज गति से विकास की ओर ले जाने के लिए प्रयास किये गये हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जब से नेतृत्व सम्भाला, इसका हर सदस्य ने अपने भाषण के अन्दर इशारा किया। हमारे सामने लगभग चौबीस हजार करोड़ रुपये का कर्जा था, अकाल था, फिर भी सामूहिक लक्ष्य था कि जिस प्रकार से हम राजस्थान को

(15.00 बजे)

विकास की गति प्रदान कर सके। जो डेफिसिट है उसके ऊपर यहां काफी चर्चाएं हो चुकी हैं कि-किन परिस्थितियों में कर्ज की धारा के अन्दर 1996 के पूर्व प्रवेश किया गया। जो देनदारियां होती हैं उनमें प्रवेश करना आसान होता है, निकलना मुश्किल काम है। आर्थिक समीक्षकों के विचार हैं कि जो विकासशील राज्य, राष्ट्र हैं, उनको कर्जा लेना आवश्यक होता है उस क्षेत्र के समुचित विकास के लिये।

1998 के पूर्व जो कर्जा लिया गया, किस प्रकार की परिस्थितियों के अन्दर लिया, किस हित के लिये लिया, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। ऋण लेने का एक निश्चित सिद्धांत है कि कर्ज लिया जाता है विकास के लिये। वर्तमान राजस्थान सरकार ने जो कर्ज लिये, वे विकास के लिये और उसको हम स्वागत करते हैं। विकास किस प्रकार तेज गति से हो, इस रूप में हमारी परिस्थिति, स्थिति आपके सामने है।

अकाल के ऊपर यहां बहुत ज्यादा

(श्रीमती मधु दाधीच)

चर्चा हो चुकी है। जब से सरकार बनी, हमारे सामने अकाल की स्थिति आयी। वर्तमान समय एक भीषण अकाल का समय कहा जा सकता है कि पूरी शताब्दी के अन्दर न तो ऐसा अकाल लोगों ने देखा, न सुना और न समझा। उस अकाल का मुकाबला करने में मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, मुख्य मंत्रीजी को भी हम बधाई देंगे कि आपने अपनी बजट प्रस्तावना में संकल्प प्रतिपादित किया। जब आपका बजट भाषण प्रारम्भ होता है उसमें भी आपने संकल्प प्रतिपादित किया है कि केन्द्र सरकार से अपेक्षित नकद राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भी हम अपने बलबूते पर संसाधनों की व्यवस्था करेंगे, चाहे इसके लिये अन्य खर्चों में हमें कटौती करना पड़े। यह साफ इंगित करता है कि राजस्थान सरकार अकाल पीड़ित जनता के लिये, असहाय लोगों के लिये संकल्पबद्ध है और उसके अन्दर सम्पूर्ण रूप से तैयारी किये हुए है कि उन लोगों तक हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे। पूर्व में भी अकाल को हमने विकास से जोड़ा, वह आंकड़ों के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। वास्तव में जो अभी अकाल के साधन प्राप्त हुए, गत वर्ष में राजस्थान सरकार की क्योंकि घोषणा थी कि हम अकाल को विकास के अन्दर बदलेंगे, तो चाहे नाबार्ड से हमें कर्जा लेना पड़ा लेकिन इस प्रकार की सम्पत्तियां सृजित करके सम्पूर्ण राज्य को प्रदान की गयीं कि वे स्थायी सम्पत्तियां बन सके। अकाल कई बार इस राज्य में पड़े, पर उनको राहत कार्यों के रूप में लेकर ही उसका मुकाबला किया गया और अवशेष के रूप में राजस्थान को किसी प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई। जब से हम सत्ता में आए हैं, एक संकल्प था हालांकि सामने भीषण अकाल था, लोगों को रोजगार प्रदान करना, राहत प्रदान करना, पानी मुहैया करना, बिजली प्रदान करना, और साथ ही राहत कार्यों में जो सरकार का पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपया, अन्त में उसके अवशेष प्राप्त हों, स्थायी सम्पत्तियां प्राप्त हों जिससे लोगों को यह महसूस हो सके कि राजस्थान ने किस प्रकार से अकाल का मुकाबला करने के साथ–साथ यहां पर सम्पत्तियों का सृजन किया। इसी रूप में नाबार्ड से कर्जा लेकर और अन्य साधनों से भी हमने कई एनीकट्स बनवाए, आंगनबाड़ी के भवन बनाये, राजीव गांधी पाठशालाओं के भवन बनाये, तालाब बनाये चैक डैम्स बनाये, पाठशालाओं के कमरों के निर्माण किये और पूरे देश के अन्दर एक संदेश दिया। अकाल को विकास के रूप में बदलने की प्रशंसा योजना आयोग ने की, समीपवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने की। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री जब राजस्थान

(श्रीमती मधु दाधीच)

पधारे तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे प्रान्तों में भी जो राहत कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे, हम मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी के सिद्धान्त अकाल को विकास के रूप में बदलने का अनुसरण करेंगे। यह बहुत बड़ा योगदान दिया है। दूसरे प्रान्तों में जो हमने संदेश दिया, इस सदन के अन्दर निश्चित ही उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि किस प्रकार से राजस्थान सरकार अकाल का मुक़ाबला कर रही है। आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था संघीय सरकार करती थी। नवें वित्त आयोग के अन्दर केन्द्र सरकार 75 परसेंट हिस्सा देती थी और 25 परसेंट हिस्सा राज्य को देना होता था। ग्यारहवें वित्त आयोग में राष्ट्रीय आकस्मिक निधि की स्थापना की। दल भेजे जाते हैं, रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं और उसके आधार पर केन्द्र सरकार का पूर्ण उत्तरदायित्व बन जाता है कि उस प्रान्त के राहत कार्यों के अन्दर अपने आपको शामिल करे। यहां की कमेटी की रिपोर्ट्स सरकार का प्रतिवेदन, उसके बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई तक कितनी राशि दे रही है उसकी अभी तक घोषणा नहीं होना निश्चित ही तकलीफदेह है। यह अकाल पूरे राजस्थान की जनता के लिये है, मूक पशु को बचाने के लिये, उसको राहत प्रदान करने के लिये है। यह बहुत बड़ा यज्ञ है कि हम किस प्रकार से मनुष्य की रक्षा करेंगे, पशु की रक्षा करेंगे और लोगों के बीच में पानी पहुंचा सकेंगे।

हमारी सरकार ने पूर्व में संकल्पबद्ध तरीके से ट्रेन के द्वारा पानी पहुंचाया और कहीं पर भी पानी की समस्या न आने पाए शहरी जल योजना के रूप में, ग्रामीण जल योजना के रूप में, अन्य संसाधनों में व्यवस्था की, वह आंकड़ों में आपके सामने स्थित है।

जब बजट आपके सामने प्रस्तुत किया गया तो आप यहां देख रहे थे कि कुछ आवाज गंदे तरीके से लोगों ने यहां उपस्थित की। लेकिन बजट प्रावधान के पूर्व 16 फरवरी को ही मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और उसके अन्दर उन्होंने बिजली के लिये एक बहुत बड़ी घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बिजली की आपूर्ति के लिये सम्बन्धित विभाग को उन्होंने दिशा-निर्देश दिये कि सायंकाल 6 से 10 बजे तक चार घंटे निश्चित बिजली की आपूर्ति की जाए। विशेष श्रेणी तथा शहरों की पैराफेरी के कृषि कनेक्शनों से न्यूनतम चार्जेज के स्थान पर वास्तविक मीटर रीडिंग के रूप में राशि लेने के दिशा-निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने यह भी अपना मानस उनके सामने स्पष्ट किया कि जो अंतर आएगा वह सभी वितरण निगमों को राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण कर दिया जाएगा। बिजली के ट्रांसफार्मर्स तीन दिवस में बदले जाने का

(श्रीमती मधु दाधीच)

भी उन्होंने आदेश दिया। सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो भी ट्यूबवैल लगाये जाते हैं, उनके आवेदन आते ही तुरन्त कनेक्शन कर दिये जाएं। बजट आने के पहले इस प्रकार से उन्होंने बिजली के लिये तत्परता दिखायी।

5406 आवेदक जिनकी डिमांड राशि जमा हो चुकी हो, उन्हें मार्च, 2003 तक कनेक्शन दे दिये जाएंगे। 5496 विशेष श्रेणी के आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे, 16 फरवरी को मीटिंग लेकर आदेश जारी किये तो बिजली की व्यवस्था करने के लिए सरकार वचनबद्ध है।

जब हम सत्ता के अन्दर आये, राजस्थान के अन्दर सड़कों की क्या हालत थी? ग्रेवल रोड्स के माध्यम से, मिसिंग लिंक रोड्स के माध्यम से और हाइवे रोड्स के माध्यम से जो सड़कों का एक जाल बिछाया है वह सभी के सामने है। सड़कों का तेजी से विस्तार हुआ है। लोग कहते हैं कि ऐसी सड़कें देखी नहीं, ऐसी सुन्दर सड़कें वहां पर बनी हैं। गांव पंचायत मुख्यालय से जोड़ दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो सड़कें हैं उनका स्वयं ग्रामीण लोग ही आकलन करते हैं।

सिंचाई सुविधाओं के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, हम यह कहेंगे कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार वर्तमान सरकार ने किया है। लघु सिंचाई योजनाओं, मध्यम सिंचाई योजनाओं और वृहत् सिंचाई योजनाओं के रूप में प्रारम्भ से प्रयास किये गये हैं। मेरे क्षेत्र में एक घाटा क्षेत्र है, 50 वर्षों से वहां पर लोगों का ध्यान नहीं गया था, वहां पर दो लघु सिंचाई योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने प्रदान करके वास्तव में लोगों का जीवन उद्धार किया है। इसी प्रकार से पूरे राजस्थान के अन्दर 417.46 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है। निश्चित रूप से सिंचाई ग्रामीण काश्तकारों के जन-जीवन की एक आत्मा होती है। काश्तकार को किस प्रकार से हम जल उपलब्ध करा पाएं पृथ्वी के अन्दर सीमित जल है, किस प्रकार से हम जल स्तर बढ़ा सके-उसके लिये हमें निश्चित रूप से लघु सिंचाई योजनाओं, मध्यम सिंचाई योजनाओं, वृहत सिंचाई योजनाओं के लिए जाना होगा और इसके लिये हमने जो 417 करोड़ 46 लाख रुपये का प्रावधान किया है यह स्वागत योग्य है। जब तक राजस्थान में जल स्तर नहीं बढ़ता है, हम जगह जगह जल को रोक कर काश्तकार को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तब तक काश्तकार का हित नहीं होता है। इस ओर हमारी सरकार ने प्रारम्भ से ही प्रतिवर्ष सिंचाई के लिए संसाधन उपलब्ध कराये और अकाल के अन्दर भी सबसे पहले कार्य हमने सिंचाई के ही हाथ में लिये।

(श्रीमती मधु दाधीच)

तालाब गहरे कराना उनका पुनरोद्धार कराना, एनीकट बनाना-अकाल के अन्दर भी सिंचाई के जो हमने कार्यक्रम हाथ में लिये उसके दूरगामी परिणाम हमने देखे हैं कि किस प्रकार से हम काश्तकार का आज ही नहीं वर्षों तक हित साधन कर सकते हैं। इसके अन्दर हम देखते हैं कि जितनी बड़ी योजनाएं हैं, इन्दिरा गांधी नहर योजना है, बीसलपुर योजना है, रतनपुरा वितरिका है, छाबी परियोजना है, माही परियोजना है, गंग नहर योजना है, और साथ ही जो आधुनिकीरण के लिए हमने जो वर्ल्ड बैंक से सहयोग लिया, बड़े-बड़े डैम्स हैं, हमारे जिले के अन्दर भी जिस प्रकार से गम्भीरी डैम है, उसकी नहरें हैं, हमने किसानों को उसके अन्दर शामिल किया है, उनकी कमेटी बनायी और जो जल संसाधन हैं उन्हें प्रदान करके, उनका पुनरोद्धार करके, उसके साथ में उनकी सहभागिता निश्चित करके क्षेत्र के अन्दर हमने काम किया। यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय योगदान है। सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर अपना रूझान पूववर्ती वर्षों और वर्तमान बजट के परिप्रेक्ष में भी प्रस्तुत किया।

पूर्ववर्ती वर्षों के अन्दर कितनी स्कूलें क्रमोन्नत की गयीं? हमारे यहां राजस्थान के अन्दर जो महती आवश्यकता थी वह यह थी कि किस प्रकार से हम तकनीकी शिक्षा के अन्दर अपना योगदान दे सके। इंजीनियरिंग कालेजेज, मेडिकल कालेजेज, डेंटल कालेजेज, और जैसा कि आज मुख्य मंत्रीजी आयुर्वेद विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो राजस्थान को हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही सरकार ने अपना कामकाज सम्भाला, यह संकल्प स्थापित किया कि किस प्रकार से हम राजस्थान को शिक्षा के अन्दर अग्रणी राज्य स्थापित करे। इसी संकल्प के अन्दर हम लोगों ने केवल प्राथमिक, माध्यमिक की शिक्षा के रूप में ही नहीं वरन तकनीकी शिक्षा के अन्दर जो प्रगति की है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। कम्प्यूटर शिक्षा में आज हर पंचायत समिति में नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं के जो बच्चे हैं उनको कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का संकल्प है ताकि आने वाली पीढ़ी कम्प्यूटर शिक्षा के अन्दर स्थापित हो। उसके लिए एक प्रयास किया गया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जितने हमारे यहां पर स्कूल क्रमोन्नत हुए, ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी ढाणियों और मजरों के अन्दर राजीव गांधी पाठशालाएं हैं जो बिलकुल पिछड़े हुए इलाके थे। जिसके अन्दर लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहां पर भी शिक्षा इनके द्वार पर आ पाएगी। शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चलाकर शिक्षा को दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के अन्दर पहुंचा कर

(श्रीमती मधु दाधीच)

सबको शिक्षा के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया गया है वह सराहनीय है।

चिकित्सा क्षेत्र में जो वर्तमान बजट प्रस्ताव है उसमें तकनीकी क्षेत्र में सवाई मानसिंह हास्पिटल के अन्दर, जोधपुर के अन्दर, हर क्षेत्र के अन्दर जो आपने यहां पर प्रावधान रखा है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। गैस्ट्रो–एंट्रोलोजी, कार्डियक-थौरेसिक सर्जरी, कैथ–लैब सम्बन्धी उपकरणों के लिए जैसा आपने प्रस्ताव रखा, रूझान रखा, रोगी वाहन के लिए रखा, साथ ही हम यह चाहेंगे कि दूरस्थ स्थानों पर ए.एन.एम. सैंटर्स की जहां मांग है उनका भी तुरन्त आप प्रावधान रखें ताकि ग्रामीण अंचलों के अन्दर भी चिकित्सा पहुंच सके। आपने जो पंचायतों को अधिकार दिये, पंचायत समितियों को अधिकार दिये कि आवश्यकता पड़ने पर आप चिकित्सकों की व्यवस्था कर सकेंगे, वह स्वागत योग्य है। चिकित्सा क्षेत्र में आपकी इच्छा इससे साबित होती है, आप इस बजट के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में दूरस्थ अंचलों में भी पहुंचाना चाहते हैं साथ ही हम चाहेंगे कि वर्तमान में ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां जहां मांग है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां पर भी चिकित्सकों की कमी है, उसको पूरा करके अपने संकल्प को हम पूरा करें।

सबसे बड़ी बात यह है कि निःशक्त समाज का एक ऐसा अंग है जिसके लिए हमें निश्चित रूप से पहले सोचना चाहिए था। पूर्ववर्ती वर्षों में ऐसे समाज की मांग को हमेशा भुला दिया गया था, अशोक गहलोतजी के नेतृत्व वाली सरकार ने, निःशक्तजनों के कल्याण के कार्यक्रम हाथ में लिये। जो विकलांग युगल हैं उनके विवाह कराने के रूप में, उनके आवासीय छात्रावासों के निर्माण के रूप में, वंचित विद्यार्थी वर्ग जो है उसकी क्षमता 120 से 300 बढ़ाकर उन्हें राशि उपलब्ध कराकर अपने निःशक्तजनों में सम्पूर्ण सरकार की जो उपस्थिति दर्ज करायी है उसका बहुत–बहुत स्वागत होना चाहिए। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये, हमारी सरकार ने महिला आयोग का गठन किया, महिला रिसोर्ट सेंटर बनाये, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया और विधवा महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया। गभर्वती महिलाओं के लिए जो पूरक पोषाहार कार्यक्रम का इस बजट प्रस्ताव के अन्दर प्रावधान किया उसका हम विशेष धन्यवाद करते हैं।

साथ ही मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के लिए सम्पूर्ण राजस्थान के बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति निश्चित रूप से आपके आभारी हैं। वास्तव में वह सोच भी नहीं सकता था कि गरीब जन अपने वाल्व का आपरेशन करा सकेगा या कैंसर रोग के इलाज के लिए उसको सुविधा उपलब्ध

(श्रीमती मधु दाधीच)

हो सकती है। इसी प्रकार के जो असाध्य रोग हैं उसकी यहां पर आपने व्यवस्था की और इस बजट के अन्दर आपने संकल्प दिखाया कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तो उसके लिए, वित्त मंत्रीजी, सम्पूर्ण राजस्थान आपका आभारी है।

कर्मचारियों की भी बजट के अन्दर आपने विशेष व्यवस्था की है। उनके बच्चों का ध्यान रखा है, कल्याण निधि कोष की स्थापना की है। पेंशनर्स की आपने व्यवस्था की है। पेंशन निधि की आपने व्यवस्था की है। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि न्यायालयों में जाने वाले जो मुकदमे थे उनके लिए आपने समझौता समिति गठित करने का जो प्रस्ताव दिया है, निश्चित ही वह कर्मचारियों के लिए काफी हितकारी है। युवा वर्ग का इसके अन्दर ध्यान रखा गया है। बी.पी.एल. परिवार के जो बेरोजगार युवा हैं, उनको 300 रुपए में मासिक भत्ता देने की आपने व्यवस्था की है। निश्चित रूप से इससे बी.पी.एल. परिवारों के युवाओं को राहत मिलेगी।

सबसे बड़ी बात, आपने भूमि एवं भवन कर को समाप्त करके 10 महानगरों के लोगों को काफी राहत उपलब्ध कराई है। मनोरंजन कर में कमी करके लोगों को सुविधा प्रदान की। युवा वर्ग और खिलाड़ियों के लिए आपने जो विशेष प्रावधान किए उसके लिये हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी और मंत्रिमण्डल के बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि अक्टूबर माह में आपने पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए इस पवित्र सदन को आहूत किया और लगातार दो दिन बड़ी संख्या में पक्ष और विपक्ष के विद्वान साथियों ने उसमें भाग लिया। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। गत वर्ष भी इसी प्रकार की भाषा बोली गई थी कि हम पंचायती राज को बहुत सुदृढ़ करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले वर्ष के प्रयासों के बावजूद केवल मात्र शिक्षा विभाग में एक ब्लाक शिक्षा अधिकारी का पद सृजित किया गया। उस ब्लाक शिक्षा अधिकारी का पद सृजित करके पंचायत समिति स्तर पर उसको बैठाया और शिक्षा में समानीकरण और अन्य व्यवस्थाओं के लिए उसे अधिकृत किया। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्री महोदय, पंचायती राज से तो यह आदेश करवाते हैं कि पंचायत समिति में जो भी प्रस्ताव वित्त और प्रशासनिक समिति लेती है, जिस प्रकार की उनकी व्यवस्था है,

(श्री हीरासिंह चौहान)

उनके आदेश का पालन करेगी, लेकिन सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख और तकलीफ हो रही है कि राज्य के डिप्टी डाइरेक्टर, प्रारम्भिक शिक्षा के आदेशों की पालना पहले की जाती है। पंचायत समिति का सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेती है, उन प्रस्तावों की किसी प्रकार से पालना नहीं की जाती है, यह बड़े दुःख और चिंता का विषय है।

आपने अपने बजट भाषण में कहा है, "राजस्थान की तीन चौथाई आबादी अभी भी गांवों में रहती है। अतः हमारी ग्रामीण जनता की उन्नति ही राज्य के विकास का पर्याय है। हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं को और ज्यादा प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार देकर मजबूत बनाया जाएगा।" यह इसी बजट भाषण में आपने कहा है, लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि हम पंचायती राज की इकाइयों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको कोई अधिकार देना नहीं चाहते। सभापति महोदय, हमने 1994 में पंचायती राज अधिनियम पास किया, 1996 में उसके नियम बनाये, मुझे तो ताज्जुब होता है कि आपकी सरकार ने संरपचों और प्रधानों को मनोनयन करने का अधिकार ले लिया, इससे ज्यादा प्रजातंत्र की खिल्ली-मजाक कहीं हो नहीं सकता।

अभी मसूदा में एक साल पहले प्रधान हटी, एक साल तक आपका मनोनीत प्रधान रहा। इसी प्रकार मेरी पंचायत समिति रायपुर में गिरी पंचायत का सरपंच, उसकी दो महीने पहले डैथ हो गई। उनको चुनाव करा देने चाहिए, चुनाव हुए हैं, लेकिन अक्टूबर के पहले-पहले डैथ हो गई, केवल उन्हीं के लिए उन्होंने चुनाव कराये। एक वार्ड पंच था जिसको आपने सरपंच नियुक्त किया, 14 सरपंच हैं उस पंचायत में, तीन उसके साथ हैं, ग्यारह एक तरफ बैठे रहते हैं, उसका कोरम हो नहीं रहा है, मजाक बना दिया कानून का। क्या आप इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं? क्यों आप सरपंच का चुनाव कराते हैं? क्यों आप वार्ड पंच का चुनाव कराते हैं अगर बहुमत नहीं? उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कम से कम 6 महीने पहले, उसमें भी पहले पद रिक्त हुआ था तो बहुमत से भरा गया था, लेकिन आपने बिलकुल जंगली कानून, प्रजातंत्र का सरासर गला घोंट दिया। इन संस्थाओं का चुनाव नहीं कराना चाहिए आपको, कराना है तो वार्ड पंचों से पूछ कर कम से कम बहुमत से सरपंच बनाना है उसको सरपंच बनाना चाहिए। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की संस्थाओं में मनोनयन करने का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले लेती है तो मैं सोचता हूं कि यह पंचायती राज का सुदृढ़ करना नहीं है, पंचायती राज को जेरबार करना

(श्री हीरासिंह चौहान)

है, उसके अस्तित्व को खतम करना है, पंगु बनाना है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, जिम्मेदार आदमी बैठे हो, आप इसको वापस देखिए, इस प्रकार राजस्थान में जगह-जगह पर मखौल हो रहा है, इस प्रकार का मखौल हुआ है।

सभापति महोदय, एक साल पहले, प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जोशी करके पाली में बैठते हैं, जिला परिषद् के पी.डी. जिला कलक्टर, मौजूद हैं, सारे अधिकारियों ने उसके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव किया। पूरी जिला परिषद् ने निन्दा प्रस्ताव किया कि हमारे द्वारा दिए हुए प्रस्तावों की पालना नहीं की। आप अधिकार देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं। पूरी जिला परिषद् ने उसका निन्दा प्रस्ताव किया, कलक्टर को अधिकृत किया, राज्य सरकार को लिखा जाए और जोशी जो प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनको हटाया जाए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह आज भी हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। जिला परिषद् में चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बी.जे.पी. के, सभी तैंतीस के तैंतीस मैम्बर और हम एम.एल.ए. लोग भी बैठे थे, ईवन कलक्टर भी उसमें साथ थे, इस बात का प्रस्ताव किया, निन्दा प्रस्ताव किया कि सरकार को इस बात के लिए निवेदन किया जाए कि इस अधिकारी को हटाया जाए। पंचायती राज की व्यवस्था के अन्दर डाइरेक्शन गवर्नमेंट ने दिये हैं कि ट्रांसफर कौन करेगा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्ताव रखेगा और जिला परिषद् की कमेटी उस पर विचार करेगी और विचार करके ट्रांसफर करेगी और उस आदेश को एक्जीक्यूट करेगा। यही बात पंचायत समितियों में कर रखी है तो आप किस प्रकार से पंचायतों को और पंचायत समितियों को और जिला परिषद् को, पंचायती राज की संस्थाएं हैं आप इनको किस प्रकार मजबूती प्रदान करना चाहते हो, जबकि इनके प्रस्तावों की खिल्लियां उड़ाते हैं। जनप्रतिनिधि बैठना भी पसन्द नहीं करते, कारण ऐसा होता है। अब किसी व्यवस्था के तहत वे आदेश करते हैं, किसी व्यवस्था के तहत उसको मजबूत करते हैं और उस व्यवस्था की पालना नहीं होती है तो कितनी ज्यादा पीड़ा, दुःख और तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सुदृढ़ीकरण केवल नाटक कर रहे हो। महिला बाल विकास के अन्दर, वह अपनी पंचायत समितियों में आकर नहीं बैठ रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधालयों के जितने भी थे उन सबको अधिकृत किया कि पंचायती राज के अधीन रहे, जितने भी महकमे थे। आज आपका आफिसर जो सब डिवीजन स्तर पर रहता है, या जो तहसील स्तर पर रहता है, आता नहीं है। उसके खिलाफ जब उसके उच्च

(श्री हीरासिंह चौहान)

अधिकारी को लिखते हैं, हालांकि आपने प्रावधान कर रखा है पंचायत एक्ट में इंस्पाइट आफ आल दिस कभी भी पंचायतों और पंचायत समितियों की मीटिंगें अटैण्ड नहीं करते हैं। वहां का पटवारी, ग्राम सेवक, ग्राम सेवक तो करता ही होगा, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर जो अधिकारी हैं, वे उसको अटैण्ड नहीं करते हैं। इसलिए आप जो पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, एक मजाक होकर रह गई है। गांवों की सारी इकाइयां, आज भी आपकी दो तिहाई आबादी गांवों में रह रही है और हजारों की संख्या में ग्राम पंचायतें हैं, जब तक ये संस्थाएं मजबूत नहीं होगी, सरकार के प्रति कोई विश्वास आप पैदा नहीं कर सकते। नाटक भले ही करो, नाटक में हम भी शामिल हो जाएंगे लेकिन नाटक करके इस पूरे राज्य की जनता का मखौल उड़ा कर आप चाहते हो कि पंचायती राज को सुदृढ़ करें, तो नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज डेढ़ लाख की आबादी का ब्यावर शहर है, ब्यावर शहर के आसपास का क्षेत्र चाहे उप खण्ड मसूदा हो, चाहे उप-खण्ड भीम, चाहे मेरा विधान सभा क्षेत्र रायपुर हो, चाहे जैतारण, चाहे भीलवाड़ा के आसींद क्षेत्र की बनौर उप तहसील, सभी लोगों ने मिलकर दो अक्टूबर को क्षेत्र में धरना दिया और राज्य सरकार से मांग की, क्या कारण है कि आपके पांच साल पूरे होने जा रहे हैं, पांच साल में एक भी नया जिला नहीं बनाया? ताज्जुब की बात है। आपने छोटे-छोटे जिले बनाएं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के अन्दर अभी निश्चित कोरम नहीं है। सत्ता पक्ष को...।

श्री सभापति : स्कोर पता करने गये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्कोर नहीं, आप देख लीजिए, कितनी गम्भीर बात हो रही है।

श्री सभापति : आप गिन लें।

श्री हीरासिंह चौहान : वे आ गये।

श्री सभापति : क्या गिन लें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप गिन लें न, सभापति महोदय।

श्री सभापति : 23 मैम्बर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस वक्त कहां हैं 23? गिन लें साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : अब वे आ गये।

श्री सभापति : 23 मैम्बर हैं, आप गिन लें। तीन और दो पांच और दो सात, आठ और चार बारह चार सोलह और चार बीस और तीन तेईस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे सवाल उठाने के बाद आये हैं।

श्री सभापति : आसन का काम है कोरम देखना। जब कोरम पूरा नहीं होगा तो कोरम की घंटी बज जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने जब सवाल उठाया तब 18 थे। सभापति महोदय, आप सत्ता पक्ष को प्रताड़ित कीजिए।

श्री सभापति : आपके धर्मपालजी नहीं दिख रहे थे, आपके पीछे थे। माननीय हीरासिंह जी चौहान।

श्री अमराराम (धोद) : वे तो बाद में आये हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था पिछले 20-25 सालों की मांग के बारे में। हमने पिछले समय में भी पर्ची के माध्यम से इस सवाल को उठाया। यह कहा गया कि आपकी सरकार, माननीय शेखावत साहब की सरकार थी उस समय इसको जिला क्यों नहीं बनाया। इस सरकार के हाथ-पैर किसने पकड़े हैं? क्या यह सरकार कापीटेंट नहीं है? क्या यह सरकार जिला नहीं बना सकती? मैं, माननीय वित्त मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन् 1998 में जिलों का पुनर्निर्माण करने के लिए माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब के शासन में बेरी आयोग का गठन किया गया था, उसने जांच करके रिपोर्ट दे दी। पहले तीन जिले बने थे, इधर जयपुर में से दौसा बना, कोटा में से बारां बना, उदयपुर में से राजसमंद बना। यह मथुरादास माथुर कमेटी की रिपोर्ट थी। उस कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इनमें तहसीलें ज्यादा हैं, ये जिले बनने चाहिए। रियासतों के समय जो-जो एरिया था वो जिला बन गया। आज हमको 150-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक छोटा जिला होता है, सारी व्यवस्था हो जाती है। हमें लेना क्या है, ओनली टू पोस्ट-कलेक्टर एंड एस.पी., बाकी सारी पोस्टें आलरेडी ब्यावर में हैं। आज भी डीवाई.एस.पी. आई.पी.एस. लगता है। आज भी एस.डी.एम. आई.ए.एस. वहां पर लगता है। आपको करना क्या होगा? हमें क्या मिलेगा, एक जिला प्रमुख की पोस्ट मिलेगी। एम.एल.ए. की वो की वो सीमा रहेगी, एम.पी. की वो सीमा रहेगी, कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। 2030 तक कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। केवल ब्यावर को जिला बनाने की हमारी मांग है। जनता क्या करना चाहती है? माननीय वित्त मंत्रीजी, अगर 500 आदमी भी आपके सामने कोई सही मांग को लेकर आते हैं तो आपको और हमको चिन्तन करना पड़ता है। आज ब्यावर के आसपास और खुद ब्यावर की डेढ़-दो लाख की आबादी है, वो पूरी जनता चाहती है, वर्षों तक थक चुकी है। आपके जितने भी नेता लोग आये, आश्वासन देते रहे हैं। हमें

(श्री हीरासिंह चौहान)

बजट में बहुत आशा थी, कह रहे थे कि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब और हमारे वित्त मंत्री इसको जिला बनाने की घोषणा करेंगे, लेकिन जब हमने बजट को देखा तो बड़ी निराशा हुई। इसीलिए हम आपसे पुनः निवेदन करना चाहते हैं, जिले की इकाई गठित करें। धौलपुर छोटा-सा जिला है। डाकूग्रस्त था, कैसा भी था, लेकिन यूनिट बहुत पहले बना दी। हमारे ब्यावर के आसपास का पूरा का पूरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, जहां छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े हैं, भू-भाग है, अगर छोटा जिला बनाया जाता है तो, माननीय खेतसिंह जी साहब, अगर पर्वतीय जिला बनता है तो हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस पहाड़ी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर प्रकार से मदद मिले। भारत सरकार से भी पिछड़े जिलों को मदद मिलती है, उस प्रकार की मदद इसमें मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस और दुःख के साथ कहना पड़ता है यह सरकार का आखिरी वर्ष था, पूरे पांच साल के दरमियान हम यह मानते हैं कुछ उपखण्ड आपने जरूर बनाये, लेकिन एक भी जिला नहीं बनाया। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक आयोग का तो गठन कर दो। आयोग का गठन करके ब्यावर को तो मेरी मांग है, मेरी नहीं कम से कम पांच लाख लोगों की मांग है और उनकी खुशहाली के लिए मांग है कि इसको जिला बनाया जाए। ब्यावर के आसपास 150-200 किलोमीटर तक का एरिया लगा हुआ है, कहां तो ब्यावर से 10 किलोमीटर लगेचड़ा के आदमी को राजसमंद जाना पड़ता है, बहुत दूर-दूर के हमारे बाबरा, रास, कलासिया, बगड़ी इस प्रकार के गांव हैं उनको ठेठ पाली जाना पड़ता है। 200 किलोमीटर है, आने-जाने के साधन हैं नहीं, पूरे दो दो दिन लगते हैं। उन लोगों को सोचना पड़ता है कि पाली जाएं या न जाएं, सोचना पड़ता है कि राजसमंद जाएं या न जाएं। आसींद के लोगों को सोचना पड़ता है, जो ब्यावर से 10 किलोमीटर है, कि भीलवाड़ा जाएं या न जाएं। यू.पी. में दुनियाभर के जिले बन जाते हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं। जितना छोटी इकाई रहेगी उतना ही ज्यादा अच्छा विकास होगा। गरीबों की पहुंच वहां पर होगी, उनकी समस्याओं का समाधान होगा और आप पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। कहते हैं परिसीमन चल रहा है इसलिए घोषणा नहीं कर रहे हैं। आप बाद में एक्जीक्यूट कर लीजिए, किसने हाथ पकड़ रखे हैं? आपके परिसीमन ने भी हाथ नहीं पकड़ रखे हैं। आपने उपखण्ड बनाये, उसका एक्जीक्यूशन आपने किया है, लेकिन परिसीमन के कारण रुका हुआ है। हम तो उससे ही संतुष्ट हो जाएंगे।

(श्री हीरासिंह चौहान)

जनता की उम्मीद है, कम से कम यहां तो आप खरे उतरो। पांच साल पूरे हो रहे हैं, जैसे जनता की आवाज आ रही है आप वापस आने वाले नहीं हो। हीरासिंह इस सदन में कह रहा है, हीरासिंह सही कहता है, वापस आने वाले नहीं हो आप।

श्री सोहन नायक : आप तो अपनी सोचो।

श्री हीरासिंह चौहान : चाहे आप बेरोजगार...(व्यवधान) हम तो उल्टी हवा में भी दो बार आये हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : आप सही कह रहे हो, आप वापस नहीं आ सकते।

श्री हीरासिंह चौहान : 1985 में भी आपकी लहर चल रही थी उस समय भी जीत कर आये और पिछले चुनाव में आपकी लहर चल रही थी उस समय भी जीत कर आये और डंके की चोट इस बार हजारों वोट से जीतकर आएंगे।

श्री सोहन नायक : 1998 की लहर कहां गयी?

श्री हीरासिंह चौहान : यह और मैं दावे के साथ आपको कह देता हूं।

श्री सोहन नायक : 1998 की लहर का क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ?

श्री हीरासिंह चौहान : हिमाचल प्रदेश एक हजार किलोमीटर दूर है। मैं तो आपसे कह रहा हूं...

श्री सोहन नायक : आप तो उसके लिए ही पहले कह रहे थे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, ये मेरे साथी हिमाचल प्रदेश के भुलावे में रहते रहे, मैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, हिमाचल प्रदेश के बीच में तो हरियाणा है।

श्री सोहन नायक : आप भी तो गुजरात के भुलावे में रह गये थे।

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी, आप तो अपना भाषण जारी रखें।

श्री हीरासिंह चौहान : सवाल का उत्तर दूंगा, मुझे नहीं रोक सकते आप।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में क्या हुआ?

श्री हीरासिंह चौहान : राजस्थान में तीन उप चुनावों में क्या हुआ? धूल चटा दी। कहां सागवाड़ा, कहां बाली और कहां बानसूर रहा? तीनों तीन दिशा में थे। तो आपकी क्या नीति है और क्या काम करने की नीति है...

श्री मोहन लाल मोदी : इन तीनों चुनावों में हमारा तो एक सागवाड़ा था जो गुजरात से लगा हुआ था।

श्री हीरासिंह चौहान : ये जितने भी मेरे विपक्ष के साथी हैं पूरी ताकत लगायी

(श्री हीरासिंह चौहान)

वहां दिल्ली तक, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक उत्तर दिया कि एक ही सीट खोयी है, कोई सीट नहीं खोयी। केवल सागवाड़ा की सीट खोयी है, बाकी तो सब जगह उन्हीं की सीटें थीं। यह कह कर आपको मुगालते में रखा है और वे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसलिए इन बातों को छोड़ दीजिए, हवा कैसी है, कैसी नहीं है, समय आने पर बता देंगे।

अभी माननीय सुरेन्द्रजी व्यास कह रहे थे, आप भी कह रहे हो, सभी कह रहे हैं, राज्य में भीषणतम अकाल है। भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा अकाल हुआ ही नहीं। यह फेमिन कोड किसलिए बनाया माननीय वित्त मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी? यह फेमिन कोड कब काम में आएगा? जब आप एस्ट्रीम सूखा मान रहे हो, भयंकर अकाल मान रहे हो, यह फेमिन कोड तो बनाया इसीलिए है कि भयंकर सूखे में इस फेमिन कोड को लागू किया जाए। आपको क्या हिचक है? आप बार-बार सूखाग्रस्त घोषित करते हो, अभावग्रस्त घोषित करते हो। हमारी मांग थी और इसी बात की हम आशा भी करते थे कि आप फेमिन कोड लागू करेंगे और राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित करेंगे ताकि जनता को कई प्रकार के फायदे कोड लागू होने के कारण से हों। आपको कई प्रकार के फायदे कई प्रकार से मिलते हैं। आप अभी कह रहे थे गुजरात में भूकम्प आया तो वहां पर विशेष प्रकार की परिस्थिति मानकर केन्द्र सरकार ने दुनिया भर की मदद दी। आप सूखा-सूखा क्यों करते हो, अकालग्रस्त घोषित करो ना। अकालग्रस्त घोषित करते ही यहां भी हो सकता है केन्द्र सरकार सहयोग दे। केन्द्र सरकार तो आपको बहुत सहयोग देती रही, लेकिन आपके सहयोग लेने के तरीके अच्छे नहीं हैं। आप जूते भी मारते जाओ और मांगते भी जाओ, यह कौनसा तरीका है? क्या प्रद्युम्न सिंहजी, आपके लड़-झगड़ कर मैं कुछ ले सकता हूं? केन्द्र सरकार की इतनी क्या मजबूरी है? हां, संघीय व्यवस्था के साथ उनकी मजबूरी है, राज्य में सूखा है और सूखे के साथ वे बराबर मदद करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब थे, प्रधानमंत्री माननीय नरसिंहराव साहब थे, उन्होंने जो कुछ चाहा उनसे लिया। बड़े तरीके से लेते थे। मांगने का तरीका अलग होता है। आप हर बार तो केन्द्र सरकार की क्रिटिसाइज करो। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, आपको 30 लाख टन गेहूं देने के बावजूद भी बजट में आपसे एक शब्द प्रशंसा का नहीं बोला, एक शब्द तारीफ का नहीं कहा कि इस प्रकार का सहयोग मिला, हम केन्द्र सरकार की प्रशंसा करते हैं। आप कह रहे हो, मिड डे मील ले रहे हैं। कहां से आ रहा है गेहूं? गेहूं आपका है क्या? केवल

(श्री हीरासिंह चौहान)

व्यवस्था कर रहे हो आप। फेमिन की केवल व्यवस्था आप कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। जिस प्रकार मैनेजर होता है, व्यवस्था करता है। और फिर उसमें भी आपने कांग्रेसीकरण कर रखा है, सरकारीकरण कर रखा है। मैं आप पर स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं काम के बारे में कि यह कांग्रेस का मजदूर, यह बी.जे.पी. का मजदूर। मजदूरों में भी कांग्रेस और बी.जे.पी. के मजदूर होते हैं क्या? आप अध्ययन करो, आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चारों तरफ हाय-तौबा मची हुई है। ठीक है, आप घर में खुश होइए, आपके मित्र लोग कहते होंगे, उनके कामकाज कर लेते होंगे। लेकिन हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं जो नीतियां वर्तमान में चल रही हैं ये नीतियां न तो आपके लिए ठीक हैं, न किसी प्रकार से इस विकास के लिए ठीक हैं। अब कह रहे हो फेमिन का काम, क्या कर रहे हैं हम? विकास कर रहे हैं? रेत डालना, केवल रेत जो एक बरसात में बह जाएगी, क्या इससे विकास होगा। आप सामग्री की एक पाई दे नहीं रहे हो, जो काम स्थूल होने चाहिए। और तो और, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बार पहले भी कह चुका हूं, हमारे फेमिन के प्रभारी मंत्रीजी बैठे हैं खेतसिंह राठौड़ साहब, जिनसे मैं तो बहुत आशा करता था लेकिन मुझे निराशा हुई। पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह नेशनल हाई-वे नम्बर 8 जो सुमेरपुर से लेकर ब्यावर तक आता है, कम से कम दो सौ मजदूर, मैं पिछले दो महीने से देख रहा हूं, ब्यावर और बर के बीच में बैठे हैं, वे पांच तिगारी नहीं डालते। नेशनल हाई-वे पर काम कुछ नहीं। मैं मानता हूं, जो अंग्रेजी बबूल हो गये उनको काटने तक का काम ठीक है। इसके बाद वह आलरेडी ठेकेदार हैं, आलरेडी वह पटरी है, आलरेडी वह मुरड़ डाल रहा है, इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र जहां पर काम की भी आवश्यकता है, बड़ा रायपुर भी ग्रामीण क्षेत्र में है, हमारे नगरपालिका नहीं है, अगर आप वहां पर काम खोलें, अभी आने वाली 11 तारीख तक बन्द कर दीजिए। There is no utility at all. आप खुद परीक्षण कर लीजिए, अगर मैं किसी प्रकार की गलत बात कहता हूं। उसकी उपयोगिता नहीं होती। जिस काम की उपयोगिता नहीं, आखिर हम टास्क बेसिस पर, श्रम शक्ति के आधार पर काम देते हैं, यह तो 5-5 किलो अनाज यों ही दे दो न लोगों को, क्यों फालतू में इस फेमिन में लेकर बिठाते हो? आखिर में मजदूर की भी शक्ति है। श्रम शक्ति का जितना उपयोग लिया जाना चाहिए, जितना भी 8 घंटे में वह काम कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि टास्क-बेसिस पर वह जबरदस्ती काम करे। मैं इसके खिलाफ

(श्री हीरासिंह चौहान)

हूं। लेकिन जितना ज्यादा काम एक मजदूर एक दिन में कर सकता है उतना तो काम उनसे लिया जाना चाहिए ताकि रिलीफ में कुछ न कुछ काम हो। जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनके लिए मैंने यहां मंत्रीजी बैठे हैं इनको लिखकर दिया। आज से पांच महीने पहले लिखकर दिया था, इनकी लैंग्वेज मैंने पढ़ी थी कि धीरे धीरे इन सड़कों को स्वीकृत करें। आज दिन तक वे सड़कें स्वीकृत नहीं हुई। धीरे धीरे ही वर्ड लिखा है, कलक्टर भी समझ गया, इस धीरे-धीरे का मतलब क्या होता है, हीरासिंहजी को राजी करें। एक भी सड़क मंजूर नहीं हुई। इसीलिए मैं चाहता हूं इसमें भेदभाव जो आप चला रहे हो न, टोटल भेदभाव है। कांग्रेस का आदमी है उसको सब कुछ मिलता है, बी.जे.पी. का आदमी है, चाहे सरपंच है, चाहे जिम्मेदार आदमी है, चाहे प्रधान है उसके ऊपर आपका किसी प्रकार का विश्वास नहीं रहा है। यह जो व्यवहार आप कर रहे हो आप आम जनता के साथ, वह सौतेला व्यवहार है, वह निन्दनीय है और वह ठीक नहीं है।

अब आपने एक बहुत बड़ा झुनझुना पकड़ाया है कि बी.पी.एल. परिवार से हो, 3 साल का रजिस्ट्रेशन हो एम्प्लायमेंट आफिस में सीनियर सैकण्डरी पास हो और 12 हजार जिनकी सालाना आमदनी हो, उनको आप 300 रुपये प्रति माह देना चाहते हो। अभी माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने अपने चूरू का उदाहरण दिया, मैं आंकड़े तो लाया नहीं लेकिन अब आप उनका किस प्रकार बाइफरकेशन करोगे, किस प्रकार उनका विभाजन करोगे, आपके पास कौन सा स्केल है जिसके तहत 300 रुपये दोगे? मैं सोचता हूं जब तक आप शासन में रहोगे तब तक एक भी बेरोजगार को एक पाई नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तो आपके फार्म निकलेंगे, करेंगे। जिस प्रकार पहले क्या हुआ था, कुओं का और मकान का तो वापस शुरू कर दिया एक एक किसान के हजार हजार, डेढ़ डेढ़ हजार रुपये जब्त कर दिया, क्योंकि जमाबंदी की नकल लेनी पड़ती है, उसका वह करना पड़ता है, फार्म पूरा करने में ही उसको कितना ज्यादा कष्ट होता है। दिया क्या है आपने, हमारे पूरी 35 पंचायतों में 30 कुएं दिये। यही स्थिति यहां पर बनेगी। यह झुनझुना पकड़ा कर आप लोगों को राजी करना चाहते हो। अगर इस व्यवस्था को ठीक ही करना चाहते हो तो इसको और सोचकर और अच्छे तरीके से करें, मैं इसके पक्ष में हूं। मैं तो बहुत पहले से पक्ष में था कि गरीब परिवारों के बेरोजगार को रोजगार मिले। मैं तो केन्द्र सरकार से भी मांग करता हूं कि बेरोजगार है, पढ़ा-लिखा है, मां-बाप ने अपना पेट काटकर उसको पढ़ाया है। लेकिन वे सड़कों पर घूमते हैं। न तो बच्चे की स्थिति सही है और मां-बाप की हालत तो बहुत

(श्री हीरासिंह चौहान)

बुरी हो रही है क्योंकि जवान बेटा है, कहीं काम मिल नहीं रहा है, रोटियां खाता है, मारा-मारा फिरता है। और तो और, क्या कर दिया आपने, यह भी मैं इस मौके पर कहूंगा। अभी आसींद में माननीय आचार्य धर्मेन्द्रजी ने कोई त्रिशूल बांटने का काम किया, कलक्टर आये, एस.पी. आये, आराम से एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल में फंक्शन हो गया, क्या हो गया? वहां से तहसीलदार को भगा दिया, सहायक तहसीलदार को भगा दिया। "आज तक" टी.वी. का कौन है वह बोल गया कि अशोकजी को चाहिए, इनके हाथ में कलम देवें, काम देवें। केवल इस भाषा से आप डर गये? वहां कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का भी किसी का। दो दिन पहले वहां से निकला था मैं भीलवाड़ा जाते समय, इस प्रकार चारों ही प्रशासनिक स्टाफ को वहां से रद्दोबदल किया जा रहा है। केवल मात्र कौन बोल गया? "आज तक" बोल गया, "आज तक" से संदेश आ गया। बाकी वहां जनरल There is no complaint at all. और तो और, आपके व्यासजी पूर्व सांसद का एक पी.ए. था मोहम्मडन भाई, उसकी बिना मतलब पिटाई कर दी। बड़ा अच्छा आदमी था वह, हूंजूं में उसकी पिटाई हो गई। दूसरे-तीसरे दिन मूर्ति तोड़ दी, मूर्ति तोड़ने वाली अफवाह रही। जहां तक मेरी जानकारी है, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन इस प्रकार का आप कितना दबाव बनाओगे? कितना दबाव बनाकर शासन करना चाहते हो? एक हमारे कालूराम सांखला है जैतारण में, जो डेढ़ हजार गायें पाल रहा है। डेढ़ हजार गायें तीन साल से पाल रहा है और कोई अनुदान नहीं ले रहा है। इसके अलावा 86 जोड़ों का दो साल पहले माली समाज का उसने सामूहिक विवाह कराया। आज पुलिस उसको 10 जगह पकड़ पकड़ कर ले जा रही है, धारा 195 और 295 आई.पी.सी. लगा दी। 6 साल से वह तो वहीं रह रहा है, जैतारण में किसी प्रकार की उसकी कोई शिकायत नहीं है, किसी भी मोहम्मडन भाई ने उसकी कोई कम्पलेंट नहीं की। तीन दिन पहले पाली से जैतारण में जमानत करायी तो रोहिट पुलिस पकड़ कर ले गई। रोहिट पुलिस से जमानत करायी तो भीम पुलिस ने और मुकदमा चला दिया। आज यह तमाशा कर रखा है। हजारों आदमियों की भीड़ ने जमा होकर कहा कि यह समाजसेवी आदमी है। समाजसेवी गौ भक्त आदमी होने के कारण उन गायों का क्या होगा? इसकी जांच करवाइये, माननीय वित्त मंत्रीजी। उप मुख्य मंत्रीजी, जांच करवाइये। डेढ़ हजार गायें, बिना अनुदान के सारी गायों को पाल रहा है, आज 10 दिन से वह जेल में पड़ा है। यह स्थिति आप लोगों ने कर रखी है। कोई आप दबाव डालकर,

(श्री हीरासिंह चौहान)

धौंस गांठ कर राज करना चाहते हो? राज तो मोहब्बत प्रेम से मिलेगा हरिसिंहजी यों राज नहीं मिलेगा। जितना आप दबाओगे उतना ही आदमी ऊपर उठेगा, आपके दबाव को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं तो आपको बहुत प्यार से सुन रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : प्यार से सुन रहे हो इसीलिए मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि कम से कम आप इन सारी बातों को शासन करते समय गम्भीरता से सोचे। इसो प्रकार अभी मेरे साथी व्यासजी ने कहा, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता पण्डित नवलकिशोर जी आये, कि गत वर्ष 60 लाख को एक करोड़ करना था। छोटे छोटे राज्य हैं, हम दिल्ली में जाते हैं, वहां सारा विकास हो रखा है, दिल्ली में एक करोड़ रुपये विधायक को मिलते हैं। यू.पी. वाला कांड आपने देखा ही है कि टेप कांड हुआ। इस राज में तो बहुत ज्यादा विकास की गुंजाइश है, कोई कमीशन खाता है तो मुकदमा बनाइए, जांच करवाइए, महापाप करता है वह। इस प्रकार का कहीं नहीं करना चाहिए कम से कम विकास के लिए। आप और हमारे काग्नीजैंस में आता नहीं है कि कौन-सी सड़क जरूरी है। सड़कों की नीतियां बनी हुई हैं, दो ग्रामीण पंचायतों के बीच में सड़क है, आपकी नीति के अनुसार दोनों ग्रामीण पंचायतें जुड़ गई। लेकिन बीच में टुकड़ा पड़ा है, साहब, उसको कौन जोड़ेगा? उसको जोड़ने के लिए मैंने पिछले एक साल में 62 लाख रुपये दिये हैं, केवल इस प्रकार की सड़कों को जोड़ने के लिए। लेकिन अब भी और काफी गुंजाइश है जहां पर उन सड़कों का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि नीति में आता नहीं है-केन्द्र सरकार की नीति में नहीं आता, न आपकी सरकार की नीति में आता है। एक हजार किलोमीटर थी जो जुड़ गई, दो ग्रामीण पंचायत मुख्यालय पड़े हैं लेकिन दो ग्राम पंचायत मुख्यालयों का जो टुकड़ा पड़ा है, जो कुछ रोड्स आप ले रहे हैं, कुछ ब्लाइंड रोड्स हैं, या पुरानी रोड्स हैं इसीलिए मैं चाहता हूं इस राशि को थोड़ा बढ़ावें। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को इतना घटिया क्यों मान रहे हो? जब घाटा ही घाटा चल रहा है तो घाटे में और घाटा सही। इतना घाटा आप कर रहे हो जिसमें इतना सा घाटा और सही। इसके संसाधन जुटाकर कम से कम एक करोड़ की राशि करें। हम तो गये साल भी आशा करते थे। और फायदा किसका होगा? We are only 33. और पूरे विपक्ष में माने तो 40 या 45 होंगे। आपकी तो संख्या बैठी है दुनिया भर की। आप वोट भी लेने जाओगे तो कहोगे तो सही। हम तो केवल मांग करते हैं, करना चाहो करो, नहीं मत करो,

(श्री हीरासिंह चौहान)

हमारी तरफ से ज्यादा भी नहीं है। लेकिन यह राशि एक बार एक करोड़ कर देनी चाहिए। अन्य राज्य विहार जैसे भूखे-नंगे राज्य जिनकी कोई स्थिति नहीं है, यू.पी. की क्या स्थिति है, वहां पर इतनी-इतनी राशि दी गई है तो कम से कम राजस्थान जो सूखा प्रांत भी है जिस प्रांत में ग्रामीणों का विकास करने की काफी गुंजाइश है, इस कारण से इतनी राशि वहां दी जानी चाहिए।

माननीय सभापतिजी, इस राज्य में शिक्षाकर्मी योजना चली। मैं 1993 में हार गया था और मुझे प्रधान बनना पड़ा रायपुर का उस समय मैं शिक्षाकर्मी बोर्ड से यह योजना ले गया था। आज प्राइमरी एजुकेशन में उनका इंस्पेक्शन का जो स्तर है, 15 व 20 विद्यालयों पर एक शिक्षाकर्मी सहयोगी लगा रखा है। कम्पेरेटिवली बहुत ही अच्छा स्तर शिक्षा का है, उन अध्यापकों की जो बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, और लोगों को आप नियमित कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी मांग करता हूं उनको भी नियमित करें। इसी प्रकार नगरपालिका के कर्मचारी जो आपने दो साल पहले सरप्लस किये थे, और उनको आदेश दिया था कि दो साल की सेवा पूरी होते ही, ग्रुप सचिव लगाया है, आपकी सेवाएं परमानेंट कर देंगे, स्थायी कर देंगे। लेकिन बड़े ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि दो साल की उनकी सेवाएं होने के बावजूद आज तक उनके स्थायीकरण के आदेश नहीं हुए हैं।

मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं ये इस प्रकार के विषय हैं कि जब तक हम आपके ध्यान में नहीं लाए तब तक इन विषयों पर कुछ नहीं होता है। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है कि बजट तो घाटे का है, राज्य का विकास किस गति से हो रहा है यह आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी सामयिक जनता के सामने प्राब्लम हैं उनको साल्व करें। अन्त में आप द्वारा ग्रामीण विकास के बारे में और बिजली, पानी, सड़कों के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, जितना आप मानते हो उतना कुछ नहीं है। बिजली के बारे में उत्पादन क्या है? सूरतगढ़ का तो माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के समय हो गया। आप तो उसकी यूनिटें बढ़ा रहे हो। उस समय ही बढ़ गई। यूनिटें ही बढ़ा रहे हों, बढ़ानी पड़ेंगी। यह बिजली गई कहां? गुल कहां हो गई? आज गांवों में आप दे नहीं रहे हो, आज बिजली गांवों में है ही नहीं। बिजली के कारण से पिछले पांच साल से स्थिति खराब हो रही है, दिनों दिन खराब हो रही है। इसलिए मैं आपके इस बजटीय भाषण को कपोल-कल्पित मानते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमलजी खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो बजट 2003-2004 हमारे इस पवित्र सदन में रखा गया है, उसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अभिभाषण पढ़ा, हमारे वित्त मंत्रीजी ने भी बजट भाषण को पढ़ा। हमें यह कहते हुए बड़ा दु:ख है कि सरकार को अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए चार साल तो हो चुके, जन कल्याणकारी, गरीब, मजदूर, किसानों के हित में अनेक घोषणाएं करते हुए चार वर्ष बीतने के पश्चात् भी हमें तकलीफ इस बात की है कि न तो हमें बजट भाषण में, न ही महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात देखने को मिली। जिस तरीके से राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, सरकार ने एक अपनी मंशा जाहिर की थी कि वहां के आदिवासियों के विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं तैयार की जाएं, उनका आर्थिक, सामाजिक स्तर ऊंचा उठाया जाए। इस मामले में इसी सरकार ने 2000 में एक ट्रायबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया था और इस कमेटी का मूल उद्देश्य यह था कि राजस्थान का जो वार्षिक प्लान बनेगा उस वार्षिक प्लान का 8 प्रतिशत रुपया सीधा उस जनजातीय लोगों पर खर्च किया जाएगा ताकि वहां के जनजातीय क्षेत्र में रहने वाली जनता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई तरीके से विकास हो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पढ़ना चाहूंगा, हमारे वित्त मंत्री जी ने एक बात अपने अभिभाषण में लिखी है, कि आगामी वर्ष राज्य में जनजाति विकास की महाराष्ट्र प्रणाली लागू की जाएगी। प्रारम्भ में 13 विभागों की राज्य आयोजना मद की 8 प्रतिशत राशि का एक जनजाति विकास कोष बनाया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण विभागों से चर्चा करने के पश्चात् जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

श्री सभापति : क्या पढ़ रहे हो आप यह? कोट तो करिये कि यह क्या है।

श्री जीतमल खांट : माननीय वित्त मंत्रीजी ने जनजाति विकास योजना पर पैसा खर्च करने के लिए राज्य का जो वार्षिक प्लान बनेगा उसमें उदयपुर वैल्ट के आदिवासियों पर खर्च करने के लिए यह फैसला किया था, वह चीज मैं पढ़ रहा हूं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया 2000 में, इस कमेटी के चेयरमैन हमारे उप मुख्य मंत्री रहे जब वे जनजाति विकास के राज्य मंत्री बने। उनके तत्वावधान में 19.6.2000 को पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग 16.6.2001 को हुई, तीसरी मीटिंग 13.2.2002 को हुई, पांचवीं मीटिंग 19.8.2002 को हुई और

(श्री जीतमल खांट)

छठी मीटिंग 22.11.2002 को हुई। माननीय वित्त मंत्रीजी, इस सरकार ने स्वयं यह फैसला किया कि जनजाति का विकास कैसे हो, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर कैसे ऊंचा उठे। आपने फैसला किया कि बजट का वार्षिक प्लान बनेगा उसका 8 प्रतिशत सीधा उस इलाके के लोगों पर खर्च किया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि साल भर के अन्दर हमारा लम्पसम कम से कम 250-300 करोड़ रुपये बनता है, और आपने इसमें दिया क्या है? 2001 में 10 करोड़ रुपये और 2002 के अन्दर 30 करोड़ रुपये। यानि कि पूरी की पूरी योजनाओं का हमारा हिस्सा जो 300 या 400 करोड़ रुपये हमको मिलना चाहिए था, वहां, वित्त मंत्रीजी आपने मात्र 40 करोड़ रुपये देकर इतिश्री कर ली। और हमारे माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य जितने भी बोलने के लिए खड़े होते हैं, आदिवासियों के विकास के लिए, कल्याण के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए पता नहीं इतनी वाहवाही करते हैं कि वाहवाही करते नहीं थकते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा कांग्रेस को वोट देता आया है और सारे के सारे माननीय सदस्य आपके पक्ष में बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ में अन्याय करते, पर कम से कम आपके जो पक्ष में बैठे हैं उनके साथ में तो न्याय करिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उस बागड़ की धरती से जुड़े हुए सम्माननीय अकाल राहत मंत्रीजी भी इस कमेटी के मैम्बर हैं, जानकर भी हमारे साथ में इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है?

मैं ज्यादा बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन आज हम बिजली की बात करते हैं, जब आपने बिजली में इतना मेगावाट उत्पादन किया है तो यह बिजली गई कहां? सारी की सारी बिजली कौन पी गया? कौन खा गया? बड़े शर्म की बात है कि 55 साल की आजादी के बाद में भी गरीब, ढाणी और मजरों में रहने वाला दीपक के सहारे जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। वित्त मंत्रीजी, आपने यह बात लिखी है कि इतने घरेलू कनेक्शन जोड़ रहे हैं। चार साल के अन्दर आपने जो जो भी घोषणाएं की हैं, आदिवासी ढाणी और मजरों के अन्दर यह कनेक्शन किया हुआ अगर मिल जाए तो मैं इस कोरे कागज पर आपको इस्तीफा लिखकर दे दूंगा। (व्यवधान) जी एस एस बने हों या कोई भी बने हों, लेकिन गरीब आदिवासी के घर में आज 55 साल की आजादी के बाद में एक लट्टू आपकी सरकार नहीं जला पाई तो क्या करेगी? मेरा करबद्ध निवेदन है कि आरोप-प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं लेकिन कम से कम महाराष्ट्र पैटर्न

(श्री जीतमल खांट)

के हिसाब से हमारी जो हिस्सा राशि बनती है, आपको न्याय के तौर-तरीके से देना होगा, अन्यथा 55 साल की आजादी के बाद वह गरीब आदिवासी जो ढाणी और मजरे में रहता है, वह आपको आने वाले समय में माफ नहीं करेगा।

(16.00 बजे)

दूसरा, हमारे बीच में अकाल राहत मंत्रीजी मौजूद हैं, मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल पर खूब चर्चा हो गई है, मेरे उसके इलाके के अन्दर कौन कांग्रेस का है, कौन भारतीय जनता पार्टी का है, कौन जनता दल का है, मजदूरों के ऊपर भी मोहर लगाकर वहां पर मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, आप बड़े गम्भीर व्यक्ति हैं, आप हमारी बात को समझेंगे। मेरे क्षेत्र में आप कहते हैं कि आहत को हमने राहत में बदला और अकाल को हमने विकास में बदला। मैं वहां का उदाहरण बताऊं, वहां पर पेमेंट का समय आया तो मजदूरों को पेमेंट के रूप में मात्र गेहूं का वितरण कर दिया गया, पैसों का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। लोगों के सामने वहां के सरपंच और सचिव ने कह दिया कि गेहूं गेहूं का ही भुगतान था, पैसा हमारे पास भी नहीं आया। इस तरह की कई गम्भीर घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, मैं आपकी नालेज में डाल रहा हूं। उस इलाके के सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य हैं, वे आपके सामने यह बात नहीं रखेंगे लेकिन मैं इस दक्षिणी राजस्थान का एक नागरिक होने के नाते निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम महाराष्ट्र पैटर्न के माध्यम से आप जो भी हमें राहत दे सकें, निश्चित रूप से वह राहत देनी होगी। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए, आपने मेरी बात को कहने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : पण्डित जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया। माननीय पण्डितजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह कैसे हो गया?

श्री सभापति : आपका नाम दिया है माननीय सरकारी मुख्य सचेतकजी ने। आप नहीं बोलेंगे तो मैं दूसरे वक्ता को आमंत्रित करूं?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): बहुत धन्यवाद उनको। ओम गण गणपते नमः। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में राजस्थान के वित्त मंत्री माननीय श्री प्रद्युम्न सिंहजी द्वारा पांच तारीख को 2003-2004 का आय-व्ययक अनुमान पत्रक प्रस्तुत किया गया। उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि बजट के पूर्व जो आम, जन साधारण व्यक्तियों की राय थी, जो उनकी मंशा थी, उसी के मुताबिक वित्त मंत्रीजी ने यह बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्रीजी, अभी गत दो

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

दिनों में यत्र-तत्र विवाह-शादियों में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, समूह में लोगों से बात करने पर आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आपकी तारीफ कर रहे हैं इस बात के लिए कि आपने हाउस टैक्स को समाप्त कर दिया...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं किया, नहीं किया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, वह भवन कर किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स किया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : तो वह हाउस टैक्स नहीं है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पण्डितजी, आप अपना धन्यवाद वापस ले लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंशा हुई है। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : लोग इस बात के लिए भी आपको बहुत सराह रहे हैं, लोग इस बात से अपने आपमें राहत महसूस कर रहे हैं। (व्यवधान)

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : ये भूमि-भवन कर का मामला बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, वह यह है कि आपने स्वयं ने यह मान लिया, या मुख्य मंत्रीजी की सलाह पर, ऐसे शोषित पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए, जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको मासिक सहायता देने के लिए आपने जो प्रावधान रखा है, उसके लिए मैं व्यक्तिशः आपको धन्यवाद देता हूं। जनता यह महसूस कर रही थी कि इस पांच साला राज की अवधि है उसका यह बजट है, इसमें कई राहत की घोषणाएं की जाएंगी, और कई आपने राहत की घोषणा भी की। मैं उसको पढ़ने लगा तो कई जगह मैंने औषधालय, पशु चिकित्सालय वगैरह खोलने का कहा था, तो इसमें तो एक भी औषधालय नहीं है, इस साल में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है और एक भी स्वास्थ्य केन्द्र और उसका भी कोई जिक्र नहीं है। कहीं स्कूल या कालेज भी नहीं खोले जाएंगे और जो चल रहे हैं उनको क्रमोन्नत भी नहीं किया जाएगा। तो मैंने देखा, फिर इस बजट से विकास कैसे होगा? विकास की गति अवरुद्ध हो गई है। सहूलियत की घोषणा खूब की लेकिन विकास की गति अवरुद्ध हो गई। सिर्फ शिक्षा के मामले में आपने राजीव गांधी पाठशालाओं का तो जिक्र किया है, वे तो खुलेंगे। अब आप 10,000 खोलो या 11,000 खोलो, जितने भी खोलो, उतने जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे तो लग जाएंगे। लेकिन बाकी कहीं भी आपने कोई नया स्कूल, औषधालय या पुश चिकित्सालय

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

वगैरह खोलने का जिक्र नहीं किया। इसके उपरान्त भी हमारा धैर्य सराहो, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपने यह समझ कर ऐसा किया है कि पिछली बार जो आपने स्कूलों को क्रमोन्नत किया था, उनकी आप समुचित रूप से शैक्षिक व्यवस्था नहीं कर सके थे। जगह जगह से आपके पास शिकायतें आयी होंगी कि स्कूलों में मास्टर नहीं है। मैंने भी अभिभाषण में निवेदन किया था, मेरा भी एक गांव है, उसमें अभी 8वीं से 10वीं क्रमोन्नत हुआ है, भावनदेसर नाम का एक गांव है उसमें प्रधानाचार्य भी नहीं है, गणित का अध्यापक नहीं है, विज्ञान का अध्यापक नहीं है, संस्कृत का अध्यापक नहीं है और हिन्दी का भी नहीं है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और फिर भी आप धन्यवाद दे रहे हो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ऐसा शायद मेरे उस सुझाव के कारण नये नहीं खोले होंगे और पुरानों की व्यवस्था में ही सारे बजट को खर्च करने की योजना दी है। अब जहां फर्नीचर नहीं है वहां फर्नीचर बनाएंगे। फर्नीचर तो आप हमको कहते, हम ही विधायक कोटे से बनवा देते। और बनवाये भी है मैंने तो बाबूसर के अन्दर। तो अब तो आप शायद औषधालय, पशु चिकित्सालय की घोषणा कर नहीं सकते, ऐसी गुंजाइश मेरे को लग नहीं रही है। मुझे तकलीफ तब हुई, मैंने आपको पिछले बजट में यह निवेदन किया था कि...कि आप इतने पर्यटन स्थलों की घोषणा कर रहे हो उसमें दो ऐसे पर्यटन स्थल हैं, एक सालासर बालाजी धाम और एक एशिया की सबसे बड़ी काले हिरणों की सैंक्चुरी, छापर, उनको आप इसमें समाविष्ट कर लीजिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : पण्डितजी, नाकोड़ा के बारे में तो आपने पहले कहा था, वह कराओ न आप।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उस वक्त आपने हाथ के इशारे से यह किया था तो मैं समझ गया, मेरा शायद निवेदन मंजूर हो गया। लेकिन इन दोनों नामों का भी इसमें आपने कोई जिक्र नहीं किया। इनको आप कर देते तो आपका कोई लम्बा-चौड़ा खर्च भी नहीं था और मैं भी प्रसन्न हो जाता कि मेरे को जो आश्वासन दिया है, मेरे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनका भी तो नाम हो जाता।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इनका तो नाम है ही वित्त मंत्री हैं तो, और क्या नाम होगा अब? अब इससे ज्यादा नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लो, आखिर श्राप ले लिया न।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अब जितना हो गया, उतना हो गया।

श्री मोहन लाल मोदी : यह तो बना रह गया न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, श्राप दे दिया। इनके श्राप से पहले वाले वित्त मंत्रीजी भी धराशायी हो गये। हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को अपने, पंडितजी, एक तरह उलटा आशीर्वाद दिया, वह धराशायी हो गये, और आज इनको दे दिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कहां दे दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दे दिया आपने, यह रिकार्ड पर आ गया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं दिया।

श्री मोहनलाल मोदी : यह है, आगे नहीं बढ़ेंगे। इस पर तो रहेंगे?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कंवर साहब, थे हमेशा अर्थ को अनर्थ लगाओ हो। अब आपने कहा था कि इस राजस्थान को कहां ले जाओगे, यों एड़ी ऊंची करके कहा था आपने अपने भाषण में कि आप यह करके इस राजस्थान को कहां ले जाओगे। हम इस राजस्थान को सर्वोपरि बनाना चाहेंगे, सबसे ऊंचा बनाना चाहेंगे, इसको ऊंचा ले जाएंगे हम, धरातल में नहीं ले जाएंगे।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ऊपर गया पीछे पाछो नहीं आवे करै।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उस वक्त भी मैं यह सुझाव आपको देने वाला था, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ऐसा है, आपसे निवेदन है कि आप तो जिले के मालिक हो, चूरू में रहते हो, चूरू जिला है, मेरा रतनगढ़ जिला बना दो तो अपन दोनों अलग हो जाएं तो दोनों का पिण्ड छूट जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मेरे से अलग होना चाहते हो, पण्डितजी, आत्मा से आप सच्ची बता दो। आज सदन में फैसला हो जाए, या तो आप आत्मा से कह दो कि आप अलग होना चाहते हो। आप नहीं होना चाहते कभी भी अलग।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप भी जनता की भावना के अनुसार बोलते हो और मुझे भी जनता ने जो आदेश दिया है उनकी भावना यहां मैं उपस्थित कर रहा हूं। और, प्रद्युम्न सिंहजी, की ही नहीं कर सको, ओ बजट तो आयग्यो चौड़े, ओ तो पोत आयग्यो कि थे आगली ई साल में के करस्यो, जखो तो आयग्यो। कुछ भी नहीं कर सको हो तो थे जिले की मांग करीब बहुत लोग, ब्यावर न, और न, वो थे कोनी करो, क्यूं क्यूंकि थारे कनै पीसा कोनी। तो म्हारली राजलदेसर न उप तहसील तो बना दयो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बनाओ, साहब, बिलकुल ठीक बात है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : और इत्तो ही नहीं करो तो ही म्है तो थाने धन्यवाद ही दयां, म्हे दुर्शीष कोनी दयां थानै।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भी बोलेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, थोड़ा-सा बोल लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि बोले ही नहीं। आपने इतना बजट रखा है तो कुछ तो बोलें न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, निश्चित रूप से।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, जैसे अभी माननीय पण्डितजी अपनी बात रख रहे थे तो बजट भाषण जब हो रहा था उस बजट भाषण के 55 पेज जब निकल गये, पचपनवां पेज जब आया तो वित्त मंत्रीजी ने पानी पीकर एक बड़े अन्दाज में कहा, क्या कहा, अब मैं जनहित के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत

(16.14 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कर रहा हूं। अब मैं जनहित के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। हम बड़े उत्साहित हुए...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। मुझे आपको सूचित करना है कि भारत और श्रीलंका का मैच बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत-से माननीय सदस्य अभी इधर उधर घूम रहे हैं, मात्र दस ओवर बचे हैं, तेंदुलकर की सेन्चुरी बनने वाली है इसलिए यदि आपकी इजाजत हो तो छह बजे तक हाउस एडजोर्न कर लें, आप सब उसको देखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : छह बजे तक के लिए हाउस एडजोर्न किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.15 बजे, 18.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(18.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाता है।

सूचना

श्रीलंका संसद की मानवाधिकारों पर गठित प्रवर समिति के सदस्यों का आगमन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि हाई कमीशन फोर डेमोक्रेटिक सोशियल रिपब्लिक आफ श्रीलंका के मैम्बर्स आफ श्रीलंकन पार्लियामेंट्री सलैक्ट कमेटी आन ह्यूमन राइट्स अपने सदन में विराजमान हैं।

They are-

i. Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, Member of Parliament, Minister of Rehabilitation,

ii Mr. Raja Colline, MP;

iii Mr. Nandana Gunathilake, MP;

iv Mr. K.K. Payadasa, MP;

v Mr. Puththirasingamelley, MP;

vi Mr. Dilan Perera, MP;

vii Mr. Risad Badhiutheen, MP;

viii Mr. A.D. Susil Premajayantha, MP;

ix Mr. Anura Priyarlnarshama YAPa, MP;

x Mr. Lakshman Vijemanna, MP;

xi Mr. Rajavarothiam Sampanthan, MP;

xii Mr. W.B.D. Dasanayake, Asst. Secretary General of Parliament, and

xiii Mr. Ja Samaraweera, Asst. Director Administration (Committee Office.)

सभी माननीय सदस्य आये हैं, अपनी ओर से और आपकी ओर से इनका स्वागत करते हैं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के बहुत विस्तृत पेजों पर तो नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपका ध्यान इस पर केन्द्रित करूंगा जिसमें मंत्री जी ने कहा है पेज-55 पर "अब मैं जनहित के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।" बहुत अच्छा लगा हमको कि कोई ऐसी बातें आएंगी जिनसे वास्तव में जनहित को लाभ पहुंचेगा। यह 15 सूत्री कार्यक्रम हैं, जनहित के जो कार्यक्रम दिये हैं इसमें 15 आइटम रखे हैं आपने कुल, लेकिन इसको पढ़ने से पता लगता है जैसे कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं परिवारों में कि कोई व्यक्ति बीमार होता है उसका खूब ईलाज कराते हैं लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि डाक्टर कह देते हैं कि अब यह बचेगा नहीं, अब इसको ले जाओ अपने घर, उसका

(श्री भंवरलाल शर्मा)

वो जो उपकरण लगाये रहते हैं वो भी हटा देते हैं और यह कहते हैं कि आप इसको ले जाओ, भगवान इसको बचाएगा नहीं, कोई अच्छा करो। जैसे ही उसको घर ले आते हैं तो परिवार वाले गाय को घास डालते हैं, दान-पुण्य करते हैं, ब्राह्मण जिमाते हैं, वो इसलिए जिमाते हैं...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपको जिमाया क्या कभी?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसा कोई मौका नहीं आया। आये तो मैं तैयार हूं। तो यह सारा दान-पुण्य शरू करते हैं, मन्दिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं। यह किसलिए करते हैं? इलाज के लिए नहीं करते। वो जिन्दा रहे इसके लिए नहीं करते। वो तो पहले ही जानते हैं कि जीएगा नहीं, लेकिन यह जल्दी रवाना हो जाए इसका प्राणान्त जल्दी हो, मुक्ति हो तो यह जो आपका बजट है...

डा. महेश जोशी : जैसा आपने 1998 में पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद किया था, बहुत सारे मंत्री बनाये थे। वो सब जाने की तैयारी थी?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां-हां, है न तैयारी? हां, तैयारी थी न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये गम्भीर बातें हैं, आपके समझ की बात नहीं है, उप मुख्य सचेतकजी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, वो तैयारी थी न? वो ही यह हो रही है।

डा. महेश जोशी : नहीं, नहीं, हमारे तो नहीं हो रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वो ही यह है। ठीक कहा आपने। खूब याद दिलाया वो ही काम वो था।

डा. महेश जोशी : अच्छा, आपका तो वो था?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब यह भी वो ही है। अभी भी वो ही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आपका खयाली पुलाव है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खयाली पुलाव सही। कभी-कभी वो भी सही हो सकते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : ये मुंगेरी लाल के सपने हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसे बोलेंगे, डिस्टर्ब करोगे तो फिर... मैं तो कभी-कभी बोलता हूं, आप तो बार-बार बोलते रहते हो। मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूं। तो मेरा निवेदन यह है कि आपने यह जो बात की है सब...

डा. सी. पी. जोशी : गवर्नर बनने से पहले आप ही ने पूछा है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी शुभकामनाएं हैं न इसमें?

डा. सी. पी. जोशी : हां, शुभकामनाएं हैं। पूरी शुभकामनाएं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, काहे की शुभकामनाएं हैं। देखिये अभी होली दूर है, होली पर मजाक होता है पर अभी जस्ट वेट।

डा. सी. पी. जोशी : हम तो आपको एलीवेट करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप गवर्नर बनकर जाएं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : होली की मजाक अभी काहे को करते हो, 5-7 दिन ठहरो। ये पद उस वक्त मिलते हैं...(व्यवधान) अब इसको क्यों, तो मेरा यह निवेदन है कि...

डा. महेश जोशी : इस मामले में सी.पी. जोशी साहब और राजेन्द्रजी राठौड़ के विचार एक से ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मरणासन्न व्यक्ति की विदाई के लिए कुछ कार्यक्रम करते हैं दान-पुण्य, वो आपने किया है इसमें। अब क्या किया है, यह बताऊं आपको? पहले भी आपने किया, 104, उसमें आपने यह कहा है कि "बढ़ती जनसंख्या व आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी की समस्या समूचे देश में व्याप्त है तो राजस्थान में भी इसका अपवाद नहीं है।" क्योंकि आप हो तो अपवाद होने का सवाल ही नहीं है। जब आप विराज रहे हो तो...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका क्या हुआ? एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की आपकी पार्टी बी.जे.पी. ने बात की, उसका क्या हुआ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम यहां आ गये। हम यहां आ गये ना। हमने यह कहा तो यहां आ गये ना आये हैं आप भी। रिजल्ट तो वही होना है, इसलिए अब आप भी तैयार रहिये।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये। इनको बोलने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Both of your have equally failed.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय, बिराजिये प्लीज। बोलने दीजिये इनको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : "राज्य के बी.पी.एल. परिवार इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं अतः राज्य सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के लिए पढ़े-लिखे बेरोजगार बच्चों को मासिक सहायता राशि देने का निर्णय किया है।" बहुत अच्छा किया। यहां तक तो बहुत राजी थे हम। अब आगे पढ़िये आप, और यह बहुत अच्छा है कि माननीय मुख्य

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं। मुझे लगता है यह बजट आपने देखा नहीं, शायद यों ही इन्होंने परबारे पास करवाकर रख दिया यहां पर क्योंकि आपको भी उस वक्त समय नहीं था, बड़ा राजनीतिक संकट आया हुआ था तो इतना टाइम भी नहीं मिला होगा। "योजना के अन्तर्गत ऐसे बी.पी.एल. परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 12 हजार रुपये से अधिक नहीं हो" यानी एक हजार रुपये महीने, ठीक है न, साहब, एक हजार रुपये जिसकी इनकम होगी? अगर वो ज्यादा हो गयी तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। वन आफ दी कंडीशंस। अब एक हजार रुपये महीने की इनकम होगी तो मेरे हिसाब से 33 रुपये पर डे आता है। एक परिवार की आय 33 रुपये पर डे होगी, ऐसा कोई परिवार मिलेगा क्या आपको? आखिर में 4-5 व्यक्ति होंगे उसमें जो अकाल राहत में काम करते हैं, वो ही इसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो पहला राइडर तो आपने लगा दिया, जैसे कई बार बच्चों को खुश करने के लिए कुहनी पर गुड़ लगा देते हैं। कुहनी का गुड़ खा नहीं सकता वो। लगा रहता है कि गुड़ है, मेरे गुड़ है पर खा नहीं सकता। यह गुड़ है चिपका दिया आपने यहां।

श्री अमराराम (धोद) : कोशिश तो करेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, कर लो।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : कुहनी का गुड़ तो आप लोगों ने लगाया था। हमने तो मुंह पर लगाया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, यह कहावत है कि कुहनी पर गुड़ लगा दिया तो खा सकता नहीं, लगा रहेगा उसके। तो ऐसे बी.पी.एल. परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 12 हजार रुपये यानी एक हजार रुपये महीने होगी, कोई परिवार मिलेगा क्या आपको ऐसा? ये जो मजदूर काम करते हैं अकाल पर वो भी इसमें तो नहीं आएंगे। और एक परिवार में चार-पांच लोग तो रहते ही हैं, अगर उनकी 33 रुपये ही इनकम है तो गुजारा नहीं हो सकता। वो फिर क्या करेंगे? यदि आप ये नियम बना देंगे तो ये जो परिवार के लोग हैं ये अपनी आय की तस्दीक कराने के लिए विधायकों के पास जाएंगे। और तो कोई देंगे नहीं उनको झूठा सर्टिफिकेट, मजबूर करेंगे कि आप तो मेरे यह लिख दो कि वाकई में उसकी हजार रुपये से कम आय है, तो हमको भी परेशानी में डालोगे आप, झूठे दस्तखत करवाओगे। बाकी एक हजार रुपये जिसकी...

श्री संयम लोढ़ा : यह बात बहुत आपत्तिजनक है कि विधायक झूठे सर्टिफिकेट देंगे। बिलकुल आपत्तिजनक बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देखो, मैं मेरे लिए कह रहा हूं। मैं मेरे लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं मेरे लिए कह रहा हूं।

श्री कय्यूम खान : आपने विधायकों के लिए कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बोलने दीजिये। इनको बोलने दीजिये प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो विधायक हमारे भी तो हैं। आप लोग बहुत राजा हरिश्चन्द्र हो, नहीं करते होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फालतू बातें करते हो आप। तो ये जो सर्टिफिकेट फर्जी बनाएगा वो चाहे किसी से दस्तख्त कराये, चाहे मुझसे कराए, चाहे आपसे कराए, तो उसको आप मजबूर कर रहे हो बेईमानी करने के लिए। नौकरी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको शुरू में ही बेईमानी में डाल रहे हो आप कि झूठा सर्टिफिकेट बना भाई तू। ठीक है। फिर उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? हायर सैकण्डरी कम से कम हो। बी.पी.एल. का आदमी है वो, बी.पी.एल. परिवार का व्यक्ति है वो हायर सैकण्डरी एजुकेशन करेगा कब? तो शर्त यह लगा दी आपने। और तीन वर्ष से अधिक समय से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो। यह आपने कमाल ही कर दिया। यानी सन् 2000 में जिसने पास किया वो तो आएगा ही नहीं इस परिधि में सन् 2000 में जिसने पास किया होगा वो तो नहीं आएगा इसमें। और रोजगार दफ्तरों में नाम लिखाता कौन है? कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने इसका आकलन किया होगा पहले। आपने बहुत होशियारी से किया है यह काम आपने देखा कि ऐसा लगाओ फार्मूला कि जो कुछ भी नहीं हो, काम भी हो जाए और बात भी रह जाए। सारे आपने आंकड़े देखे होंगे कि बताओ ऐसे पंजीकृत हैं कितने। ये तीन साल आप लाये कहां से? तीन साल क्यों आपने ढूंढ़े? आपने देख लिया, तीन साल की परिधि लगाने से इसमें कोई आएगा ही नहीं तो कारीगरी से आपने यह काम कर दिया। मैं जैसे आपको बता रहा हूं, सन् 2000 में जिसने हायर सैकण्डरी पास की है वह तो इसमें आएगा ही नहीं। आगे आपने क्या किया? 300 रुपये प्रति माह से आप कब तक देंगे? 2 वर्ष तक या नौकरी लग जाए पहले? वह लगेगी नहीं, और 2 साल बाद आप रहोगे नहीं। यह चुनाव का वर्ष तब तक दे दोगे आप? वह भी तब दोगे जब यह शर्त पूरी करेगा। मैं समझता हूं इसका लाभ किसी को मिलेगा नहीं। इसलिए अगर ईमानदारी से आपको इनकी सेवा करनी है तो यह प्रतिबंध हटाइए। (व्यवधान) कोई बात नहीं, आफत ले लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन सब में आने वाले समय की आहट कोई समझता है तो आप समझते हो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आने वाले जमाने में आफत तो आने वाली है, हमको दिख रही है। गाड़ी में छाजले का क्या बोझ, इतनी सारी आएगी एक यह भी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? मेरा यह निवेदन है कि आपने जो यह आदेश निकाला है, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजमान है यदि आपकी वास्तव में इनकी मदद करने की इच्छा है तो ये आपने जो शर्तें लगाई हैं कि इनको न मिले कृपा करके आप इसमें से हटा दें। अभी आपका नम्बर आए तब आप बता दीजिए।

अब आपने इन पर तो विचार कर लिया, बाकी जो बेरोजगार हैं और बी.पी.एल. के ही परिवार हैं उनका क्या होगा? मान लो कोई मैट्रिक पास नहीं कर सका, नाइंथ करने के बाद फेल हो गया, बराबर ही है उसके, वह पास हो गया वह फेल हो गया, उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी अगर मंशा है, जो लगती नहीं है, तो इसको ठीक कीजिए। (व्यवधान)

दूसरा, आप एक और लाये 105, इसमें आपने लिखा है, अब आपको याद आया, मन्दिर आया, देवालय याद आ गये। हम जब मन्दिर की बात करते हैं तो साम्प्रदायिक हैं, दुनिया को बहका रहे हैं, अब यह अन्त समय में आपको याद आया। मैं शुरू में कह रहा था न कि जब व्यक्ति मरणासन्न होता है तो मन्दिर भी याद आते हैं, देवता भी याद आते हैं, आपको देवता भी याद आ गये। अब यह धरोहर है, आप कहते हैं कि यदा-कदा राज्य के प्राचीन मन्दिरों, देवालयों के रूप में हमारी धरोहर के जर्जर होने पर, अब यह धरोहर हो गई आपकी? वह जब नजदीक आती है तो फिर ये सब बातें खड़ी होती है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : हमारी तो परमानेंट धरोहर है, आपको जब चुनाव आते हैं तब याद आते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, आती है, जब ही याद आती है, What about you? हमको तो जब ही आती है, आपको क्या है?

श्री जनार्दन गहलोत : आपको चुनाव के वक्त ही याद आती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, हमको आती है। अब आपको कैसे आई?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप कहिए कि बोल्ड नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने तो लगता है रामजी को अपने यहां गिरवी रख लिया, ठाकुरजी को। आपने ही सारा ठेका ले लिया धर्म का।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिलकुल ठेका नहीं है, अब यह ठेका आप हमसे लेना चाहते हो? (व्यवधान) अब आपकी यह धरोहर बन गई है जिसके आज तक दर्शन नहीं किये होंगे। कहीं गये नहीं होंगे, अब यह धरोहर हो गई आपकी। इनमें से कई देवालयों में यथोचित पूजा, अर्चना व भोग के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है। अब आपको पूजा भी याद आ गई, अर्चना भी याद आ गई, भोग भी याद आ गये और मन्दिर याद आ गये, क्योंकि अब नजदीक है न। एक ऐसा ही व्यक्ति आप जैसा धनवान था तो किसी ने कहा कि भगवान द्वारा तू पैसे वाला बन गया, भगवान की कृपा है। तो वह व्यक्ति उसका विरोधी हो गया और कहा कि god is nowhere. इतना विरोध किया, उसने मकान के बाहर लिखवा दिया कि god is nowhere. कुछ दिन बाद समय पलटा, पांच साल बाद जब समय पलटा तो वह गरीब हो गया। वह बड़ा दुःखी होकर जब आ रहा था तो उसने वह लिखा हुआ वाक्य पढ़ा, तो कहता है कि god is nowhere. No where का Now here हो गया।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, लगता है इस बार ही यह गम्भीर होकर बजट को पढ़ रहे हैं, अन्यथा सारे धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान पिछले बजट में भी किया गया था। तब चूंकि चुनाव का साल नहीं था तो आपने गौर से नहीं पढ़ा। गुजरात नहीं था, बहुत सारी बातें थीं। इस बार चुनाव भी हैं, गुजरात भी हुआ है, और यह भूल रहे हैं कि हिमाचल भी हो गया। 3 उप चुनाव तो याद हैं लेकिन उसके बाद के पंचायत चुनाव याद नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इस बार आप गौर से पढ़ रहे हैं इन सारी बातों को।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई बात नहीं है, आपके डिफेंस में आप कुछ भी कह देना, पर मेरा असैसमेंट तो यह है। आपने इसके लिये दिया क्या? करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएंगे। इससे आय कितनी होती है आपको? एक करोड़ तो आपको इनसे आय ही हो जाती है। तो तेरा तुझको अर्पण कर रहे हो, दे क्या रहे हो? आपकी गांठ से क्या जा रहा है? जो मन्दिरों की इनकम आपको मिल रही है उतना पैसा आप दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो आपने किया है, यह केवल आपके मन में भय पैदा हुआ है चुनाव का तब मन्दिर याद आये हैं आपको। पर अच्छा है अन्त में याद तो आये कम से कम, ठीक बात है। अब आपको मन्दिर तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

याद आ गये, गौधन याद नहीं आया। गौमाता की चिंता नहीं थी आपको। कत्ल होते हैं तो बोलते नहीं थे। हमारे ज्ञानदेव आहूजाजी गाय न कटे इसके लिये अपनी जान जोखिम में डालकर प्रयत्न करते थे, यहां बात भी करते थे। पर वह साम्प्रदायिक, उन्माद मत फैलाओ। गौ हत्या हो रही है तो होने दो। वह बात करने वाले अब आपने गौ रक्षा के लिये एक करोड़ का प्रोविजन किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : गौशालाओं के लिये किया है जो चारे की व्यवस्था कर सके, आपकी तरह नहीं है यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी,आप जवाब दोगे न।

डा. महेश जोशी : गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष भी राजस्थान में पहली बार कांग्रेस ने बनाया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसने कहा कि आपने कुछ भी नहीं किया?

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : गौ सेवा का अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है, आपने तो यह भी नहीं सोचा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं बनाया हमने।

डा. सी. पी. जोशी : खाली वोट के लिये बात करते हो। अध्यक्ष बनाया चार साल पहले, चुनाव तो आज की बात है, चुनाव के पहले भी बनाया है। गुलजारी लालजी सोनी को अध्यक्ष बनाकर गौ की सेवा करने का क्या किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खैर, यह आपकी जानकारी में नहीं है, पहले भी आयोग था, भंवरलालजी कोठारी इसके अध्यक्ष थे।

डा. सी. पी. जोशी : हमने थोड़े ही किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या मैं यह कहता हूं कि आपने कुछ नहीं किया? कौन कहता है?

डा. सी. पी. जोशी : क्या किया आपने? नाम बनाकर क्या किया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : इस तरह चर्चा होगी, अच्छा रहा। मंत्री जवाब दें तब याद नहीं आता है, अब याद आ रहा है, चर्चा अच्छी हो रही है। मंत्री जवाब देते हैं तो बोलने नहीं देते। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (परिवार कल्याण राज्य मंत्री) : इनको दिक्कत यह है कि आप कर रहे हो लेकिन सब वोटों के लिये कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, मैं इसको वैसे नहीं ले रहा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हूं। आप बोल रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। एक सीनियर मैम्बर मेरे को टोक रहा है, I am happy मुझे बुरा नहीं लग रहा है यह। कोई नया आदमी करता तो जरा मुझे अखरता, आप कर रहे हो, अच्छी बात है।

डा. सी. पी. जोशी : आपसे ही सीख रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, सीखो मेरे से ही। फिर आपने जो आयोग में पैसा दिया वह सब गायों के लिये नहीं दिया। एक समिति को दे दिया, बाकी गायों की रक्षा के लिये आपने कोई कदम नहीं उठाया। वह आपको उठाना चाहिये था। मैं इस कदम की सराहना करता हूं, लेकिन बहुत छोटा प्रयत्न है यह और खाली वाहवाही लूटने के लिये कर दिया। मन्दिर भी याद आ गये, यह गौशाला भी याद आ गई। जब दो का कर दिया तो आपको लगा होगा कि अल्पसंख्यक नाराज हो जाएंगे, और जैसा माननीय माहिर आजादजी कह रहे थे कि हमको आपने 50 लाख रुपये दिये हैं। मैं रिमाइंड कराता हूं, उन्होंने एक शब्द कहा था कि आप यह मानते हो कि अल्पसंख्यक तो अपनी जेब में हैं ही इसलिए उनका ध्यान नहीं करते, जो इन्होंने कमेंट किया। इनका अनुभव शायद यही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : समाप्त कर रहा हूं। आपने यह 50 लाख रुपया किस काम के लिये दिया? शिक्षा के लिये, आधुनिकीकरण के लिये, कम्प्यूटर शिक्षा के लिये और वक्फ की सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिये भी। क्या करेंगे 50 लाख का यह? 50 लाख में आपका काम चल जाएगा? शिक्षा भी हो जाएगी, कम्प्यूटर भी आ जाएंगे?

श्री कय्यूम खान : 50 लाख गहलोतजी ने दिये तो हैं, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह बात तो हम मानते हैं कि कम से कम दियें तो सही। यह ठीक किया कि कम से कम कुछ दिया तो सही। एक दाना डाला तो सही।

श्री रमजान खान : यह तो आटे में नमक पड़े इतना-सा दिया है, साहब, क्या दिया है? (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : आप तो बिना नमक की ही खा रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा मतलब यह है कि आपने इनको खुश करने के लिये यह अमाउंट रखा है, बाकी इससे इनको कोई मदद नहीं होगी। अब ये इस बजट को क्यों स्वीकार कर लेंगे, I don't know इस मांग को किस तरह लेंगे यह अलग बात है।

आपने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया हमारे सामने राजकीय सेवा में नियुक्ति

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हेतु वर्तमान में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित है। बहुत अच्छी बात है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन 30 प्रतिशत आरक्षित पदों में से 5 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं से भरे जाएंगे। आप मुझे बताइये, मान लीजिए 50 महिलाओं की जगह खाली होगी तो आप 15 को आरक्षित करेंगे ना? विधवाओं को इसमें से कितनी मिलेंगी, 5 प्रतिशत। 15 की 5 प्रतिशत कितनी मिलेगी? (व्यवधान) मैं गणित में कमजोर हूं। (व्यवधान) फिर आप बात करते हैं इन 30 प्रतिशत आरक्षित पदों में से। वे जो 30 आरक्षित पद होंगे, मान लीजिए 100 महिलाओं को भर्ती करना है तो 30 करेंगे, और 5 देंगे तो 30 का 5 बटा 5 करेंगे...(व्यवधान) मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह 30 प्रतिशत आपने ऐसे दिया जैसे विधवाओं के बारे में आपको बहुत चिन्ता हो गई। (व्यवधान) जहां 100 महिलाओं की भर्ती होगी उसमें से डेढ़ महिला को नौकरी मिलेगी। अब डेढ़ लाओगे कहां से? डेढ़ कहां से लाओगे? यदि पदों की संख्या कम हो गई तो एक को भी नहीं मिलेगी। माननीय मंत्रीजी, या तो आपसे इसमें लिखने में भूल हो गई है या आपकी नीयत यही थी। नीयत यही थी तो मुझे आपत्ति है, और भूल हो गई है तो सही कर लीजिए इसको। जो 5 हैं वे 30 प्रतिशत के 5 हैं, 100 के नहीं हैं। सामान्यतया लोग यह पढ़ते हैं 5 तो महिलाओं को देंगे, 100 में से 5 देंगे, मैं समझता हूं उसका अर्थ यह नहीं है। 100 में से 30 महिलाएं हैं और 30 में से 5 महिलाएं विधवा है। और, जैसा माननीय सदस्य ने कहां, इसमें जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, ठीक है, वे भी कष्ट में रहती हैं। (व्यवधान) उसको भी इससे जोड़ना चाहिए। और क्लीयर कीजिए कि 5 प्रतिशत 100 का है या 30 का है। यदि 30 का है तो नगण्य है, दोनों रख दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रख भी देंगे, अनुपात नहीं बनेगा तो क्या होगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त कीजिए। (व्यवधान) अभी आपके नेता और बोलेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो कभी-कभी बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आपके नेता और बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सारा निचोड़ बता रहे हैं आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : हमारे मुख्य मंत्रीजी ने तो जीवन रक्षा कोष चला कर विधवाओं का सवाल ही नहीं रखा। हमारी तो सरकार चाहती है कि कोई सरकार विधवा ही नहीं बने। (व्यवधान) सबके इलाज की व्यवस्था कर रखी है, आप विधवाओं के लिए चिन्तित हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं कम कर देता हूं। इनके 15 आइटम हैं, 2-4 ले लेता हूं। आपने 111 नम्बर पर दिया है, "वृद्ध आश्रमों, अनाथालयों, मूक-बधिर व निःशक्त जनों की संस्थाओं एवं कुष्ठ आश्रमों को वाणिज्यिक के स्थान पर घरेलू दरों पर ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।" मतलब क्या हुआ इसका? अब तक आप वृद्धाश्रम जहां वृद्ध लोग रहते हैं, अनाथालय जिनके मां-बाप नहीं हैं, मूक-बधिर जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सरकार की तरह गूंगे-बहरे हैं, निःशक्तजनों की संस्थाएं और कुष्ठ आश्रम उनसे अब तक आप कमर्शियल रेट लेते थे? उनसे कमर्शियल रेट लेते थे, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। अनुदान देना दूसरी बात है, उनकी बिजली पर कमर्शियल रेट लेते थे, उसको अब यहां आकर कह रहे हैं अब आइंदा से घरेलू लेंगे। होना तो यह चाहिए था कि उनसे अब कुछ नहीं लेंगे। ऐसे लोगों के बारे में, अब तक आप घूमते रहे, यह कहने की बजाए, अब कहा है कि घरेलू लेंगे। वह भी काफी बढ़ गई। अब इन लोगों को तो माफ करो। अब तक जो ले लिया सो ले लिया।

अब आपने सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने का एक रास्ता निकाल लिया। वैसे भी निकालते हो, खूब निकालते हो, पर एक तरीका और निकाला कि अपने आप जाओ। अगर कोई कर्मचारी 5 साल तक बिना वेतन लिए छुट्टी लेता है तो आप उसको अनुमति दे देंगे कि 5 साल आप जाओ। नौकरी करनी है नौकरी करो, धन्धा करना है धन्धा करो। जब मन भर जाए तो वापस आ जाना। आपने उसको यह दिया है। हुआ क्या? जैसे ही वह व्यक्ति 5 साल के लिए जाएगा उसकी जगह कौन काम करेगा? उसकी जगह कौन काम करेगा? आप भर्ती नहीं करेंगे, उसकी जगह किसी को नहीं लेंगे तो धीरे अपने आप ही संख्या कम हो जाएगी। यदि भर्ती कर लेंगे और 5 साल बाद वह आएगा तो यही व्यक्ति जो उसकी जगह काम करेगा, उसको आप नौकरी से कैसे निकालेंगे? कोर्ट बीच में आ जाएंगी, कई शर्तें आ जाएंगे। तो यह कैसे होगा? (व्यवधान) सत्यानाश हो जाएगा, ठीक कह रहे हो, सत्यानाश हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस तरह आपकी भर्ती हुई है उसकी तरह भर्ती हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं शुक्रगुजार हूं...(व्यवधान) एस.टी., एस.सी., के छात्रावास खोलेंगे आप, यह नहीं कहा कि खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। अगर कोई संस्था खोलेगी, कोई संगठन खोलेगा तो आप उसकी मदद करेंगे। वाह-वाही यह ले रहे हो कि आप ही खोलोगे। इसमें जो आपने कहा उसमें आपके खोलने का जिक्र नहीं है। आप जब बोलो तब क्लीयर करना कि आप कितने खोलोगे। आपने तो खोलने का नाम ही नहीं लिया। कोई खोलेगा तो उसको मदद करोगे। ये केवल लुभावने स्टंट आपने रचे हैं, वास्तव में आपकी नीयत इनकी मदद करने की बिलकुल नहीं है।

आपने कहा पंचायती राज संस्थान, यह क्लीयर करना कि जब डाक्टर नहीं मिलेगा और 300 रुपये में बुलाया जाएगा, तो कौन बुलाएंगा उसको। पंचायती राज संस्थान में पंचायत होगी या पंचायत समिति होगी, प्रधान होगा, जिला प्रमुख होगा, आप किसको अधिकार देंगे? अधिकार देंगे तो वह पेमेंट कहां से करेगा? वह 300 रुपये में डाक्टर को बुलाकर पेमेंट कहां से देगा, आप उसको भी क्लीयर कीजिए।

जीवन रक्षा कोष में आपने मांग बढ़ाई है, अच्छी बात है, लेकिन आपने यह लिखा केवल कैंसर के बीमारों को देंगे। आपकी जो बढ़ी हुई राशि है वह कैंसर के लिए ही रखी है, ठीक किया। पर जो बाकी लोग हैं, उनकी भी राशि बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। अभी आपने जो अनुदान दिया, मैं समझ पाया हूं कि केवल कैंसर के लिए बढ़ाया। उसको इसमें लिखा दिया, यह ऐसा लगता है कि सबके लिए बढ़ा दिया।

आपने पेंशनर्स की बात कही है। आप सबके पास यह जानकारी आती होगी कि आज दवाई प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स की जितनी दुर्दशा है, शायद किसी की नहीं है। पेंशनर जब दुकान पर जाता है तो दुकान वाला कहता है भइया, आज नहीं कल आना। उसका पेट तो आज दुःख रहा है और दवाई कल देगा। डाक्टर ने लिखा 20 दिन की दवाई दो, तो 5 दिन की दूंगा। यह वृद्ध आदमी कहां से कहां चल कर आता है, आपने दुकान अलग खतम कर दी। आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए ताकि पेंशनर कम से कम अपनी बीमारी का इलाज तो करा सके। इसको भी आप ठीक कीजिए।

अब आपने बहुत बड़ा घूघरी का मामला चलाया। घूघरी में आपने क्या किया कि गर्मी की छूट्टी में भी बंटेगी। सामान्यतया जब स्कूल चलते हैं तब ही बच्चे नहीं आते, तो घूघरी खाने आएंगे क्या? (व्यवधान) आएंगे? नहीं आएंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं आएंगे, नैवर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं आएंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, आ जाएगा तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? अच्छा, गर्मी की छुट्टी में भी घूघरी खाने के लिए आएगा, उसका दिन भर मन नहीं लगेगा तो चलो घूघरी खाने आ जाएगा, आपकी घूघरी खाने आं जाएगा, कौन खिलाएगा? उसको वहां कौन मिलेगा? अध्यापक तो छूट्टी पर चला जाएगा, अध्यापक तो छुट्टी पर रहेगा। (व्यवधान) कैसी बात करते हो, कौन खिलाएगा उसको? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री घासीलाल मेघवाल : स्कूल में जो सहायिका है वह खिलाएगी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : महत्वपूर्ण मुद्दा है, रहेगा कौन। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन खिलाएगा उसको? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्कूल खोलेगा कौन? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बनाने वाली अकेली ही खाएगी क्या? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन खिलाएगा उसको? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसकी अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, गांव के 70 लाख बच्चों को खाने के लिए कुछ मिलेगा, इस बात की तकलीफ हो रही है क्या विपक्ष को? (व्यवधान) या यह चाहते हैं कि उन सबको बजाए घूघरी खाने भेजने के, त्रिशूल की दीक्षा लेने के लिए ...(व्यवधान) बुलाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक मिनट, मुझे पूरा करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत देर हो गई। (व्यवधान) बहुत देर तो पहले बोल गये, आधे घंटे अभी बोल गये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बहुत देर तो इसलिए हो गई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप एक घंटा बोल गये, और कितना बोलेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बहुत देर तो इसलिए हो गई कि आपने डेढ़ घंटा स्थगित कर दिया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा पहले आप पूरा बोल गये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : डेढ़ घंटे स्थगित कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घंटा पहले बोल गये, आधा घंटा अब बोल गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : साहब, आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मन से थोड़े ही कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप देख लो...(व्यवधान) आधे घंटे मैं बोल लिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इतना थोड़े ही होता है। ऐसा नहीं होता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने शुरू ही किया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो यह बोलेंगे (व्यवधान) यह और बोलेंगे। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बोलेंगे ही, साहब, क्यों नहीं बोलेंगे? (व्यवधान) यह क्या बात हुई, यह बोलेंगे तो बोलेंगे, मेरे पर क्या वजन है? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोलिटिक्स तो इनके अपने दल में हो रही है। राजेन्द्रजी राठौड़ ने इतने सीनियर मैम्बर माननीय भंवरलालजी शर्मा को ऐसे वक्त में बोलने के लिये समय दिया है जब कम समय मिल सके।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब मुख्य मंत्रीजी यहां हों।

डा. महेश जोशी : राठौड़ साहब, आप कृपाया ऐसी राजनीति नहीं किया करें। आपके सबसे सीनियर मैम्बर हैं, आपको शुरूआत इनसे करनी चाहिए थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, यह गलत बात है, मुख्य मंत्रीजी नहीं थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, इसलिये। इनके द्वारा खड़े किये गये सवालों का जवाब आप किसी के बस की बात नहीं थी इसलिये मुख्य मंत्रीजी के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं यह।

डा. महेश जोशी : हम तो चाह रहे हैं। (व्यवधान) इसलिये आपने कम समय दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, न तो आपने अस्पताल खोले, न जानवरों के खोले न इन्सानों के खोले, न स्कूल खोले। उन्होंने बड़ी वेदना प्रकट की। वास्तव में आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आपने एक आदेश निकाला है वह मैं पढ़कर मेरी बात पूरी कर देता हूं।

सहायता विभाग, राजस्थान सरकार एवं जिला कलक्टर महोदय, जयपुर के निर्देश के अनुसार आपको ग्राम प्रभारी बनाया जाता है। एक अध्यापक को यह पत्र आया है। उनको क्या-क्या काम करने पड़ेंगे, आप सब नोट कर लीजिए इसमें। अनुग्रह सहायता हेतु चिन्हित व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना, यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उसका काम होगा, अध्यापक का, जिसको आप यह काम दे रहे हो। (व्यवधान) ग्राम प्रभारी बन गया न वह, तो अनुग्रह सहायता हेतु चिन्हित व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना। एक काम तो यह होगा उसका। ग्राम में महामारी फैलने की सूचना नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र एवं नियंत्रण कक्ष को लिखित में उपलब्ध कराना, यह काम उस टीचर का हो गया। पशुओं में होने वाली महामारी, बीमारी की सूचना नजदीक के पशु चिकित्सालय एवं नियंत्रण कक्ष को लिखित में उपलब्ध कराना। यदि ग्राम में चारे और पानी का अभाव हो तो उसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना। यदि ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो तो यह निगरानी रखना कि मात्र बच्चों एवं महिलाओं को पोषाहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह करना। वृद्धावस्था पेंशन, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ समय पर प्रदान करना और कठिनाई हो तो नियंत्रण कक्ष को सूचित करना। मौसमी बीमारियों, कुपोषण, भुखमरी आदि किसी भी प्रकार की घटना घटित नहीं हो, इसकी पूर्ण निगरानी उसको करना। मैं इसको फिर पढ़ूंगा। मौसमी बीमारियां, कुपोषण, भुखमरी आदि किसी भी प्रकार की घटना घटित नहीं हो, इसकी पूर्ण निगरानी उसको रखना। अगला बड़ा इम्पोर्टेंट है, यह–जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मर के रिप्लेसमेंट की एवं अन्य विद्युत की नियमानुसार आपूर्ति को सुनिश्चित करना। यह काम उसका है, ग्राम प्रभारी–मास्टर का है। जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मर की रिप्लेसमेंट एवं विद्युत की नियमानुसार... (व्यवधान) It should be reciprocal.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज कोआपरेट कीजिए आप। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, प्लीज बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, बस दो और हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूं, यह बात।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कनक्लूड कर दूंगा। विद्युत की नियमानुसार आपूर्ति को सुनिश्चित करना। यदि कठिनाई हो तो नियंत्रण कक्ष को सूचित करना। यदि आप उपरोक्त दायित्व निर्वहन में असमर्थ रहे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मर गये मास्टरजी। यह कराएंगे आप, जस्ट–सी, यह काम मास्टर का है क्या? ये आपने आदेश निकाले हैं, इसको देखे तो सही, आप क्या करना चाहते हैं। स्कूल खोलना नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, हैं जिनको यह काम दे दिया आपने। ये उनके बस के हैं क्या? अगर ट्रांसफार्मर जल

(श्री भंवरलाल शर्मा)

गया तो उसको ठीक वह करवाएगा? बिजली ठीक सप्लाई हो रही है, यह वह देखेगा। कैसे अजीब–से आदेश निकाले हैं। मैं समझता हूं कि आपके ध्यान में नहीं रहे होंगे। आप कृपया इसको देख कर ठीक करें।

उपाध्यक्ष महोदय, बातें तो मुझे बहुत सारी करनी थीं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, और समय मिलेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी ऐसी मर्जी है तो अपने को भी कोई दिक्कत नहीं है।

खेलों में एक करोड़ रुपये की बात की है जिसमें खेल भी आ गये, युवा कार्यकर्ताओं की गतिविधियां भी आ गयीं, वह भी आ गया। केन्द्र सरकार से करोड़ों रुपया तो वैसे ही मिलता है आपको, अनुदान मिलता है और आपने एक करोड़ कुल दिया है। इस एक करोड़ में खेल भी चमक जाएंगे और युवा भी...

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपको यह भी पता है कि 1998 के बाद जो एड मिलती थी वह 50 प्रतिशत कर दी है। (व्यवधान) पहले 75 प्रतिशत मिलती थी वह 50 प्रतिशत कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप बताएं ना आप क्या कर रहे हैं, वह तो केन्द्र ने किया है। जब आप खर्च नहीं करेंगे तो यही करेगा केन्द्र तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हम तो देते थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या देते थे? किसको देते थे?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : युवाओं के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति सद्भावना थी। केन्द्र सरकार की नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हां, सद्भावना तो है, उससे काम चलेगा। अब तो सद्भावना रखो आप। हमारी आपके प्रति सद्भावना है अब। तो, उपाध्यक्ष महोदय, विषय और भी हो सकते हैं लेकिन आपका जो आदेश है, वह मानता मैं मेरा कर्तव्य मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत कृपा कर रहे हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, आपने कह दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि श्रीलंका के 5 विकेट पर केवल 40 रन बने हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, आप यह कमेंट्री लगातार करें। हर 5 मिनट में क्या हालत है, कृपया हमें सूचित करते रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता, प्रतिपक्ष, बोलिये प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे उस रोज गुलाब सिंहजी का भाषण पढ़ा हुआ मान लिया था, आज प्रतिपक्ष के नेता का भाषण भी पढ़ा हुआ मान लें, हमको मैच देखने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज, बिराजिये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। ये बोल रहे हैं, आप बीच में कहां बोल रहे हैं?

श्री अमराराम (धोद) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय अपना बोल रहे हैं, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये, प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आपने जो टाइम अलाट किया वह तो दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने यहां सदन से जो व्यवस्था फमाई है कि 5 मिनट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का समय है।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट में न तो आप बोल सकते हैं, खाली 5 मिनट कहते हो। और अवसर आएगा तब बोल लेना, आपको समय दे देंगे। आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, यह 5 मिनट का अवसर कब आएगा?

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट में आप खतम करेंगे नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : अब दुबारा यह सरकार बजट रखेगी नहीं। यह सरकार तो दुबारा बजट रखेगी नहीं, और आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, अगली बार बजट हम रखेंगे, आप सुनिश्चित रहो और आपको एक घंटा देंगे। एक घंटा समय देंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट में तो कुछ होता ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो राजस्थान की जनता निर्णय करेगी कि कौन रखेगा अगला बजट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगले बजट का समय सुनिश्चित कर लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, अभी बीच में बहुत अवसर आएंगे, आप बिराजिये अब। माननीय कटारिया साहब, प्रतिपक्ष के माननीय नेता। कटारिया साहब बोलिये प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो क्या बात हुई, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें ना, आप काहे को बोल रहे हैं, आप तो बोल चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह नेशनल पार्टी से हैं, नेशनल पार्टी है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो भी आदेश करेंगे, इस बात को मानूंगा। लेकिन केवल मैं एक माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी 6.36 हुए हैं, 6.41 पर बंद कर दूंगा, बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आप कहो तो मैं नहीं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो कह रहा हूं, मत बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, वह तो कह रहे हैं, बोलो। उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दे, आप इतने सदाशय हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो कह रहा हूं मत बोलो, आप कह रहे हो बोलूं, तब क्या करूं मैं?

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आप मना कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब। और अवसर आएंगे, कोई बात नहीं, बिराजिये। बिराजिये, अब बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद) : मैं इसके विरोध में वाकआउट करता हूं।

(श्री अमराराम धोद, सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में बजट, जनता के लिये सबसे ज्यादा किस दिशा में जाएगा प्रदेश, क्या उसकी तरक्की होने वाली है और सम्पूर्ण लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर उस बजट को पास करते हैं। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत राजस्थान की है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि हमने बराबर इस बात की ओर इंगित किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन आप लोगों ने इस ओर अपना ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा। जो प्लान हम यहां पास करते हैं जो विभिन्न विभागों की डिमाण्ड को हम यहां से अनुमोदन करते हैं उनकी पिछले वर्षों में क्या दुर्गति हुई है इसको कभी किसी ने ठीक मन से देखने की कोशिश नहीं की। यह जो परिपाटी पड़ रही है इसको आप किसी भी रूप में लें, लेकिन यह परिपाटी लोकतंत्र के लिये नासूर का काम करेगी और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएगी। इस सर्वोच्च सदन का सारा महत्व खतम हो जाएगा और हम सब चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के सामने कठघरे में खड़े होंगे। इतनी बड़ी अदालत में जहां बजट पास होता हो वहां बजट की ऐसी दुर्गति एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। हम बजट जो पेश करते हैं, प्लान की पालना हुई कभी आपने इस ओर इंगित किया? मैं इसलिये आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो आप कहते हो ना, 1994-95 में बजट पेश हुआ था, प्लान था 2425 करोड़, 2415 करोड़ रुपये पूरा हुआ। मात्र 9.3 करोड़ रुपये जो हमने बजट का दिया, उसमें कमी रही। सन् 1995-96 में 3200 करोड़ का किया, 3162 करोड़ रुपये की पूर्ति हुई। मात्र 37.6 करोड़ रुपये की उसमें कमी रही। सन् 1996-97 में बजट पेश किया 3310 करोड़ का, 3310 करोड़ पूरे का पूरा। उसकी पूरी पूर्ति होकर जीरो प्रतिशत बचत रही, एक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद 1997-98 में जो हमने पेश किया था, 3504 करोड़ का बजट पेश किया और साल के अन्त में जो पूर्ति की वह थी 3987 करोड़ रुपये जितना प्लान बजट हमने पेश किया उसमें 483 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करके हमने विकास को आगे ले जाने का प्रयास किया। अब आप अपने बजट को देखिये, 1998-99 का बजट पेश तो हमने किया लेकिन उसकी अन्तिम तिमाही आपके हाथों में थी। 4300 करोड़ रुपये का पूरा प्लान बजट था, उसकी पालना क्या हुई? 3632.83 467 करोड़ रुपये हमारे उस प्लान बजट में कट़ौती हुई। उसके बाद 1999-2000 में 5022 करोड़ रुपये का पेश किया, मात्र 3600 करोड़ रुपये की पूर्ति हुई। 1421 करोड़ रुपये की बजट में कटौती हुई। उसके बाद 2000-2001 में 4146 करोड़ रुपये का पेश किया, मात्र 3722 करोड़ रुपया, अर्थात 423 करोड़ रुपये की कटौती हुई। उसके बाद 2001-2002 में 4515 करोड़ का बजट पेश किया, 4338.27, अर्थात 177 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसके बाद फिर अगला लीजिए 2002-2003, 5107 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, 4370 करोड़ रुपये की पूर्ति हुई और 789 करोड़ रुपये की हमने कटौती की। अब जिस समय यह कटौती कहा जाता है, उस समय यह बारबार कहा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाता है कि राजस्थान पर भयंकर अकाल है, भयंकर सूखा है और इसके कारण से हमको बजट में कटौती करनी पड़ी। मैं, वित्त मंत्री महोदय, आज आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने बजट की कटौती इन विभिन्न सालों में जो की है इस कटौती की आपने अकाल पर एक पाई कहीं लगाई हो तो अकाउंट निकाल कर बता देना कि यह यहां पर हमने बचत की और यह हमने खर्च की। केवल जनता को यह बात कहने के लिए है कि अकाल है इसलिए कटौती हो गई। जबकि हमारी अयोग्यता के कारण से कटौती हुई। उसके कारण से हमने पंचवर्षीय योजनाओं की दुर्गति की है, आप लोग भले ही कुछ भी कहें। पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना 3000 करोड़ की थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना भैरोंसिंहजी ने 11500 की स्वीकृत करवाई और जब पांच साल बाद उसका अन्त हुआ तो 12500 करोड़ रुपये खर्च हुए। कोई कटौती उसमें नहीं हुई। नवीं पंचवर्षीय योजना 27650 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई। हमने जो अपना बजट पेश किया वह सबको जोड़ो तो 21083 करोड़ रुपये होता है। लेकिन उसमें जो एक्चुअल खर्च हुआ, वह एक्चुअल खर्चा हुआ मात्र 19 हजार करोड़। यानि 27650 करोड़ की योजना को 19 हजार करोड़ में समेटा। उसमें से भी जैसा मैंने आंकड़ा बताया था, 483 करोड़ रुपये हमने प्लस में खर्च किया था, अगर उसको निकाले तो आपके केवल चार साल जो उस पंचवर्षीय योजना के थे, उस पंचवर्षीय योजना में आपने 2888 करोड़ की कटौती की। मात्र 15 हजार करोड़ का बजट, उसमें से 2888 करोड़ रुपये की कटौती हो जाए, 20 परसेंट बजट में कटौती हो जाए और यह सदन पास करे और हम सब लोग उसमें बहुत प्रसन्न हो, तारीफ के हम पुल बांधे। पिछले साल का रिकार्ड उठाकर इन सब माननीय सदस्यों के भाषण पढ़ो आप और पढ़ने के बाद में अपने आप पर विचार करो कि हम किस लोकतंत्रीय व्यवस्था में जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। कोई जनता आपसे पूछ नहीं सकती सीधी कि किस तरह से हम बजट की दुर्गति करते हैं और कहते हैं कि हमने अकाल में खर्च कर दिया। यहां खर्च कर दिया, वहां पर खर्च कर दिया। एक पाई भी आपकी अकाल में कहीं भी किसी भी हैड में दिखाई नहीं देती कि यहां इस पैसे को किया आपने। सब प्रकार की कटौतियां करके, और बजट की जो सैंक्टिटी है, बजट का जो महत्व है, जिस बजट को लोग सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि राजस्थान का बजट पांच तारीख को पेश होगा, जनता उस ओर देखती है कि भविष्य का कोई इसमें से हमें दिशा-निर्देश मिलेगा, यह दिशा-निर्देश मिला? जब बजट पेश हुआ तब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तालियां पीटी गयी थीं, और जब बजट का अन्त हुआ उस दिन वह रसातल की ओर चला गया। यह विकास कर रहा है? विकास इसी प्रकार से होता है? जो बजट पेश करते हैं उसमें कटौती कर देने से विकास होता है? यह कोई नई थ्योरी है? यह कोई हमारा नया मापदण्ड बना, उसी के आधार पर आपने देखा होगा।

यही नहीं, इसी प्रकार से आश्चर्यजनक आंकड़े, आपने कभी टटोलने की कोशिश नहीं की, मुझे इस बात का दुःख है। यह जो आपकी पूरी नवीं पंचवर्षीय योजना है इस नवीं पंचवर्षीय योजना में आपने किस प्रकार से पांच साल का बजट रखा, उसमें भी किस प्रकार का खर्चा किया, कितनी कटौती कर दी, मैं चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी, मेरे इन सब सवालों का जवाब आंकड़े सहित दे तो मेरे मन में इस बात का संतोष होगा कि वास्तव में राजस्थान की जनता के साथ हम न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग यहां बैठकर लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं या लोकतंत्र को मिटा रहे हैं, इस ओर इंगित करना चाहता हूं। आर्थिक सेवाओं में जो पूरी नवीं पंचवर्षीय योजना का बजट आपने पेश किया उसमें 71.59 प्रतिशत कटौती हुई। 71 प्रतिशत कटौती। पूरे पांच साल का आंकड़ा दे रहा हूं, पूरे पांच साल में आर्थिक सेवाओं में आपने 71.59 परसेंट की कटौती की। वैज्ञानिक सेवाओं में आपने 50.56 परसेंट की कटौती की, कृषि में आपने 25.63 परसेंट की कटौती की, सामान्य सेवाओं में 24.54 परसेंट की कटौती की, परिवहन में 19.68 परसेंट की कटौती की, उद्योग में 19.67 परसेंट की कटौती की, विशेष क्षेत्रीय विकास में 14.15 परसेंट की कटौती की, सिंचाई में आपने 12.06 परसेंट की कटौती की, सामाजिक सेवाओं में 8.3 परसेंट की कटौती की और ग्रामीण विकास में 3.74 परसेंट की कटौती की। यह पूरा आपका फाइव ईयर प्लान है, 27000 करोड़ को छोड़िये, जो 21000 करोड़ का आपने प्रावधान रखा था, उसकी यह दुर्गति हुई है, इसको देखने की कोशिश करें। प्रदेश का विकास होता है बजट से या विनाश होता है? इसके बारे में तो माननीय सदस्य सोचे। तर्क के आधार पर अपनी बड़ाई कर लेने से ही काम नहीं चलेगा। जो आंकड़े हैं वे आंकड़े तो इसी ओर जा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से अपने इस बजट की दुर्गति करके रखी है। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि आप इस बारे में देखने की कोशिश करे कि क्या वास्तव में हम ठीक प्रकार से अपने इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं।

अभी आप कह दीजिए, राजस्थान का बजट एक दृष्टि में, आपका ही बजट है, 2003-2004, आप कहते हो कि हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्थान को विकास की ओर ले जा रहे हैं। यह विकास की ओर जा रहा है या वह गरीब विनाश की ओर जा रहा है? सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य मंत्रीजी, आपका ही विभाग रहा है न, इसकी भी देखिये। आप इस पर निगाह डाले केवल एक साल, पिछले साल जो बजट पेश हुआ, आप चाहे तो मैं आंकड़े सहित बता सकता हूं, कि हमारा पिछले साल का बजट था 244 करोड़ रुपये प्लान का और अबकी बार बजट पेश हुआ है, 196 करोड़ रुपये का। अभी तो प्लान में है। खर्च क्या हुआ, उसकी दुर्गति तो आगे देखी जाएगी। जो कुछ आपने रखा है, उसमें ही आपने 19 परसेंट की कटौती कर डाली। इसी तरह से प्राकृतिक आपदा, बड़ा जोर-जोर से कहते हैं कि राजस्थान में शताब्दी का सबसे भयानक अकाल है, राजस्थान मुकाबला कर रहा है, पशुधन का यह हो रहा है, क्या भाषण देते हैं। और हमारा व्यवहार क्या है? यानि आपने बजट के हैड्स को देखने की कोशिश की? जो प्राकृतिक आपदा में पिछले चार साल का रिकार्ड है, उन चार सालों का वर्णन नहीं, अभी तो केवल एक साल तक की तुलना करो। चार सालों की ऐसी ही स्थिति बनी है। पिछले साल का जो बजट था 2002-2003, प्राकृतिक आपदा हैड में पैसा रखा था 230 करोड़ रुपये और अबकी बार वाले में भयानक अकाल है इसलिए अब केवल 181 करोड़ रुपये है 181 करोड़, यह हमारा बजट एलोकेशन है। हम क्या दे रहे हैं राजस्थान की जनता को? हम यहां कुछ भी कह दे, लेकिन आपका बजट तो यह बताता है कि आप इसके बारे में गम्भीर नहीं हैं। लोग भूख से मरे या जानवर भूख से मरे, आप अपने बजट हैड में कोई एक फूटी कौड़ी भी बढ़ाना नहीं चाहते हो। कृषि की भी दुर्दशा है जो पहले भी मैंने आपको बताई, और इस साल और बता रहा हूं। कृषि में पिछली बार था 792 करोड़ अबकी बार मात्र 703 करोड़ है, 11 परसेंट की कटौती है। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है, हमारे विरोध पक्ष के नेता कह रहे हैं कि इस बजट में आपने कटौती की आपके राज में जब भैरोंसिंहजी की सरकार थी उसमें यह बजट बताया कि जिनमें यह पूरा पूरा था। मैं आपसे निवेदन करूं अगर मेरी बात गलत हो तो बता देना और गांवों में जांच कर लो कि गांवों में इन्होंने पुलिंदा निकाला था कि इस सड़क के ऊपर पांच लाख का काम करवाया, इस एनीकट के ऊपर दो लाख का काम करवाया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री देवीलाल बैरवा : इस तलाब के ऊपर तीन लाख का काम करवाया। वहां पर एक तगारी चूना की इन्होंने नहीं लगाई और इनका पुलिंदा निकाला हुआ है लाखों का काम करवाया। वे कापियां आज पंचायतों पर और गांवों में पड़ी हुई है। यह भाषण देते फिर रहे हैं कि यहां हमने सड़क का काम करवाया जिसमें इतने रुपये गांव को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीलाल बैरवा : इसमें गांव के जो थे वहां तो काम ही नहीं हुए और यह झूठे काम बजट में पेश करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देवीलालजी, बैठिये आप।

श्री देवीलाल बैरवा : आज पंचायत और गांव में बजट की कापियां पड़ी हैं, काम तो हुआ ही नहीं और बजट को पूरा कर दिया इन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौनसी परम्परा है?

श्री हीरासिंह चौहान : फिर तो यह बोलेंगे तो हम नहीं सुनेंगे।

श्री देवीलाल बैरवा : इनके तो बजट में बंट गया और जिनके अन्दर फर्जी मस्टररोल भरे गये, फर्जी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलालजी, बिराजिए आप।

श्री देवीलाल बैरवा : और वह फर्जी मस्टररोल भरा तो भी वह पूरा नहीं हुआ। काम तो करवाया ही नहीं, वहां बजट को पूरा कर दिया। यह गलत बात हो तो मैं आपको कापी लाकर यहां पेश करूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिय प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नये वित्त मंत्री आ गये क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नये वित्त मंत्री आ गये क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं कि अगर कोई गलती कहीं हुई है तो आपको पूरा अधिकार है। सरकार आप चला रहे हैं, हमारी कोई कमी-खामी रही, उसके लिए जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है, आप बताइये, हमको किसी प्रकार का मन में कोई अफ़सोस नहीं होगा। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। जिस तरीके से माननीय सदस्य अब इतने सीनियर हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता।

इसी तरह से वन और वन्य जीव में 25 प्रतिशत, 299 करोड़ पिछली बार था, इस बार केवल 221 करोड़ है। इसी प्रकार से विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम में 8 प्रतिशत की कमी हुई। वैज्ञानिक और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रौद्योगिकी में आपने 32 प्रतिशत की कटौती की है। यह तो केवल पिछले साल के बजट से मैंने तुलना की। राजस्थान को विकास की आवश्यकता है कि नहीं? उसके बाद बजट पर तालियां बजायीं कि हमने 5857 करोड़ का बजट पेश कर दिया। चमत्कार हो जाएगा, राजस्थान विकास की ओर दौड़ेगा। हमारा बजट तो विकास की ओर भाग रहा है जबकि आंकड़े विकास की ओर भागना नहीं बताते हैं।

अब इस कर्जे के बारे में आपने ऐसी सुन्दरता से बात रखी जब आपने चुनाव जीतकर सरकार बनायी, व्हाइट पेपर इश्यू करके, हम पर आपको जितने आरोप लगाने थे, कि हमसे राजस्थान को डुबो दिया 23800 करोड़ के कर्जे में। भैरोंसिंहजी ने छह हजार करोड़ के कर्जे में लिया और हमने उसको 23-24 हजार करोड़ तक कर्जे में डुबो दिया। मैं सोचता हूं सातवीं पंचवर्षीय योजना केवल तीन हजार करोड़ की थी तब कर्जा था छह हजार करोड़ का। आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले बीच में दो साल और निकले थे उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई तो 11,500 का बनाया, हमने साढ़े 12 हजार करोड़ की योजना की पूर्ति की। इन सबको मिलाने के बाद भी 23,800 करोड़ का कर्जा छोड़ा था। उसके बाद आपके आने के बाद आपने कर्जे को कम करने की शपथ ली थी यहां सदन में। उस व्हाइट पेपर को इश्यू करने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्रीजी ने अपनी घोषणाएं की कि हम यह करके चमत्कार करेंगे। लेकिन चमत्कार तो बिलकुल उलटे ही निकले। अब हमारा कर्जा जिस ढंग से पहुंचा है उसका भी थोड़ा सा आकलन कर लें।

मैं सोचता हूं, 1998-99 में जो 24 हजार करोड़ आपने अपने इस भाषण में लिखे उसके आगे एक लाइन और लिख देते तो आपको भी सुविधा होती, हमको भी सुविधा होती। 2002-2003 में 44,380 करोड़, आपके आंकड़े हैं, इसमें मैं कोई अपनी तरफ से नहीं मिला रहा, आपने जो कुछ भी हमें लिटरेचर दिया उसी में से निकाल कर बता रहा हूं, 44,380 करोड़ रुपये का कर्जा है। हमने जब 1998-99 में सरकार छोड़ी तब प्रति व्यक्ति कर्जा था 4,600 रुपये और अब प्रति व्यक्ति कर्जा है 7,745 रुपये। अब हम यह कर्जे में डूब रहे हैं कि नहीं डूब रहे, इसके बारे में आपको स्वयं को अंदाजा लगता है। इस कर्जे में डूबने के बाद भी मुझे समझ में आना चाहिये था कि अगर हम कर्जे में डूबे और उसका भी कहीं न कहीं विकास की ओर इंडिकेशन हो तब भी हमें कोई अफसोस नहीं हो कि चलो पैसा लेकर हम विकास कर रहे हैं। अब आपका यह जो सारा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर्जा है, मैंने ये जो कुछ भी आंकड़े निकाले हैं आपकी किताब में से निकाले हैं। यह आपकी बजट स्टडी है, इस बजट स्टडी में 1999-2000 में जो आपने ऋण लिया, वह 11,414 करोड़ रुपये का लिया और रीपेमेंट किया 7,132 इस तरह से 4,282 करोड़ रह गया। 2000-2001 में 10,334 लिया और 7,341 दिया, 2,992 करोड़ का कर्जा रह गया। उसके बाद 2001-2002 में 13, 287 लिया, 8,332 आपने चुकाया, 4,955 बाकी रह गया। फिर 2002-2003 में 16,500 लिया, 11,000 चुकाये 4,000 रह गया। 2003-2004 में 12,994 करोड़ का कर्जा और उसमें 7,534 यह सारा मिलाकर 22,327 करोड़ रुपये का कर्जा आप दिखा रहे हो। अब इसमें एक कर्जा और छिपा हुआ है जिसको आप बताना नहीं चाहते, जिसको आप छिपाकर रखते हैं। वह कर्जा कौनसा है, आपको मालूम है क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं। सार्वजनिक लेखे के पैसे जमा होते हैं आपके खाते में, जिसमें आपकी भविष्य निधि जमा होती है, प्रोविडेंट फण्ड जमा होता है, सिविल जमा होती है, यह अदृश्य लोन है आपके ऊपर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह चुकाया नहीं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं ये जो फिगर्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं उस फिगर में रिफ्लैक्ट करता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरी इंटरप्ट करने की इच्छा नहीं थी लेकिन रिकार्ड पर यहीं ठीक हो जाए, वह बेहतर है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जो भविष्य निधि है, सिविल जमा है, स्थानीय निकायों की जमा हैं और अन्य जो जमा हैं उसमें से भी आपने लोन दिया और हर साल उसमें चुकारा भी किया। 1999-2000 में 22,321 करोड़ रुपये इसमें जमा हुआ और 20,746 आपने इसको दिया और ऐसा करके 1574 करोड़ का बैलेंस रह गया। फिर इसके बाद 2000 में 26, 256 करोड़ रुपये आपके पास लोगों का पैसा जमा हुआ और उसमें से आपने 25,000 दे दिया, 1141 करोड़ रुपये इसमें से रहे। इसी तरह से 2000-2001 में 29,281 करोड़ तो आपके पास जमा हुआ, 28,397 आपने चुकाये, 884 करोड़ रुपये इसका बैलेंस रहा। इसके बाद 2001-2002 में 30,526 करोड़ आपके पास जमा हुआ लोगों का, आपने 29,249 करोड़ रुपये उनको चुकाये, इस तरह से 1286 करोड़ रुपये बचा। इसके बाद 2002-2003 में 32,184 करोड़ रुपया आपके पास आना है और 31,000 करोड़ रुपये का आपका पेमेंट है। ये मिलाकर 6,066 करोड़ रुपये हुए जिसको आप अदृश्य ऋण कहते हैं। जो कहीं कागजों पर आता नहीं, कभी चाहे जब मिला दो, कभी चाहो जब हटा दो। इस तरह से करके मैंने आपको वो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गिनाया। 22000 करोड़ का कर्जा, 6,000 का कर्जा, यह ऐसे मिलाकर 28,000 करोड़-24128, इसका मतलब आज की तारीख में राजस्थान 52,000 करोड़ के कर्जे में है। अब इस तरह से कर्जा लेकर किसी और दिशा में चलते तो कुछ बात समझ में आती, लेकिन लेकर आपने कुछ भी नहीं किया।

आगे मैं और कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत अफसोस होता होगा कि हम रोज इस बात की आलोचना करते हैं, जब भी बजट पर भाषण करते हैं, कि हमारा रेवेन्यू रिसीट क्या है और उसमें हमको कितना घाटा हो रहा है। जब रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अन्तर बढ़ता है, इसका मतलब स्टेट दिवालियापन की ओर जाने का रास्ता तय करती है। अब आप अपने पुराने आंकड़ों को टटोलकर देखिये कि राजस्थान किस तेज गति से इस दिवालियापन की ओर जा रहा है और जाने का कारण क्या है। उसका कारण तो मैं आपको बताऊंगा। 1994-95 में केवल 424 करोड़ था रेवेन्यू का घाटा, उसके बाद हुआ 1995-96 में 701, 1996-97 में 865, फिर 1997-98 में 581, और जैसे ही 1998-99 आया आपका रेवेन्यू का घाटा हो गया 2,996 करोड़ रुपये। उसके बाद फिर 1999-2000 में 3,649, फिर 2000-2001 में 2,633, फिर 2001-2002 में 3,795, फिर 2002-2003 में 4074 और उसके बाद अब की बार आपका रहेगा 3,672 करोड़। यह जो रेवेन्यू रिसीट आपकी घट रही है, और जो खर्चा बढ़ता है उसका मुख्य कारण है आपका बढ़ता हुआ ब्याज का भार। यह बढ़ता हुआ ब्याज का भार जो आ रहा है इसके बारे में आपने हमारे लिये व्हाइट पेपर में तो बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन हकीकत यह है कि इससे आप निकल नहीं पाये अपने किसी भी प्रयास से और इसके कारण हमारा बजट निरन्तर घटता चला जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट भी 2000-2001 में 4,313, 2001-2002 में 5,718 और 2002-2003 में 6,504, मतलब हम सब तरफ से बरबादी की ओर जा रहे हैं। मैं सोचता हूं, इस बारे में निश्चित रूप से वित्त मंत्री जब अपना जवाब दे तो बताएं कि हमने पांच साल में क्या पाया और क्या खोया है। राजस्थान को हम तरक्की की ओर ले जा रहे हैं या राजस्थान को विनाश की ओर ले जा रहे हैं।

तरक्की के आंकड़े भाषण में हो सकते हैं, आपके और मेरे से हो सकते हैं, पर हकीकत की जो बैलेंस शीट बनकर सामने आ रही है उससे हमें तरक्की का रास्ता नहीं दिख रहा है। वह हमें मौत का रास्ता दिखा रही है कि राजस्थान किन हालात में जा रहा है। यह दिवालिया स्टेट घोषित होने की स्थिति में चला जाएगा। इसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बारे में हमको चिन्ता करनी पड़ेगी। अब आप रोज यह कहते हो कि केन्द्र सरकार हमको मदद नहीं करती। केवल मैं आपके ऋणों के बारे में बता रहा हूं, बाकी काम तो बाद में बताऊंगा। केवल सरकारी ऋणों के बारे में आपको आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि आप कई बार अपनी इन थोथी घोषणाओं के आधार पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हमारा इंटरनल जितना भी कर्जा था, हम 1994-95 में कर्जे का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा अपने ही स्टेट से पूरा करते थे। 1998-99 में हम 57 प्रतिशत हिस्सा पूरा करते थे और 2000-2001 में 57 प्रतिशत। इसके बाद सार्वजनिक जो मिलता था, मात्र 28 प्रतिशत केन्द्र का था, बाकी हम अपने सोर्स से, राजस्थान के सोर्स से ऋण लेते थे। अब जो केन्द्र का ऋण आपको मिला है वह 42 प्रतिशत है, हमारा अपना है 57 प्रतिशत। निरन्तर हम केन्द्र के ऋण के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं और इस निर्भरता के कारण हम किस तरह से तरक्की करेंगे, इस बारे में तो आपको स्वयं ही विचार करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि अब इसी में कई हैं, इंटरेस्ट का भार बढ़ता चला जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय, मैं सोचता हूं और तो कोई आधार नहीं होता है, स्टेट तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, आप आंकड़े गिना रहे हो फिर भी हम सब स्टेटों में 15 नम्बर पर हैं, 12वें नम्बर पर हैं हम 14वें नम्बर पर हैं।

(19.00 बजे)

पर इसको देखने की कोशिश की कि नहीं कि वास्तव में प्रति व्यक्ति आमदनी की दृष्टि से हमारी स्थिति क्या बन रही है। 1997-98 में जहां प्रति व्यक्ति आमदनी 8601 रुपये थी वह अब 2002-2003 में 7930 रह गयी। 1998-99 का आंकड़ा दे रहा हूं, हमारी प्रति व्यक्ति आय निरन्तर घट रही है। जब हमारी प्रति व्यक्ति आय निरन्तर घट रही है तो फिर हमारी तरक्की कैसे हो सकती है? कैसे हम तरक्की कर रहे हैं? आखिर तरक्की का थर्मामीटर क्या है, यह मैं समझना चाहता हूं। प्रति व्यक्ति आय प्रति देखें प्रति व्यक्ति आय में आंकड़े बताये कि हमारा स्टेट यहां है, हम इतने नम्बर पर हैं। अब आप इस चार्ट को उठाकर देखें तो उस आर्थिक समीक्षा में लगाया है टेबल नम्बर 9 वाला, स्टेटवाइज पर कैपिटा इनकम, उस दृष्टि से राजस्थान में 1981 में 1424 रुपये थी और हमारी रैंक थी 22वीं। उसके बाद 1990-91 में 4883 पर आये और रैंक 18 हो गयी थी, 29 राज्यों में, जिसमें केन्द शासित प्रदेश भी उसमें मिला दिये हैं। उसके बाद 1998-99 में 12348 थी और रैंक थी बीसवीं। अब आपने तरक्की की है, 2000-2001 में रैंक हो गयी इक्कीसवीं। जो अठारहवीं रैंक पर आये थे, वह वापस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाकर इक्कसीवीं रैंक पर राजस्थान आया। यह तरक्की का ही निशान है। 29 राज्यों में हम बाइसवें स्थान पर, इक्कीसवें स्थान पर प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से टिके हुए हैं। तो छोटे-छोटे राज्य जो केन्द्र शासित हैं, उनसे भी हमारी स्थिति कितनी बदतर है, इसके बारे में सोचना चाहिए।

Rank according to the Statewise important economic index, इसमें राजस्थान का जो नम्बर है, आज जिस एजुकेशन की बात कर रहे हो कि हमने साक्षरता बढ़ायी 22 प्रतिशत इसमें कोई दो राय नहीं हैं। राजस्थान ने अपनी साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने में पिछले दस सालों में जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह वास्तव में अच्छा है इसमें हम लोगों ने भी कुछ किया, आप मानो या नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन यह दो साल में चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन आपकी इच्छा है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर कोई ट्राफी आपको मिल गयी तो खाली ट्राफी को लेकर हिन्दुस्तान में घूम कर यह प्रचार करना कि यह सब करिश्मा हमने कर दिया, यह करिश्मा तो आगे आने वाले दस वर्ष के बाद जब जनगणना होगी उसमें देखने में आएगा, उस समय पता लगेगा कि कौन कहां टिका हुआ है। 17 राज्य हैं कुल हिन्दुस्तान में साक्षरता की दृष्टि से, हम चौदहवें स्थान पर हैं। हमने कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित नहीं कर लिया। जहां पन्द्रहवें स्थान पर थे वहां से चौदहवें स्थान पर आये, इससे ज्यादा और कोई बहुत बड़ी तरक्की नहीं हुई। यद्यपि हमने 22 प्रतिशत अपनी साक्षरता बढ़ायी, यह बात सच है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखो कि दूसरे राज्य भी अपनी साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने में हमारी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने मियां मिट्ठू बन कर अपनी प्रसन्नता से शांत होकर संतोष लेकर नहीं बैठना है, हमें इसको आगे बढ़ाना है।

लेकिन शिशु मृत्यु दर जो है उसमें तो हमारा कमाल है, हम हिन्दुस्तान में नम्बर चार पर हैं। सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु कहां होती है? हमारे यहां होती है। मतलब इन सब आंकड़ों को भी टटोलने की कोशिश करनी चाहिए। आप बड़े भाषण दे रहे हो कि हमने रोडों का यों कर दिया, हमने चमत्कार कर दिया, हमने यों कर दिया, हिन्दुस्तान में आपकी स्थिति क्या है? अब ये आंकड़े आप नहीं देखोगे क्योंकि आपके फेवर के नहीं हैं, और जो काम आपके फेवर का नहीं है उसे बोलना नहीं चाहिए। यह डिबेट का विषय हो गया है। रोड की दृष्टि से हिन्दुस्तान में कुल 17 राज्य हैं जिनकी मैं सूची आपको दे रहा हूं, हमारा रैंक है सोलहवां। हमने कोई बहुत तरक्की कर ली हो और उसके कारण से खुश होकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तालियां पीटने से समस्या का समाधान नहीं होगा, राजस्थान तरक्की नहीं करेगा। हमको अपने इन आंकड़ों के आधार पर हम कहां है और कहां चलना है, इसके बारे में जरूर विचार करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि इसी तरह से बाकी जो हमारे आंकड़े हैं वे भी कोई अच्छी रैंक पर नहीं है।

अब इस प्राकृतिक आपदा को लेकर बहुत झगड़ा है। आप कुछ कहते हो, हम कुछ कहते हैं। हम बराबर आपसे चिल्ला रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी, आप विराजमान हो, क्यों नहीं इस बात का स्पष्टीकरण करते कि राजस्थान को क्या मिला और क्या खर्च किया है? क्यों नहीं एक श्वेत पत्र जारी कर दिया जाए ताकि सारी राजस्थान की जनता भी इस बारे में समझे कि वास्तव में हकीकत क्या है। उस हकीकत के आधार पर हमें अपनी बात को रखने में इतनी ही ताकत होगी लेकिन हम हकीकत रखना नहीं चाहते, हम छिपा कर बात करना चाहते हैं। इसलिए आज दिन तक हमने आपको बराबर कहा है कि एक श्वेत पत्र जारी करें ताकि हम कहां हैं, हमें कितनी मदद की और जरूरत है जिससे हम किसी तरह से मिल कर राजस्थान के इस भयंकर अकाल में मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इतनी बार चिल्लाने के बाद भी, इतनी बार कहने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा आज दिन तक। केवल तर्क वितर्क के आधार पर हमने यों कर दिया, वो कहते हैं हमने यों कर दिया, क्या मतलब है, कुछ अर्थ तो निकलता नहीं। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है?

अब आपको लगा कि राजस्थान का अकाल में ज़ो आपने बजट रखा उसकी तुलना में जो हमारा खर्चा हुआ, जो आपने प्लान में रखा उस प्लान में खर्चा अधिक हो गया। वह आपके आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमने रखा इतना था और हमारा खर्चा इतना हो गया। जैसे 1996-97 में आपने रखा था 180 बी.ई. में और एक्चुअल खर्चा हुआ 202 का। उसके बाद 1998 में 201 रखा, 201 ही खर्च हुआ। 1999-2000 में 209 रखा, 232 खर्च हुआ। 2000-2001 में हमने रखा तो था 209 अपने प्लान के अन्दर, जो हम बजट हैड में रखते हैं, लेकिन खर्चा हुआ 538. उसके बाद पिछले साल 164 रखा था, उसकी जगह 320, उसके बाद 230 रखा और 290-296 के लगभग खर्च हो गया। लेकिन अबकी बार मात्र 181 करोड़ रखा, यह किस खुशी में रखा? इन सारे आंकड़ों को देख कर रखा था क्या कि 181 करोड़ से हमारी यह अकाल की समस्या हल हो जाएगी? इसमें भी आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि केन्द्र से आपको पहले ही 469 एक बार मिल गया, 290 एक मैंने यह जोड़ की हुई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है और इन सारे आंकड़ों से आपके गांठ का कुछ भी नहीं लगा है। आपने केवल आंकड़ों को इधर से उधर गिन कर 155 बचा कर प्लान में डाला। वापस आपको घाटा हो गया 68 करोड़ का, इतना तो आपने कर दिया मायनस 150। यह गण्ति का हिसाब-किताब जरूर हो सकता है, परन्तु अभी तक राजस्थान की गांठ की एक फूटी कौड़ी भी इस अकाल में नहीं लगी है। जो कुछ भी बचा था उसको हमने अपने प्लान में ट्रांसफर किया। मजबूरी आ गयी, हमको प्लान से वापस निकालना पड़ेगा। यह कोई केन्द्र की गारंटी नहीं है कि आप चाहे जितने दिवालिये में चले जाओ तो सब वो ही चुकाएगी। ऐसा काम नहीं है। उनका जो अधिकार है, जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति हमें की है। लेकिन हम बारबार उन आंकड़ों के आधार पर इस बात को तय करने की कोशिश करते हैं कि हमको अकाल में नहीं दिया। सच बात तो यह है कि हम अकाल के प्रबन्धन में जिस प्रकार की लापरवाही कर रहे हैं, सारा केवल केन्द्र के भरोसे छोड़ कर आराम से सो जाना चाहते हैं, इससे राजस्थान का अकाल नहीं निपटेगा।

आपके राज में जिस किसान का नाम लेकर आप रोज चिल्लाते रहते हो कि हम किसान के हमदर्द, हमने यों कर दिया, हमने यों कर दिया, सबसे ज्यादा दुर्गति अगर आपके इस चार-पांचवें बजट में किसी की हुई है तो वह किसान की हुई है। किसान की स्थिति के बारे में मैं सोचता हूं तो मैंने पिछली बार भी आपको सारे आंकड़े बताये थे कि हर साल हमारे बजट में किस प्रकार से कृषि पर हम कटौती करते चले गये, कटौती करते चले गये। अभी हमने अपने प्लान बजट में किया। कोई बातों में समझते थे कि हमार टोटल जी.डी.पी. में कोई कमी हुई, समझ में आ सकती है, अकाल पड़ा उसको दिये। लेकिन हमने अपने प्लान के खर्चे में कटौती किस हिसाब से की? हमने इसको क्यों छोटा किया? क्या कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आपने इस सारे के सारे प्लान की धज्जियां उड़ा कर रखी हैं। 1999-2000 में आपने 814 करोड़ का बजट रखा और प्लान में खर्च किया, मात्र 615 करोड़। यानि जो बजट आपने रखा वह भी खर्च नहीं किया। उसके बाद 2000 में भी यही हुआ, 674 रखा और 558 खर्च किया उसके बाद 2001-2002 में 594 रखा और मात्र 545 खर्च किया। इसी तरह से 2002 में आपने 792 करोड़ रखा और मात्र 555 करोड़ खर्चा किया। यह कृषि के बारे में आपका दुर्लक्ष्य बनता जा रहा है, मैं सोचता हूं कि आपने एक फूटी कौड़ी भी किसान की किसी भी दृष्टि से मदद करने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोशिश नहीं की। वह जिस प्रकार की परेशानियों से मुकाबला करता है, घोषणा पत्र में आप लिख सकते हो कि हम इस प्रकार से जिनका भी कोई नुकसान हो जाएगा अकाल में, तो हम उनको मदद करेंगे। उसमें लिखने के लिए बहुत सुन्दर दिखता है, लेकिन जब करना पड़ता है तो उसमें समस्या आती है। आपको केन्द्र ने 155 करोड़ रुपया दिया लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इसको कैसे बांटे। आप तो यह सोचते हैं कि सारा पैसा केन्द्र भेज देगा तभी बांटेंगे। घोषणा पत्र बनाया होगा जब भी केन्द्र को पूछ कर बनाया होगा न? (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : किसानों की ब्रात कर रहे हो इसलिए बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : यह आपके समझ के बाहर की बात है।

श्री संजीव कुमार : समझ के बाहर की बात नहीं है। आपकी केन्द्र सरकार ने किसानों के डी.ए.पी. के रेट बढ़ाये, यूरिया खाद के आपने रेट बढ़ाये, डीजल की रेट आपने बढ़ायी, आप किस मुंह से किसानों की बात करते हो, मैं तो यह कहना चाहता हूं, साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने बढ़ाया?

श्री संजीव कुमार : बढ़ाया आपने। किसानों के लिए कौनसा दे दिया आपने?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पर यह भी तय है कि किसानों का कर्जा माफ करने की हिम्मत की तो भैरोंसिंहजी शेखावत ने की। 326 करोड़ रुपये अगर किसी गरीब किसान का एक साथ ही जमीन का लगान किसी ने माफ किया तो वह भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया। आपने जो लेवी लगायी थी किसानों पर इमरजेंसी में और मुर्गे बना कर जो लेवी वसूल करके जेल भेजा था न, उस लेवी को समाप्त भी किसी ने किया तो भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया। जो 14 कलमों का टैक्स लगता था धनिया, मिर्ची पर सरचार्ज का, वह किसी ने समाप्त किया तो भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया। किसानों का मिनिमम चार्ज किसी ने खतम किया तो भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया। खाळों का कर्जा किसी ने माफ किया, भैरोंसिंहजी ने किया था। कोटा में जो डवलपमेंट का लगता था, वैटरमेंट लेवी को अगर समाप्त किसी ने किया तो भैरोंसिंहजी ने किया। अगर आपके खाते में भी कम से कम कोई एक-आध चीज भी हो 50 साल में तो गिनाना। उस गरीब किसान ने कभी फूटी पाई भी छोड़ी है क्या? उसके बाल उतारे हैं। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : नहरी आबियाना पहली बार माफ किया है माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब ने। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान तरक्की करेगा तो हमारे पास दो ही साधन हैं। खनिज हमारा सबसे बड़ा साधन है, जब तक हम इसको विकसित नहीं करेंगे तब तक कर्जे और अभाव में से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हमने उसकी भी दुर्गति की है। हमने किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, हमारे उद्योग धंधों की क्या स्थिति बन रही है। औद्योगिक खनिज क्षेत्र में 1997-98 तक वास्तविक वृद्धि हुई थी 11 प्रतिशत की, अब 2000-2001 में दशमलव 08 प्रतिशत की वृद्धि है। मैं सोचता हूं, क्या विभाग कभी इस बात की मानिटरिंग करने की कोशिश करते हैं कि हम कहां खड़े हैं? केवल यहां आकर भाषण देने से काम नहीं चलेगा, राजस्थान की जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आखिर राजस्थान का क्या किया। 1997-98 में जहां औद्योगिक और खनिज की वृद्धि थी 11.08, वह आकर टिकी है दशमलव 08 पर, इसके लिए कोई जिम्मेदार बनेगा या नहीं?

इसी तरह से आपने देखा होगा, हमारे उद्योग और खनिज पर खर्चा क्या आ रहा है बजट में। बजट हैड का कितना आ रहा है? 2001-2002 में बजट हैड का 2 प्रतिशत था, जो अभी पिछले साल 2003-04 का जो बजट पेश किया है, उसमें है 1.38, अब हम क्या तरक्की कर रहे हैं? जिस क्षेत्र में हमको तरक्की करनी है, जिस खनिज के माध्यम से राजस्थान को अपनी इनकम बढ़ानी है, टैक्स रेवेन्यू और नान टैक्स रेवेन्यू, नान टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगी तो यहीं से प्राप्त होगी, यही हमारा सबसे बड़ा साधन है। इसके बारे में हम इतना दुर्लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, मैं सोचता हूं कि अगर आप इन आंकड़ों को सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। 1998-99 में 114 करोड़ था, 115 करोड़ खर्च हुआ। उसके बाद आपने 155 करोड़ रखा 1999 में इस हैड प्रौद्योगिकी और खनिज में, 155 के अंगेस्ट कितना खर्च किया? मात्र 84 करोड़। 155 करोड़ का आपने बजट में प्रावधान रखा और मात्र 84 करोड़ आप खर्च करते हैं। उसके बाद 2000-2001 में 107 करोड़ आपने बजट में रखा और खर्च किया 59 करोड़। क्या स्थिति बना रहे हैं राजस्थान की? केवल बातों के आधार पर हम मन को संतोष कर लें कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय, कृपा करके इन बातों पर आप स्वयं भी ध्यान दें। यह भी ठीक है कि राज आएंगे और जाएंगे, हम पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी, कोई जिन्दा रहने वाला नहीं है लेकिन राजस्थान की दुर्गति करके अगर हम इसे इन हालात में पहुंचाएंगे तो यहां का भूखा नंगा आदमी क्या करेगा? आखिरकार तरक्की के कौनसे मापदण्ड होते हैं जिनके आधार पर हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तरक्की करेंगे? यही तरक्की हो रही है हमारी? हम जितना बजट अलाट करते हैं वह खर्च नहीं करते हैं, उसमें कटौतियां करके सारे के सारे रास्तों को हम बन्द करते हैं।

इसके बाद आप फिर सुनिए, निरन्तर प्लान घटता जा रहा है। 2001–2002 में 72 करोड़ का प्रावधान रखा उसमें से भी मात्र 52 करोड़ खर्च होता है, यह क्या है? विभाग किस तरह चलता है? इसके बाद 2002–2003 का बजट है उसमें 117 करोड़ का रखा, मात्र 96 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, यह क्या चीज दिखाता है? हम किस तरक्की की ओर जा रहे हैं? प्रदेश को हम कहां ले जा रहे हैं?

उद्योगों की स्थिति तो इससे भी भयानक खराब है क्योंकि चारों तरफ उद्योग बन्द हो रहे हैं। बच्चे और जो काम करने वाले लोग हैं वे मोहताज हैं। हैण्डलूम कारपोरेशन में साल–साल भर की तनख्वाह नहीं मिलती है। चाहे केशोरायपाटन की शुगर मिल हो, पांच साल से तनखाह नहीं मिलती है। एक के बाद एक फैक्ट्री बन्द होती जा रही है। आपने कभी आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश की होगी। आपने कहा कि हमने 250 फैक्ट्रियों को बेच दिया। बेच दिया तो कर्ज़ा कितना था और मिला क्या, कभी हिसाब लगाया? कर्जा है और वह नहीं चुका रहे हैं तो फोकट में बांट दे उनको। बांटने के बाद वह वापस चालू हो गयी। मुझे बताना कि आपने जो फैक्ट्रियां बेचीं, उनका कर्जा कितना था हैड में और वापस बेचने के बाद आपको कितना प्राप्त हुआ। तब समझ में आएगा कि आपने कोई अच्छाई का काम किया या नहीं किया। केवल तर्क देने से काम नहीं चलेगा कि हमने यह कर दिया वह कर दिया, उसके लिए दो हजार मजदूर लगा दिये। मैं सोचता हूं कि राजस्थान वित्त निगम, रीको इनके जितने भी ऋण बाकी हैं, बड़े-बड़े लोगों के पैसे बाकी है। बड़े लोगों के पैसे वसूल नहीं हो सकते लेकिन छोटे–छोटे लोगों से वसूली के लिए हम सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकते हैं। कोई गरीब आदमी अगर 250 रुपये का घर का बिजली का बिल जमा नहीं कराये तो उस पर तो कैंची चलायी जा सकती है, पर जिनमें 50–50 करोड़ रुपये बकाया हैं उनको वसूलने के लिए सरकार अपने आपको असहाय महसूस करती है। क्यों नहीं उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही करते हैं? करते भी हैं तो जब पूरी फैक्ट्री दफन हो जाती है, उसके अन्दर कुछ नहीं रहता है। खाली मशीन का खोखा रहता है तब जाकर उसको सम्भालते हैं और मिलीभगत करके सारा सामान निकालने की उनको छूट देकर विभाग को रसातल में पहुंचा देते हैं।

श्रमिक कल्याण जो आपका विभाग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है, इस विभाग की जो गति आपने की है, कभी विचार ही नहीं होता है। इसमें 1998-99 में 36 करोड़ का प्लान था, 36 करोड़ ही खर्च हुए। उसके बाद 1999-2000 में आप पधारे, 40 करोड़ 27 लाख का बजट था, मात्र 34 करोड़ खर्च हुआ। उसके बाद 2000-2001 में 42 करोड़ का बजट था, मात्र 35 करोड़ का खर्च हुआ। उसके बाद 2001-02 में 37 करोड़ का बजट था, 35 करोड़ खर्चा हुआ। 2002-03 में 40 करोड़ था, मात्र 38 करोड़ खर्च हुआ। यानी हरेक में हम घटते चले जा रहे हैं, हमारे बजट का एलोकेशन घट रहा है। जो कुछ हमें मिल रहा है वह हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कटौती होती चली जा रही है।

इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण की जो स्थिति बनायी है वह तो आश्चर्यजनक है। 1997-98 में दस करोड़ कुल मिला था जिसकी तीन महीने में पूर्ति की, उस दस करोड़ में से मात्र पांच करोड़ आप खर्च कर पाये। इसके बाद 1999-2000 में 6 करोड़ 66 लाख मिले, मात्र 3 करोड़ 34 लाख रुपया आप खर्च कर पाये। उसके बाद साढ़े चार करोड़ रुपया मिला, 3 करोड़ 48 लाख खर्च किया। 2001-2002 में 3 करोड़ 33 लाख मिला, वह आपसे तीन करोड़ ही खर्च हुआ 33 लाख आपके पास बचे फिर उसके बाद 2002-2003 में 6.36 करोड़ मिले, मात्र 3 करोड़ 34 लाख रुपये आप खर्च कर पाये। पैसा आपके पास है, प्लान में आपने पैसा दिया है, पता नहीं आपने पैसे को कहां डाइवर्ट कर दिया, कहां घुमाया। यहां से पास कराते हो और कहने के लिए कहते हो कि अकाल में खर्च हो गया। बड़ा भीषण अकाल था, हमने यह कर दिया। सच बात यह है कि हमारी ठीक तरह से मानिटरिंग नहीं होती है कि किस-किस महीने में किस-किस प्रकार से स्वीकृतियां निकली या नहीं निकली। अगर मानिटरिंग करे तो विभाग का इस खर्च पर कंट्रोल रह सकता है।

अब यह महाराष्ट्र पैटर्न मंत्री महोदय लाये। मुझे बहुत अफसोस है, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां के गरीबों की दशा देखकर हमको पचास साल के बाद भी रोना आता है कि राजनीति करते हैं या वास्तव में हम क्या करते हैं। मंत्री महोदय और विधायक महोदय हमारे क्षेत्र में आज भी अगर पचास घरों के अन्दर हाथ डालने की कोशिश करें तो बरतन में दो चार किलो अनाज के अलावा कुछ नहीं मिलता है। उनका बर्तन जाकर देखे तो हमको लगेगा कि हम किस युग में रहते हैं। उनके गुदड़े जाकर देखे तो, क्या है यह? हम क्या करते हैं? उनके नाम से पैसा आता है, वह पैसा हम उनको नहीं पहुंचा पाते हैं और हम उसको इधर से उधर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खर्च करके गरीब के नाम पर रोते रहते हैं। हमने महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर दिया, क्या होता है महाराष्ट्र पैटर्न? क्या हुआ महाराष्ट्र पैटर्न का? क्या महाराष्ट्र पैटर्न से उस गरीब को ज्यादा सहायता मिली? जितना हमें बजट में मिलता था वह भी नहीं मिला। दयारामजी, आपने कभी इन आंकड़ों को देखने की कोशिश की कि पहले जब महाराष्ट्र पैटर्न नहीं था तब हमारे बजट का खर्चा क्या होता था? महाराष्ट्र पैटर्न जब लागू नहीं हुआ था, 1998-99 में, तब प्राथमिक शिक्षा पर खर्चा होता था 9.52 प्रतिशत और जब महाराष्ट्र पैटर्न लागू हुआ तो क्या खर्च हुआ, 2.9 प्रतिशत है। क्या यह? यह कौनसा महाराष्ट्र पैटर्न है? क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं महाराष्ट्र पैटर्न के नाम से? उस गरीब को आगे बढ़ने के लिए एक मात्र आधार स्तम्भ है "शिक्षा" उस शिक्षा के बारे में इतनी लापरवाही करते हैं। ये सारे के सारे आंकड़े, 1999-2000 में कैसे घटा, 2000-2001 में 7 प्रतिशत फिर उसके बाद महाराष्ट्र पैटर्न अक्टूबर में आ गया 2000 में से लेकर 7.82, फिर 8.45, उसके बाद 2003 में महाराष्ट्र पैटर्न 2.74 प्रतिशत का मात्र खर्चा हुआ है।

यही आपका चिकित्सा पर है। चिकित्सा पर 11.78 प्रतिशत था महाराष्ट्र पैटर्न लागू नहीं हुआ उससे पहले, उसके बाद अब जाकर आया 8.7, यह भी फिर चिकित्सा है। इसके बाद आप आइये मत्स्य पालन में जहां 25.20 प्रतिशत, महाराष्ट्र पैटर्न से भी ऊपर, साढ़े बाहर प्रतिशत से ऊपर खर्च होता था, अब हमारे बजट का मात्र 10.4 प्रतिशत खर्च होता है।

इसी प्रकार से वन और वन्य जीव, मैं सोचता हूं उनका आभार ही यही है। इसका खर्च देखकर आपको अफसोस होना चाहिए, मन में दुःख होना चाहिए मैं जिनकी हिमायत के लिए यहां आकर बैठा हूं, जो उनकी सबसे जरूरी चीज है, जिससे उनका जीवन जुड़ा हुआ है, उसमें जब महाराष्ट्र पैटर्न लागू नहीं था 1998-99 में, बजट का 14.88 प्रतिशत खर्च हुआ था और अब महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने के बाद दशमलव 95 प्रतिशत। कभी देखा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? हमने सारे बजट की धज्जियां उड़ा कर रख दीं। यानि हमने क्या किया है, किस तरह से करते हैं हम, कभी हमने आंकड़ों को निकाल कर देखने की कोशिश की कि हम क्या चीज कर रहे हैं, क्या चीज नहीं कर रहे हैं? उसके लिए रोना रोते रहते हैं, आठ प्रतिशत देंगे, वह देंगे, बजट का देंगे, क्या दे रहे हैं? ये तो मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं।

ऐसे ही आपका सहकारिता में है। मैं सोचता हूं। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत शक्ति केन्द्र बन सकता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है सहकारिता। इस सहकारिता में जब आपका महाराष्ट्र पैटर्न लागू नहीं हुआ था तब 10.69 प्रतिशत खर्चा होता था राजस्थान के बजट का, और अभी कितना खर्चा हुआ अपना? 4.8 प्रतिशत, आधे से भी कम। मतलब हम हर हैड में महाराष्ट्र पैटर्न को लेकर इतने चिन्तित थे, आप और हम सब लोगों ने इस बात की कोशिश की किसी भी तरह से महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो जाए, सरकार के अपने बजट में से उतना हिस्सा निकालकर इस ट्राइबल फण्ड में चला जाए। वे किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहे, ठीक प्रकार से विकास करा सके, उन लोगों के लिए हम ठीक सुविधा जुटा सके। लेकिन उस महाराष्ट्र पैटर्न को हमने देखने के लिए तस्वीर में जड़कर रख दिया। गले में लटका कर घूम लो भले ही, पर उस गरीब को इससे कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला, तो इसका कारण या तो यह सरकार उन आदिवासियों के बारे में ज्यादा चिन्तित नहीं या फिर आप कमजोर मंत्री हो, जो अपने मंत्री पद पर चिपका रहना चाहते हो और उस गरीब के हित की रक्षा नहीं कर सकते हो।

श्री दयाराम परमार (जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री) : माननीय नेता महोदय, आपको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, आप वैसे ही भाषण दे रहे हो। इसलिए जानकारी आपको नहीं है कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने के बाद क्या किस मद पर रुपया खर्चा करना है, रोड बनानी है, एनीकट बनाना है, बिल्डिंग बनानी हैं, हमने वहां रुपया किया था तो आप मच्छियों पर पड़ रहे हो कि मच्छियों के ऊपर खर्चा नहीं किया। महाराष्ट्र पैटर्न का पैसा हर डिपार्टमेंट में खर्चा करने की नहीं थी, क्या प्राथमिकताएं हैं ट्राइबल एरिया में उस प्राथमिकता के आधार पर हमने सड़कें, पुलियाएं, स्कूल बिल्डिंग, इन पर रुपया खर्च किया है। इसलिए बाकी का आप गिनते रहो यहां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी आप यही बता दे कि पिछले दो साल के महाराष्ट्र पैटर्न के लागू होने के बाद ट्राइबल डिपार्टमेंट में कुल कितना पैसा मिला है और आपने कितना खर्चा किया, बस आपकी तस्वीर वहीं साफ आ जाएगी।

श्री दयाराम परमार : महाराष्ट्र पैटर्न पर लास्ट ईयर हमें तीस करोड़ रुपया मिला था, इस साल चालीस करोड़ रुपये का प्रोविजन था उसमें से दस करोड़ रुपया मिला, उसके काम हमने सैंक्शन कर दिये हैं। दूसरा पैसा जो भारत सरकार से संविधान की धारा 275 के अन्तर्गत मिलेगा, बीस करोड़ रुपया और छत्तीस करोड़ रुपये एच.सी.ए. का, भारत सरकार ने अभी तक वह रुपया हमको दिया ही नहीं है। हम यहां पर बैठे हैं, अभी तक नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बहुत अच्छा, और जोर से करो, भारत सरकार ने यह दिया।

श्री जीतमल खांट : बनता कितना है?

एक माननीय सदस्य : गलत आंकड़े पेश कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 5857 करोड़ का आपका बजट है, 5857 करोड़ का आठ प्रतिशत कितना होता है, गणित करके बताइये?

श्री दयाराम परमार : माननीय नेताजी, मेरी बात और सुन लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चार सौ करोड़ से अधिक होता है। चार सौ करोड़ की तुलना में आपने चालीस करोड़ देकर उन आदिवासियों को क्या दिया?

श्री दयाराम परमार : माननीय उपाध्यक्षजी, इस मसले को समझने की जरूरत है। यहां सदन में हर बात को इस तरह से गुमराह करना, सारे जो सब प्लान के आंकड़े हैं, सब प्लान में आंकड़े यह हुआ करते थे कि प्रत्येक विभाग ट्राइबल सब प्लान एरिये में अपने जो एलोकेशन हैं उसका बारह प्रतिशत रुपया अतिरिक्त खर्च करेगा। यह सब प्लान की व्यवस्था थी और इसके आधार पर पांच सौ इस तरह से सारा बजट कर दिया था। वास्तविकता क्या होती थी, ट्राइबल एरिया में क्या काम हो रहा है उस सम्बन्ध में ट्राइबल एरिया डवलपमेंट को कोई पता नहीं रहता था और डिपार्टमेंट अपने आंकड़े करके दे देता था। उस आंकड़े को लेकर लिख देते थे कि ट्राइबल एरिया में इतना रुपया खर्च किया। मेरे को तो आज तक पता है कि ट्राइबल सब प्लान बना है तब से लेकर आज तक यह बताया जाए कि कौनसे गांव में कौनसी सड़क ट्राइबल सब प्लान व्यवस्था के अन्तर्गत बनी, कौनसी सड़क नहीं बनी। सड़क बनती थी उसका आंकड़ा लिख दिया, वह आ गया। और काम होते थे सारे विकास के काम। सब प्लान में जो फर्जी आंकड़े की व्यवस्था थी उसकी जगह हम महाराष्ट्र पैटर्न लाये। महाराष्ट्र पैटर्न में जितना भी रुपया मिलता है वह वास्तविक डिपार्टमेंट के पास में होता है और उसी के आधार पर सैंक्शन होकर ट्राइबल को फायदा होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : महाराष्ट्र पैटर्न के आने के बाद आपने अभी कहा कि तीस करोड़ पिछली बार मिला और चालीस करोड़ में से दस करोड़ अभी तक मिला। अब तक आपको अक्टूबर 2002 में महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने के बाद कुल चालीस करोड़ रुपया मिला, तो इस चालीस करोड़ से आपका आठ प्रतिशत का कोटा पूरा हो जाता है ना बजट का?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो अन्य विभागों द्वारा खर्च किया गया है चाहे एजुकेशन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सैक्टर में है, बिजली के क्षेत्र में है, सड़क के क्षेत्र के अन्दर है उसको तो आप गिन नहीं रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : महाराष्ट्र पैटर्न आने के बाद, मंत्री महोदय...

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूर्व की लायबिलिटीज थी। मेरे कहने का अभिप्राय है, कृपया आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, सदन को गुमराह करने की आप चेष्टा न करे, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री जीतमल खांट : आठ परसेंट देते क्यों नहीं हो आप?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अभी आप जवाब दोगे ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं जो भी बात बोल रहा हूं वह तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। आप जो भी जवाब देना चाहे, तथ्यों से दे, हमें तसल्ली होगी। अगर हमारी जानकारी कमजोर है, आपने अगर उस क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा अभाव है, ज्यादा पैसा खर्च करके अगर कुछ किया है तो हमें सुनकर तसल्ली होगी। हमें कोई नाराजगी नहीं होगी। हमें तो दुःख इस बात का है कि जिसके नाम पर हम रोज रोते रहते हैं, सच में उसके हिस्से का जितना पैसा बनता है वह महाराष्ट्र पैटर्न अक्टूबर, 2000 में लागू हो जाने के बाद भी इस सरकार से हम प्राप्त नहीं कर सके और अपने विभिन्न विभागों में खर्च करने की स्थिति में नहीं रहे। इस सच्चाई को न आप नकार सकते हो, न दुनिया की कोई ताकत नकार सकती है। वह भी हमने बारह प्रतिशत से ऊपर का नहीं दिया। उनका जितना प्रतिशत है वह भी हमने तय किया कि आठ प्रतिशत। कोई बात नहीं, आठ प्रतिशत बजट भी अगर ट्राइबल के पूरा का पूरा चेंज हो जाता और उसके साथ मिलता है तो वह उसके विकास में लगता है तो निश्चित रूप से उसका अगर कहीं दुरुपयोग होता था तो वह सदुपयोग होगा। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो बहुत प्रसन्न होऊंगा, मंत्री महोदय, कि हमारे उस क्षेत्र के गरीबों के लिए जो हमारी सरकार का एलोकेशन है वह पैसा मिलकर उसके लिए खर्च होकर उसकी आमदनी बढ़ सके, उसका जीवन सुधर सके। हमें तो इसमें खुशी होगी, हमें इसमें कोई नाराजगी नहीं होगी। महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया तो हम लोगों ने आपका स्वागत किया। हमने कोई ऐसा नहीं किया। नन्दलालजी ने भी प्रयास करके महाराष्ट्र पैटर्न की सब प्रकार की तैयारियां की थीं। हम यह चाहते हैं, आप हों या हम हों, महाराष्ट्र पैटर्न से हमारे उस आदिवासी क्षेत्र का अगर विकास हो सके, उन लोगों की तरक्की हो सके तो हमें प्रसन्नता होगी। मैंने तो आपकी वस्तुस्थिति का नक्शा आज की तारीख में जो कुछ है वह चालीस करोड़ का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खींचने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने के बाद भी हम अपने पैसे को या तो वित्त मंत्री से ले नहीं पा रहे हैं या वित्त मंत्री देना नहीं चाहते हैं। अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपना हक लेने के लिए हर कीमत पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा ताकि हम उस आदिवासी की रक्षा कर सके। यह भावना है मेरी। यह भावना नहीं है कि आपने यह नहीं किया। इसी बारे में उलझ कर हम सारा समय खराब करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आप कितनी देर और बोलेंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : थोड़ी देर और।

श्री उपाध्यक्ष : समय आठ बजे तक का है इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, अब मैं सोचता हूं उप मुख्य मंत्रीजी, यह तो आपका डिपार्टमेंट है ना। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी मैं मानता हूं लेकिन आप इनको देखने की कोशिश करो कि किस तरह से आपके डिपार्टमेंट का प्लान में जो पैसा आपको अलाट होता है वह पैसा खर्च नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता ही दो ना, उपाध्यक्षजी, श्रीलंका का मैच चल रहा है, उसका स्कोर कितना है? स्कोर बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : 70 रन पर 7 विकेट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका यहां पर जो एलोकेशन था, उप मुख्य मंत्रीजी, आपका ही डिपार्टमेंट है, 2000-2001 में 221 करोड़ का प्रस्ताव था बजट में एलोकेशन प्लान, और खर्च कितना हुआ? 221 के अगेंस्ट में 146 करोड़ रुपया आपके डिपार्टमेंट ने खर्च किया है। यह प्लान बजट है। इसी प्रकार से 2001-2002 में फिर 240 करोड़ रुपया आपको अलाट हुआ उसमें से भी आपने खर्चा किया 148 करोड़ रुपया। यानि कितनी बड़ी बचत है। इसके बाद 2002-2003 में 244 करोड़ रुपया आपको अलाट हुआ बजट में, उसमें से भी आप केवल 196 करोड़ खर्च कर पाये। बजट जो 244 करोड़ तक पहुंच गया था आपके डिपार्टमेंट का सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का, इसके कारण अब की बार आपका बजट हैड कम हुआ इसका दुःख है कि नहीं आपको? अब आपको बजट अलाट हुआ केवल मात्र 196 करोड़ रुपया 244 करोड़ रुपये तक जो बजट गया था उस डिपार्टमेंट का बजट घटकर अब की बार प्लान में, जिसकी आपने तालियां पीटी थीं 5857 करोड़ की, उसमें अपना चेहरा देखा था, 196 करोड़ लाकर हमको आबंटन किया, क्या हम सामाजिक सुरक्षा करेंगे और क्या सामाजिक कल्याण करेंगे। मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं, यहां जो शिक्षा के बारे में...

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय बहुत फ्लूएंटली बात कहे जा रहे हैं लेकिन आप यह तो मुलाहिजा फरमाएं कि आपने क्या किया था और हमने क्या किया है। 244, 196 और आप पीछे कब का हिसाब बताये जा रहे हैं, हमने जो योजनाएं बनाई, गरीबों को लाभ पहुंचाया है-उनको एजुकेशन के अन्दर लाभ पहुंचाया है, उनको छात्रावासों के अन्दर लाभ दिया है। जो मैस का भत्ता आपके वक्त के अन्दर 350 हुआ करता था वह मैस का भत्ता हमारी सरकार ने, गहलोतजी की सरकार ने 675 किया है। जो पेंशन के कैसेज, अब आप बोलेंगे पेंशन के केसेज में आपके वक्त में क्या मिलता था, दो लाख बीस हजार पेंशन दे रहे थे।

श्री जीतमल खांट : आपने अपने शासनकाल में एक नया समाज कल्याण छात्रावास नहीं खोला है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं नहीं कह सकता, आप कहां से ये आंकड़े ले आये हैं। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय बनवारी लालजी, जो छात्रावास चलते थे उन छात्रावासों को तो आपने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट का मतलब यह होता है कि बन्द हो गया। वह जगह जो चालू था वह आपने बंद कर दिया और आप कहते हो हमने यह कर दिया। आपके छात्रावास की अनियमितताओं की पोल खोली तो आपने उसको बंद करके शिफ्ट कर दिया। यह कोई न्याय है क्या? क्या बात करते हैं आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह चल रहा है अभी। चल रहा है अभी वह।

श्री जीतमल खांट : आपने राजस्थान के समाज कल्याण का भट्टा कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बोलिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय इन्दौरिया साहब, बिराजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अच्छा साहब, जो हुकुम।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह है कि वह बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गयी थी और जो बनी थी वह अप टू दी मार्क नहीं थी इसलिये दूसरी...(व्यवधान) वह खोलना बहुत आवश्यक हो गया था। वह बच्चों के हित में आवश्यक हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब।

श्री केसाराम चौधरी : मारवाड़ जंक्शन के छात्रावास में लास्ट ईयर बजट अलाट हुआ, फिर कम्बल कहां आ गये? कम्बल और पाटों के लिये बजट भी अलाट हुआ था, फिर भी आज दिन तक वह समाज कल्याण छात्रावास के नहीं खरीदे गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय, बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि ये सब चीजें बढ़ाने के बाद बजट कैसे घटा और घटे हुए बजट में आपका गुजारा कैसे हुआ, कैसे गुजारा हुआ...

श्री बनवारी लाल बैरवा : पता नहीं आप कहां से ये आंकड़े बोल रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह मैं समझना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी, थोड़ा-सा इसको समझा दें कि बजट कम होने के बाद भी इनका काम बहुत अच्छा हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : सामाजिक सुरक्षा के ऊपर दो-तीन हैड्स हैं, आपने एक हैड अपने मतलब का पकड़ लिया है। आपने, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप जवाब दोगे ना?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आज सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशन दी जा रही हैं, जिनका कि इनके राज में कुल 22 करोड़ का प्रावधान था-मात्र सौ रुपये और पिचहत्तर रुपये देते थे, उसको दुगुना किया गया है। उसके बाद आज उसका बजट प्रोविजन करीब 180 करोड़ रुपये का होना चाहिये, मैं अंदाज से कह रहा हूं, उसको तो यह जोड़ ही नहीं रहे हैं। उनकी संख्या आज साढ़े सात लाख, सात लाख के करीब पहुंच गयी है। उन सारी चीजों को नजर अंदाज करके कहीं से एक हैड पकड़ लिया। कई विभागों के कई मदों से पैसा जाता है, इसके ऊपर विस्तार से एक ही, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मसला उठाया था, मैंने उसको स्पेसिफिक दिखवाया। जब दिखवाया तो उसके सारे प्रोविजंस मौजूद हैं, मैं उस पर विस्तार से भी कर लूंगा चर्चा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं भी बहुत प्रसन्न होऊंगा इस बात पर कि बजट के जो मैंने आकड़े दिये, उन आंकड़ों के साथ अपने आंकड़े मिलाकर आज इस सदन में पेश कर देना, तब तो हम इस बात को मान जाएंगे कि आपने कोई अकाउंट किया है। अब मैं बताता हूं आपका प्राथमिक शिक्षा...

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान्, मैं आपके ये सारे आंकड़ों का जवाब देता, कृपया मुझे आपने समय दिया होता स्ट्रेटेजिकली आप बोलते एक घंटा पहले इतने सारे आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं और फिर चाहते हैं अभी मैं उनका जवाब, इतने वाल्यूमस बजट डाकूमेंट्स् होते हैं, सबको यहां बैठकर देखूं और आपको जवाब दूं स्ट्रेटेजिकली, यह मैंने देखा है प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व में भी अगर आप फेयर डिबेट चाहते हैं तो फेयर डिबेट करें और आप दे जवाब इसका, मैं आपको जवाब दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब कल दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वित्त मंत्रीजी तैयार नहीं हैं तो कल जवाब दे दें, हमने जो सवाल खड़े किये हैं उनका। हमने जो सवाल खड़े किये हैं उनका जवाब कल दिला दो, आज तैयार नहीं हैं तो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो मुद्दे विपक्ष के नेता ने यहां उठाये हैं, विधेयक की चर्चा में उसका जवाब दें, आपको सफीशिएंट टाइम मिलेगा। आपको सफीशिएंट टाइम मिलेगा, आप उसका पर्टिनेंट जवाब दें। आप उसका पर्टिनेंट जवाब दें और एक भी आंकड़ा गलत हो तो आप उजागर करें इस बात को, कोई...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमेशा प्रतिपक्ष के नेता बाद में बोलते हैं और फिर वित्त मंत्री जवाब देते हैं। क्यों नहीं तैयारी करके आये हैं? आप कल जवाब दे दीजिये, परसों जवाब दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि एवं न्याय मंत्री) **:** प्रतिपक्ष के नेता ये आंकड़े देते हैं तो सबसे पहले बोलते आप। पहले रोज आप बोलते तो यह आज तैयारी करके आते और एक एक जवाब आपको देते। आखिरी बार जब आपको मालूम पड़ा कि आज उनको...

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसके बावजूद भी मैं आपको तर्क के साथ जवाब दूंगा। मैं आपको तर्क के साथ जवाब दूंगा। अब आप समाप्त करे तो सुने।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी खोज की है इन्होंने तो यह बता दे कि कटौती गयी कहां? वह बजट कटौती गयी कहां, यह बता दे? इतनी खोज इन्होंने की है तो यह बता दे, कटौती बजट गया कहां? आप बता दे, इतनी बड़ी खोज इन्होंने की है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो तो सही। बिराजिये आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, कल जवाब दे दे, परसों दे दे। हम अधिकृत रूप से कह रहे हैं कल दे दे परसो दे दे। तैयारी करके आइये जरा, लाबी से पूछते हैं। आप तैयारी करके आएं, कल दे दीजिये, परसों दे दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, वित्त मंत्रीजी को...(व्यवधान)ताजा जानकारी चाहिये तो कल, परसों जवाब दे देंगे। कल परसों जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अनुमान 2003-2004, इसका शिक्षा का बजट आप निकाल लो। शिक्षा का बजट पेज नम्बर छंह और 22202, एलीमेंटरी एजुकेशन में आपने रखा था 105 करोड़ 33 लाख रुपया। यह सब वेतन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में है-वेतन, यात्रा भत्ता, मेडिकल, और कोई नयी चीज नहीं है इसमें। आप चाहो तो हैड पढ़ दूं-संवेतन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय, किराया रेट, अन्य व्यय, पुस्तकालय, खेल, सामान और मुद्रण, ये हैंड हैं। इस हैड में आपका 105 करोड़ 33 लाख का बजट पिछले साल का था, और खर्च कितना हुआ? मात्र 90 करोड़ रुपया। तो आपका यह जो 15 करोड़ बचा, यह 15 करोड़ सीधा तनखाह का है। इसका मतलब जिस हैड में अध्यापकों के पद सृजित हैं वे अध्यापक आपने नहीं लगाये। यह तनखाह के हैड में से है, साफ दिख रहा है। इसी तरह से आप आगे देखो, एलीमेंटरी के बाद माध्यमिक में आपने जिस प्रकार शिक्षा की दुर्गति की है, पैसे बचाने के कारण बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे है। मैं सोचता हूं कि वह सबसे ज्यादा पापी होगा जो विद्यालय खोलने के बाद अध्यापकों की व्यवस्था न कर सके। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं होगा। मैं सोचता हूं इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं होगा उस बच्चे के साथ कि उसके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है। इसी तरह से यह आपका माध्यमिक का हैड है, इस माध्यमिक के हैड में 907 करोड़ रुपये का बजट था पिछले साल का, आपने खर्च किया 806 करोड़। 101 करोड़ किसका बचा? वेतन का, तनखाह का। इसका मतलब आपके पास हजारों पद खाली हैं और बजट आपके पास होते हुए भी आपने भर्ती नहीं करके इस बजट को बचाने की कोशिश की और उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।

इसी तरह से बालिका शिक्षा का जो सैकण्डरी एजुकेशन है, उसमें आपके पास 157 करोड़ रुपया था, उसमें से मात्र 135 करोड़ रुपया खर्च करके 20 करोड़ उस हैड में से आपने बचाया। ऐसे नहीं, आप बहुत खुश हुए हैं और सब लोगों ने बहुत तालियां बजायी थीं कि हमने विश्वविद्यालय खोल दिये, विश्वविद्यालय खोल दिये। कितने विश्वविद्यालय खोले और क्या विश्वविद्यालय की दशा है, इसके बारे में देखने की कोशिश की? इस बजट हैड में आप देखिये, यह जो आपका संस्कृत विश्वविद्यायल है...(व्यवधान) यही तो आश्चर्य है...

श्री अमीन खान : आप बताओ, सरकारी खजाने में पड़ा है या कोई उठाकर बाहर ले गये? आखिर ये गये कहां?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गये कहां ये?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अभी माननीय सदस्य इतनी बात कह रहे हैं, केन्द्र सरकार ने जो बजट लागू किया, शिक्षण संस्थाओं पर कर लगा दिया, वह कर किस चीज से वसूल किया जाएगा? शिक्षकों...

श्री हीरासिंह चौहान : मामला दूसरा है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : केन्द्र सरकार ने भी तो शिक्षण संस्थाओं पर बजट कर लगाया है...(व्यवधान) आप चुपचाप रहा करो। बार बार, बीच बीच में उठकर यूं क्या करते हो?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनके दिमाग में नहीं बैठ रहा, यह कह रहा हूं मैं। अमीन खानजी जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, वह पैसा गया कहां? वह पैसा गया वित्त मंत्रीजी की जेब में।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : शिक्षण संस्थाओं पर कर लगाया है केन्द्र सरकार ने, स्टूडेंट्स से ही तो वसूल किया जाएगा।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य जहां कहीं कोई बैठा होता है, वहां से बोलने लग जाते हैं। सदन की परम्परा है...

श्री उपाध्यक्ष : सभी बोल रहे हैं।

डा. महेश जोशी : अपने स्थान से तो बोले कम से कम। यह परम्परा तो बनी रहे।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान की बात अलग है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपना स्थान मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूं। मैं दूसरे स्थान से कभी नहीं बोलता, क्या बात करते हो आप?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अभी कहां से बोल रहे हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं अपने स्थान पर ही मौजूद रहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जो विश्वविद्यालय की रचना की है, संस्कृत विश्वविद्यालय खोले इतने साल हो गये, इस संस्कृत विश्वविद्यालय का बजट क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय तो फंक्शन में आ गया ना? इसका बजट नान प्लान में 40 लाख और प्लान में 45 लाख, मतलब 85 लाख से पूरा संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहा है।

आपने कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना जो पिछली बार यहां की थी बजट में, उसमें बजट दिया तो 57 लाख रुपया है। 57 लाख से तो एक हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं चलता है। बीकानेर विश्वविद्यालय में भी आपने यही 57 लाख दिया है। मतलब यह क्या है? क्या है, क्या देना क्या है? यह केवल जनता को झुनझुना पकड़ा दिया कि आपके यहां विश्वविद्यालय है, आपके यहां विश्वविद्यालय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। क्या भाव है, अर्थ क्या है? यानि केवल दस दस साल में विश्वविद्यालय खड़े होंगे, लेकिन एक हायर सैकण्डरी खोलने जितना पैसा भी आप नहीं देते हो और विश्वविद्यालय की ताली पिटवाते हो, इससे आपको क्या बनेगा?

यही नहीं, आपने पूरी एजुकेशन के जो हालात किये हैं, यह जो विश्वविद्यालय का आपका हैड है, आय–व्ययक अनुमान 2002–2003 की तुलना में संशोधित अनुमान के रुपयों में 240 करोड़ की कमी प्रस्तावित की है। 240 करोड़ रुपये की कमी। टोटल एजुकेशन का जो बजट था वह 240 करोड़ रुपया आपके पास बच गया है, यह आपका ही डाकूमेंट बताता है। अब एजुकेशन के बारे में क्या आपका सोच है और क्या आप इसमें से करना चाहते हैं, भगवान जाने आपको क्या समझ में आता है। मैं तो कम से कम इसको समझ नहीं पाया कि किस तरह से आप...

आप यह जो घूघरी घूघरी चिल्ला रहे हो, और घूघरी चिल्लाओ, बहुत अच्छा है। कहने के लिये बहुत अच्छा है कि हम दस महीने घूघरी देंगे, या बारह महीने देंगे, बजट को देखा है? पिछली बार बजट था 120 करोड़ रुपया, आपके बजट के आंकड़ों से बता रहा हूं। 120 करोड़ रुपया जब आपके पास था, तब तो आप 10 महीने घूघरी बांट सकते थे, और अब 12 महीने घूघरी बांटोगे और 105 करोड़ में आपका काम चल जाएगा। चल जाएगा न? समझाना क्या चाहते हो राजस्थान की जनता को? इसका हिसाब निकालने की कोशिश की, यह जो 120 करोड़ रुपये में से 70 लाख बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, इसको अगर महीनों में और दिनों में निकाले तो, मैंने निकाला, प्रति बच्चे का एक महीने का जो खर्च आता है वह 171 रुपये आता है और प्रतिदिन आता है केवल 17 पैसे का रोजाना एक बच्चे पर क्या आया, 17.15 निकलवाएं आपके वित्त सचिव से कि आंकड़े क्या कहते हैं। आपने 70 लाख की तालियां पिटवायीं कि 70 लाख बच्चे खाएंगे। 120 करोड़ रुपये का हिसाब बता रहा हूं, 70 लाख बच्चों का बता रहा हूं, उनकी अटेंडेंस के आधार पर बता रहा हूं। एक बच्चे पर मात्र 17 पैसे पांती आता है। और अब आप जो 105 करोड़ रुपये दे रहे हैं न, उसके कारण से जब इन बच्चों को 12 महीने घूघरी खिलाओगे तब कितने पैसे पांती आएंगे? ये पैसे आएंगे केवल 14 पैसे रोज। खिलाओ, किसे खिलाओगे। आप कोई योजना लेकर आए, मेरा निवेदन यह है, बजाय लोक–लुभावनी बातें कहने के जब आपको 10 महीने की घूघरी खिलानी थी तब तो 120 करोड़ की जरूरत थी और अब आप 12 महीने की घूघरी खिलाओगे 105 करोड़ में, 15 करोड़ रुपये लैस देकर ज्यादा घूघरी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खिलाओगे। इस प्रकार के ओछे हथकंडे मत करें। खिलाएं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को घूघरी मिलेगी। हमें प्रसन्नता है कि अगर बच्चे इसी कारण से आकर्षित होकर विद्यालय में रहते हैं। लेकिन आंकड़ों के आधार पर भी गणित करना सीखें। इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं तो थोड़ा-बहुत हिसाब लगाकर आएं कि 120 करोड़ की जगह 105 करोड़ खर्च करने के बाद रोजगार की क्या स्थिति बनेगी।

आज हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने राइडर लगा दिया। राइडर के कारण से कितने लोगों को मिलेगा? लोगों को खुश करने के लिए कह दिया बी.पी.एल. परिवार को 300 रुपया देंगे। हमारे यहां पिछले वर्षों में नियम यह था एम्प्लायमेंट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। नौकरी में जाने के लिए एम्प्लायमेंट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चों ने कहीं रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं। न बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। पहले तो तीन साल का रजिस्ट्रेशन हो, फिर रजिस्ट्रेशन होता नहीं। सारे राजस्थान में 143798 बालकों का रजिस्ट्रेशन है, इसमें सभी आ गये–ओ.बी.सी. भी आ गये शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, जनरल सब हैं। अब इसमें से जो आप 300 रुपया देने वाले हो, वह कितने बच्चों को मिलेगा? आपने लोक-लुभावना नारा देकर केवल वाहवाही सब जगह से लूटी है कि बड़ा कल्याणकारी बजट है, कल्याण किनका होगा? इन कागजों का? इन कागजों में कल्याण दिखेगा या धरती पर दिखेगा? धरती पर देखने की इच्छा हो तो ईमानदारी से जो भी बच्चा बारहवीं पास है, आपको अगर दो साल की कंडीशन करनी है तो कोई बात नहीं, दो साल की करिये, पर जो भी एलिजिबल बच्चा है और बी.पी.एल. परिवार का है, उन सब बच्चों को देकर अगर आकर्षित करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो समझ में आता है। आपने तो इतना बड़ा पहाड़ रख दिया और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस प्रकार से धोखा देकर, लोगों को गुमराह कर हम सब लोग खुश हो रहे हैं कि कमाल कर दिया। जिससे पूछें वही तारीफ कर रहा है कि 300 रुपया मिलेगा। मिलेगा किसको, भले आदमी, कम से कम राइडर को तो देख 12 हजार से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, फिर उसका तीन साल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर यह होना चाहिए। उसके बाद इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ये जो रोजगार के आंकड़े हैं, ये आंकड़े दिखाते हैं कि वास्तव में राजस्थान में जिस प्रकार से...(व्यवधान)उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी भी यहां पर विराजमान हैं, बजट से ज्यादा और हमारे लिए क्या काम हो सकता है। इस विधान सभा के लिए, हम जनप्रतिनिधियों के लिए बजट से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ज्यादा महत्वपूर्ण क्या काम है। जिस काम के लिए हम यहां बैठते हैं, सारी जनता हमको देखती है। उस बजट में हम इस प्रकार से कटौतियां कर देते हैं और यह कहते हैं कि अकाल के कारण से कटौती की है। मुझे, मंत्री महोदय, खड़े होकर बता देना, यह आपने जितनी कटौती की है 2881 करोड़ की, उसमें से एक पैसा भी आपने अकाल में खर्च किया हो। आपने अपनी अक्षमता के कारण से राजस्थान को रसातल में पहुंचा दिया है। हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसको विकास की ओर से ले जाने की ओर प्रयास किया था, आपने 27600 करोड़ रुपये का पेश करने के बाद भी मात्र 19 हजार करोड़ का प्लान रखी है उसमें से भी इतनी बचत मैंने आपके सामने रख दी। इस प्रकार की स्थिति से आप राजस्थान को तरक्की पर ले जा रहे हो? मैं सोचता हूं कि इस बजट में जो बजट पेश करने की बात है, आपने बजट की आत्मा को ही मार दिया। अगर इस तरह से बजट पेश होंगे और इस तरह से बजट के खर्चों को हम जिधर चाहे, चाहे जिधर आपकी इच्छा हो डाइवर्ट करेंगे तो बजट पेश करने का औचित्य खतम हो जाएगा जनता बजट के बारे में जो श्रद्धा रखती है, वही हम मिट्टी में मिला देंगे। हम लोकतंत्र के प्रहरियों को अपने हाथों से अपने सामने इस बजट का गला घोंटते हुए देखेंगे। उसकी मृत्यु यहां होते हुए देखेंगे। इससे ज्यादा अफसोस नहीं हो सकता है। इसलिए, वित्त मंत्रीजी, आप जब जवाब दें, यह प्लान में आपने क्यों कटौती की और उसके बाद यह पैसा जो बचा है यह कहां गया, आपने किस जगह खर्च किया, इसका पूरा हिसाब दें, राजस्थान की जनता आपसे जानना चाहती है। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी। (व्यवधान) अभी आप यहां से जाएंगे उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भाग लिया, विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। सुझाव भी आये, आलोचना भी हुई और बजट की तारीफ भी हुई। हरेक का अपना-अपना नजरिया है। जिसने जिस नजरिये से बजट को जैसा देखा वही बात उसने कही। और स्वाभाविक भी है, चुनाव का साल है, सरकार के ऊपर विपक्ष ने जमकर हमला करने की कोशिश की, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की, इस सदन के अन्दर प्लान और उसकी साइज के बारे में पिछले सालों में जिन पर चर्चा हो चुकी थी उन्हीं मुद्दों को यहां पर बार-बार उठाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने बजट में क्यों लिखा बार-बार?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपका भाषण बहुत तन्मयता से सुना था...(व्यवधान) आप कृपया ध्यान रखे। देखिये, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सही बोले न, बिलकुल ही नहीं बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चाहेंगे कि मैं आपकी वाली बात कहूं, मैं वह कहने वाला नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके साथ आज वह लंका वाली हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह किसके साथ होगी वह तो वक्त बताएगा। छह-सात महीने बाद मैदान में होंगे उसके बाद फैसला हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मुख्य रूप से अकाल पर चर्चा हुई, राज्य के कर्ज भार पर चर्चा हुई, व्हाइट पेपर पर चर्चा हुई, विकास के कामों पर चर्चा हुई, सी.एस.एस. के बारे में चर्चा हुई...(व्यवधान) आप सुनें, नाइन्थ प्लान क्यों काटा गया... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल दे देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, आज ही देना पड़ेगा। नाइन्थ प्लान की कटौती के बारे में यहां चर्चा हुई। नाइन्थ प्लान की कटौती के आधार पर जो विभिन्न विभागों की मदों में पिछले सालों में कटौती हुई, उसके भी आंकड़े यहां पेश किये गये। घूघरी को लेकर चर्चा हुई। इस सम्बन्ध में मैं एक ही शब्द कहता हूं कि गेहूं की कीमत शरीक नहीं है, इसका मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। गेहूं अलग है। यह तो बनाने के काम में जो खर्चा होता है, ईंधन इत्यादि के इंतजाम का यह फिगर है। क्योंकि बहुत सारी बातें यहां पर कही जानी हैं, अगर सरसरी तौर पर भी उसका खण्डन नहीं किया जाए तो एक भ्रम की स्थिति राजस्थान की जनता में पैदा होगी। इसलिए मैंने सरसरी तौर पर घूघरी के बारे में जिक्र कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, घूघरी के बारे में एक और बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड ग्रीष्मकाल में जब घूघरी बांटेंगे तो बच्चे तो आएंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वे अभी घूघरी पर आये ही नहीं, और आप कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, क्या हो गया? एक बात और है। वह घूघरी बनाने वाला यह अंदाज करेगा कि 100 बच्चे रोज आते है, उनकी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

घूघरी वह बनाएगा, आए 20 ही तो बची हुई घूघरी का क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चिंता न करें, उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह बता दीजिए, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : घूघरी पर तो आए ही नहीं, आपने घूघरी शुरू कर दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप नहीं चाहते हैं कि बंटे। सीधी-सी बात है, इसका मतलब यह हुआ कि आप नहीं चाहते कि बंटे। उपाध्यक्ष महोदय, पिछला सत्र जब से शुरू हुआ है, उसके पहले से इस बात को दर्शाने की कोशिश की जा रही है सारे राजस्थान के अन्दर कि जैसे राजस्थान का सारा कार्य केन्द्र सरकार की मदद से चल रहा है और केन्द्र सरकार राजस्थान में खैरात बांट रही है, कोई दान दे रही है, कोई डोल दे रही है। यहां सदन में इसी किस्म के प्रश्न आ रहे हैं, अखबारों में वक्तव्य भी इसी प्रकार से आ रहे हैं।

सबसे पहले मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपको विदित है और सबको मालूम है कि राज्यों के मुकाबले में केन्द्र सरकार की आमदनी कहीं ज्यादा है और राज्यों के दायित्व केन्द्र सरकार के मुकाबले में कहीं अधिक हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा था और संघीय ढांचे को मजबूती देने के लिए उन्होंने संविधान में इस बात का प्रावधान किया कि राज्यों के बीच में और केन्द्र सरकार की आमदनी के बीच में आमदनी का बंटवारा किस प्रकार हो। वे जानते थे कि पैसा अगर ठीक प्रकार से नहीं बंटा तो राज्य अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे और इसीलिए संविधान के आर्टिकल 280 के तहत हर पांचवें साल फाइनेंस कमीशन मुकर्रर करने की तजवीज उसके अंदर की गई। मैं विस्तार में नहीं जाकर निवेदन करना चाहूंगा कि आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन जिसके तहत मुर्करर होता है, उसके सब सैक्शन 3 का ध्यान रखें:-

It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to-

(a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this Chapter and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India.

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं उनको हक की तारीफ मानता हूं कि यह राज्यों का हक और राजस्थान का भी हक है। हमारा यह संवैधानिक अधिकार है। एक प्रकार से संविधान के तहत यह हमारे मूलभूत अधिकार की श्रेणी तो अलग है लेकिन आर्थिक दृष्टि से राज्यों का यह एक तरह से फण्डामेंटल राइट है, यह आपको देना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कमाल है, साहब, मोबाइल लेकर आ जाते हैं मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : What do you say about your share hold on. यह बताओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Yes, I am coming to that point. मैंने शुरू में कही यह बात।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी के जवाब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय वित्त मंत्रीजी के जवाब तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाए।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसलिए इस बात को यहां पर कहना चाहता हूं, मैंने आज से दो साल पहले भी यह बात कही थी, तब प्रतिपक्ष के नेता जो आज भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हां, हां, हमें मालूम है। तो उस बात को आप छोड़िए, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यहां पर जो एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि सारे कार्य चाहे अकाल के लेकर, चाहे कोई और योजना हो, सड़कों को लेकर, यह पैसा तो भारत सरकार का है, आपका है क्या, इस मिथ को भी समाप्त करना आवश्यक है। इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह जानना जरूरी है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और राजस्थान को ही नहीं, सब राज्यों को इस प्रकार का पैसा केन्द्र सरकार देती है अपनी आमदनी में से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्लान साइज क्यों काटते हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी आ जाएगी। रास्ते पर आएगी न बात, आप क्यों बीच

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में बोलते हो? दो दफे जवाब दे चुका हूं, आज फिर सुन लीजिए आप प्लान साइज का। मुख्य मंत्रीजी ने भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस बात को कहा था कि राजस्थान को कुछ स्पेशल दिया हो तो बताओ, राजस्थान को स्पेशल दिया तो नहीं आपने, जो सब राज्यों को देते हैं वह आप हमको भी देते हैं। (व्यवधान) ड्यू तो है और क्या? दैट इज अवर ड्यू, डाक्टर साहब। ड्यू को भी आपको लीगल टर्म्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल सही है। There is a controversy about it. You have a right.

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मानते हैं लेकिन अन्य को क्या? अन्य तो नहीं मानते इस बात को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सब मानते हैं, कांस्टीट्यूशनल पोजीशन् है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अकाल को लेकर चर्चा हुई कि आपने क्या खर्च किया, वह तो केन्द्र सरकार दे रही है आपको। सारे वक्त इसी बात को कहा गया कि केन्द्र सरकार आपको दे रही है, आपने तो अपनी गांठ से कुछ खर्च ही नहीं किया है। वह भी राजस्थान की, हां, मैं मानता हूं, इस साल केन्द्र सरकार ने गेहूं के रूप में राजस्थान की मदद की है। मैं उसे स्वीकार करता हूं। पूर्व के सालों में राष्ट्रीय आपदा निधि से पैसा देने के बारे में भी आपसे निवेदन करूंगा, उसके अन्दर भी आप को ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिर्फ चार लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, उससे भी स्थिति साफ हो जाएगी कि स्थिति क्या है। पेज 91 :- "This does not, however, mean that the calamity of rare severity should be left to be attended by the State from their own resources alone. The super cyclone in Orissa, October, 1999, and the drought prevailing currently in some States are a pointer to the fact that a State faced with the severe natural calamity will not be able to provide relief to the affected areas and population all at one and will spend on the assistance from other State or the Central government." इसको स्वीकार किया भारत सरकार ने, पार्लियामेंट में रखा। कहा गया कि आपने अपनी गांठ से क्या खर्च किया? वह भी हमारा ड्यू था। मैं आपको क्योंकि उस चीज से उस मेरी बात को मजबूती बहुत मिलेगी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसमें लिखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्लीज डाक्टर साहब, यूं न करें। उस बात को मजबूती प्रदान करने के लिए, Calamity relief fund during 2000-05 Central share as per the recommendations of the EFC, कितने राज्यों को मिला? हिन्दुस्तान के 25 सूबों को मिला। मेरे पास फिगर हैं। आंध्र प्रदेश को 821 करोड़ रुपए मिलेगा इन पांच सालों के अंदर। अरुणाचल प्रदेश को 50 करोड़ मिलेगा, इट इज ए स्माल स्टेट। आसाम को 421 करोड़ रुपए मिलेगा, बिहार को 512 करोड़ रुपए मिलेगा, गुजरात को 559 करोड़ रुपए मिलेगा, हरियाणा को 337 करोड़ रुपए मिलेगा, यह पूरी लिस्ट है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपने एनुअल प्लान का और बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कोई चिंता न करें। कर्नाटक को 301...(व्यवधान) हां, हां, मैं बता रहा हूं Yes. I will give you. आप पूरा सुन लीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस साल के फिगर बात दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी सुन लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, सारे फिगर दे देता हूं, आप कोई चिंता न करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, सुरेन्द्रजी। He is on at every moment. बोलने दीजिए उनको।

(20.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना मतलब की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो लिख कर लायें हैं वही पढ़ेंगे, जवाब तो देंगे नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सत्य कड़वा होता है, बेकार की बात नहीं है। सत्य कड़वा होता है, सुनना नहीं चाहते आप।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बेकार लगता है, लेकिन उनको बोलने दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनना नहीं चाहते हैं उस चीज को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी...

श्री उपाध्यक्ष : आप कहोगे जो थोड़े ही बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं उस बारे में हम सबको मालूम है। ये खुद इलेवन्थ फाइनेंस की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। उनको क्या करना है यह उनको मालूम है, आपके चाहने से थोड़े ही बोलेंगे ये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मतलब की बात करो ना आप।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कहने से नहीं बोलेंगे, सीधे-टेढ़े जो बोलना है वही बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.आर.एफ. के अन्दर शेयर दिया हुआ है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आई टैल यू, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस बात का प्रचार-प्रसार किया गया है, सदन में इस बात को कहा गया कि यह सारा पैसा भारत सरकार है, आपका है क्या।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं कहा गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल कहा डा. साहब, रिकार्ड में है। (व्यवधान) अब आप बैठें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, How many times do you want to stand? एक दफे बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां पर इस बात को दर्शाने की कोशिश की, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा शेयर है-that is also due. It is our due. यह भी हमारा वाजिब पैसा है। जब सब राज्यों को आप दे रहे हैं, कोई राजस्थान को अकेला दे नहीं रहे हैं। इन राज्यों के नाम मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब यह क्या है, आप इसको ले आये। आप एक-एक मिनट में पूछेंगे तो मुश्किल हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोलो, बोलो आप तो। But there is a discrimination.

श्री उपाध्यक्ष : बोलें कैसे, आप बताओ, यह कोई बात हुई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यों ही चेप रहे हैं, जवाब तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बात हुई? क्या एवरी सैकण्ड, मिनट आप खड़े हो। रहे हैं और कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हरियाणा 337 करोड़, हिमाचल प्रदेश 180 करोड़, जम्मू-कश्मीर 145 करोड़, कर्नाटक 309 करोड़, केरल 279 करोड़, मध्य प्रदेश 373 करोड़, महाराष्ट्र 651 करोड़, मणिपुर 12 करोड़, मेघालय 16 करोड़, मिजोरम 12 करोड़, नगालैण्ड 8 करोड़, उड़ीसा 454 करोड़, पंजाब 509 करोड़, राजस्थान 858 करोड़, सिक्किम 29 करोड़, तमिलनाडु 425 करोड़, त्रिपुरा 22 करोड़, उत्तर प्रदेश 740 करोड़, वैस्ट बंगाल 419 करोड़। यह 2000 से 2005 तक जो अवधि है फाइनेंस कमीशन की, उसके अन्दर आपका यह हिस्सा उन्होंने निर्धारित कर दिया। यह हिस्सा उन्होंने सारे राज्यों का निर्धारित किया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमको अकाल के तहत पैसा मिला वह भी हमारा ड्यू था। हम बार-बार जिस बात को कहते हैं कि आपने हमको नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फण्ड से रुपया नहीं दिया, उसकी भी स्थापना की गई है इसके अन्दर। नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फण्ड की स्थापना भी की गई,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

500 करोड़ रुपये की कोर्पस मनी से शुरू किया गया है और भारत सरकार को कहा कि कहीं सीवियरिटी हो तो आप इन्हीं चीजों पर सैस लगाकर आप इस किटी को बढ़ा सकते हैं और आपको राज्यों को मदद करनी चाहिए। मैंने पढ़कर सुनाया, इन प्राकृतिक आपदाओं से राज्य अपने बलबूते पर जूझ नहीं सकते। आपने गेहूं दिया, हमको ही नहीं दिया, सारे राज्यों को दिया क्योंकि आपका गेहूं सड़ रहा था, आप उस गेहूं को समुद्र में फिकंवा रहे थे। हिन्दुस्तान की जनता भूखी मरती, हिन्दुस्तान के गोदामों में गेहूं भरा रहता, आप देते नहीं तब भी हम आपको आभार प्रकट कर रहे हैं। आपने नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फण्ड से तो दिया नहीं।

आपने यहां पर कहा कि आपने बहुत बड़ा मेमोरेण्डम भारत सरकार को सौंप दिया। सारा का सारा आधार 1987-88 का जो ड्रॉट था उसको बनाया गया। उस वक्त जो सहायता दी गई थी उस सहायता पर उस वक्त की कीमत, उस वक्त की मजदूरी, उस वक्त की ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट, उन सबको ध्यान में रखते हुए कि अब हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी, इस साल के ड्राट को मीट करने के लिए हमने मेमोरेण्डम दिया। खैर, उन्होंने नहीं कहा। फिर कहा गया कि बजट के अन्दर आपने तो कोई प्रावधान ही नहीं रखा। गनीमत है, बाद में उसको करैक्ट किया गया कि यह आपने प्रावधान रखा, लेकिन कम रखा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.आर.एफ. के हिस्से का रखा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुन लें जरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आप ट्विस्ट क्यों करते हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.आर.एफ. में जो आपको हिस्सा है वह आपकी कांस्टीट्यूशनल मजबूरी है, वह 25 परसेंट आपको देना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी बात को आप कह रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : सी.आर.एफ. का जितना रुपया आ रहा है वही तो आपने दिखाया, उसके अलावा क्या दिखाया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, सी.आर.एफ. आपको मिल रहा है, आप मान रहे हैं, सारा जगत जान रहा है कि सी.आर.एफ. तो मिल ही रहा है, उसके अलावा क्या किया, यह बताओ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन आंकड़ों को भी पढ़कर आपको सुनाता हूं, इनको शांति हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह स्वीकार कर लो ना कि सी.आर.एफ. के शेयर के अलावा आपने एक पैसा खर्च नहीं किया। स्वीकार कर लो और आगे चलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 1998-99 में सी.आर.एफ. का हिस्सा 148.92 करोड़। जो हमारा हिस्सा था वह 70.11 करोड़ का था, जिसका प्रावधान है, खर्चा भी हुआ है। 1999-2000 सी.आर.एफ. 155.25 करोड़ रुपये, राज्य का हिस्सा 66 करोड़ रुपये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो जो सही और वह गलत, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप जिस सब्जैक्ट पर बोले, अब लैट हिम स्पीक। उनको जो जंचेगा वह बोलेंगे। आप कहोगे वह थोड़े ही बोलेंगे। आपको सुनना है तो सुनो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) ये पानी पी-पीकर +++ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है। प्लीज आप +++ एक्सपंज कीजिए। +++ क्या होता है?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : हम तो पानी पी-पीकर असत्य बोल रहे हैं, आप तो कसम खा-खाकर असत्य बोलते हो। असत्य पर असत्य बोलते हो।

श्री उपाध्यक्ष : सुनने की कोशिश कीजिए। आपको तीन रोज तक सुना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमने हर साल...(व्यवधान) आपने एक चीज और नोट की होगी। जब भी सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स इस सदन के अन्दर आयी हैं, सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स के अन्दर हमेशा मेजर पोर्शन रिलीफ के पेटे प्रोविजन होता है। आपने कहा कि आपने 182 करोड़ का ही प्रोविजन किया है। करंट ईयर का खर्चा भी तो हुआ है, जो 31 मार्च को खर्च होगा। 31 मार्च तक जो खर्चा हुआ है वह तो करंट ईयर के प्रावधानों में होगा। यह तो मेरा अगले साल का प्रावधान है। फिर तीन महीने के अन्दर इस बात का आकलन करना कि कितना हुआ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से खर्चा होगा। फिर उसका हमारे यहां एडिशनल खर्चा करने का हमको अधिकार प्राप्त है। जितनी सप्लीमेंटरी आयी हैं पिछले 2-3 सालों में, अगर आप उनमें गौर से देखेंगे तो हमेशा एडिशनल प्रोविजन जितना है उसके अन्दर राहत के पेटे सबसे ज्यादा एडिशनल प्रोविजन किया गया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, उपाध्यक्ष महोदय,

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि यह बात जो यहां कही गई है तो बात सत्ये से परे है कि आपने अकाल को, फिर मैंने संकल्प दोहराया है, अपने बजट भाषण में मैंने यह बात भी कही है कि हमको जो आवश्यकता थी, हालांकि केन्द्र सरकार से नकद सहायता हमको कुछ भी नहीं मिली है उसके बावजूद भी हमने एक संकल्प लिया है कि हम अकाल के काम में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और इसके लिए हमको जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी हम निश्चित रूप से व्यवस्था करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिना किये ही ताली ठोक रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब तक क्या किया है? आप जब तक नहीं करें, अब तक हम ही करते आये हैं, आपने कुछ नहीं किया। आपके वक्त में किसी अकाल में 7 लाख से ज्यादा आदमी नहीं लगे, हमारे पिछले साल मैक्सिमम 17 लाख आदमी लगे थे। आप क्या बातें कर रहे हो? जो पैसा आपको अकाल का मिला, अकाल की सीवियरिटी के बाद भी आपने पैसा खर्च नहीं किया, पैसे को बचाकर रखा। हमने इसके अन्दर एक पैसा नहीं बचाया। क्या बात कर रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भी बता दो, कितने गांवों में अकाल था?

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्षजी, हमारे शासनकाल में अकाल ही नहीं था। कोई सीवियरिटी नहीं थी, कोई अकाल नहीं था। अकाल आपके ही शासन में पड़ता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : 30 हजार गांव प्रभावित हैं। 1992 में आपने...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आपने अकाल के नाम पर क्या पैसा खर्च किया 1991 में? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सबसे ज्यादा 30 हजार गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने करोड़ किया, यह तो बताओ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह सारा पैसा बचाकर आपने काहे में खर्च किया? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न यहां उठा है, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस पर कुछ बोले।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय वित्त मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर "पर उपदेश कुशल बहुतेरे", किसी ने पढ़कर सुनाया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, बिराजो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनता जानती है कि हम मस्टररोल इश्यू करते थे तो उतने लेबर नहीं आते थे गांव में। (व्यवधान) आपको यह मालूम है? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत चिल्लाते थे, मजदूर लगाने के लिए...(व्यवधान) वह भी आप कभी मार्च में या अप्रैल में लगाते थे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असत्य बोलने की भी कोई सीमा होती है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : बहुत चिल्लाते थे हम लोग। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : लाखों आदमी आते थे, यह कह रहे हैं आदमी नहीं आये। (व्यवधान) जो इनको वोट देने गये थे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असत्य बोलने की भी कोई सीमा होती है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : ये आंकड़े कहां से लाये फिर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) कह दिया न आपने, बात खतम हो गई।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1991 में जब 2 करोड़ 89 लाख लोग अकाल से प्रभावित थे, एक आदमी पर एक रुपया खर्च किया पूरे साल आपने।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कोई गलत हो तो बता दीजिए। (व्यवधान) 30041 गांव अकाल से प्रभावित थे और केन्द्र सरकार ने 93 करोड़ रुपये आपको दिये, उसमें आपने सिर्फ 5 करोड़ रुपये खर्च किये। आपने सिर्फ 5 करोड़ रुपये खर्च किये। (व्यवधान) एक रुपया पूरे साल में एक आदमी के ऊपर। (व्यवधान) यह आपका रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, कंटीन्यू प्लीज। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये।

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय प्रतिपक्ष के नेता के आंकड़ों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। विपक्ष के नेता के आंकड़ों का जवाब दे नहीं पा रहे हैं वित्त मंत्री महोदय। (व्यवधान) आप 70 लाख को काम दे रहे हैं।

श्री घासीलाल मेघवाल : आप बैठ जाएं, आपकी समझ से बाहर है मामला। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : हम पूरी मजदूरी देते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपसे आंकड़ों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : हर साल वहां काम के लिए आते थे, आप मजदूरी नहीं दे सके। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसके अलावा क्या करें, नाच न ज़ाने आंगन टेढ़ा। वित्त मंत्री महोदय, आप बात करते हैं... (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : अभी भी आपको गांवों में लोग रो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आंकड़ों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : अभी तक भी पुराने पेमेंट नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : इनके टाइम के पैसे के लिए अभी भी मजदूर रो रहे हैं इनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आहूजा जी।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : इनके टाइम के अभी भी मजदूरों को पैसे नहीं मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी इनका भाषण थोड़े ही हो गया, क्या बात है? (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरी बकाया है। (व्यवधान) इनके टाइम के अकाल की मजदूरी अभी तक भी नहीं मिली है। (व्यवधान) आपके टाइम की मजदूरी अभी तक नहीं मिली है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मंत्रीजी, बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो बजट में पैसे बचाये उसका जवाब दो आप लोग तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह तो जवाब दे नहीं पा रहे हो, घुमा रहे हैं बात को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी, आप बिराजिये। (व्यवधान) एक घंटा 10 मिनट तक आपके नेता बोले हैं, इन्होंने सुना है आपको, आप उनको सुनना ही नहीं चाहते, यह कैसे चलेगा? यह थोड़ा ही हो सकता है कि आप कहो जो वह बोलें, ऐसा नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम सत्य बोल रहे थे, ये असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसी का अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह स्वाभाविक है, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सोहन नायक : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह स्वाभाविक है कि वह कहेंगे उससे आप सहमत नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) वित्त मंत्रीजी के अलावा किसी का अंकित नहीं हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठ जाएं, मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री सोहन नायक : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री सोहन नायक : xxx

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्होंने कैलकुलेशन करवाया है, वह बता रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन नहीं करवाया अभी। (व्यवधान) वह कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, आपको तकलीफ क्या हो रही हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सोहन नायक : xxx

श्री संजीव बेनीवाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, Please try to listen to him. एक घंटा आप भी बोले हैं, एक घंटा आप भी बोले हैं, आप हर बात पर क्वेश्चन करोगे तो there is no end to it. यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री उपाध्यक्ष : वह बाद की बात है। (व्यवधान) आप पहले भाषण समाप्त होने दीजिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सोहन नायक : xxx

श्री घासीलाल मेघवाल : xxx

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप मानते ही नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। माननीय मंत्रीजी। आप जवाब सुन लीजिए, आप जितनी देर बोले उन्होंने शांति से सुना, तो आप इनका जवाब ही सुनना नहीं चाहते, हर पांच मिनट बाद क्वेश्चन करना चाहते हैं, यह कौन-सी डिबेट है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह खड़े नहीं हुए, पहले आपके सदस्य खड़े हुए। यह खड़े होंगे तो वह भी खड़े होंगे। आप इतना बोलो, वह नहीं होगा। आप बिराजिये प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाइंथ प्लान में कटौती को लेकर यहां पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बहुत जोरदार तरीके से इस बात को उठाया और अब के नये रूप से उठाया उन्होंने। अब के नये रूप से इस प्रकार उठाया उन्होंने कि नाइंथ प्लान में कटौती की वजह से जो विभागीय बजटों में कमियां आईं उसको भी उन्होंने यहां दर्शाया है। ऐसा दर्शाया है कि रुपया अलाट किया, खर्चा नहीं किया। गवर्नमेंट मिजरेबली फेल हुई है हर फ्रंट के ऊपर, यहां दर्शाने की चेष्टा की, क्योंकि मैं गौर से सुन रहा था। अवधि जो नाइंथ प्लान की, शायद 1997 से 2002 तक, यहां बहुत जोर-शोर से पिछले सालों में यह बात कही गई और आज भी यह बात कही गई कि नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 27650 करोड़ रुपये का था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले 11500 करोड़ से 140 प्रतिशत अधिक है। बहुत अच्छा, प्लान आपने बनाया है लेकिन प्लान के जो रिसोर्सेज थे उनका आकलन करने के अन्दर यह बात मैं सदन में दो दफे कह चुका और पुनः दोहराना चाहता हूं क्योंकि यह बार-बार बात उठी है नाइंथ प्लान को लेकर यहां पर। मैंने शुरू में कहा, पिछले सालों में भी कहा, उस बात को दोहराता हूं कि अवधारणा इनकी गलत थी। जो रिसोर्सेज का कैलकुलेशन इन्होंने किया था, मैं आपको बताऊं कि जब रिसोर्स कैलकुलेशन आपने किया तो आपने किस

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

किस चीज को गिना। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने माना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो शेयर डिवोल्यूशन होगा रेवेन्यू के तहत, उसकी इन्होंने कल्पना की थी। उसमें 950 करोड़ रुपया सरकार को कम मिला। इसी तरह से इन्होंने माना था कि सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम हैं, क्योंकि जो स्कीम का पैसा आता है वह प्लान का हिस्सा नहीं होता है, जो प्लान में से हम अपना अंशदान देते हैं वह प्लान का हिस्सा होता है, इन्होंने कल्पना की थी कि 700 करोड़ रुपया वह हमारे पास आ जाएगा। उस वक्त जब प्लान बना था, पे कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, वह कैलकुलेट नहीं किया कि पे कमीशन का भार राज्य पर कितना आएगा। वह 1200 करोड़ रुपया साल का पे कमीशन का भार था। पांच साल में कितना हुआ, आप खुद कल्पना कर लीजिये, 6 हजार करोड़ रुपया हो गया। आपके जो एक्सटरनली एडेड प्रोजेक्ट होते हैं उनके अन्दर आपने कल्पना की थी कि 5778 करोड़ रुपये हमको प्राप्त होंगे और उसके अगेंस्ट में कुल 991 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। कहने का अभिप्राय यह है कि 4787 करोड़ रुपया तो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के तहत मिलना था वह कम हुआ, पांच साल का अगर आप मानकर चले पे कमीशन की रिपोर्ट का तो 6 हजार करोड़ रुपया वह हो गया, 700 करोड़ रुपया आपकी सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स का गया, 900 करोड़ रुपये टैक्स डिवोल्यूशन में आपको कम प्राप्त हुआ और चलते-चलते आप चुंगी माफ कर गये। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस हिसाब से यह तो कुल 15 हजार करोड़ है। इतना रुपया कम हुआ तो यह योजना तो 15213 करोड़ रुपये की रह जाती थी। 15213 करोड़ रुपये की योजना रह जाती थी उसके बावजूद भी हमने उस योजना को चलाया, प्रावधान किया। जो रिसोर्सेज हमसे बनते थे, रिसोर्सेज को हमने जनरेट किया और इस तरह से करीब 19 साढ़े 19 हजार करोड़ का यह नाइंथ प्लान जाकर पूरा होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब आपकी मूल योजना में ही कटौती होगी तो निश्चित रूप से विभागीय एलोकेशंस में कमी आना स्वाभाविक है। जब विभागीय एलोकेशंस में कमी आएगी, आपकी मूल योजना होगी तो कटौती किस प्रकार से योजना विभाग ने की तो यहां भी योजना विभाग को अपने संसाधन इंगित कर देते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, शायद मेरी बात को और आंकड़ों को आपने 27650 से नहीं जोड़ा होगा। मैंने केवल जो आपने बजट पेश किया 21084 करोड़ का, केवल पांच साल का जो बजट हमारे यहां पेश हुआ, उसी के आंकड़ों को लिया है। उसमें से भी हमने केवल 19 हजार करोड़ रुपया खर्च किया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो कुछ आपने प्लान में इंडीकेट किया अपने बजट में, उसी में कितना खर्चा कम हुआ है, वह आंकड़ा मैंने बोला है। मैंने 27 हजार के आंकड़े यहां नहीं बोले हैं। आप गलतफहमी में हों तो मिला लेना। मैंने 21 हजार का जो बजट इस सदन में पेश हुआ उसी में जो एलोकेशंस आपने किये उसके अगेंस्ट में आपने कितना कम खर्चा किया, यह मैंने स्पष्ट किया है।

डा. सी. पी. जोशी : ढाई साल तो नाइंथ प्लान के इनक्लूड है उसमें। जो दिसम्बर, 1998 में हमारी सरकार आई तो आपके पांच साल का बजट बनाकर गये तो ढाई साल का तो बैकलाग आपका है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दो बजट हमने रखे, एक तो हमने रखा 3500 करोड़ का, एक रखा 4300 करोड़ का। ये दो साल का बजट हमने रखा...

डा. सी. पी. जोशी : दोनों साल का खर्चा 3200, 3400 करोड़ रुपये है। दोनों साल का जो खर्चा है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : कटारियाजी, आप बिराजो, मैं बता देता हूं आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो आपकी गलतफहमी है, आप स्पष्ट कर दें।

डा. सी. पी. जोशी : गलतफहमी नहीं है। आपका जो दो साल का प्लान का एक्सपेंडीचर है वह 3200, 3400 करोड़ से ज्यादा नहीं है फर्स्ट टू ईयर का आप चैक कर लें अपने आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड। मेरा केवल इतना ही है कि जो हमने पहला बजट इस नवीं पंचवर्षीय योजना का हाउस में पेश किया उससे हमने अधिक खर्च किया या नहीं किया, यह बता दीजिये। 468 करोड़ रुपया 3500 के अगेंस्ट में। दूसरा जो 4300 करोड़ का हमने रखा, वह आपने आकर पूरा किया और उसमें आपने लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये की कटौती की। पहले वाले में हमने बढ़ाया जितना हमने रखा था, एक्सेस खर्चा किया, मैंने आंकड़े दिये हैं आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बता सकता हूं कि आपने एक्सेस खर्चे के आंकड़े भी किस प्रकार से दिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पता लगाया है, यह बात पिछले सालों में और उससे पिछले साल में भी बहुत जोरों से कही गयी थी कि हमने 1997-98 में 3987 करोड़ 35 लाख रुपये खर्च किया। यही कहा था न? अभी भी यह बात कही है यहां बैठकर। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खूबसूरती से, आपको मालूम है प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपने 700 करोड़ रुपया जो आर एस ई बी का था, जो पुराना आर एस ई बी पर कर्जा था उस साल योजना का आंकड़ा मिलाने के लिए इन्होंने पूंजी निवेश बता दिया सरकार का इसके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अन्दर। इसका आब्जैक्शन हुआ है। यह बात मैंने एक दफे कही भी थी। मैं सदन के माननीय सदस्यों को याददाश्त के रूप में कहना चाहता हूं, यह आया है मेरे पास, आपने आंकड़ों के अन्दर यह दर्शाने की कोशिश की। यह आपने क्या किया? आपने कोई नया पैसा तो उनको दिया नहीं, कोई नई असिस्टेंस दी होती, पूंजी निवेश करने के लिए कोई नया पैसा दिया होता तब तो बात थी, जो पुराने सालों का कर्जा था वह आपने पूंजी निवेश बता दिया उसके अन्दर। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, आपकी स्थिति भी थी। मैं यह नहीं कहता हूं, देखिये, इसके अन्य कारण भी होते हैं, जब आप बजट एस्टिमेट बनाते हैं तो आप एक साल का एंटीसिपेट करते हैं कि हमारी रेवेन्यू इतनी होगी। शुरू में ही तीन महीने, चार महीने बार जब आपको मालूम पड़ने लगता है कि जिन लाइन के ऊपर आपने राज्य की रेवेन्यू एंटीसिपेट की थी उस हिसाब से आपकी आमदनी नहीं आ रही है, इसी हिसाब से अक्टूबर–नवम्बर के महीनों में रिवाइज्ड एस्टीमेट इसीलिए बनाये जाते हैं कि अब तक का ट्रेंड क्या रहा है, इस ट्रेंड के आधार पर आगे की क्या व्यवस्था होगी। रिवाइज्ड एस्टीमेट का मतलब ही यही है। यह हर राज्य में होता है, केन्द्र सरकार में भी होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ई एफ सी ने क्या एंटिसिपेट किया था, वहां तो बड़े-बड़े विद्वान बैठे हुए हैं? ई एफ सी ने अपना फोरकास्ट किया था एक तरह का कि राजस्थान को इतना पैसा मिलेगा, उसमें से कितना मिला? भारत सरकार के खुद के जो बजट एस्टीमेट थे, जिसमें उन्होंने सोचा था कि हमारी रेवेन्यू रिसीट्स इतनी होगी, उसके आधार पर उन्होंने राज्य का डिवोल्यूशन तय किया था ई एफ सी की रिकमंडेशन के हिसाब से, वो ही प्राप्त नहीं हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में सोचते हो कि आपकी आमदनी, क्योंकि यह बजट एस्टीमेट है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : ई एफ सी की रिकमंडेशन प्राप्त नहीं हुई आपको? यह पूरा रिलीज हुआ है आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बताता हूं आपको, आप बिराजो न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रेवेन्यू रिसीट्स नहीं हुई हैं। नहीं हुआ है, श्रीमान्। अगर हुआ हो तो मैं इस सदन से जाने को तैयार हूं इसी वक्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जाइये मत। मेरी जानकारी को दुरुस्त कर दीजिये। क्योंकि यह मैं भी मन से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कोई मन से फिगर्स नहीं दे रहा हूं। यह ई एफ सी का है, एजें पर द

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

फाइनल रिपोर्ट आफ ई एफ सी आन्ध्र प्रदेश को 16377 जो सैंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था उसमें 12283 लाख रुपये रिलीज हुआ है और राजस्थान का जो शेयर बनता था 17116 लाख रुपये उसमें 17116 लाख पूरा का पूरा रिलीज हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बता देता हूं। ये तो जो ए.जी. के एक्चुअल्स हैं, एक-एक पाई के हिसाब का आडिट करते हैं, श्रीमान्। और हम कुछ कहें ए.जी. को कि भारत सरकार का आदमी है, हम कुछ भी कहा करें, हम कुछ भी कहें, वह तो एक-एक पैसे का अकाउंट होता है, एकाउंटिंग सिस्टम होता...

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह 24 अक्टूबर भी है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको अभी अर्ज कर देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा, ठीक कहा, सम्भव हो सकता है, तकलीफ हो रही है, आप घंटी बजाना चाहते हैं ना, हकीकत नहीं सुनना चाहते, हकीकत नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हकीकत से परहेज है इनको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये बजट एस्टीमेट बनाये जाते हैं और उसके आधार पर जब एक्चुअल रिसीट्स राज्य की खुद प्राप्त नहीं होती हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण आपके रेवेन्यू रिसीट्स में कमी आती है, चाहे वह टैक्स में हो, नान-टैक्स में हो, अभी अकाल की वजह से हमको तमाम रेवेन्यू कलेक्शन रोकना पड़ा, आबियाना को भी स्थगित किया। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको करनी पड़ती है। साल के शुरू के अन्दर हम एंटीसिपेट नहीं करते कि क्या आकस्मिक खर्चे आएंगे। जैसे इस साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत घूघरी का खर्चा हमारे सिर के ऊपर आ गया। किसी राज्य ने नहीं माना लेकिन राजस्थान में अकाल को देखते हुए, यहां के लोगों की अभाव की स्थिति को देखते हुए हमने स्वीकार किया कि राजस्थान के 60,000 स्कूलों के 70 लाख बच्चों को घूघरी प्राप्त हो, दोपहर का भोजन प्राप्त हो। अब इसके लिए प्रावधान करना है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके आधार पर जब हमारे रिसीट्स और अनफोरसीन खर्चे बढ़ते हैं, फिर हमको दूसरे महकमों में थोड़ी बहुत कटौती करनी पड़ती है। अभी आपको मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट आ गई। शेट्टी कमीशन से राज्य के ऊपर भार बढ़ा दिया, जुडीशियरी का आपको पे-रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत से राज्य अपोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि नहीं, आपको देना पड़ेगा। इस बात पर अभी बहस हो रही है हिन्दुस्तान के अन्दर कि भारत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के कंसोलिडेटेड फण्ड के ऊपर या राज्यों के कंसोलिडेटेड फण्ड के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे सकता है। राज्य का कंसोलिडेटेड फण्ड गवर्न होता है स्टेट लैजिस्लेचर से और भारत का कंसोलिडेटेड फण्ड गवर्न होता है पार्लियामेंट से, क्या सुप्रीम कोर्ट सक्षम है? मैं यहां पर किसी को कोट नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने हम लोगों को मीटिंग में कहा–Can the Supreme Court pass an order on the Consolidated Fund of India?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, फण्ड के लिए नहीं, सौशल ओब्लिगेशन के लिए कह सकती है। सोसायटी के लिए ओब्लिगेशन है, फण्ड के लिए नहीं कह सकती।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनका इंटरप्रिटेशन यह है कि नहीं हो सकता। मेरा खुद का मानना है कि आप नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर जुडीशियरी की डिमांड डिस्कस होती है और हाउस वोट करता है उनके ऊपर तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि यह चर्चा का विषय है, पर यह अलग है विषय से, लेकिन अगर पालना करनी पड़ेगी तो यह भार आएगा। इसी प्रकार से अकाल के अन्दर जब आपकी एडिशनलिटी आती है तो वह खर्चा भी आपको अपने पास से करना पड़ता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इतना-सा बता दो, आपका जो शेयर था, जो भारत सरकार से मिला, वह आपका शेयर था, मैं कतई यह नहीं मानता कि वह आपका शेयर नहीं था, फिर आपने अपने रिसोर्सेज से क्या खर्च किया, इतना और बता दीजिये?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारा कंट्रीब्यूशन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, बिना उसके फण्ड ही नहीं बनता है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने कंट्रीब्यूशन उसके अन्दर दिया। हर साल के अन्दर हमने एडिशनलिटी की, मैंने खुद ने एडमिट किया है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपने सी.आर.एफ. आपने फण्ड को मिलाकर आपने...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह तो सी.आर.एफ. बनेगा तभी, जब आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसमें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसमें ऊपर भी खर्च हुआ है, मैं वह आपको फिगर्स दे दूंगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खाली कहने का अभिप्राय यह था कि विभिन्न विभागों के बजटीय एलोकेशन के अन्दर कमी आती है, उसका मूल कारण यही है कि हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में कमी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की वजह से, भारत सरकार के डिवोल्यूशन की वजह से, नान-टैक्स रिसीट्स की वजह से हमारे सामने से समस्या पैदा होती है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ऋण भार की बड़ी चर्चा की गई कि राज्य के ऊपर ऋण भार और इंटरेस्ट लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। बड़ा पर्टिनेंट पाइंट है, इस साल के बजट एस्टीमेट के लिए बोल रहे हैं कि बजट एस्टीमेट आपने बनाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, व्हाइट पेपर को लेकर चर्चा हुई। उसी सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि सब सरकार बनी थी तो यहां पर राज्य की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति को लेकर व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया। मेरे पास व्हाइट पेपर की कापी है, कापी आपके पास भी है। कल चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने बड़ा हमको बदनाम करने की चेष्टा की, आपने ऐसा किया। तरह-तरह की बातें उन्होंने यहां पर कही थीं, तो मैंने कहा, वह पढ़कर सुना दो आप, आप जरा वह पढ़कर सुना दो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या पढ़कर सुनाना है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो उन्होंने उसके अन्दर जो पढ़कर सुनाया, उसका लास्ट पैरा मैं आपको पढ़ देता हूं कि हमने किसी स्तर के ऊपर सरकार की आलोचना नहीं की, पुरानी सरकार की। राज्य की जनता को जिसने हमें इतना बड़ा मेंडेट दिया था, उसको राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति से अवगत कराने का हमारा ध्येय था कि हमने किन परिस्थितियों के अन्दर राज्य के कार्य को सम्भाला है। क्योंकि मूल कारण क्या होता है, उपाध्यक्ष महोदय, नई सरकार से जन आंकाक्षाएं हमेशा बहुत ज्यादा रहती हैं-चाहे वह विकास के कार्य हों, चाहे अन्य कार्य हों, वह यह मानकर चलती है कि सरकार इनको पूरा करेगी और इतना बड़ा मेंडेट मिलने के बाद हमारा यह दायित्व था कि राज्य की जनता को वास्तविक आर्थिक स्थिति से अवगत करा दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Cumulative. As on today अब जो स्थिति है, उसका व्हाइट पेपर पब्लिश कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह सब कर देंगे, आप चिंता ही मत कीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान के ऊपर कर्ज का भार बढ़ा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कितना? आप बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां आलमोस्ट डबल हो गया, भाई, मैं कह रहा हूं ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने बड़ी विनम्र प्रार्थना आपसे की थी कि आप कृपया ये आंकड़े दे कि कुमुलेटिव आपके ऊपर कितना कर्जा है टुडे। अब मैं कहता हूं कि 51000 करोड़ है, कोई कहता है 50,000 करोड़ है, कोई कहता है 53,000 करोड़ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम आथेंटिक फिगर चाहते हैं, राजस्थान के वित्त मंत्री से चाहते हैं कि आपके जो पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं–विद्युत मण्डल है, जे.डी.ए. है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, आपके ए.डी.बी. का कर्जा है, सब कर्जा मिलाकर टोटल कर्जे का भार राज्य पर कितना है, यह बताइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, आप कितना दफा इन्टरप्ट करना चाहते हो, यह बता दो? फिर क्या कर रहे हो आप? You will get an opportunity, then ask the questions. यह क्या बात हुई? आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता (व्यवधान) नहीं, मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, वित्त मंत्रीजी से हम सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना चाहते हैं तो बाद में सुन लेना, लेट हिम फिनिश।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन श्वेत-पत्र जारी कर रहे थे उस दिन उनके मन में नहीं आया था कि कोई सवाल खड़ा होगा, सवाल पूछेंगे? हमारा अधिकार है, हम कैसे नहीं पूछेंगे? उन्होंने श्वेत-पत्र के माध्यम से जो-जो बातें कहीं, हम उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अधिकार है तो आप पूछ लेना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके कहने का अभिप्राय क्या है?

एक माननीय सदस्य : राठौड़ साहब, आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बीच में इंटरप्ट करने का अधिकार नहीं हैं, आप बिराजिये प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसी चीज है जो छिपाये नहीं छुपती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : छुपाने की कोशिश आप करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये ए.जी. के एक्चुअल हैं, आडिटेड फिगर्स हैं और जितने पेपर इनके सब्मिट किये गये हैं, माननीय सदस्यों को दिये गये हैं, सबके सब आंकड़े हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये फिगर्स नहीं हैं कहीं पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा था... हमने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कोशिश, हमने वायदा, हमने उसमें कहा था, मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि हम राजस्व घाटे को कम करने की चेष्टा करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कर्जे का क्या हुआ, आप बता दो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बता रहा हूं, साहब, आपको बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कर्जा है कितना, यह तो बताओ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : They are all related matters. कृपया इसको आप समझने की चेष्टा करें।

डा. सी. पी. जोशी : Less then 400%

मोहम्मद माहिर आजाद : टैक्स कलेक्शन बढ़ाया...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : Less then 400% छह का चौबीस, चौबीस का...

मोहम्मद माहिर आजाद : टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पता नहीं हो तो चुपचाप बैठे रहा करो, यह पढ़ा करो आप, यह बजट एट ए ग्लांस क्या कहता है। कम हुआ है टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं–नहीं, पढ़ा है। मेरा दावा है, आप गलत कह रहे हो, आपने पढ़ा ही नहीं। टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। माननीय राठौड़ साहब, अपने आप को सुधारो आप। टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, आप सुराना साहब से पूछ लो भले ही। आपको कुछ पता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी समझ रहे हो विधान सभा को भी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बस, बस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टैक्स रेवेन्यू, माहिर साहब, आपकी जानकारी के लिए, 2002–03 में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : 3700 से 5300 हो गया, क्या बात कर रहे हो आप, पूछो न आप इनसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पूछो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके दोनों बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह पहले बजट एट ए ग्लांस का पेज नम्बर एक पढ़ लीजिये, पेज नम्बर एक में लिखा है 2002–03 में आपके बजट एस्टीमेट थे 7027 और कम हुआ है आपका 6481 करोड़...

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने सारे पेज पढ़ लिये, आप तो अपने आप को करैक्ट कर लो। आप तो अपने आपको

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करैक्ट कर लो, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, बढ़ा है। मेरा चैलेंज है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 6481 करोड़ है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप गलत हो, आप अपने को सुधारो। अब आप झेंपो मत। आप सुधारो अपने आप को। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : झूठ बोलने की आदत है कोई उनकी...

श्री बाबूलाल सिंगारिया : राजस्व आय में वृद्धि हुई है, साढ़े तेरह प्रतिशत राजस्व आय में वृद्धि हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आप पेज पढ़ लो आप, मैं पढ़ाऊं क्या आपको? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको विस्तार में नहीं...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से नहीं जाकर और संक्षिप्त करता हूं अपनी बात, लेकिन यह बड़ा इम्पोर्टेंट पाइंट है। मैंने अपने...(व्यवधान) भई क्या है यह? आपके समझ के बाहर हैं ये बातें सब। All are interfering. (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बार-बार कह रहे हैं कि मेरा अभिप्राय यह है, तो मैं तो अभिप्राय पूछ रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : मूंछें बड़ी होने से कोई अकल बड़ी नहीं हो जाती। मूंछें बड़ी होने से कोई भेजा बड़ा नहीं हो जाता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, मूंछों और भेजे का सम्बन्ध, तो आपने मूंछें क्यों कर रखी हैं फिर? फिर कटवा दो सिर को, सिर को कटवा दो। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : मूंछे बड़ी होने से कोई मतलब नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा अभिप्राय यह है, मेरा अभिप्राय यह है, इन्होंने अपने भाषण में कोई सौ बार मेरा अभिप्राय यह है, मेरा अभिप्राय यह है, मैं कह रहा हूं अभिप्राय क्या है, यह बता दो ना, क्यों समय खराब कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा अभिप्राय यह है, सौ बार बोला है, आपका तकिया-कलाम है तो अभिप्राय बता दें।

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर चीज की एक सीमा होती है। कोई मूछें बड़ी, उसकी भी सीमा होती है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में भी इस बात

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को कहा है कि खाली राजस्थान के ऊपर ही कर्ज भार नहीं बढ़ा है, यह सभी स्टेट पर बढ़ा है और भारत सरकार के ऊपर भी बढ़ा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कितना बढ़ा है, यह तो बता दो जानकारी के लिए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टोटल कितना है, यह तो बता दो, राजस्थान पर?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अभी आपको सब दिये देता हूं।

डा. सी. पी. जोशी : Less then 400% छह हजार करोड़ का चौबीस हजार करोड़ आप करके गये...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसी से साबित हो जाएगा कि राजस्थान ही अपवाद नहीं है, सारे राज्यों की स्थिति यही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अब छोड़ो आप...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, प्लीज सुनिये आप। Why? No. No. You have to listen. You will have to listen. यह क्या तरीका है? आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और राज्यों ने श्वेत पत्र जारी नहीं किये थे, और राज्यों ने श्वेत पत्र जारी करके पूर्व राज्य सरकार पर कीचड़ उछालने की बात नहीं की थी। श्वेत पत्र आपने ही जारी किया था, और राज्यों में श्वेत पत्र जारी नहीं हुए थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर 1998-99 बेस ईयर लेते हैं तो 2003 की बी.ई. में क्या स्थिति है। मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि सभी राज्यों पर करीब ढाई गुने से तीन गुना कर्ज बढ़ा है और भारत सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। 1998-99 के अन्दर आंध्र प्रदेश पर 19969 करोड़ रुपये का कर्जा था जो कि बढ़कर 2003 में 50638 करोड़ रुपये हो गया। बिहार के ऊपर 20164 करोड़ का था जो बढ़कर 44649 करोड़ रुपये हो गया। गोवा का 1409 था जो बढ़कर 3060 हो गया। गुजरात का 15061 था जो बढ़कर 46689 हो गया।

अनेक माननीय सदस्य : लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अपना तो पहले बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हरियाणा का 7632 था जो बढ़कर 17526 हो गया। कर्नाटक का 12945 था तो बढ़कर 32597 हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अपना क्या है, यह तो बता दो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आ जाइये, मैं बता रहा हूं आपको। केरल का 12608 था जो बढ़कर 30008 हो गया। मध्य प्रदेश का 16040 था जो बढ़कर 34099 हो गया। उड़ीसा का 12403 था, बढ़कर 290207 हो गया। पंजाब का 17216 था, बढ़कर 37950 हो गया। राजस्थान का 16400, 1998-99 के अन्दर और यह बढ़कर 40890 हुआ। कहने का मेरा अभिप्राय, तमिलनाडु का 16282... (व्यवधान) हां, मैं बता रहा हूं आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जल्दी क्या है इतनी, आराम से बताओ न राजस्थान का भी।

श्री मानिक चन्द सुराना : राजस्थान का दोबारा बता दें कृपा करके।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सोलह हजार था न, चौबीस हजार बता रहे थे आप, चौबीस हजार बता रहे थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भई, देखिये, ऐसा है, ये रिजर्व बैंक के फिगर्स हैं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बिलकुल सही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रिजर्व बैंक अपने फिगर्स के अन्दर जो हमारा पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक डैट का रुपया है इसके बारे में जो मैंने आपको जवाब दिया, वह इसी आधार के ऊपर दिया था, यह अकाउंटिंग का है तो उसी आधार पर दूसरे राज्यों का लिया गया है। आपसे मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, अब राज्यों के ऊपर 2000-2003 का 6 लाख 83 हजार करोड़ रुपये कुल कर्जा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : औरों से मतलब नहीं है, राजस्थान बताओ न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान का बता दो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और केन्द्र सरकार के ऊपर 2000-2003 में 15 लाख 56 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केन्द्र का तो कितना ही होगा, अपना तो बता दें। मजाक हो रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका 51 हजार रुपये को कम करने के लिए आपने 24 हजार को कम कर दिया। सोलह हजार का चालीस हजार बताया है आपने और चौबीस हजार का 51 हजार पहुंचा है, वह स्थिति स्पष्ट कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां, है। है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस राज्य के अपरिहार्य खर्चे, असेंशियल एक्सपेंडीचर राज्य की टोटल रेवेन्यू रिसीट्स के 116 प्रतिशत हों तो चारा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जवाब दे दो, यह कोई सैटिस्फैक्शन...

श्री प्रद्युम्न सिंह : विकास भी आपको करना है, बिजली के क्षेत्र के अन्दर जनरेशन कितना हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, आप सड़कों का भट्टा बैठा कर गये थे...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कोई तर्क हुआ क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने नहरों की एक इंच मरम्मत नहीं की। बांधों की हालत खराब थी, बिजली का एक मेगावाट भी जनरेशन नहीं किया आपने। आज काम कर रहे हैं तो ऊपर से शोर मचाते फिरते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सड़कों के लिए और उसके लिए आपने वर्ल्ड बैंक से अलग से कर्जा ले लिया। (व्यवधान) वाटर प्रोजेक्ट पर अलग से साढ़े सात सौ करोड़ रुपये ले लिये। वर्ल्ड बैंक से आपने बिजली का अलग से कर्जा ले लिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : राठौड़ साहब, यह आ गया, कर राजस्व में वृद्धि हुई है। 3945 करोड़ से बढ़कर आपके राज के अन्दर हुए थे पांच हजार, यह आ गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : छह हजार। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, स्थाई परिसम्पत्तियां बनी हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कर राजस्व में, पांच हजार छह सौ इकहत्तर...

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अकाल को विकास में बदल गया और विकास करने के लिए अभी जैसे कोई कर्जा लेता था तो कह रहे हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : विकास के लिए ही कर्जा लिया गया है राज्य के अन्दर (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी मैंने आपको तथ्यों के आधार पर सारी जानकारी दी है, मैंने राज्य के बजट को डवलपमेंट ओरिएंटेड बनाया...

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। (व्यवधान) डेफिसिट बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : पिछले चार साल में जितना काम हुआ है, जितना पिछली सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। बिजली का सत्यानाश करके गये, सिंचाई का सत्यानाश करके गये, सड़कों का सत्यानाश करके गये। सोसियल सैक्टर के अन्दर जो हमारी प्रगति हुई है वह बहुत उत्सावर्द्धक रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सवाल किये, तर्कों के आधार पर किये, एक सवाल का जवाब नहीं आया। एक सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और मैं आप से और माननीय सदस्यों से प्रस्ताव करता हूं, मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन और समर्थन प्राप्त करें, श्रीमन्।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जो आपने किताबें पेश की हैं किस के लिए हैं, क्या मतलब है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, एक मिनट बिराजिए। आप बिराजें एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सवाल का जवाब भी नहीं आया, एक सवाल का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक सवाल का जवाब नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है? उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आर्डर-आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सत्यानाश का जवाब तो तीन सीटें बीजेपी को मिली हैं और आगे पौने दो सौ सीटें आएगी। पौने दो सौ सीटें बीजेपी की आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। माननीय आहूजा साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसका सत्यानाश किसने किया है, इसका जवाब तो जनता ने दे दिया। अभी तीन सीटें आ गई, अब आगे पौने दो सौ सीटें आएगी। सत्यानाश आपने किया या हमने किया? आप लोगों ने सर्वसत्यानाश कर दिया राज्य का। अब बात करते हो आप लम्बी-चौड़ी। मेरा अभिप्राय यह है, मेरा अभिप्राय यह कह करके सौ बार कहने के अलावा था क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि इस सदन का समय माननीय मंत्रीजी के भाषण तक बढ़ाया गया था। अब और आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, आप हां बोलिए, ना बोलिए। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समय बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय नहीं बढ़ सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बढ़ाया जाना चाहिए। (व्यवधान) शर्म की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 11 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.50 बजे मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-240 की प्रति)

राजस्थान राज-पत्र
साधिकार प्रकाशित
भाग 6 (क)
नगरपालिकाओं सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि
निदेशालय स्वायत्त शासन, राज. जयपुर

आदेश

जयपुर, अक्टूबर, 26, 1991

संख्या एफ.24 (210) डीएलबी 87/11327-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उप-धारा (1)अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा संलग्न नगरपालिका, पुष्कर (पुष्कर सरोवर स्वच्छता, पवित्रता एवं सौन्दर्यकरण उप विधियां, 1991) जो कि नगरपालिका, पुष्कर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) (IV) (एल) (एम) तथा (टी) के अन्तर्गत बनाई गई है, को स्वीकृति प्रदान करती है।

कार्यालय नगरपालिका, पुष्कर जिला अजमेर (राज.)

उपविधियां

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 3 सन् 1959) की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड बी (IV) (एल)(एम) तथा (टी) द्वारा प्रदत्त शक्तायों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका, पुष्कर द्वारा निम्नलिखित उप विधियां बनाती है, नामत :-

1. संक्षिप्त नाम, सीमा तथा प्रभाव

(1) ये उप विधियां नगर पालिका, पुष्कर (पुष्कर सरोवर स्वच्छता, पवित्रता एवं सौन्दर्यकरण सम्बन्धी) उपविधियां, 1991 कहलायेगी।

(2) ये उप विधियां नगरपालिका, पुष्कर के सरोवर क्षेत्र की सीमा में प्रभावशाली होगी।

(3) ये उप विधियां राज्य सरकार में स्वीकृत होने के पश्चात् राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिवस के पश्चात् प्रभावशाली होंगी।

2. परिभाषाएं :

जब तक अर्थ या प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की परिभाषाएं इन उप विधियों पर लागू होगी तथा इन उप विधियों के प्रयोजनार्थः–

(1) "अधिनियम" से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 3 सन् 1959) से है।

(2) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष से है एवं प्रशासक की अवस्था में प्रशासक सम्मिलित है।

(3) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से है। (4) "नगरपालिका" से तात्पर्य नगरपालिका पुष्कर है।

(5) "मकान" से तात्पर्य स्थाई अवस्था अस्थाई गृह, भवन, परिसर, स्थान से है जो कि व्यक्तियों, पशुओं, सामान के संग्रहण अथवा निवास, व्यवसाय, अराधना हेतु प्रयोग किया जाता है।

(6) "स्वामी तथा काबिज" से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में परिभाषित व्यक्ति से है।

(7) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य नगरपालिका के सफाई निरीक्षक से है जिसमें सहायक सफाई निरीक्षक सम्मिलित है।

(8) "कचरा संग्रहण डिपो" से तात्पर्य दैनिक सफाई से होने वाले कूड़े करकट को एकत्रित करने के लिये नगरपालिका द्वारा स्थाई रूप से सीमेंट, चूने, पत्थर अथवा ईंटों आदि से निर्मित परिसर अथवा अन्य किसी प्रकार से स्थापित पात्रों अथवा लोहे के ड्रमों से है तथा उसमें कचरा डालने हेतु समय समय पर नगरपालिका द्वारा अस्थाई रूप से निर्दिष्ट स्थान, डस्टबिन आदि भी उसमें सम्मिलित है।

(9) "कूड़ा करकट" से तात्पर्य अस्तबल का कूड़ा अथवा अन्य किसी प्रकार की गन्दगी, पशुओं की गन्दगी तथा अन्य समस्त प्रकार के कूड़ा करकट से है (अधिनियम की धारा 219 में वर्णित धूल, गन्दगी, गोबर, राख, रसोई घर, अस्तबल के अवरुद्ध दूषित जल, टूटे कांच बर्तन शामिल हैं।

(10) "सरोवर" से तात्पर्य पुष्कर के राजस्व अभिलेखों में वर्णित खसरा नम्बर 858 में के सम्पूर्ण क्षेत्रफल से है।

(11) " सरोवर क्षेत्र की सीमा" से तात्पर्य सरोवर से 100 फीट की परिधि में स्थित सम्पूर्ण भाग से है।

(12) "होटल" से तात्पर्य ऐसे किसी मकान से है जिनमें भारतीय अथवा विदेशी नागरिकों की अस्थाई रूप से रहने, खान-पान, रात्रि विश्राम, नहाने धोने की सुविधा, प्रतिफल अथवा बिना प्रतिफल के प्रदान करने से है जिसमें धर्मशालाएं शामिल हैं।

3. भवनों का गन्दा पानी व कूडा करकट पुष्कर सरोवर में नहीं ढाला जायेगा

(1) पुष्कर सरोवर क्षेत्र की सीमा में स्थित मकानों का गन्दा पानी, मोरी, नाला, नाली, गटर अथवा आय किसी भी प्रकार से पुष्कर सरोवर नहीं, डाला जाकर पानी सड़क, बाजार या रास्ते की तरफ बनी नाली सीवरेज में डाला जायेगा।

(2) सरोवर के किनारे बने मकानों का कूड़ा करकट सरोवर में नहीं डाला जायेगा बल्कि इन्हें नगरपालिका द्वारा निर्धारित कचरा संग्रहण डिपो में ही डाला जावेगा।

4. पुष्कर सरोवर क्षेत्र की सीमा बने हुए मकानों का

(1) इन उप विधियों के प्रभावशील होने के पश्चात् होटल के उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही उक्त मकानों को होटल में परिवर्तित किया जायेगा।

(2) पुष्कर सरोवर क्षेत्र की सीमा में कोई होटल इन उप विधियों की प्रभावशील होने से पूर्व चलायी जा रही है तो उस होटल को नियमित, नियंत्रित करने, आवश्यक निर्देश इन उप विधियों के क्रियान्विति हेतु प्रदान करने का एवं अधिकार पुष्कर के अधिशासी अधिकारी की होगी।

5. पुष्कर सरोवर क्षेत्र की सीमा में बने हुए सभी भवनों एवं घाटी के सौन्दर्यीकरण के लिये बाहरी तरफ सफेदी अथवा सफेद की अथवा सफेद अन्य निर्माण सामग्री का ही प्रयोग करना होगा तथा अन्य कोई भी रंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6. पुष्कर सरोवर में स्थित सभी मकानों एवं घाटी के लिये किसी भवन एवं घाट का निर्माण, परिनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण उनमें परिवर्तन, परिवर्धन हेतु लिखित पूर्व अनुमति आवश्यक होगी जो कि जिला कलक्टर की अभिशंसा पर दी जायेगी।

7. निरीक्षक

(1) अधिशासी अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई सदस्य/अधिकारी द्वारा सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त के पहले ही पुष्कर सरोवर सीमा क्षेत्र में मकानों का निरीक्षण किया जा सकेगा व इस हेतु मकान में अन्दर प्रवेश भी किया जा सकेगा। इस हेतु परिचय पत्र मकान के स्वामी अथवा काबिज को उसके द्वारा कहने पर दिखलाना

होगा। यदि निरीक्षण में मकान का गन्दा पानी, कूड़ा करकट सरोवर में जाना पाया गया अथवा सरोवर क्षेत्र सीमा में स्थित किसी मकान में बिना अनुमति किसी प्रकार का निर्माण होना पाया जावे अथवा इन उप विधियों की किसी प्रकार सअवहेलना पायी जावे तो नगर पालिका अधि, अधि. स्वामी अथवा काबिज की निर्देशिष्ट अवधि के अन्तर्गत लिखित सूचना पत्र द्वारा उप विधियों का पालन किये जाने हेतु अपेक्षित करेगा। इन निर्देशों से व्यथित व्यक्ति निर्देश प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर अपील बोर्ड को कर सकेगा।

(2) स्वामी अथवा काबिज द्वारा उक्त उप विधि 7(1) में दिये निर्देशों की पालना न करने पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के खर्चे से पालना करायेगा व लागत व्यय स्वामी अथवा काबिज व्यक्ति अथवा उस सम्पति में भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा।

8. दण्ड

कोई भी व्यक्ति जो इन उप विधियों को भंग करता है या करने हेतु किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करता है अथवा इस उप विधि में दिये निर्देशों की पालना निर्धारित अवधि में नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोजन प्रस्तुत किये जाने एवं दोष प्रमाणित हो जाने पर 500 रुपये अधिकतम एवं 100 रुपये न्यूनतम अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा तथा अपराध क्रमिक रखने पर ऐसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा जो 50 रुपये प्रतिदिन से कम न हो। उपरोक्त अर्थ दण्ड अथवा उसके भाग की अदायगी न करने पर 3 माह के साधारण कारावास से दण्डित होगा।

9. निरसन एवं व्याप्ति

इन उप विधियों के पूर्व संस्थित कार्यवाही, आज्ञा, अभियोजन इन उप विधियों के लागू होने के बाद पूर्व की उप विधियों, नियमों के तहत चालू रहेंगे तथा नगरपालिका पुष्कर में लागू अन्य विधि के प्रावधान इस उप विधि के प्रतिकूल होने पर उनके कार्य क्षेत्र में प्रभावहीन होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
जी. के. गोस्वामी
निदेशक एवं उप शासन सचिव,
स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-''अ''

(तारांकित प्रश्न संख्या-241 की सूची)

गत दो वर्षों में राज्य में स्थापित अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, का विवरण

अधिसूचना क्रमांक 1 (1) न्याय/2000 दिनांक 20.3.2001 द्वारा स्थापित अपर जिला एवं सैशन न्यायालयों की सूची

क्र.सं.	नाम न्यायालय	स्थान
1.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या-3, अजमेर	अजमेर
2.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या-2, डीग	डीग
3.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या-2, बयाना	बयाना
4.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भादरा	भादरा

अधिसूचना क्रमांक 1 (1) न्याय/2001 दिनांक 31.3.2001 द्वारा स्थापित अपर जिला एवं सैशन न्यायालयों (फास्ट ट्रेक) की सूची

क्र.सं.	नाम न्यायालय	स्थान
1	2	3
1.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), अजमेर	अजमेर
2.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), अलवर	अलवर
3.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक),किशनगढ़वास	किशनगढ़वास
4.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), बालोतरा	बालोतरा
5.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
6.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), बारां	बारां
7.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,(फास्ट ट्रेक) क्रम सं.-1,भरतपुर	भरतपुर
8.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,(फास्ट ट्रेक) क्रम सं.-2,भरतपुर	भरतपुर
9.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,(फास्ट ट्रेक) क्रम सं.-3, भरतपुर	भरतपुर
10.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
11.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), बीकानेर	बीकानेर

1	2	3
12.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश; (फास्ट ट्रेक) क्रम सं.–1, बूंदी	बूंदी
13.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) क्रम सं.–2, बूंदी	बूंदी
14.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), रतनगढ़	रतनगढ़
15.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), बांदीकुई	बांदीकुई
16.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–1, धौलपुर	धौलपुर
17.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–2, धौलपुर	धौलपुर
18.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), अनूपगढ़	अनूपगढ़
19.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
20.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,(फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–1, जयपुर शहर	जयपुर शहर
21.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–2, जयपुर शहर	जयपुर शहर
22.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), जयपुर जिला	जयपुर
23.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), जालौर	जालौर
24.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) क्र. सं.–1, झालावाड़	झालावाड़
25.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) क्र. सं.–2, झालावाड़	झालावाड
26.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), झुंझुनूं	झुंझुनूं
27.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), जोधपुर	जोधपुर
28.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), हिण्डौन	हिण्डौन
29.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–1, कोटा	कोटा
30.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–2, कोटा	कोटा
31.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), नागौर	नागौर
32.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), पाली	पाली
33.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
34.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़

1	2	3
35.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), राजसमन्द	राजसमन्द
36.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी
37.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), सीकर	सीकर
38.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), सिरोही	सिरोही
39.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), टोंक	टोंक
40.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), उदयपुर	उदयपुर

अधिसूचना क्रमांक 10 (4) न्याय/98-II दिनांक 12.7.2002 द्वारा स्थापित अपर जिला एवं सैशन न्यायालयों (फास्ट ट्रक) की सूची

क्र.सं.	नाम न्यायालय	स्थान
1.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), ब्यावर	ब्यावर
2.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), बहरोड़	बहरोड़
3.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–2,बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
4.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), कामां	कामां
5.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–2, बीकानेर	बीकानेर
6.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–3, बूंदी	बूंदी
7.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
8.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–2, झुंझुनूं	झुंझुनूं
9.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक)क्र.सं.–3, कोटा	कोटा
10.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), मकराना	मकराना
11.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), बाली	बाली
12.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना	नीमकाथाना
13.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), डूंगरपुर	डूंगरपुर

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

प्रश्न संख्या–243

(स्थगित)

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कालेज शिक्षक

244. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कालेज शिक्षकों को विभाग में और अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब से कहां-कहां पर किस-किस विभाग में किस कारण से?

(2) क्या प्रतिनियुक्ति के लिये विभाग ने कोई नियम बना रखे हैं? यदि हां, तो नियमों में क्या व्यवस्था है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में संचालित राजकीय महाविद्यालयों के कुछ शिक्षकों को विभाग एवं अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है। विवरण परिशिष्ट "ए" पर है।

(2) जी नहीं।

विभाग के अलग से नियम नहीं हैं।

परिशिष्ट–"ए"

अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त व्याख्याता

क्र.	नाम व्याख्याता	विषय	विभाग का नाम जिसमें प्रतिनियुक्ति पर गये हैं	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कब से
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शाहिद मीर खान रा.म. जालौर	वनस्पतिशास्त्र	कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरोंज, एम.पी.	एफ1(28)शिक्षा–3/90 दिनांक 27.1.1993	17.2.1993
2.	श्रीमती सोनल सिंघवी रा.म. नागौर	अंग्रेजी	उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय महा., सारनपुर, शांजापुर	एफ2(28)शिक्षा–3/01 दिनांक 28.8.2002	28.8.2002
3.	डा. एम.के. कटारिया रा.म. सीकर	लोक प्रशासन	इन्दिरागांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर	एफ1(6)शिक्षा–3/01 दिनांक 7.8.2001	14.8.2001
4.	श्री शिव प्रकाश स्थानान्तरणाधीन राज. महा. टोंक	लोक प्रशासन	केन्द्रीय पुस्तकालय, जयपुर	एफ1 (20)शिक्षा–3/99 दिनांक 22.1.2001	23.1.2001
5.	श्री संजय माथुर रा. म. दौसा	भूगोल	इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर	एफ1 (6)शिक्षा–3/01 दिनांक 6.10.2001	11.10.2001
6.	श्रीमती शकुन्तला सिंह रा. म. दौसा	भूगोल	इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर	एफ1 (6)शिक्षा–3/01 दिनांक 6.10.2001	11.10.2001
7.	श्री श्यामलाल मीणा रा. म. दौसा	इतिहास	इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर	एफ1 (6)शिक्षा–3/01 दिनांक 7.8.2001	16.8.2001

1	2	3	4	5	6
8.	श्रीमती शगुफ्ता खान रा.म. चिमनपुरा	इतिहास	डी.पी.ई.पी. जयपुर	एफ 2(171)शिक्षा–3/97 दिनांक 22.11.2002	22.11.2002
9.	डा. श्रीमती शकुन्तला गर्ग रा. म. चिमनपुरा	हिन्दी	भाषा विभाग	एफ 2(40)शिक्षा–3/95 दिनांक 1.6.1999	1.7.1999
10.	डा. रेणु बाफना निदेशालय	हिन्दी	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली	एफ 2(239)शिक्षा–3/96 दिनांक 4.11.2000	27.11.2000
11.	श्री अशोक बाफना राज. महा. दौसा	रसायनशास्त्र	राजकीय आयुर्वेद परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	एफ 2(125)शिक्षा–3/72 दिनांक 21.9.1996	21.8.1996
12.	श्री अमिता गिल	अर्थशास्त्र	विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग में परियोजना निदेशक से पद पर	एफ 3(3)एसटी/98/191/–99 दिनांक 22.1.2001	24.7.1996
13.	डा. अल्फा कुमार सहायक निदेशक क्षे.का. उदयपुर	भौतिक शास्त्र	लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर	एफ 2(6)शिक्षा–3/01 दिनांक 21.8.2002	21.6.2002
14.	श्रीमती अनुपमा जौहरी, राजकीय महा. टोंक	अंग्रेजी	लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर	एफ 2(6)शिक्षा–3/01 दिनांक 21.8.2002	21.6.2002
15.	डा. अनुज सक्सेना	गृह विज्ञान	विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग, जयपुर	एफ 2(35)शिक्षा–3/96 दिनांक 8.8.2002	8.8.2002

1	2	3	4	5	6
16.	श्री डी.के. भोदानी	इएएफएम	ह.च. माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	एफ 2(26)रीपा/प्लान/99 दिनांक 7.5.1999	7.5.1999
17.	श्रीमती देवकान्ता शर्मा स्थानान्तरणाधीन राज. महा. टोंक	लोकप्रशासन	लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर	एफ 1(6)शिक्षा-3/2001 दिनांक 21.8.2002	21.8.2002
18.	सुश्री. गुंजन भट्ट	गृहविज्ञान	इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर	एफ1(6)शिक्षा-3/2001 दिनांक 7.8.2001	20.5.1997
19.	श्रीमती गुणजीत कौर स्थानान्तरणाधीन राज. महा. टोंक	समाजशास्त्र	आवास एवं नगर विकास लिमिटेड, नई दिल्ली	एफ1 (84)स्था/निकाशि/92 दिनांक 31.5.2001 एफ1 (24)शिक्षा-3/97 दिनांक 19.11.2001	7.7.2000
20.	श्री गजानन्द मिश्र	हिन्दी	भाषा विभाग, जयपुर	एफ 2(9)शिक्षा-3/96 दिनांक 17.5.1996	17.5.1997
21.	श्रीमती बीना पराडकर	रसायनशास्त्र	मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा (शासकीय स्नातकोत्तर महा. महु)	एफ1 (20)शिक्षा-3/95 दिनांक 21.3.2002 एवं एफ1 (49)शिक्षा-3/95 दिनांक 21.3.2002	19.11.1999
22.	श्रीमती उषा सिंह, राजकीय महा. मेड़तासिटी	समाजशास्त्र	महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर	एफ1 (67)शिक्षा-3/2001 दिनांक 15.3.2002	21.3.2002

1	2	3	4	5	6
23.	श्रीमती प्रमीला संजय, राजकीय महा. बांदीकुई	अंग्रेजी	महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर	एफ1 (1)स्था./महा./92/ 30082 दिनांक 31.5.1997	6.7.1997
24.	श्रीमती कीर्ति शेखावत राज. महा. दौसा	अंग्रेजी	रीपा, जयपुर	4556-65 दिनांक 1.11.2001 दिनांक 1.11.2001	2.3.2002
25.	श्रीमती कीर्ति सिंघवी, राज. महा. नागौर	अंग्रेजी	उच्च शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार	एफ2 (179)शिक्षा 3/97 दिनांक 30.11.2000	30.11.2000
26.	डा. चन्द्रभूषण जैन, राज. महा. टौंक	रसायनशास्त्र	समाज कल्याण विभाग, जयपुर	एफ1 (70)शिक्षा-3/1994 दिनांक 7.1.2003	7.1.2003
27.	सुश्री वीणा प्रधान	रसायनशास्त्र	महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर	एफ15(1)भविका/84/भाग-1 15309 दिनांक 20.3.1995	27.3.1995
28.	श्री मुरलीधर काबरा	वनस्पति शास्त्र	विशिष्ट योजना संगठन, जयपुर	एफ 2(65)कृषि/5/2001 दिनांक 27.7.2003	20.9.1993
29.	श्री देवेश सूद, राज. महा. दौसा	इतिहास	राज. फाउण्डेशन में	एफ1 (17)शिक्षा 3/2001 दिनांक 31.5.1997	8.3.2001
30.	श्री राजकुमार गर्ग, राज. महा. डीडवाना	लोक प्रशासन	लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर	एफ1 (6)शिक्षा-3/2001 दिनांक 21.8.2002	21.8.2002
31.	श्रीमती रचना मेहता, राज कन्या महा. चित्तौड़गढ़	लोकप्रशासन	लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर	एफ1 (6)शिक्षा-3/2001 दिनांक 21.8.2002	21.8.2002

परिशिष्ट–"बी"

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर एवं शिक्षा ग्रुप-4 सचिवालय, जयपुर में वर्किंग अरेंटजमेंट के रूप में अस्थाई आधार पर कार्यरत व्याख्याता

क्र. स.	नाम व्याख्याता	विषय	विभाग का नाम जिसमें प्रतिनियुक्ति पर गये हैं	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कब से
1.	श्रीमती मेघा जोशी राज.महा. सांभरलेक	अंग्रेजी	निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर	एफ1(20)स्था/निकाशि/02 /2000 दिनांक 17.10.2002	23.10.2002
2.	श्री मुकेश शर्मा, राज.महा. अलवर	विधि	निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर	एफ1(18)स्था/निकाशि/99 /1381 दिनांक 9.7.1999	16.7.1999
3.	श्रीमती उमा प्रधान राज.महा. अजमेर	रसायन शास्त्र	निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर	एफ1(20)स्था/निकाशि/02 /372 दिनांक 21.2.2003	24.2.2003
4.	श्री ताराचन्द बैरवा, राज.महा. दौसा	इतिहास	निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर	एफ1(20)स्था/निकाशि/02 /378 दिनांक 21.2.2003	22.2.2003
5.	श्री साहिब राम विश्नोई राज.महा. अजमेर	विधि	निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर	एफ1(20)स्था/निकाशि/02 /371 दिनांक 21.2.2003	24.2.2003
6.	श्री सुभाष यादव, राज.महा. कोटपूतली	गणित	निदेशालय कालेज शिक्षा राज., जयपुर	एफ1(20)स्था/निकाशि/02 /374 दिनांक 21.2.2003	22.2.2003
7.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल राज.महा. सांभरलेक	हिन्दी	निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर	एफ1(20)स्था/निकाशि/02 /373 दिनांक 21.2.2003	22.2.2003
8.	श्री राकेश कुमार सिंह, एस.के. कालेज, सीकर	इतिहास	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा के कार्यालय में	एफ1(1)स्था/निकाशि/98 /4413 दिनांक 21.12.1998	1.1.1998

कृषि विपणन बोर्ड में मुख्य विधि सहायक के पद पर अनियमित प्रतिनियुक्ति

245. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) कृषि विपणन बोर्ड में मुख्य विधि सहायक के पद को भरने का बोर्ड सेवा उप विधियों में प्रावधान है? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पद राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति से भरने का नियम है? यदि हां, तो उक्त पद पर समायोजन किन नियमों के तहत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मुख्य विधि सहायक के पद पर एग्रो इण्डस्ट्रीज के कार्यालय अधीक्षक के अनियमित समायोजन के विरुद्ध बोर्ड के कर्मचारी संगठनों व कर्मचारियों के सामूहिक ज्ञापन प्राप्त हुए? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड में मुख्य विधि सहायक के पद को भरने को बोर्ड सेवा उप विधियों में प्रावधान नहीं है।

(2) बोर्ड में स्वीकृत पद की योग्यता नहीं रखने पर रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के सामान्य दिशा निर्देशों से भरा जाता है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा उप विधियों 1977 के भाग IV के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार जहां पर बोर्ड उप विधियों में उल्लेख नहीं हो, वहां पर राजस्थान सेवा नियम 1951 एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश/नियम के अन्तर्गत सेवाएं नियंत्रित होने का प्रावधान है। इस विषय में राजस्थान सेवा नियम 1951 के भाग-5 अध्याय-13 के नियम 144(A) में प्रावधान विहित है। उप नियम/नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है। मुख्य विधि सहायक का बोर्ड में समायोजन राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र क्रमांक प. 10(30) कृषि/ग्रुप-II 2/94/ दिनांक 10.10.1996 प्राप्त कर किया गया है।

(3) जी हां। ज्ञापन परीक्षणाधीन है।

परिशिष्ट-"अ"

THE RAJASRHAN STATE AGRICULTURE MARKETING BOARD

(SERVICE) BYE-LAWS, 1977

(As Amended upto 21.6.1999)

Rajasthan State Agriculture Marketing Board G.B. Pant Krishi Bhawan, JAIPUR-302 005

20. REGULATION OF PAY, LEAVE & ALLOWANCES ETC.

Except as provided in these bye-laws, the pay, allowances and other conditions of service of the members of the services shall be regulated by :

1. The orders of the government, if any, issued from time to time in regard to revision of pay scales equivalent to the pay- scales provided in these byelaws.
2. Rajasthan Service Rules 1951 and other rules relating to general conditions of services issued and amended from time to time.
3. The Rajasthan Travelling Allowances Rules, 1971 as amended from time to time by the Govt. and the Board.
4. House rent allowance rules and Medical allowance Rules and other rules or orders of certain benefits as are applicable to State Government employees and amended from time to time by the Govt. and the Board.

परिशिष्ट "ब"

नियम 144]   [राजस्थान सेवा नियम/195-196

8. विदेश नियुक्ति पर प्रतिनियुक्तियां केवल राजकीय संस्थाओं के लिए ही स्वीकार्य होंगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन किया जायेगा।

9. निजी संस्थाओं के माध्यम से सीधी प्राप्त विदेशी नियुक्ति स्वीकार्य नहीं होगी। विदेशी सरकार द्वारा अधिकृत निजी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त सीधी नियुक्ति/चयन पर राज्य सरकार की स्वीकृति दी जा सकेगी।

10. विदेश नियुक्ति अनुभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार में पंजीकरण के उपरान्त विदेश नियुक्ति अनुभाग, भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त विदेश नियुक्तियों पर प्रतिनियुक्ति हेतु प्रकरण आयोजना (जनशक्ति) विभाग को पुनः भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक विभाग नियमानुसार प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यवाही कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा के अधिकारियों के मामले में सम्बन्धित मंत्री एवं मुख्य मंत्री महोदय की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किये जायें।

11. विदेशी सरकार द्वारा अधिकृत/निजी संस्थाओं से प्राप्त होने वाले प्रतिनियुक्ति के मामलों को जनशक्ति विभाग को भिजवाना होगा जिन पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे मामलों में भी प्रतिनियुक्ति आदेश निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जारी किये जायेंगे।

12. खुले विज्ञापन के लिए आवेदन सरकार की नीति विदेशी सरकारों/संगठनों में सेवा करने हेतु सरकारी कर्मचारियों द्वारा सीधे ही आवेदन करने का प्रोत्साहन देने की नहीं है पर ऐसे खुले विज्ञापन जिनमें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय थोड़ा ही हो, कोई अधिकारी आवेदन पत्र संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को भिजवाते हुए उसकी अग्रिम प्रति सम्बन्धित एजेंसी को दे सकता है और सम्बन्धित अधिकारी के निर्णयानुसार बाद में इसकी पुष्टि की जा सकती है अथवा इसे वापस लिया जा सकता है। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी प्रत्येक मामले पर इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा कि क्या सम्बन्धित अधिकारी कार्य मुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं। प्रशासनिक विभाग द्वारा अग्रिम प्रति की पुष्टि किये जाने की स्थिति में विदेश नियुक्ति प्राप्त होने पर प्रकरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आयोज़ना (जनशक्ति) विभाग को भिजवाया जाए।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी रूप से लागू होंगे।

[1]**निर्णय 144. ए-वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें**-एक राज्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने या विदेश सेवा में भेजने, जो केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त-संस्थाएं (पंजीकृत है अथवा नहीं) एवं अन्य संस्थाएं जो पूर्णत: अथवा सारभूत रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, में स्थानान्तरण करने की शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियमित होगी।

[2]**निर्णय संख्या-1** केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य प्रादेशिक सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, स्वायत्त-शासित निकाय (निगमित अथवा नहीं) तथा अन्य निकायों इत्यादि जो पूर्णत: अथवा मौलिक रूप से राज्य सरकार की हों अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित हो, राज्य सरकार के कर्मचारियों को इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर अथवा (Cover) करता है। इसके अन्तर्गत वैदेशिक सेवा में स्थाई नियुक्ति अथवा एक कर्मचारी की, जो सीधी भर्ती के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतियोगिता में बैठकर अन्तिम रूप से उस संस्था/निगम के अन्तरलीन (एबजार्ब) हो जाता है तो उसका मामला इन आदेशों से नियमित नहीं होगा।

2. अभिव्यक्ति "प्रतिनियुक्ति" में अस्थायी आधार पर स्थानान्तरण द्वारा की गई नियुक्तियां ही आएगी। इसके अन्तर्गत स्थानान्तरण द्वारा या अन्तिम विलीनीकरण (एब्जार्प्शन) द्वारा या खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के द्वारा उक्त संस्थाओं में सीधी भर्ती से की गई स्थायी नियुक्ति शामिल नहीं है।

3. **प्रतिनियुक्ति कर्त्तव्य भत्ता**-(i)प्रतिनियुक्ति (कर्तव्य) भत्ता मासिक मूल/वेतन का 5 प्रतिशत जो [3](500/-) रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक देय होगा।

(ii) इस प्रयोजनार्थ मूल वेतन से अभिप्राय कर्मचारी द्वारा उसके पैतृक विभाग में किसी संस्थाई पद के वेतनमान में आहरित वेतन से है। स्थानापन्न/कार्यवाहक वेतन के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि यदि कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त नहीं होता तो विभाग में कार्यवाहक/स्थानापन्न वेतन आहरित करता रहता।

(iii) राजस्थान नागरिक सेवाएं (संशोधित वेतनमान नियम 1981) के परिशिष्ट-III में दर्शाया गया विशेष वेतन यदि एक कर्मचारी की वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की दिनांक को निरन्तर दो वर्षों पूर्व से मिल रहा है, तो उसे भी मूल वेतन का भाग माना जावेगा। व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो, जो एक कर्मचारी को उसके पैतृक विभाग में वेतन के अतिरिक्त मिल रहा है, तो वह उसे पृथक से दिया जाता रहेगा।

1. वि. वि. एफ 1 (8) वि. वि. (ग्रुप-2) 76-III दिनांक 23.1.1976 द्वारा तुरन्त प्रभाव से जोड़ा गया।
2. वि. वि. एफ 1 (47)/82 दि. 22.2.1986 द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित।
3. एफ. 1(47) एफ.डी. (ग्रुप-2) 82 दिनांक 27.6.1989 द्वारा 200/- मासिक स्थान पर 300/- मासिक संशोधित तथा एफ 1(5)वि.वि. (नियम)/96 दिनांक 2.4.1998 द्वारा 300/-के स्थान पर 500 तथा 7% के स्थान पर 5% प्रतिस्थापित तथा 1.1.1998 से प्रभावी।

व्यक्तिगत वेतन प्रतिनियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ते की राशि में अन्तरलीन नहीं किया जावेगा किन्तु ऐसे व्यक्तिगत वेतन को वेतन की अन्य वृद्धियां जैसे वेतन वृद्धि के कारण अथवा पदोन्नति के कारण वेतन बढ़ने पर, भावी वेतन में अन्तरलीन किया जावेगा।

(iv) राजस्थान सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय/राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान विधान सभा के अधिकारी एवं कर्मचारी जब कहीं प्रतिनियुक्ति/वैदेशिक सेवा में भेजे जावें तो प्रतिनियुक्ति काल में वह विशेष वेतन नहीं मिलेगा जो वे उन स्थानों पर प्राप्त कर रहे थे कारण कि प्रतिनियुक्ति काल में वैदेशिक नियोजन का पद तथा वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति वेतन प्राप्त करेंगे। हां, यदि ऐसा अधिकारी या कर्मचारी अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि, जो चार वर्ष की है, के बाद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रतिनियुक्ति पर रुकता है तो उसे वह वेतन आदि मिलेगा, जो वह अपने विभाग/सचिवालय में प्रतिनियुक्ति से वापस लौट आने पर प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

4. प्रतिनियुक्ति काल में वेतन एवं महंगाई भत्ता–(i) एक कर्मचारी जिसे प्रतिनियुक्ति पर वैदेशिक सेवा में भेजा जाता है अपने पैतृक विभाग वाले वेतनमान में मूल वेतन तथा साथ में व्यक्तिगत वेतन यदि कोई हो तो, तथा प्रतिनियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ता जो अनुच्छेद तीन में दिया गया है, प्राप्त करेगा।

(ii) पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार कर्मचारी के वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता मिलेगा।

अपवाद–ऐसे राज्य कर्मचारी जिन्हें प्रतिनियुक्ति/वैदेशिक सेवा में भाखरा–व्यास प्रबन्ध मण्डल, जल एवं विद्युत परामर्श सेवा (भारत) निगम तथा अन्य केन्द्रीय अथवा अन्तरराज्यीय संस्थाओं में भेजा जावे तो उसको निम्नप्रकार वेतन मिलेगा–

(1)(i) प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों को, वैदेशिक नियोजक/उधार लेने वाले विभाग का वेतनमान स्वीकार करने का विकल्प होगा तथा उस समय उनका वेतन, सेवा नियम 26 के अनुसार स्थिर किया जावेगा।

[1](ii) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन में ऊपर खण्ड (i) के अनुसार विकल्प देने के कारण, असाधारण वृद्धि न हो, यह निश्चय किया गया है कि जहां प्रतिनियुक्ति वाले पद के वेतनमान का न्यूनतम, प्रतिनियुक्ति कर्मचारी के मूल वेतन तथा 5 प्रतिशत[1] की दरें से प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के योग से पर्याप्त रूप से अधिक हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी, प्रतिनियुक्ति कर्मचारी के वेतन को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 36 के अधीन, प्रतिनियुक्ति वाले पद के न्यूनतम से भी नीचे रख सकेगा। ऐसे मामलों में, राज. सेवा नियमों के नियम 36 के अधीन अनुज्ञात वेतन, प्रतिनियुक्त कर्मचारी के मूल वेतन के 7 प्रतिशत[1] से अधिक नहीं होना चाहिए।

---

1. वि.वि. के ज्ञाप. सं. एफ 1(47) वि वि (ग्रुप-2) 82 दिनांक 2.2.1987 द्वारा प्रतिस्थापित तथा दिनांक 1.9.1986 से प्रभावी तथा एफ. 1(5)वि.वि. (नियम), 1996 दिनांक 2.4.1998 द्वारा 7% के स्थान पर 5% तथा 10% के स्थान पर 7% प्रतिस्थापित तथा 1.1.1998 से प्रभावी।

रामगढ़ रोड जयपुर के पशुहाट में अनियमितताओं की जांच

246. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में रामगढ़ रोड पर वर्ष में कितनी बार पशुहाट लगता है?

(2) उक्त पशुहाट किस विभाग के सानिध्य में लगता है?

(3) उक्त पशुहाट से सम्बन्धित विभाग को कितनी आय होती है? गत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त पशु हाट व्यवस्था का कार्य स्वयं की देख-रेख में न कर ठेका पद्धति पर किसी ठेकेदार को दे दिया गया है? यदि हां, तो गत दो वर्षों से किन-किन ठेकेदारों को किन-किन शर्तों के आधार पर कितनी कितनी राशि में ठेका दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी ठेकेदारों से मिलकर पशु क्रेता एवं विक्रेता से दस रुपये की रसीद के बदले दौ सौ रुपये की वसूली करते पाए गए है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(6) उक्त जांच में ठेकेदारों के प्रति क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त हाट में अन्य भी कई अनियमितताएं पाई गई? यदि हां, तो कौन-कौनसी?

(8) क्या उक्त पशुहाट से सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में नियमों के तहत कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर में रामगढ़ रोड पर सुगली नदी पर प्रत्येक शनिवार को वर्ष में लगभग 52 बार पशु हटवाड़ा लगता है।

(2) यह हटवाड़ा नगर निगम जयपुर के सानिध्य में लगता है।

(3) उक्त पशुहाट से निगम को वर्ष 2000-2001 में 55,00,111/-रु. तथा 2001-2002 में 75,43,010/-रु. की आय हुई है।

(4) जी हां। गत दो वर्षों में उक्त ठेका श्री सार्दुल सिंह ठेकेदार को दिया गया। शर्तों का विवरण संलग्न है।

(5) जयपुर नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी की कोई मिलीभगत नहीं है। इस प्रकरण में जयपुर नगर-निगम के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान ठेकेदार की अधिक वसूली (10 रुपये की बजाए 200 रुपये की वसूली) की अनियमितता पाये जाने पर ठेकेदार के

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

विरुद्ध कार्यवाही कर दिनांक 26.10.2002 को प्रथम बार 20,000 रुपये तथा दिनांक 23.11.2002 को द्वितीय बार रुपये 40,000 शास्ती वसूल की गयी। विवरण परिशिष्ट "बी" में संलग्न है। इस प्रकरण में निगम द्वारा अपने राजस्व अधिकारी श्री पदम सिंह नरूका को पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित किया गया तथा आयुक्त–हवामहल जोन पूर्व से स्पष्टीकरण लिया गया।

(6) जयपुर नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा निरीक्षण में ठेकेदार के द्वारा ठेके की शर्तों से अधिक राशि वसूल करते पाये जाने पर ठेकेदार से ठेके की शर्तों के प्रावधान अनुसार परिशिष्ट "बी" के अनुसार शास्ति वसूल की गयी।

(7) जी नहीं।

(8) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं में स्वीकृत राशि का उपयोग

247. श्री अमराराम (धोद): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधान मंत्री योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से अब तक सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई?

(2) उक्त राशि में से राज्य सरकार ने कितनी राशि का उपयोग किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री/केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के माध्यम से क्रियान्वित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2002–2003 में माह जनवरी, 2003 तक भारत सरकार से रुपये 341.44 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसके मैचिंग अंश की 76.77 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी है। भारत सरकार से प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा जारी राशि का योजनावार विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 के कालम संख्या–6 एवं 7 पर उपलब्ध है।

(2) विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में वर्ष 2002–2003 में माह जनवरी, 2003 तक भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से विभिन्न ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित योजनाओं में रुपये 426.94 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया है। उपयोग की गई राशि का योजनावार विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 के कालम संख्या–9 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

ग्रामीण विकास विभाग

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की वर्ष 2002-2003 की योजनावार वित्तीय प्रगति (जनवरी, 2003 तक)

क्र. सं.	योजना	आबंटन			रिलीज			व्यय
		केन्द्र	राज्य	योग	केन्द्र	राज्य	योग	
1.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	17.59	5.86	23.45	13.85	4.45	18.30	16.69
	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-प्रथम धारा	54.20	18.06	72.26	65.40	18.07	83.46	84.99
	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-द्वितीय धारा	52.91	17.64	70.55	64.11	17.64	81.75	84.34
2.	योग-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	107.11	35.70	142.81	129.51	35.70	165.21	169.33
3.	आश्वासित रोजगार योजना (वाटरशैड)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
4.	इन्दिरा आवास योजना	26.18	8.73	34.91	23.93	5.66	29.58	26.72
5.	इन्दिरा आवास योजना (क्रमोन्नत)	5.95	1.98	7.93	5.32	1.28	6.60	6.26
6.	ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं अनुदान योजना	0.60	0.20	0.80	0.67	0.17	0.84	0.46
7.	मरु विकास कार्यक्रम	65.00	21.67	86.67	24.19	9.80	33.99	33.53
8.	मरु विकास कार्यक्रम (कोम्बेटिंग)	मरू विकास कार्यक्रम में सम्मिलित			34.22	13.49	47.70	33.29
9.	सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	17.75	5.92	23.67	12.79	4.26	17.06	14.62
10.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	10.61	0.00	10.61	10.76	0.00	10.76	9.53
11.	डीआरडीए (प्रशासन) योजना	15.20	5.07	20.27	5.88	1.96	7.84	13.58
12.	सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम	70.00	0.00	70.00	65.00	0.00	65.00	66.32
13.	बायोगैस	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.31
14.	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	30.32	0.00	30.32	15.16	0.00	15.16	27.47
	योग	**366.31**	**85.13**	**451.55**	**341.44**	**76.77**	**418.21**	**426.94**

खदानकर्मी की अकाल मृत्यु पर प्रदत्त सहायता राशि

248. **श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द):** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या वर्तमान में राज्य खनन कार्य करते हुए खदान में किसी कर्मी की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा कोई सहायता राशि दी जाती हैं? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। यदि खदान पर कार्य करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो खान मालिक/पट्टाधारी द्वारा कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 4 के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी उदयपुर द्वारा निरस्त अनुज्ञा पत्रों की जांच

249. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 में तहसील वल्लभनगर एवं धरियावद जिला उदयपुर के उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जिला रसद अधिकारी, उदयपुर ने किस-किस उचित मूल्य के दुकानदार का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया एवं किस-किस का नहीं? प्रत्येक के निरस्त एवं निरस्त नहीं करने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी उदयपुर ने भारी अनियमितता करने वाले दुकानदारों को छोड़ दिया एवं छोटी-छोटी गलती करने वालों के अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच करवाकर जिला रसद अधिकारी उदयपुर के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 2000-2001 से 2002-2003 तक कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी शिकायतों की जांच करवाई गई। जांच के पश्चात् 15 शिकायतों के प्रकरण दर्ज किये गये, 4 शिकायतों में अभी जांच चल रही है, शेष 8 शिकायतें तथ्यहीन एवं सामान्य प्रवृति की पाई गई। सूची संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों में से किसी भी उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किये गये है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) उपरोक्त सभी प्रकरणों की जांच करवाई जावेगी, जांच में दोषी पाया गया तो कार्यवाही की जावेगी।

अनियमितता पाई जाने पर दर्ज प्रकरण

क्र.सं.	नाम डीलर	सेन्टर मय तहसील	शिकायत का विवरण मय प्राप्ति दिनांक	कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	श्री बगदीलाल चौधरी	वाणिया तलाई/ वल्लभनगर	राशन सामग्री समय पर वितरण नहीं करने बाबत–30.6.2001	अनियमितता किया जाना पाये जाने से प्रकरण संख्या 62/2000 दर्ज कर 400/–रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 27.6.2002 से आरोपित की गई।
2.	श्री नन्दलाल जाट	अमरपुरा खालसा/ वल्लभनगर	खाद्य सामग्री गेहूं का दुरुपयोग–26.4.2000	अनियमितता किया जाने पाये जाने पर प्रकरण संख्या 136/2000 दर्ज कर रुपये 3098/–रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 27.12.2000 से आरोपित की गई।
3.	श्री भीण्डर क्रय विक्रय सहकारी समिति, भीण्डर	भीण्डर वल्लभनगर	डीलरों को खाद्यान्न सामग्री कम देना 9.6.2000	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 138/2000 दर्ज कर 250/–रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 29.1.2001 से आरोपित की गई।
4.	श्री डेलाराम	लसाड़िया/ धरियावाद	डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को केरोसीन समय पर उपलब्ध नहीं कराना–11.1.2001	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 27/2001 दर्ज कर 200/–रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 22.3.2001 से आरोपित की गई।

1	2	3	4	5
5.	श्री भैरूलाल रावत	अकोला–ए/ वल्लभनगर	राशन सामग्री वितरण में अनियमितता 18.1.2001	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 51/2001 दर्ज कर 556/–रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 3.4.2001 से आरोपित की गई।
6.	श्री रामा मीणा	शकरकंद/ धरियावद	उपभोक्ताओं को गेहूं निर्धारित मात्रा से कम उपलब्ध कराना–28.2.2001	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 61/2001 दर्ज कर 1410/–रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 7.4.2001 से आरोपित की गई।
7.	श्री नारायण लाल डांगी	करणपुर/ वल्लभनगर	केरोसीन आदि का अनियमित वितरण 16.5.2001	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 109/2001 दर्ज कर 660/–रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 25.6.2001 से आरोपित की गई।
8.	श्री देवीलाल मीणा	अणत/धरियावाद/ वल्लभनगर	नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में अनियमितता 2.2.2001	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 112/2001 दर्ज कर 100/–रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 17.7.2001 से आरोपित की गई।

1	2	3	4	5
9.	श्री कालूलाल	गोपा की भागल/ वल्लभनगर	खाद्यान्न सामग्री का अनियमित वितरण एवं दुरुपयोग-9.4.2001	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 113/2001 दर्ज कर 554/-रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 17.7.2001 से आरोपित की गई।
10.	श्री किशनलाल पुष्करना	खेरोदा-बी/ वल्लभनगर	वितरण कार्य में अनियमितता- करने बाबत-28.9.2001	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 176/2001 दर्ज कर 290/-रुपये शास्ति निर्णय दिनांक 9.4.2002 से आरोपित की गई।
11.	श्री देवीलाल	भोपाखेडा/ वल्लभनगर	बी.पी.एल. गेहूं उपभोक्तओं को समय पर वितरण नहीं करने बाबत 20.9.2002	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 43/2002 दर्ज कर विचाराधीन है।
12.	श्री बेजरड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति	डाबियों का खेडा/ वल्लभनगर	अवैध रूप से गेहूं व चीनी का विक्रय करने के सम्बन्ध में 31.5.2002	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 226/2002 दर्ज कर विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
13.	श्री कन्हैयालाल	ढीकिया/ धरियावाद	अन्त्योदय परिवार को गेहूं कम देना और दुकान प्रतिदिन नहीं खोलना 11.7.2002	अनियमितता किया जाना पाये जाने से प्रकरण संख्या 860/2002 दर्ज कर विचाराधीन है।
14.	श्री तेजाराम	कच्छेर/ वल्लभनगर	बी. पी. एल. गेहूं की अधिक कीमत वसूल करना 2.11.2003	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 48/2003 दर्ज कर विचाराधीन है।
15.	श्री हिम्मतलाल	नया बोरिया/ धरियावाद	राशन सामग्री नहीं मिलने बाबत–13.1.2003	अनियमितता किया जाना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 104/2003 दर्ज कर विचाराधीन जांच अवशेष।

निराधार पाई गई शिकायतें

1. श्री नन्दलाल	अमरपुरा/ वल्लभनगर	केरोसीन व गेहूं समय पर वितरण नहीं करना	शिकायत निराधार।
2. श्री मन्नाराम	धावडिया/ वल्लभनगर	राशन सामग्री वितरण में अनियमितता–1.10.2001	शिकायत निराधार।
3. श्री पारसमल घींग	कानोड–बी/ वल्लभनगर	राशन सामग्री वितरण में अनियमितता–11.7.2002	शिकायत निराधार।
4. श्री कन्हैयालाल	ढीकीया/ धरियावाद	केरोसीन व गेहूं समय पर वितरण नहीं करना –9.1.2001	शिकायत निराधार।
5. श्री पारसमल घींग	कानोड–बी/ वल्लभनगर	राशन सामग्री वितरण में अनियमितता–11.7.2002	शिकायत निराधार।
6. श्री शांतिलाल	टेकण/ धरियावाद	थोक विक्रेता से गेहूं नहीं उठाकर वितरण नहीं करना 8.10.2002	शिकायत निराधार।
7. श्री धूलाराम	बिलड़िया/ धरियावाद	राशन सामग्री वितरण में अनियमितता	शिकायत निराधार।
8. श्री पारसमल घींग	कानोड़–बी/ वल्लभनगर	राशन सामग्री विरतण में अनियमितता–11.7.2002	शिकायत निराधार।

जांच कार्यवाही में चल रही शिकायतें

1.	श्री कन्हैयालाल	ढीकिया/ धरियावाद	केरोसीन व गेहूं समय पर न देने बाबत 3.10.2002	जांच विचाराधीन/प्रवर्तन अधिकारी के स्तर पर नवम्बर, 2002 से लम्बित।
2.	श्री पर्वत सिंह	कापड़ियों का खेड़ा/ वल्लभनगर	केरोसीन व गेहूं वितरण नहीं करने के सम्बन्ध में 24.8.2002	जांच विचाराधीन/प्रवर्तन अधिकारी के स्तर पर अगस्त, 2002 से लम्बित।
3.	श्री मन्नाराम एवं श्री देवीलाल	धावड़िया एवं नागलिया/ वल्लभनगर	अन्नपूर्णा का गेहूं व केरोसीन नहीं मिलने बाबत–6.8.2002	जांच विचाराधीन/प्रवर्तन अधिकारी के स्तर पर अगस्त, 2002 से लम्बित।
4.	श्री हिम्मतलाल	नया बोरिया/ धरियावाद	राशन सामग्री नहीं मिलने बाबत–11.11.2002	जांच विचाराधीन/प्रवर्तन निरीक्षण के स्तर पर जनवरी, 2003 से लम्बित।

विधान सभा क्षेत्र डीग में पर्यटन विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

250. श्री अरुण सिंह (डीग): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने डीग क्षेत्र में पर्यटन विकास की कोई योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) वर्ष 2002-2003 में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से डीग के विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पर्यटन विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए, पूरे एक शहर/क्षेत्र विशेष में पर्यटन विकास कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

(2) वर्ष 2002-2003 में डीग के महलों का संरक्षण तथा परिरक्षण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कुल रुपये 4.37 लाख की धन राशि व्यय की जा चुकी है।

गोपाल बाड़ी जयपुर में सरकारी भूमि पर बसी बांग्लादेशी बस्ती

251. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में विधायकपुरी इलाके में गोपालबाड़ी के नजदीक क्या बांग्लादेशीयों की बस्ती बसी हुई है? यदि हां, तो उक्त बांग्लादेशीयों ने जयपुर शहर की उक्त बस्ती की कितनी जमीन पर अतिक्रमण किया है?

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम ने सामूहिक रूप से अतिक्रमण हटाने हेतु आपरेशन पिंक अभियान चलाया था? यदि हां, तो क्या अब उक्त बस्ती में अतिक्रमण करके कोई बांग्लादेशी नहीं रह रहा?

(3) क्या सरकार ने उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिये प्रयास किया था? यदि हां, तो कब-कब और उक्त अतिक्रमण दस्ते में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी शामिल थे? यदि नहीं, तो क्या सरकार बांग्लादेशीयों को स्थाई रूप से इसी जगह बसाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर में विधायकपुरी इलाके में गोपालबाड़ी के नजदीक बंग्लादेशीयों की बस्ती बसी हुई है। इस बस्ती का लगभग पौने तीन बीघा जमीन पर अतिक्रमण है।

(2) जी, हां। अब भी इस बस्ती में अतिक्रमण करके बांग्लादेशी रह रहे हैं क्योंकि इस बस्ती में अभियान नहीं चलाया गया था।

(3) इस बस्ती में यह अभियान नहीं चलाया गया था। परन्तु अब इन्हें शीघ्र हटाया जाएगा।

रणथम्भौर बाघ परियोजना में जैव योजना हेतु प्राप्त राशि का उपयोग

252. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विश्व बैंक की सहायता से रणथम्भौर बाघ परियोजना हेतु जैव योजना अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई तथा पूरी राशि व्यय नहीं होने के क्या कारण रहे?

(2) क्या जैव योजना के मूल्यांकन करने के लिए आये विश्व बैंक के प्रतिनिधि मण्डल ने योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या कोई आपत्तियां की हैं? यदि हां, तो क्या?

(3) रणथम्भौर बाघ परियोजना हेतु गत 4 वर्षों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं व राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) विश्व बैंक की सहायता से रणथम्भौर बाघ परियोजना को इण्डिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट (जैफ प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत भारत सरकार से 3838.10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत थी। मिड टर्म रिव्यू में इसे कम कर 2285.00 लाख रुपये कर दिया गया।

योजनान्तर्गत उपलब्ध हुई तथा व्यय हुई राशि का मदवार व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

उपलब्ध पूरी राशि व्यय नहीं होने के कारण संलग्न परिशिष्ट "ख" में दर्शाये गया है।

(2) जी नहीं।

(3) रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के विकास हेतु विगत चार वर्षों में सरकारी स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किसी भी गैर सरकारी वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठनों के कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है। अतः प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट "क"

विश्व बैंक की सहायता से रणथम्भौर बाघ परियोजना को इंडिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट (जैफ प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय की गयी राशि का मदवार विवरण

क्र.सं.	परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि (लाखों रुपयों में)	मिड टर्म रिव्यू के आधार पर संशोधित स्वीकृत राशि (लाखों रुपयों में)	भारत सरकार आबंटित राशि (लाख रुपयों में)	राज्य सरकार आबंटित राशि (लाख रुपयों में)
1.	3838.10	2285.00	2205.56	2152.82

मदवार व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	टेबल संख्या	व्यय राशि (लाखों रुपयों में)
1.	107–इम्प्रुव्ड पी.ए. मैनेजमेंट	484.78
2.	207–विलेज ईको डवलपमेंट प्रोग्राम	917.2
3.	307–एनवायरमेंटल एजुकेशन एण्ड अवेयरनेस कम्पेन	9.63
4.	407–ईम्पेक्ट मोनिटरिंग एवं रिसर्च	13.33
5.	501–इंफोरमेशन टेक्नोलोजी इक्यूपमेंट	5.75
	योग	**1430.69**

परिशिष्ट "ख"

विश्व बैंक की सहायता से रणथम्भौर बाघ परियोजना को इंडिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट (जैफ प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत पूरी राशि व्यय नहीं होने के निम्न कारण रहे हैं :-

1. जनता एवं विभाग के मध्य सामंजस्य बनाने में समय लगा।
2. विलेज ईको डवलपमेंट प्रोग्राम में ग्रामीणों द्वारा 25 प्रतिशत योगदान धीमी गति से प्राप्त होने से।
3. कोर डिवीजन में पर्यटन भार, सुरक्षा एवं सीजनल गतिविधियों होने के कारण विकास कार्यों के लिए वातावरण नहीं मिलने से।
4. परियोजना लक्ष्य प्रधान नहीं होकर प्रक्रिया प्रधान होने से।

कोटा मुख्यालय के बस स्टैण्ड का अन्यत्र स्थानान्तरण

253. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा मुख्यालय का वर्तमान बस स्टैण्ड आवश्यकता के अनुसार छोटा पड़ता है?

(2) क्या बस स्टैण्ड हेतु अन्यत्र खरीदी गई भूमि की बाउण्डरीवाल भी बनी हुई है? यदि हां, तो उक्त को क्यों नहीं स्थानान्तरित किया जा रहा है?

(3) क्या सरकार अब उक्त बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। क्रय की गई भूमि पर निगम द्वारा अतिक्रमण की सम्भावनाओं को मध्य नजर रखते हुये चारदीवारी का ही निर्माण कार्य करवाया गया है। वर्तमान में निगम के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्रस्तावित बस स्टैण्ड "कुन्हाड़ी" पर सम्भावित यात्रीभार को ध्यान में रखते हुये कुन्हाड़ी क्षेत्र में बस स्टैण्ड भूमि पर बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य स्थगित कर रखा है।

(3) प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या "2" में दिया जा चुका है।

मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय, कुशलगढ़ में व्याख्याताओं के रिक्त पद

254. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने महाविद्यालय हैं तथा उक्त में कितने व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं?

(2) उक्त जिले में स्वीकृत पद से ज्यादा व्याख्याता किस महाविद्यालय में कितने-कितने नियुक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) मामा बालेश्वरदयाल महाविद्यालय, कुशलगढ़ में कितने विषय स्वीकृत हैं तथा उक्त विषयों के लिये कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद कब से रिक्त हैं?

(4) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में रिक्त व्याख्याताओं के पद इसी शिक्षा सत्र में भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार कुशलगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में 3 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। इन महाविद्यालयों में 135 व्याख्याताओं के स्वीकृत पद हैं जिनका विवरण परिशिष्ट–1 में उपलब्ध है।

(2) बांसवाड़ा जिले में संचालित किसी भी राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत पद से अधिक व्याख्याता नियुक्त नहीं है।

(3) मामा बालेश्वरदयाल राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़ में कला संकाय में 6 विषय स्वीकृत है जिनमें 10 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत है तथा 7 पद रिक्त है। व्याख्याताओं के रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट-3 में उपलब्ध है।

(4) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देते समय व व्याख्याताओं के सामान्य स्थानांन्तरण के समय रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(5) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम 12बी के अन्तर्गत विकास सहायता देने हेतु कुल सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ने दिनांक 27.1.2003 को प्रस्ताव यू.जी.सी. को भिजवा दिये है।

परिशिष्ट "1"

राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा

क्र.सं.	विषय	स्वीकृत पद
1	2	3
1.	चित्रकला	03
2.	अर्थशास्त्र	04
3.	अंग्रेजी	06
4.	भूगोल	09
5.	हिन्दी	09
6.	इतिहास	04
7.	गृह विज्ञान	01
8.	संगीत (कण्ठ)	01
9.	दर्शन शास्त्र	01
10.	राजनीति शास्त्र	08
11.	संस्कृत	10
12.	समाज शास्त्र	08
13.	उर्दू	01
14.	वनस्पति शास्त्र	11
15.	रसायन शास्त्र	10
16.	गणित	03
17.	भौतिक शास्त्र	02
18.	प्राणी शास्त्र	04
19.	ए.बी.एस.टी.	04
20.	व्यावसायिक प्रशासन	04
21.	ई.ए.एफ.एम.	04
योग		107

मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय, कुशलगढ़

क्र.सं.	विषय	स्वीकृत पद
1.	अर्थशास्त्र	01
2.	अंग्रेजी	01
3.	हिन्दी	02
4.	इतिहास	02
5.	राजनीति शास्त्र	02
6.	समाज शास्त्र	02
योग		10

हरिदेव जोशी महिला महाविद्यालय, बांसवाड़ा

क्र.सं.	विषय	स्वीकृत पद
1.	अंग्रेजी	02
2.	हिन्दी	03
3.	इतिहास	02
4.	गृह विज्ञान	03
5.	संगीत (कण्ठ)	01
6.	राजनीति शास्त्र	02
7.	संस्कृत	02
8.	ए.बी.एस.टी.	01
9.	व्यावसायिक प्रशासन	01
10.	ई.ए.एफ.एम.	01
योग		18

मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय, कुशलगढ़　　परिशिष्ट–2

स्वीकृत विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत व्याख्याता	रिक्त पद	कब से रिक्त है
अर्थशास्त्र	01	01	—	—
अंग्रेजी	01	—	01	सितम्बर, 2001
हिन्दी	02	—	02	फरवरी, 2001 व नवम्बर 2002
इतिहास	02	—	02	दोनों पद अक्टूबर, 2002
राजनीति शास्त्र	02	01	01	सितम्बर, 2001
समाज शास्त्र	02	01	01	फरवरी, 2001
योग	10	03	07	

मुण्डावर (अलवर) में नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना

255. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुण्डावर (अलवर) में कुल कितने पशु चिकित्सालय एवं उप केन्द्र हैं और उक्त में कितने पद रिक्त हैं?

(2) राज्य में कितने पशुओं के आधार पर पशु चिकित्सालय एवं उप केन्द्र स्थापित किये जाते हैं? क्या उक्त हेतु कोई मानदण्ड है?

(3) क्या सरकार मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में कोई नवीन पशु चिकित्सालय या उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर (अलवर) में 04 पशु चिकित्सालय एवं 09 उप केन्द्र कार्यरत हैं। इसमें सइस के तीन पद रिक्त हैं।

(2) राज्य में पशु चिकित्सालय खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 5000 दुधारू पशु एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 3000 दुधारू पशु उपलब्ध होने तथा उप केन्द्र खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3000 दुधारू पशु एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 2000 दुधारू पशु उपलब्ध होने का मानदण्ड रखा गया है।

जी हां। पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र खोलने के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं।

(3) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 2002-03 में नवीन पशु चिकित्सा संस्था नहीं खोली जा रही है।

सांचौर बाड़मेर बेसिन में तेल रिफाइनरी की स्थापना

256. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल भण्डार के बारे में जानकारी राज्य सरकार को मिली है? यदि हां, तो किस हद तक?

(2) क्या बाड़मेर में 37 लाख मीट्रिक टन भण्डार है जिससे बाड़मेर में तेल रिफाइनरी कायम की जा सकती है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तेलशोधन कार्य से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष पांच हजार करोड़ की रायल्टी मिल सकती है?

(4) क्या यह भी सही है कि तेल उत्पादन में कम्पनियां दिलचस्पी नहीं ले रही हैं और उनके पास साधनों की कमी है?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर-साचौर बेसिन में बहुराष्ट्रीय कम्पनी शेल/कैर्न एनर्जी द्वारा किये गये अन्वेषण से तीन कुओं में तेल के भण्डार मिले, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

कुओं	उत्पादन क्षमता	भण्डार
1.गुढ़ा "ब"	2000 बैरल प्रति दिन	विस्तृत आंकलन किया जाना है।
2.कोसलू	2075 बैरल प्रतिदिन	20-40मिलियन बैरल
3.नगर	200 बैरल प्रतिदिन	155मिलियन बैरल

(2) बाड़मेर-सांचौर बेसिन में अब तक के आकलन के अनुसार लगभग 30 मिलियन मीट्रिक टन के तेल भण्डार है तथा उत्पादन क्षमता 4275 बैरल प्रतिदिन है। जिस पर फिलहाल रिफाइनरी कायम नहीं की जा सकती है।

(3) जी नहीं। अब तक के तेल भण्डारों के आकलन के अनुसार राज्य सरकार को पांच हजार करोड़ की रायल्टी नहीं मिल सकती है।

(4) जी नहीं। राज्य में बागेवाला क्षेत्र जिला जैसलमेर में भारी तेल के 14.60 मिलियन टन भण्डारों का ही वर्तमान में व्यावसायिक उत्पादन सम्भव है, किन्तु उत्पादन की तकनीक ना होने के कारण आयल इण्डिया लिमिटेड ने वेनेजुएला की पी.डी.वी.एस.ए. कम्पनी के साथ करार किया गया है। शेष खोजे गये उच्च गुणवत्ता वाले तेल भण्डार अभी व्यावसायिक उत्पादन स्तर पर नहीं पहुंचे है।

रसद अधिकारी, अलवर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

257. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) क्या जिला अलवर के वर्तमान रसद अधिकारी के विरुद्ध राशन डीलरों द्वारा कोई आन्दोलन किया गया था? यदि हां, तो डीलर्स की क्या मांगे थी?

(2) क्या रसद अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप/शिकायत थी? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच हुई?

(3) उक्त जांच का क्या परिणाम रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध राशन डीलरों ने कोई आन्दोलन नहीं किया है। इनसे पूर्व वाले पदस्थापित जिला रसद अधिकारी श्री गजानन्द खींची के विरुद्ध अलवर में राशन डीलरों द्वारा आन्दोलन किया गया था।

राशन डीलरों द्वारा जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध, भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध कार्य तथा कार्यशैली में की जाने वाली अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतों की जांच कराने की मांग की गई थी।

(2) जी हां। जांच अतिरिक्त खाद्य आयुक्त द्वारा कराई गई है।

(3) जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुये। परन्तु शिकायतें एवं अधिक ठहराव के कारण श्री गजानन्द खींची जिला रसद अधिकारी/अलवर का स्थानान्तरण जिला राजसमन्द में कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट संलग्न है।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

एशिया विकास बैंक योजनान्तर्गत सवाईमाधोपुर शहर के सौन्दर्यकरण हेतु प्राप्त राशि

258. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एशिया विकास बैंक योजना के तहत राज्य के कुछ मुख्य शहरों के सौन्दर्यकरण करने की योजना में सवाईमाधोपुर को भी सम्मिलित किया गया? उक्त शहर में क्या-क्या कार्य करवाने की योजना बनायी है तथा कितनी राशि उक्त योजना के तहत उक्त शहर को आबंटित की गई है?

(2) उक्त योजना के तहत अब तक राज्य को कितनी राशि मिली है तथा किस-किस शहर में कितनी व्यय हुई है और कितनी शेष है?

(3) उक्त योजना में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये कितनी राशि व्यय की जायेगी?

उत्तर

(1) परियोजना में होने वाली सम्भावित बचत में से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

पांच अतिरिक्त शहरों (माउंट आबू, पुष्कर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और बूंदी) की परियोजना में सम्मिलित करने के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार एवं एशियन विकास बैंक को भिजवाए गए थे जिसमें से अब तक पुष्कर को अजमेर शहर का भाग मानते हुए योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्राप्त हुयी है एवं शेष प्रस्ताव वहां विचाराधीन है। ए.डी.बी. से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही परियोजना में सवाईमाधोपुर शहर को सम्मिलित किया जा सकेगा एवं तदानुसार ही कार्यों तथा राशि का निर्धारण किया जा सकेगा।

(2) एशियन विकास बैंक से राज्य के छह सम्भागीय शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर) में आधारभूत सेवाएं प्रदान करने के कार्य में दिसम्बर, 2002 तक कुल 51.65 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जिसके विरुद्ध ए.डी.बी. व राज्य सरकार के मध्य नियत अनुपात के आधार पर ए.डी.बी. से राशि रुपये 40 करोड़ पुनर्यभरण के रूप में प्राप्त होनी है। परियोजना के अन्तर्गत राज्य को ए.डी.बी. से अब तक 23.84 करोड़ रुपया पुनर्यभरण के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ए.डी.बी. से 48.16 करोड़ रुपये अग्रिम भी प्राप्त हो चुके हैं। व्यय की गई राशि का विवरण इस प्रकार है। जयपुर में 10.57 करोड़ रुपये, जोधपुर में 9.45 करोड़ रुपये, कोटा में 2.80 करोड़ रुपये, अजमेर में 4.23 करोड़ रुपये, बीकानेर में 2.22 करोड़ रुपये एवं उदयपुर में 2.59 करोड़ रुपये तथा इसके अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धन इकाई एवं सलाहकारी सेवाओं पर 19.79 करोड़ रुपये राशि का व्यय किए गए हैं। परियोजना का डिजाइन फेज लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसमें सलाहकार सेवाओं की अधिकतम आवश्यकता होती है। वर्तमान में दिनांक 15.2.2003 तक 167 पैकेजों की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। जिसमें से 101 पैकेजेज के कार्यों के कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं।

(3) छह सम्भागीय शहरों में परियोजना के अन्तर्गत व्यय होने वाली पूरी राशि ही पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगी। जहां तक पर्यटन की दृष्टि से प्रस्तावित 5 अतिरिक्त शहरों का प्रश्न है परियोजना में बचत के निश्चित आकलन तथा ए.डी.बी. से स्वीकृति के पश्चात् उनमें व्यय की जाने वाली राशि निर्धारित की जा सकेगी।

जिला अलवर की इन्तकाल दर्ज वन भूमि

259. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(1) जिला अलवर की पंचायत समिति तिजारा, कोटकासिम, किशनगढ़बास एवं उमरैण के किस-किस ग्राम में कौन-कौन से खसरा नम्बर मय रकबा के वन क्षेत्र की भूमि है? उक्त भूमि की कौनसी श्रेणी है?

(2) क्या उक्त भूमि के नाम इन्तकाल दर्ज हो गया है? क्या राजपत्र में साया भी हो गया है? यदि हां, तो राजपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर की पंचायत समिति, तिजारा, कोटकासिम, किशनगढ़बास एवं उमरैण के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि का ग्रामवार, खसरावार (कुछ प्रकरणों में खसरा नम्बर अंकित नहीं), रकबावार एवं भूमि की श्रेणीवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या एक में दर्शायी गयी पंचायत समिति की भूमियों में से जिन भूमियों का अमल दरामद हो गया है उन भूमियों के अमल दरामद की स्थिति परिशिष्ट "क" के कालम संख्या सात में दर्शायी गयी है।

उक्त पंचायत समितियों के कुल वन क्षेत्रों का क्षेत्रफल एवं राजपत्र में प्रकाशित वन क्षेत्रों के क्षेत्रफल सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है। राजपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर में पथ परिवहन निगम के डिपो की स्थापना

260. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर तथा राजसमन्द दो ऐसे जिले हैं जहां पथ परिवहन निगम का डिपो नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर सीमा क्षेत्र, पर्यटन एवं इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र को विकसित करने हेतु जिले में डिपो का होना आवश्यक है?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न डिपो से जैसलमेर में 60-70 बसों का आवागमन है?

(4) क्या यह भी सही है कि डिपो हेतु जैसलमेर में बीस वर्ष पूर्व से 10 एकड़ भूमि ले रखी है तथा जिला प्रशासन आर्थिक दृष्टि से विभिन्न योजनाओं से राशि उपलब्ध कराने को तैयार है?

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में डिपो प्रारम्भ करने की घोषणा भी की हुई है?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(6) क्या यह भी सही है कि पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक ने जैसलमेर प्रवास कर नगरपालिका जैसलमेर से केन्द्रीय बस स्टेण्ड एवं नगरीय बस स्टेण्ड को अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा था तथा निर्मित कार्य के चालीस लाख की राशि किस्तों में देकर नगरपालिका से दोनों बस स्टेण्डों को लेने का निर्णय किया था?

(7) क्या सरकार जैसलमेर में पथ परिवहन निगम का डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इन स्थानों के अतिरिक्त सवाईमाधोपुर ज़िले में भी निगम का डिपो नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। वर्तमान में 37 अप एवं 37 डाउन सेवाएं विभिन्न आगारों द्वारा संचालित है।

(4) वर्ष 1974 में 5.62 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त किया था, जिसमें से वर्तमान में निगम के स्वामित्व में 3.62 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं से राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिनांक 27.9.2000 को प्रेषित किया था, किन्तु अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं।

(7) जी हां। परन्तु निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुये फिलहाल जैसलमेर में डिपो खोलने का कोई विचार नहीं है।

पशु-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

261. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितना पशुधन एवं कुल कितनी पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि प्रति 10 किलोमीटर या प्रति 7500 गोवंश संख्या पर एक पशु चिकित्सालय खोले जाने की घोषणाएं सरकार द्वारा की गई? यदि हां, तो कब-कब और सरकारी घोषणा एवं निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप राज्य में वर्ष 1999 से अब तक कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां खोले गये?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में निर्धारित संख्या में बहुत कम संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में आवश्यक दवाइयां एवं चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार कब तक आवश्यक दवाइयां/चिकित्सकों की पूर्ति कर देगी?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 543.49 लाख पशुधन है तथा कुल 3425 पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत हैं।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(2) जी नहीं। वर्ष 1999 से अब तक क्षेत्र की प्राथमिकताओं के आधार पर 100 पशु चिकित्सालय खोले गये हैं, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 में 157.61 लाख रुपये की औषधियों की आपूर्ति विभिन्न जिलों के पशु चिकित्सालयों को की गई है। 1420 पशु चिकित्सालयों में से 430 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं। 30.08 लाख रुपये की राशि की औषधियों के क्रय के आदेश जिलों की आवश्यकतानुसार जारी किये जा रहे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत खोले गये 100 पशु चिकित्सालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	स्थान का नाम	पं.स./तहसील/जिला
1	2	3	4
1.	अलवर	नारेडा खुर्द	तह. बहरोड़
2.	अलवर	नीमलाका, ग्रा.पं.-पुर	तह. कोटकासिम
3.	अलवर	बूडी बावल	कोटकासिम
4.	अजमेर	बिक्रचियावास	पोसांगन
5.	बाड़मेर	गंगाला	तह. शिव, पं.स. बाडमेर
6.	बूंदी	अरनेठा	केशोरायपाटन
7.	भरतपुर	इकरन, ग्रा.पं. इकरन	तह. भरतपुर
8.	भरतपुर	ग्राम-नंगलातुला	तह. रूपवास
9.	भरतपुर	सरसेना	पं.स.-बैर
10.	भरतपुर	कोट	बयाना
11.	भरतपुर	बरखेडा	तह. बयाना
12.	भरतपुर	सातरूक	कुम्हेर
13.	भीलवाड़ा	आमल्दा	जहाजपुर
14.	भीलवाड़ा	भोपालगढ़ उर्फ गाडरमाला	माण्डल/सुहाना

1	2	3	4
15.	भीलवाड़ा	गोदूकोटा	सुहाना
16.	भीलवाड़ा	लाडपुरा	पं.स. मांडलगढ़
17.	बीकानेर	मुरलीधर व्यास कालोनी बीकानेर	बीकानेर
18.	बीकानेर	नौरंगदेसर	पं.सं.–लुणकरणसर
19.	बीकानेर	बादून	नोखा
20.	चूरू	बिल्यूबास रामपुरा	सरदारशहर
21.	चूरू	बीरबास बड़ा ग्रा.पं–तारानगर	तारानगर
22.	चूरू	गोलसर, ग्रा.पं. रतनगढ़	रतनगढ़
23.	चूरू	कानूता, ग्रा.पं. सुजानगढ़	सुजानगढ़
24.	चित्तौड़गढ़	मण्डेसरा	भैंसरोडगढ़
25.	दौसा	सलेमपुरा	पं.स.–लालसोट
26.	दौसा	गुढ़ाकटला	पं.स. बांदीकुई, तह. बसवा
27.	दौसा	बालघाट	पं.स. महुवा, तह. टोडाभीम
28.	हनुमानगढ़	जसाना, ग्रा.पं. जसाना	नोहर
29.	हनुमानगढ़	किशनपुरा उत्तरादा	तहसील सांगरिया
30.	जयपुर	नायला	जमवारामगढ़
31.	जयपुर	महापुरा	सांगानेर
32.	जयपुर	भोजपुरकलां	पं.स–जोबनेर
33.	जयपुर	बंधे के बालाजी	फुलेरा
34.	जयपुर	गुढ़ासायपुरा	दूदू
35.	जयपुर	नागलकलां	चौमूं
36.	जयपुर	राडावास	पं.स. शाहपुरा
37.	जयपुर	पाचूडाला	पं.स. कोटपूतली
38.	जालौर	मालियों का मोलिया (करावडी)	सांचौर
39.	जालौर	ग्राम थोवाऊ	भीनमाल

1	2	3	4
40.	जालौर	पंथमेड़ा	तह. सांचौर
41.	जालौर	मोरड़ा	पं. स. आहोर
42.	जोधपुर	मतोड़ा	ओसियां
43.	जोधपुर	ग्राम दासिनया	शेरगढ़
44.	जोधपुर	रामडावास कलां	बिलाड़ा
45.	जोधपुर	हतूंड़ी	पं.स. ओसियां
46.	जोधपुर	लूनी	लूनी
47.	जोधपुर	उदयमन्दिर गब्बू खां के चौक	जोधपुर
48.	झुंझुनूं	मण्डावरा	उदयपुरवाटी
49.	झुंझुनूं	मेहाड़ा जादूवास	खेतड़ी
50.	झुंझुनूं	महरादासी	झुंझुनूं
51.	झुंझुनूं	हमीनपुर	पं.स. सूरजगढ़
52.	झुंझुनूं	कलारखरी	पं. स. बुहाना
53.	झालावाड़	दहीखेड़ा	पं.स. खानपुर
54.	जैसलमेर	खियां	जैसलमेर
55.	करौली	शेरपुर	पं.स. व तह. हिण्डौन
56.	करौली	खरेटा	पं.स. व तह. हिण्डौन
57.	करौली	हाड़ौती	तह. सपोटरा
58.	करौली	फतेहपुर	करौली
59.	करौली	कमालपुरा	टोडाभीम, तह. टोडाभीम
60.	पाली	अटपड़ा	सोजत
61.	पाली	गोपावास	पं.स. व तह. सुमेरपुर
62.	नागौर	ग्राम–मण्डूकरा	डीडवाना
63.	नागौर	ग्राम–जिलिया	मकराना
64.	नागौर	पादूकलां	पं.स.–रियाबड़ी
65.	नागौर	काठोती	जायल

1	2	3	4
66.	नागौर	भरनावा	लाडनूं
67.	राजसमंद	सारोठ	भीम
68.	राजसमंद	सायों का खेड़ा	राजसमंद
69.	सीकर	भोजपुर, ग्रा.प. नृसिंहपुरा	पं.स. खण्डेला
70.	सीकर	ग्राम–सिरोही	पं.स. नीमकाथाना
71.	सीकर	अभयपुरा	पं.स. पीपराली
72.	सीकर	थोई, ग्रा.प. खण्डेला	श्रीमाधोपुर
73.	सीकर	थेथालिया	पं.स. फतेहपुर
74.	सीकर	पलासरा बुठोली	पं.स. पीपराली
75.	सिरोही	भटाणा	पं.स. रेवदर
76.	सिरोही	ग्राम और	पं.स. आबूरोड
77.	श्रीगंगानगर	सरदारगढ़	पीलीबंगा
78.	टोंक	वनस्थली	पं. स. व तह. निवाई
79.	टोंक	पाड़	देवली
80.	टोंक	राजमहल	तह. देवली
81.	उदयपुर	करणपुर	पं.स. भण्डर, तह. वल्लभनगर
82.	उदयपुर	राहेटी	पं.स. आमेट
83.	उदयपुर	ग्राम–डगार	पं.स. सलूम्बर
84.	उदयपुर	ओंगणा	तह. झाड़ौल
85.	उदयपुर	नवाधरा	पं. स. खैरवाड़ा
86.	उदयपुर	बुड़ेल	पं. स. सलूम्बर
87.	उदयपुर	बास	पं. स. कोटड़ा
88.	बांसवाड़ा	पोटागांव	घाटोल
89.	बांसवाड़ा	ग्राम खेड़ा	बांसवाड़ा
90.	बांसवाड़ा	कुण्डल	बांसवाड़ा
91.	बांसवाड़ा	रामगढ़	पं. स. कुशलगढ़
92.	बांसवाड़ा	ग्राम पादेड़ी	बांसवाड़ा

1	2	3	4
93.	डूंगरपुर	करावड़ा	पं.स. बिछीवाड़ा, तह. सीमलवाडा
94.	डूंगरपुर	पीपलादा	डूंगरपुर
95.	डूंगरपुर	जेठाना	पं.स. सागवाड़ा
96.	डूंगरपुर	बरबोदनियां	डूंगरपुर
97.	डूंगरपुर	बडौदा	आसपुर
98.	डूंगरपुर	ग्राम–रघुनाथपुरा	पं.स. डुंगरपुर
99.	डूंगरपुर	ग्राम–गडाझूमनी	पं.स. सागवाड़ा
100.	धौलपुर	खेरली	पं.स. राजाखेड़ा

जिला धौलपुर एवं बूंदी हेतु स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लक्ष्य

262. श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2001–02 व 2002–03 में जिला बूंदी व धौलपुर में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये? उक्त प्राप्त आवेदन–पत्रों में कितने निरस्त किये गये व कितने स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत आवेदन–पत्रों में से कितने को ऋण स्वीकृत किया गया और स्वीकृत ऋण में से कितने आवेदकों को ऋण भुगतान किया गया?

(2) क्या सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया गया? यदि हां, तो कितना प्रतिशत और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु क्या–क्या कदम उठाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2001 से 2003 तक बूंदी एवं धौलपुर जिले की नगरपालिकाओं में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने निरस्त किये गये, कितने स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत आवेदन पत्रों में से कितने को ऋण स्वीकृत किया गया तथा स्वीकृत ऋण में से कितनों को ऋण का भुगतान किया गया, इत्यादि का विवरण संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में विवरण अंकित है। बैंकों से लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु बार–बार सम्पर्क किया जा रहा है।

(3) भाग संख्या 2 में उत्तर निहित है।

जिला धौलपुर एवं बूंदी हेतु स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लक्ष्य

			2002–2003						2002–2003 (जनवरी, 2003 तक)				
क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	लक्ष्य	बैकों में प्रेषित आवेदन पत्र	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र	बैंको द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत में (%)	लक्ष्य	बैंकों में प्रेषित आवेदन पत्र	बैंको द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र	बैंको द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत में (%)
1.	बूंदी	150	190	79	28	शून्य	19	75	149	74	12	शून्य	16
2.	इन्द्रगढ़	25	30	10	5	शून्य	20	10	10	5	–	शून्य	–
3.	कापरेन	60	125	47	16	शून्य	27	53	53	16	16	शून्य	30
4.	केशोरायपाटन	50	86	40	20	शून्य	40	29	63	25	9	शून्य	31
5.	लाखेरी	60	120	47	26	शून्य	43	71	132	26	18	शून्य	25
6.	नैनवां	60	130	42	24	शून्य	40	46	117	34	20	शून्य	43
योग-जिला बूंदी		**405**	**681**	**265**	**119**	**शून्य**		**284**	**524**	**180**	**75**	**शून्य**	
7.	धौलपुर	200	417	183	166	शून्य	83	111	303	89	44	शून्य	40
8.	बाड़ी	100	430	132	104	शून्य	104	118	350	66	36	शून्य	31
9.	राजाखेड़ा	50	169	39	27	शून्य	54	51	142	47	29	शून्य	57
योग-जिला धौलपुर		**350**	**1016**	**354**	**297**	**शून्य**		**280**	**795**	**202**	**109**	**शून्य**	

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी ट्रेवल एजेंट द्वारा संचालित अवैध वाहन

263. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल ऐसे कितने ट्रेवल एजेंट्स हैं जो खुले आम राष्ट्रीयकृत राज्य मार्गों पर अवैधानिक रूप से नियमित एक शहर से दूसरे शहर में बसें चलाते हैं?

(2) उक्त प्रकार के अनियमित व्यवसाय से राजकीय कोष को कितनी हानि प्रति वर्ष हो रही है?

(3) सरकार इसे रोकने के लिये क्या प्रयास कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान मोटर वाहन निगम, 1990 के अन्तर्गत ट्रेवल एजेंट्स को लाइसेंस जारी किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में लाईसेंस प्राप्त ट्रेवल एजेंट्स की संख्या 90 है जो ट्रेवल एजेंट्स बिना लाइसेंस प्राप्त किए यह कार्य करते हैं उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 193 के तहत कार्यवाही की जाकर न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जाता है।

(2) प्रत्येक ट्रेवल एजेंट्स लाइसेंस से रु. 1000/- आवेदन पत्र शुल्क रु. 5000/- लाइसेंस शुल्क तथा रु. 5000/- की नगद प्रतिभूति प्राप्त होती है। इस लाइसेंस के अन्तर्गत संचालित पर्यटक अनुज्ञा पत्र वाहन, समस्त राजस्थान संविदा अनुज्ञा पत्र वाहनों से प्रति वाहन लगभग रु. 19,000/- प्रतिमाह कर राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। अतः इस व्यवसाय से राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। अब तक कुल 23 ट्रेवल एजेंट बिना लाइसेंस के पाये गये। इन बिना लाइसेंस के मामलों में सक्षम न्यायालयों में इस्तगासे पेश किए गए हैं।

(3) परिवहन विभाग द्वारा इन लाइसेंसों की शर्त का उल्लंघन करने पर ट्रेवल एजेंट को जारी लाइसेंस निरस्त/निलम्बित कर प्रतिभूति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त समय समय पर इस लाइसेंस के अन्तर्गत संचालित वाहनों के विरुद्ध अनुज्ञा पत्र की शर्तों के उल्लंघन पर वाहन जब्त/चालान किया जाता है। इस प्रकार बनाये गये मामलों में प्रशमन राशि वसूल किए जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

264. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सांवर लाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कितने पशु चिकित्सालय हैं?

(2) उक्त क्षेत्र के किस–किस पशु चिकित्सालय में कौन–कौनसे पद स्वीकृत हैं और कौन–कौनसे पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 5 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं।

(2) उक्त क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना सूची–क सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय (अजमेर) के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

सूची "क"

क्र. सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	पद का नाम															
		पशु चिकित्सा अधिकारी		वी.ए.		पशुधन सहायक		स्कंध सहायक		सइस		जलधारी		सफाइकर्ता		गढ़रिया	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1.	भिनाय	01	उच्च अध्ययन	—	—	02	—	01	—	02	—	—	—	01	—	01	—
2.	देवलियाकलां	01	—	—	—	01	—	—	—	02	—	—	—	01	—	—	—
3.	बादनवाड़ा	01	—	01	—	01	—	—	—	02	01	—	—	01	—	—	—
4.	हादिया	01	01	—	—	01	—	—	—	—	—	01	—	01	—	—	—
5.	सराना	01	01	01	—	01	—	—	—	02	01	—	—	01	—	—	—

राजस्थान युवा जाटव महासभा, जयपुर को छात्रावास हेतु भूमि आबंटन

265. श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ट्रस्ट, संस्थाओं, सामुदायिक भवन, छात्रावास, आदि के लिए निःशुल्क या रियायती दर पर भूमि देती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति को सामुदायिक भवन/छात्रावास के लिए निःशुल्क भूमि आबंटित की जाती है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आल राजस्थान युवा जाटव महासभा ने जयपुर शहर में छात्रावास हेतु निःशुल्क भूमि आबंटित करने की मांग की है? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार जयपुर शहर में जाटव महासभा के छात्रावास हेतु निःशुल्क भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। न्याय व जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थाओं को सामुदायिक भवन, छात्रावास आदि के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर भूमि राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18 व 19 के तहत आबंटन की जाती है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति को सामुदायिक भवन/छात्रावास के लिए निःशुल्क भूमि आबंटन के आदेश राजस्व विभाग से जारी हुए हैं शहरी क्षेत्रों में राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18 व 19 के तहत प्रत्येक प्रकरण व गुंणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(3) जी हां। आल राजस्थान युवा जाटव महासभा द्वारा जयपुर शहर में संस्था हेतु भूमि आबंटन बाबत विधिवत निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2003 को ही जयपुर विकास प्राणिकरण में प्राप्त हुआ है। जो वहां प्रक्रियाधीन है।

(4) संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 4.3.2003 को ही प्राधिकरण में प्राप्त हुआ है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है व शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-341 का विवरण)

1. जलदाय विभाग व टेलीफोन विभाग से निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई

क्र.सं.	विभाग का नाम	राशि	राशि प्राप्ति दिनांक	राशि प्राप्ति वर्ष
1.	टेलीफोन विभाग	2,00,000/-	18.3.1997	1996-97
2.	टेलीफोन विभाग	5,32,152/-	16.12.1999	1999-2000
3.	जलदाय विभाग	6,61,000/-	31.3.2001	2000-2001
	योग	13,93,152/-		

2. प्राप्त राशि को नगरपालिका लाडनूं द्वारा निम्नानुसार व्यय किया गया

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि	भुगतान दिनांक
1.	डामर सड़क रेलवे स्टेशन से राहूगेट तक	5,00,000/-	11.3.1999
2.	डामर सड़क मुनीमजी सिका से खीबाराम मेघवाल तक वार्ड नं. 3	97,000/-	3.6.2000
3.	सीमेंट सड़क चम्पालाल से तेजकरण जांगिड वार्ड नं. 7 व 9	91,018/-	1.7.1999
4.	सीमेंट सड़क हनुमान मन्दिर से बालजी शर्मा के घर तक वार्ड-11	46,473/-	19.5.1999
5.	सड़क मरम्मत व फरलियां फिक्सिंग कार्य पहली पटी	29,323/-	9.6.2000
6.	सीमेंट रोड व फरलिया फिटिंग कार्य वार्ड नं. 27	59,260/-	4.6.1999
7.	सड़क मरम्मत चन्दसागर रोड से झण्डा चोक लेते हुए सब्जीमण्डी तक	2,94,999/-	24.9.2002
8.	सीमेंट सड़क मूलचन्द दर्जी से भीवराम चौधरी तक वार्ड नं. 14	1,69,482/-	30.1.2002
9.	सीमेंट सड़क तोलाराम भोजक के घर से घीसराज, बच्छराज, वार्ड. 13	70,639/-	19.4.2002
10.	डामर सड़क को चोड़ी करना वार्ड नं. 18	37,859/-	13.11.2001
		13,96,053/-	

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–342 की सूची)

कार्यालय, नगरपालिका, प्रतापगढ़ (राज.)

कच्ची बस्ती नियमन समिति द्वारा नियमित किये गये प्रकरणों की सूची

ए–तालाबखेड़ा कच्ची बस्ती

1. श्रीनानजी पिता रूपा मीणा
2. श्री नानक/मानीगाजी मीणा
3. श्री नारू/रतनाजी मीणा

बी–अहीर मोहल्ला

4. श्री मांगीलाल/लच्छीराम मीणा
5. श्री रामस्वरूप/भैवालाल हरीजन
6. श्री जगदीश/अम्बालाल रेदास
7. श्री शंकर/देवाजी मीणा
8. श्री अम्बालाल/चुन्नीलाल अहीर
9. श्री कन्हैया लाल/फत्ताजी हरीजन
10. श्री रतन/गुलाबजी चमार
11. श्री नन्दुबाई/रामलाल मीणा
12. श्री मोहन लाल/रामलाल रेदास
13. श्री रामचन्द्र/प्याराजी मीणा
14. श्री बाबूलाल/लल्लुजी अहीर
15. श्री भैरूलाल/सुल्तान हरिजन
16. श्री जसवंत/दादूराम हरिजन
17. श्री बानू पत्नि श्री गुलाब हरिजन
18. श्री कलाबाई/राजमल हरिजन
19. श्री दिलीप/बसंत लाल हरिजन

सी–मानपुरा बस्ती

20. श्री फूलचन्द/हवजी मीणा
21. श्री रामचन्द्र/रूपाजी मीणा
22. श्री अम्बालाल/हवजी मीणा
23. श्री हवजी/बगदीरामजी मीणा
24. श्री चम्पालाल/किशन लाल धोबी
25. श्री भीमा/बगदीराम मीणा
26. श्री आशाराम/हमेरा मीणा

डी–तलाई मोहल्ला बस्ती

27. श्री नागेश्वर/ग्यारसी लाल खटीक
28. श्री अकरम/फकीर मोहम्मद
29. श्री कमला/रुघनाथ दमामी
30. श्री ओमप्रकाश/देवगिरी बरगुड़ा
31. श्री जगदीश/शम्भुगिरी बरगुड़ा
32. श्री रूपाबाई/मोहन लाल मीणा
33. श्री मोहन लाल/मांगी लाल खटीक
34. श्री रमेश चन्द्र/बीजाजी गांछा
35. श्री रामलाल/बालूजी गांछा
36. श्री मुन्ना/बिजाजी गांछा
37. श्रीमती रतनाबाई/बाबरा मीणा
38. श्री मदन/भागीरथ बरगुड़ा
39. श्री अरूण/भैरूलाल मीणा
40. श्री मोहम्मद/शफी मोहम्मद

ई–बगवास कच्ची बस्ती

41. श्री नाहर सिंह/नाथुसिंहजी
42. श्री लक्ष्मण/सुरजमलजी
43. श्री हरलाल/जीवाजी
44. श्री मांगीलाल/परथाजी बंजारा
45. श्री कचरू/हरीराम चमार
46. श्री चुन्नीलाल/लच्छीरामजी मीणा
47. श्री राजेश/कारूजी मीणा
48. श्री प्रेमगुरू/गोतमजी मीणा

49. श्री रूपलाल/शोभाराम मीणा
50. श्री लक्ष्मीनारायण/नाथुजी सुथार
51. श्री भैरूसिंह/गमेर सिंहजी
52. श्री रतन/रोड़ाजी
53. श्री रामलाल/बरदाजी गायत्री
54. श्री उदय लाल/मांगीलालजी मीणा
55. श्री कचरू/नानजी मीणा
56. श्री खेमा/बेस्ताजी मीणा
57. श्री पूना/देवाजी मीणा
58. श्री जगदीश/नानुरामजी मीणा
59. श्री मांगुसिंह/भैरूसिंह
60. श्री जयराम/नंदाजी मीणा
61. श्री लच्छीराम/राघुजी मीणा
62. श्री बरदी चंद/बालमुकन्द कुम्हार
63. श्री भागीरथ/भैरूलालजी मीणा
64. श्री शंकर/रामाजी मीणा
65. श्री चौखीबाई/आशारामजी ढोली
66. श्री पार्वती/बजेरामजी ढोली
67. श्री रामलाल/नाथुजी मीणा
68. श्री आजाद खां/आलम खांजी
69. श्री शंकरदास/छीतरजी
70. श्री चम्पालाल/चौखाजी ढोली
71. श्री कन्हैया लाल/दौलाजी मीणा
72. श्री लालसिंह/विजय सिंहजी राजपूत
73. श्री रामलाल/दौलाजी मीणा
74. श्री मांगीलाल/कारूजी बडवा
75. श्री लच्छीराम/कनीराजी मीणा
76. श्री रतन लाल/ऊकार लालजी मेघवाल
77. श्री पार्वती बाई/प्याराजी रेदास
78. श्री लक्ष्मण/माधोसिंह
79. श्री सतारशाह/सरदार सिंह
80. श्री बजरंग सिंह/बापूसिंह

एफ-रूगनाथपुरा कच्ची बस्ती

81. श्री गौतम पिता मांगीलाल नाथ
82. श्री बाबू/नंदाजी मोया
83. श्री भागीरथ/उदांजी मीणा
84. श्रीमती सूरजबाई/बद्रीलाल
85. श्री शरीफ खां/अमीर खांजी
86. श्री भैरूलाल/गुलाबजी मोया
87. श्री कारू/उंकारजी
88. श्री गेंदालाल/नंदाजी मोग्या
89. श्री बाबूखां/शफी मोहम्मद
90. श्री मांगीलाल/दोलतराम मीणा
91. श्री रामलाल/बद्रीलाल जैन
92. श्री भंवर लाल/मांगीलाल नाथ
93. श्री चमनभाई/रामलालजी
94. श्री लक्ष्मणनाथ/मांगीलाल नाथ
95. श्री चमना/अमराजी मीणा
96. श्री वरदी चन्द/केशुराम मीणा
97. श्री राधेश्याम/उंकारजी
98. श्रीमती केशर बाई/मांगीलालजी माली
99. श्री केशुराम/मोड़ीरामजी मीणा
100. श्री किशन लाल/मोड़ीरामजी मीणा
101. श्री रूपा मोड़ीरामजी मीणा
102. श्री कारू/देवाजी मीणा
103. श्री शंकर/देवाजी मीणा
104. श्री देवीसिंह/रूपाजी दरोगा

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-354 की सूची)

जयपुर वाल्मीकी ग्रह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड

भू-खण्डों की संख्या-130 नाम योजना (16) गोविन्द विहार बुंदसिंहपुरा जगतपुरा

क्र.सं.	नाम सदस्य पिता/पति के नाम सहित	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2 3	4	5
1.	श्रीमती निर्मला पत्नी श्री एल. रावत	1	700
2.	श्री एन. रावत पुत्री श्री मुसद्दीलाल रावत	3	528.08
3.	सुश्री लक्ष्मी रावत पुत्री श्री एल. रावत	2	448.06
4.	श्री भींवाराम पुत्र श्री	4	
5.	श्री नानगराम पुत्र श्री	5	
6.	श्री सीताराम पुत्र श्री	6	
7.	श्री गुलाब पुत्र श्री	7	
8.	श्री खातेदार	8	
9.	श्री खातेदार	9	
10.	श्री खातेदार	10	
11.	श्री खातेदार	11	
12.	श्री खातेदार	12	
13.	श्री खातेदार	13	
14.	श्रीमती राधादेवी पत्नी श्री रामनारायण शर्मा	14	241.11
15.	श्री कृष्णकुमार पुत्र श्री केदारमल	15	315.39
16.	श्री कृष्णकुमार पुत्र श्री केदारमल	16	315.38
17.	श्री गोपाल लाल पुत्र श्री केदारमल गोयल	17	317.53
18.	श्री	18	317.53
19.	श्रीमती राधादेवी पत्नी श्री रामनारायण शर्मा	19	258.33
20.	श्री भैरू खातेदार	20	
21.	श्रीमती शांतिदेवी दुग्गड़ पत्नी श्री कमल सिंह दुग्गड़	21	273.44
22.	श्रीमती शांतिदेवी दुग्गड़ पत्नी श्री कमल सिंह दुग्गड़	22	213.33
23.	श्री	23	222.22

1	2	3	4	5
24.	श्री	खातेदार	24.	258.11
25.	श्री	खातेदार	25	333.33
26.	श्री	खातेदार	26	1989.72
27.	श्री	खातेदार	27	
28.	श्री	खातेदार	28	
29.	श्री अविनाश गुहा पुत्र श्री मुसद्दीलाल गुहा		29	313.33
30.	श्री		30	286.66
31.	श्री अविनाश खण्डेलवाल पुत्र श्री एम.एस. खण्डेलवाल		31	476.00
32.	श्रीमती उषा खण्डेलवाल पत्नी श्री अविनाश खण्डेलवाल		32	400.00
33.	श्रीमती विमला साहू पत्नी श्री प्रहलाद साहू		33	400.00
34.	श्री किशन गुहा पुत्र श्री तुलसी प्रसाद		34	400.00
35.	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री चन्द्रशेखर गुहा		35	400.00
36.	श्रीमती धापू पत्नी श्री गिरधारी लाल		36	400.00
37.	श्री गोपाल लाल पुत्र श्री केदार लाल गोयल		37	300.00
38.	श्री राधारमण पुत्र श्री रामनारायण गर्ग		38	300.00
39.	श्री राधारमण पुत्र श्री रामनारायण गर्ग		39	200.00
40.	श्री गोपाललाल पुत्र श्री केदारलाल गोयल		40	200.00
41.	श्री के.पी. माथुर पुत्र श्री		41	266.66
42.	श्रीमती अर्चना		42	266.06
43.	श्री सुशील सिंह पुत्र श्री प्यारे मोहन		43	
44.	श्रीमती पूनम माथुर पत्नी श्री यू.एस. माथुर		44	267.00
45.	श्रीमती उषा खण्डेलवाल पत्नी श्री अविनाश खण्डेलवाल		45	266.06
46.	श्री भैरू मीणा		46	266.06
47.	श्री		47	200.00
48.	श्रीमती कौशल्या पारीक पत्नी श्री राधेश्याम पारीक		48	200.00
49.	श्री कनिष्ट नरूका पुत्र श्री जगदीश सिंह		49	200.00
50.	श्री प्रकाश बोथरा पुत्र श्री नरेन्द्र बोथरा		50	200.00
51.	श्री धर्मेन्द्र बोथरा पुत्र श्री जीवन लाल बोथरा		51	200.00
52.	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र बोथरा		52	200.00

1	2	3	4	5
53.	श्रीमती विजयलक्ष्मी गोस्वामी पत्नी श्री विवेकानन्द		53	266.06
54.	श्री शिवरतन हर्ष पुत्र श्री प्रेमनारायण हर्ष		54	266.06
55.	श्री गणेश कुमार पुत्र श्री चांदबिहारी		55	200.00
56.	श्री गणेश कुमार राणा पुत्र श्री चांदबिहारी मीणा		56	200.00
57.	श्रीमती कमला रंगा पत्नी श्री बलदेवदास रंगा		57	200.00
58.	श्री कपिल जैन पुत्र श्री जयन्ती लाल जैन		58	200.00
59.	श्रीमती मधु जैन पत्नी श्री विनय जैन		59	200.00
60.	श्री विनम जैन पुत्र श्री बलवन्त सिंह		60	200.00
61.	श्री भारत रंगा पुत्र श्री दिनेश रंगा		61	200.00
62.	श्री राजेन्द्र हर्ष पुत्र श्री हरिनारायण हर्ष		62	200.00
63.	श्री नवीन पाटनी पुत्र श्री बाबूलाल पाटनी		63	200.00
64.	श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा		64	200.00
65.	श्री रामबिहारी पुत्र श्री राधेश्याम		65	200.00
66.	श्री राघवेन्द्र मित्तल पुत्र श्री इन्दुलाल मित्तल		66	305.00
67.	श्री नन्दकुमार व्यास पुत्र श्री एस.एल. व्यास		67	266.06
68.	श्री प्रहलाद शाह		68	266.06
69.	श्रीमती दुर्गादेवी आचार्य पत्नी श्री पन्नालाल		69	200.00
70.	श्री विनोद साहू पुत्र श्री सीताराम साहू		70	200.00
71.	श्रीमती धनकंवर झालानी पत्नी श्री कैलाश चंद झालानी		71	200.00
72.	श्री शैलेन्द्र दरबारी पुत्र श्री आर.एन. सक्सेना		72	200.00
73.	श्री भरत पुत्र श्री राजेन्द्र		73	200.00
74.	श्री भरत पुत्र श्री राजेन्द्र		74	200.00
75.	श्री अजय पुत्र श्री घनश्याम		75	200.00
76.	श्री अजय पुत्र श्री घनश्याम		76	200.00
77.	श्री सुशील सिंह पुत्र श्री प्यारे मोहन		77	240.00
78.	सुश्री अंशु शर्मा पुत्री श्री आदित्यनन्द शर्मा		78	200.00

1	2 3	4	5
79.	श्री राजकुमार पुत्र श्री गोकुल चन्द	79	200.00
80.	श्री राजकुमार पुत्र श्री गोकलचन्द	80	200.00
81.	श्रीमती परवीन खान पत्नी श्री खान	81	200.00
82.	श्रीमती विक्टर खान पत्नी श्री ए.ए. खान	82	200.00
83.	श्री ओमप्रकाश माथुर पुत्र श्री बृजमोहन माथुर	83	200.00
84.	श्री	84	200.00
85.	श्री	85	200.00
86.	श्री कर्मसिंह पुत्र श्री प्यारे मोहन सिंह	86	200.00
87.	श्री	87	200.00
88.	श्री राजन अग्रवाल पुत्र श्री पवन कुमार	88	266.06
89.	श्री वेणुगोपाल पुत्र श्री पुरुषोतम गोस्वामी	89	200.06
90.	श्री वी.जी. गोस्वामी पुत्र श्री जी.टी. गोस्वामी	90	200.00
91.	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री नाथूलाल चौधरी	91	200.00
92.	श्रीमती फिरोज बानो पत्नी श्री अब्दुल हकीम	92	200.00
93.	श्री	93	200.00
94.	श्री बाहुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल हकीम	94	200.00
95.	श्री	95	200.00
96.	श्री रामनारायण पुत्र श्री नाथुलाल चौधरी	96	200.00
97.	श्री गोपाल महर्षि पुत्र श्री डी.के महर्षि	97	200.00
98.	श्री पुष्पांशु पुत्र श्री डी.के. महर्षि	98	200.00
99.	सुश्री मायादेवी शर्मा पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा	99	200.00
100.	श्री	100	150.00
101.	श्री भरत रंगा पुत्र श्री दिनेश रंगा	103	200.00
102.	श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र श्री नन्दकिशोर गुप्ता	104	200.00
103.	श्रीमती प्रभातीदेवी पत्नी श्री राधेश्याम	105	200.00
104.	श्री कमालुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल हकीम	106	200.00

1	2 3	4	5
105.	श्री	107	200.00
106.	श्री विकास सूद पुत्र श्री बलवीर सिंह सूद	108	200.00
107.	श्री अब्दुलहकीम पुत्र श्री अब्दुलरज्जाक	109	200.00
108.	श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामसहाय	110	200.00
109.	श्री वी.जी. गोस्वामी पुत्र श्री पी.डी. गोस्वामी	111	200.00
110.	श्री वेणू गोयल पुत्र पुरुषोत्तम गोयल	112	266.00
111.	सुश्री शकुन्तला देवी पुत्र श्री बालकिशन अग्रवाल	113	200.00
112.	श्री बालकिशन पुत्र श्री महावीर अग्रवाल	114	200.00
113.	सुश्री शकुन्तला पुत्री श्री अभिषेक हरीकिशन	115	200.00
114.	श्री अभिषेक पुत्र श्री हरीकिशन	116	140.00
115.	सुश्री सुरेखा पुत्री श्री बालकिशन	117	253.33
116.	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री हरीकिशन अग्रवाल	118	200.00
117.	श्री हरीकिशन पुत्र श्री महावीर प्रसाद	119	200.00
118.	श्री गोविन्द सर्राफ पुत्र श्री राधेश्याम सर्राफ	120	200.00
119.	श्री सुरेश कुमार सेठी पुत्र श्री	121	200.00
120.	श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री चांदबिहारी	122	200.00
121.	श्री	123	200.00
122.	श्री	124	200.00
123.	श्री गिर्राज सर्राफ पुत्र श्री राधेश्याम सर्राफ	125	200.00
124.	श्री	126	200.00
125.	श्री	127	200.00
126.	श्री	128	200.00
127.	श्री शंकर पुत्र श्री जगन्नाथ	129	131.00

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–356 की सूची)

विद्याधर नगर योजना में नीलामी द्वारा निस्तारित भू-खण्डों/फ्लेटों की सूची दिनांक 1.01.2000 से 28.02.2003

क्र.सं.	नीलामी तिथि	भू.सं.	क्षेत्रफल व.मी.	दर रुपए	कुल राशि रुपए	क्रेता का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7
1.	10.2.2000	24	18.58	23010.00	427525.80	विनित शर्मा पुत्र हर्ष प्रभात कुमार 10/62, विद्याधर नगर, जयपुर।
2.	7.1.2000	10	9.29	32750.00	32750.00	श्रीमती कामना उर्फ कमलीबानों पत्नी मोहम्मद अमीन ए–73 विद्याधर नगर, जयपुर।
3.	14.2.2001	16	18.58	14001.00	260138.58	कान्तीचन्द्र शर्मा पुत्र स्व. जयदयाल शर्मा ई–10, अम्बाबाडी, जयपुर।
4.	27.2.2001	एन–8	9.00	–	325000.00	ताराचन्द्र पुत्र बल्लुमल 3ख14, हाउसिंह बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर।
5.	27.2.2001	एन–9	9.00	–	355000.00	सन्दीप कुमार जैन पुत्र कमल कुमार 4ड5, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर।
6.	27.2.2001	ए–11	9.00	–	341000.00	कैदार लाल गुप्ता पुत्र गणेश लाल 8/142, विद्याधर नगर, जयपुर।
7.	27.2.2001	एन–12	9.00	–	333000.00	गुलाब चन्द गंगवानी पुत्र कांजीमल 4ट3, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर जयपुर।

1	2	3	4	5	6	7
8.	22.3.2001	एन–7	9.00	–	302000.00	कन्हैया लाल पुत्र श्री देउमर्जी 3ख5, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर।
9.	22.3.2001	एन–5	9.00	–	302000.00	वासूदेव मघलानी पुत्र गागनदास 8/266, विद्याधर नगर, जयपुर।
10.	22.3.2001	एन–6	9.00	–	205000.00	दौलतराम पुत्र मूलचन्द 5क25, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर।
11.	20.11.2000	5	943.2	5321	5018767.20	खेतान ग्रेनी मार्मो प्रा.लि. 1बी–1, शिवशक्ति कालोनी, गांधीपथ, शास्त्री नगर, जयपुर।
12.	20.11.2000	9	406	6320	2565920.00	एस.एस. एंटरप्राइजेज, 2/198 विद्याधर नगर, जयपुर।
13.	20.11.2000	13	1843.9	4651	8575978.90	मंगल कंस्ट्रक्शन म.नं. 486, गणगौरी बाजार, जयपुर।
14.	20.11.2000	14	848.4	6871	5829356.40	सर्वोदया मार्बल प्राईवेट लिमिटेड 37, रामगंज बाजार, जयपुर।
15.	29.11.2000	8	1275	4201	5356275.00	जयपुर प्रोपर्टीज 41 कल्पतरू शोपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर।
16.	29.11.2000	11	809	4301	7796790.00	सूरजमल अग्रवाल एचयूएफ राजेन्द्र गुप्ता, नरेन्द्र कुमार मोदी, उद्मीराम मित्तल 10/24, विद्याधर नगर, जयपुर।
17.	15.12.2000	12	1566	4251	6657066.00	गणपति डवलपर्स म.नं.–486, गणगौरी बाजार, जयपुर।
18.	15.01.2001	6	1291.80	4210	5438478.00	चाण्डक होल्डिंग प्रा. लि. बी–10–22, आटोमोबाइल नगर, जयपुर।

1	2	3	4	5	6	7
19.	15.01.2001	बी–1	786	4500	3537000.00	श्री अग्रवाल ब्रदर्श 31 बाराजी का चौक दीनानाथ की गली चांदपोल बाजार, जयपुर।
20.	15.01.2001	बी–3	606	4300	2605800.00	दूनवैली पम्पस प्रा. लि. 144 भास्कर मार्ग, सिन्धी कालोनी, बनीपार्क, जयपुर
21.	15.01.2001	बी–4	786	320	3395520.00	शुभलक्ष्मी बिल्ड स्टेट प्रा. लि. सी–64 रोड नं.–1सी वी.के.आई. जयपुर।
22.	27.04.2001	बी–5	1420.2	4240	6021648.00	श्री गणपति बिल्डर्स 486 गणगौरी बाजार, जयपुर।
23.	27.04.2001	बी–10	1758	4295	7550610.00	महिमा रियल स्टेट प्रा.लि.. 670, आदर्श नगर, जयपुर।
24.	27.04.2001	बी–13	639	4440	2837160.00	सुपरिया सिंथेटिक्स प्रा. लि. 22ए कैशव नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर।
25.	27.04.2001	बी–8	852	4210	3586920.00	विश्वकर्मा बिल्डर्स प्रा. लि. 22ए कैशव नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर।
26.	27.04.2001	बी–9	972	4210	4092120.00	मैसर्स अतुल एंटरप्राइजेज प्रा. लि. ए–डी–1 देवी नगर मार्ग, बनीपार्क जयपुर।
27.	27.04.2001	7	1142.1	4520	5162292.00	बजरंगबली पल्स प्रा. लि. एफ–428 बी रोड़ नं. 12 वीकेआई; जयपुर।
28.	27.04.2001	बी–7	1386	4900	6791400.00	सिद्धी विनायक बिल्डस्टेट प्रा. लि. 25 विवेक नगर सिन्धी कैम्प के पास जयपुर।
29.	28.04.2001	बी–6	3528	4460	15734880.00	रनवा लेण्ड डवलपर्स प्रा. लि. 121, के–5 स्कीम खातीपुरा, जयपुर।

1	2	3	4	5	6	7
30.	28.04.2001	10	3015	4460	13446900.00	यामकृपा कंस्ट्रक्शन, ई–94 शास्त्री नगर, जयपुर।
31.	30.07.2001	बी–2	729	6450	4702050.00	अग्रोहा हेरिटेज द्वारा श्रीरामप्रकाश सिंघल डी–193 विकेआई एरिया रोड नं.1 डी जयपुर।
32.	30.07.2001	बी–11	1317	6410	8441970.00	जयश्री डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स एवं राजपूताना कंस्ट्रक्शन एण्ड डवलपर्स सी–10 जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर।
33.	30.07.2001	बी–12	918.09	6010	5517720.90	बजरंगबली पल्स प्रा. लि. एफ–428 बी रोड़ नं. 12 वीकेआई, जयपुर।
34.	30.07.2001	बी–14	1602	7500	12015000.00	जयश्री डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स एवं राजपूताना कंस्ट्रक्शन एण्ड डवलपर्स सी–10 जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर।
35.	28.08.2000	1–बी जी–1	134.70		10010000.00	निलियम फ्लेट्स।
36.	23.04.2001	1–बी एस–4	134.70		10010000.00	डालचन्द गुलगुलिया 6/275 विद्याधर नगर, जयपुर।
37.	20.9.2002	ए–8	2644.20	9610	25410762.00	गजानन्द टावर्स प्रा.लि. बी–3994 नाहरगढ़ रोड, जयपुर।
38.	20.9.2002	ए–1	750	12660	9495000.00	गोरखपुरिया प्रोपर्टीज प्रा. लि. 7/245 विद्याधर नगर, जयपुर।
39.	20.9.2002	ए–9	2011.50	11251	22631387.00	मा. तारा सिरेमिक्स लि. शाप नं. 6 गणपती टावर्स सैंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर, जयपुर।

1	2	3	4	5	6	7
40.	20.9.2002	ए–15	1364.50	13380	18243630.00	एस.पी. एस्टेट्स प्रा. लि. डी–88 मीरा मार्ग बनीपार्क, जयपुर।
41.	2.11.2002	ए–3	1360.50	12250	16666125.00	जय भारत डवलपर्स 670 आदर्श नगर, जयपुर।
42.	2.11.2002	ए–7	1416.50	11000	15581500.00	शिव कृपा बिल्डर्स 7 सैंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर, जयपुर।
43.	20.11.2002	ए–4	1300.05	12050	15665603.00	टाइम स्क्वेयर सिनेप्लेक्स प्रा.लि. 103 पिंकसिटी टावर्स झोटवाडा, जयपुर।
44.	20.11.2002	ए–12	1753.50	17950	31475325.00	संजय पालरिया द्वारा रीजेन्सी स्टेट एस 9 अम्बाबाड़ी, जयपुर।
45.	18.11.2002	ए–13	1429.50	12600	18011700.00	ए.एल. लालपुरिया कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. 5 राज भवन रोड, सिविल लाइन, जयपुर।
46.	20.11.2002	ए–11	1744.50	17850	31139325	रूप ब्यूटी केयर प्रा.लि. 1बी–1 शिव शक्ति कालोनी शास्त्री नगर, जयपुर।
47.	18.12.2002	ए–2	1743.90	12450	21711555.00	चित्रांश टेक्मो क्रेटस प्रा.लि. ए–15 सैंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर।
48.	18.12.2002	ए–5	1993.50	17700	35284950.00	विशाल बिल्ड वेल प्रा.लि. 119 इन्द्रा कालोनी, बनीपार्क जयपुर।
49.	18.12.2002	ए–6	3575.90	15250	54532475.00	आक्सफोर्ड बैग प्रा.लि. ए–87 बी रोड नं. 9सी वी.के.आई. एरिया, जयपुर।
50.	18.12.2002	ए–10	3159	10250	32379750.00	अलंकार कैपिटल एण्ड फाइनेंस लि. डी–18 झोटवाड़ा रोड, दूध मिष्ठान भण्डार के पास, जयपुर।
51.	18.12.2002	ए–14	2289.30	10350	23694250.00	उमा बिल्ड स्टेट प्रा. लि. 2/266 विद्याधर नगर, जयपुर।

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या–360 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प–2 (72) पु.सं./स्था./99/6417 दिनांक 1.6.2002

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक व्यवस्थान्तर्गत उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद	कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	श्री कबूल सिंह, च.श्रे.क.	राजकीय संग्रहालय व महल, आमेर	कला दीर्घा विराटनगर, जयपुर
2.	श्री रमेश चन्द,	अधीक्षक, पु. सं. वि. उदयपुर वृत	राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय जयपुर
3.	श्री प्रेमचन्द	कला दीर्घा विराटनगर, जयपुर	राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय जयपुर
4.	श्री तुलसीराम	कला दीर्घा विराटनगर, जयपुर	अधीक्षालय, पु.सं.वि., जयपुर वृत्त, जयपुर
5.	श्रीमती विमला देवी, चतुर्थ श्रेणी	राजकीय संग्रहालय, हवामहल, जयपुर	ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर
6.	श्रीमती नैना देवी	ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर	राजकीय संग्रहालय, हवामहल, जयपुर
7.	श्री पूरणचन्द	ज्योतिष मंत्रालय, जयपुर.	राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर
8.	श्री लादूराम	ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर	नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर
9.	श्री कृष्ण गोपाल,	ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर	अधीक्षालय, पु.स.वि., जयपुर वृत, जयपुर

1	2	3	4
10.	श्री केहरसिंह	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर	निदेशालय, पु.सं.वि., जयपुर
11.	श्री अर्जुनलाल	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर	ज्योतिष यंत्रालय,जयपुर
12.	श्री रामसिंह	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयंपुर	राजकीय संग्रहालय व महल, आमेर
13.	श्रीमती जनक कंवर	राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर	अधीक्षालय, ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर
14.	श्री भगवान सहाय आलोरिया	अधीक्षालय, पृ.सं. विभाग, जयपुर वृत्त	निदेशालय, पु.सं. विभाग जयपुर
15.	श्री सूरजनारायण शर्मा	अधीक्षालय, सं. वि. वि. जयपुर वृत	निदेशालय,पु.सं. विभाग जयपुर
16.	श्री मंगूराम मीणा	निदेशालय, पु.सं.वि. जयपुर	अधीक्षालय,पु.सं.वि., जयपुर
17.	श्री गुलशन कुमार,	निदेशालय,पु.सं.वि. जयपुर	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर
18.	श्री जगदीश	नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर (वर्तमान में निर्देशालय में कर्तव्यस्था)	ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर
19.	श्री बोदूराम शर्मा	अधीक्षालय, पु.सं.वि. जयपुर वृत, जयपुर	कला दीर्घा, विराटनगर विराटनगर, जयपुर
20.	श्री हरिराम	संतोष बावला की छतरी, पुष्कर	राजकीय संग्रहालय, अजमेर

नोट :- क्र.सं. 1,2,3 एवं 20 पर अंकित कर्मचारी का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता व अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प-2 (72) पु.सं./स्था./99/6821 दिनांक 11.6.2002

आदेश

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	कहां से	कहां को
1.	श्री उदय नारायण	राजकीय संग्रहालय, हवामहल, जयपुर	अधीक्षक, पु.सं. विभाग, जयपुर वृत
2.	श्री रूप किशोर	अधीक्षक, पु.सं. विभाग, जयपुर वृत	राजकीय संग्रहालय हवामहल, जयपुर
3.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर	राजकीय संग्रहालय व महल, जयपुर
4.	श्री मानसिंह	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर	राजकीय संग्रहालय व महल, आमेर
5.	श्री रामसहाय रैगर	राजकीय संग्रहालय, व महल, आमेर	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर
6.	श्री घासीराम शर्मा	राजकीय संग्रहालय, व महल, आमेर	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर
7.	श्री नाथूराम मीणा	राजकीय संग्रहालय, व महल, आमेर	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर
8.	श्री बलदेव सैनी	राजकीय संग्रहालय, व महल, आमेर	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर
9.	श्री राजेश आलोरिया	राजकीय संग्रहालय, व महल, आमेर	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर
10.	श्री नन्दराम	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर	राजकीय संग्रहालय व महल, आमेर
11.	श्री पूरणमल रैगर	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर	राजकीय संग्रहालय व महल, आमेर
12.	श्री प्रहलाद मीणा	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर	राजकीय संग्रहालय व महल, आमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प-2 (72) पु.सं./स्था./97 दिनांक

आदेश

उप शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक प.5(5) क.स./2000 दिनांक 24.01.2003 द्वारा प्रदत्त माननीय, कला एवं संस्कृति मंत्रीजी के निर्देशानुसार तथा अधीक्षक, ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर के पत्र क्रमांक अ.ज्यो/03/19 दिनांक 18.01.2003 की संस्तुति अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों का स्थानान्तरण (पद-स्थापन) उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद	कहां से	कहां को
1.	श्री पूरण मल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	राजकीय केन्द्रीय, संग्रहालय, जयपुर	जन्तर-मन्तर, जयपुर
2.	श्रीमती विमला देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जन्तर-मन्तर, जयपुर	अधीक्षक, जयपुर वृत, जयपुर
3.	श्री लादूराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	नाहरगढ़ किला, जयपुर	जन्तर-मन्तर, जयपुर
4.	श्री जगदीश हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जन्तर-मन्तर, जयपुर	नाहरगढ़ किला, जयपुर
5.	श्री कृष्ण गोपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अधीक्षक, जयपुर वृत, जयपुर	जन्तर-मन्तर, जयपुर
6.	श्रीमती जनक कंवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जन्तर-मन्तर, जयपुर	राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर

आदेशों का तत्काल पालन, सम्बन्धित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-366 का विवरण)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-अलवर (राज.)

मेवात योजना में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ व उमरैण में अपूर्ण कार्यों का विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम मय ग्राम	स्वीकृत राशि	कार्य की स्थिति
		पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़		
1.	2001-02	कमरा एवं बरामदा निर्माण प्राथमिक शाला धारा का बास	1.00	प्रगति पर
2.	2001-02	ग्रेवल से बीटी सड़क निर्माण छांगल से दण्ड की ढाणी से दीनार	13.47	प्रगति पर
3.	2001-02	बीटी रोड परत्या का बास से निजामनगर	6.00	प्रगति पर
4.	2001-02	डब्लू बी एम सड़क गोठड़ा से गढ़ी सवाईराम वाया बिदरका 3.5 किमी	8.85	प्रगति पर
5.	2002-03	दो कमरा निर्माण प्रा.शा. कजोता ग्राम पंचायत चिमरावली मोड	2.00	प्रगति पर
6.	2002-03	ग्रेवल रोड बरेला से गोठड़ी गुरू 3किमी	4.20	प्रगति पर
7.	2002-03	डब्लू बी एम, बीटी रोड दण्ड से दीनार 2 किमी	5.00	अप्रारम्भ
8.	2002-03	ग्रेवल रोड तिलवाड़ से मंशीरपुर 1किमी	2.00	प्रगति पर
9.	2002-03	ग्रेवल रोड आगरकी से गोविन्दगढ़ 2.5 किमी	4.00	प्रगति पर
10.	2002-03	कमरा निर्माण मिडल स्कूल सुनारी	0.68	प्रगति पर

		पंचायत समिति उमरैण		
1.	2001-02	बीटी रोड जोगी नगला बगीची से हल्दीना रोड वाया कैरवाड़ा नदी	13.00	प्रगति पर
2.	2002-03	सीसी रोड महुआ कलां से मेन रोड 300 मीटर	2.00	प्रगति पर

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-अलवर (राज.)

विधायक योजना में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ एवं उमरैण में अपूर्ण कार्यों का विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम मय ग्राम	स्वीकृत राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
		पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़		
1.	2001-02	सीसी रोड अन्तापाड़ा गोठड़ा	0.75	प्रगति पर
2.	2001-02	प्रा. शा. मण्डूरा की चारदीवारी निर्माण कार्य	2.30	प्रगति पर
3.	2002-03	ग्रेवल सडक मनजप्ता मोड़ से हनुमान बास की ओर	1.00	प्रगति पर
4.	2002-03	ग्रेवल सड़क खुडियाना से जावली की तरफ	0.80	प्रगति पर
5.	2002-03	ग्रेवल सड़क इरनिया से नगली तरफ कयड़ा इटेड़ा	2.00	प्रगति पर
6.	2002-03	रा. मा. वि. खुड़ियाना में कमरा निर्माण	1.20	प्रगति पर
7.	2002-03	सीसी रोड मंमेली कुम्हार से बाजार की और लक्ष्मणगढ़	1,00	प्रगति पर
8.	2002-03	रा. मा. विद्यालय खेल मैदान में स्टेडियम की चार दीवारी निर्माण खोहरा	2.00	अप्रारम्भ
9.	2002-03	रा. उ. प्रा. वि. इरनिया में कमरा बरामदा निर्माण	1.09	अप्रारम्भ
10.	2002-03	सामुदायिक भवन निर्माण गोविन्दगढ़	2:00	अप्रारम्भ
11.	2002-03	ग्राम सैदमपुर के हरिजन मौ. मे सामुदायिक भवन निर्माण	1.00	अप्रारम्भ
12.	2002-03	ग्राम तालड़ा के रा.उ.प्रा.वि. में एक कमरा बरमदा निर्माणा	1.00	अप्रारम्भ
13.	2002-03	रा. महा. विद्यालय गोविन्दगढ़ में 3 कमरा निर्माण	2.00	अप्रारम्भ

1	2	3	4	5
14.	2002–03	ग्रेवल सड़क बडोदामेव पैट्रोल पम्प होते हुये बावड़ी का होते हुये चिम्मन पुरा तक ग्रा. पं. बडका	4.12	अप्रारम्भ
15.	2002–03	सीसी रोड निर्माण मेन रोड से लालाराम के घर तक ग्राम मौलिया	2.00	प्रगति पर
16.	2002–03	सीसी रोड निर्माण लक्ष्मणगढ़ जालूकी रोड से सुरेश सरपंच के मकान की और लक्ष्मणगढ़	1.50	प्रगति पर
17.	2002–03	रा.उ.प्रा. शाला खेड़ली चन्द्रावत में दो कमरा बरामदा निर्माण	2.00	प्रगति पर
18.	2002–03	ग्रेवल सड़क निर्माण बैरवा कालोनी से गोमबाई तक टोडा नागर	2.00	प्रगति पर
19.	2002–03	ग्रेवल रोड शेखपुर मन्दिर से दीवली पहाड़ की और	2.00	प्रगति पर
20.	2002–03	ग्रेवल सड़क बूटियाना से शीतल की और मुख्य मार्ग तक	3.00	प्रगति पर
21.	2002–03	सीसी रोड एससी धर्मशाला से सुरजन मास्टर तक तथा राकेश के धर से दीपा के धर तक ग्राम दीनार	3.00	प्रगति पर
22.	2002–03	सीसी रोड बडोदा मेव मण्डूरा कफनवाडा सडक किमी 6 से 7 तक मण्डूरा ग्राम में	5.00	प्रगति पर

पंचायत समिति उमरैण

1.	2001–02	ग्रेवल रोड गंगाराम के धर से दीवान बास तूलेड़ा	1.50	प्रगति पर
2.	2001–02	सामुदायिक भवन निर्माण सैन छात्रावास की भूमि पर जटियाना	0.99	प्रगति पर
3.	2001–02	सार्व. कूप भौमियाजी को गहरा एवं मरम्मत कराना	0.80	प्रगति पर

1	2	3	4	5
4.	2002-03	ग्रेवल रोड बालेटा से खेड़ली पिचनोत	0.92	प्रगति पर
5.	2002-03	सीसी रोड हरिजन धर्मशाला से प्रा.शा. महाराजपुरा बड़ेर	1.40	प्रगति पर
6.	2002-03	रा. उ. प्रा. वि. जटियाना में दो कमरा निर्माण	1.40	प्रगति पर
7.	2002-03	रा. प्रा. वि. कडूकी में कमरा निर्माण	0.70	प्रगति पर
8.	2002-03	रा. प्रा. वि. रोजाकाबास में कमरा निर्माण	0.70	प्रगति पर
9.	2002-03	सीसी रोड निर्माण बीजवाड़	2.00	प्रगति पर
10.	2002-03	सीसी रोड गूडडू मीणा के घर से मन्दिर तक रतनगढ़ ग्राम पंचायत पाला	1.50	प्रगति पर
11.	2002-03	सीसी रोड निर्माण मुख्य सड़क से बालकिशन तक सुमेल	2.00	प्रगति पर
12.	2002-03	सीसी रोड ग्रा.पं.से अमरसिंह के घर पृथ्वीपुरा	2.00	प्रगति पर
13.	2002-03	सीसी रोड मेन रोड से डामर रोड का शेष भाग पूर्ण कराना ढाकपुरी	2.00	प्रगति पर
14.	2002-03	सीसी रोड मेन रोड से डामर का शेष कार्य पूर्ण कराना जमालपुर	1.50	प्रगति पर
15.	2002-03	सीसी रोड बस स्टेण्ड से राबा प्रा. वि. हल्दीना	1.20	प्रगति पर
16.	2002-03	सीसी रोड सुरेश के घर से राजाराम के घर तक कलसाड़ा	0.42	प्रगति पर
17.	2002-03	सीसी रोड मेन रोड से रा. उ. प्रा. वि. कैरवावाल	1.50	प्रगति पर
18.	2002-03	ग्रेवल रोड विजन के घर से बांध तक बरखेड़ा	2.00	प्रगति पर
19.	2002-03	ग्रेवल रोड मातादीन की टाल से रेलवे लाइन तक मालाखेड़ा	1.50	प्रगति पर

1	2	3	4	5
20.	2002–03	सीसी रोड बनिया वाली श्री राम कोलावत तक मौहब्बतपुर	1.00	प्रगति पर
21.	2002–03	नदी पर खुर्रा निर्माण मालियों की ढाणी माधोगढ़	2.00	प्रगति पर
22.	2002–03	सीसी रोड मेन रोड से बूढा सैयद तक दादर	2.00	प्रगति पर
23.	2002–03	ग्रेवल रोड बद्री नगर मीणा ढाणी से सीरावास ग्रा.पं. ढहलावा	3.00	प्रगति पर
24.	2002–03	सीसी रोड हरिजन धर्मशाला से प्यारा जाटव तक तुलेडा	1.50	प्रगति पर
25.	2002–03	सीसी रोड उप्रावि से चन्दर जाटव के घर तक तुलेडा	1.00	प्रगति पर
26.	2002–03	सीसी रोड व नाली निर्माण रूपबास ग्रा. पं. भूगोर	0.14	प्रगति पर
27.	2002–03	सीसी रोड शिवदयाल के घर से मिडडा जाट तक पूनखर	1.60	प्रगति पर
28.	2002–03	रा.बा.उ.मा.वि. मालाखेड़ा में कमरा निर्माण	1.24	प्रगति पर
29.	2002–03	सीसी रोड इन्द्रा कालोनी खेड़ली रोड मालाखेड़ा	2.00	प्रगति पर
30.	2002–03	ग्रेवल रोड बहरोड रोड नान्दनहेड़ी शाहपुर	2.00	प्रगति पर
31.	2002–03	सीसी रोड लालचन्द के घर से जगदीश के घर तक. उमरैण	2.50	अप्रारम्भ

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-369 का विवरण)

राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही में विकास योजनाओं का विस्तृत विवरण

प्रशासनिक स्वीकृति	अवधि	मद	आबंटित राशि	व्यय	विवरण	कार्य समाप्ति तिथि
1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1996 से जनवरी 2003	—	शून्य	शून्य	—	—
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1998 से जनवरी 2003	—	शून्य	शून्य	—	—
3. राजकीय मद से विकास योजना जिला विकास अभिकरण, सिरोही द्वारा स.नि.वि.यो. 1998-99/4069-71 दिनांक 29.11.1999	1999-2000	आवासीय/	60,000/- गैर आवासीय	60,000/-	भवन के आगे सीमेंट कंकरी रोड बरामदों के आगे सीमेंट की जालियां लगाने का कार्य (उक्त कार्य सार्व. निर्माण विभाग द्वारा किया गया)	मार्च, 2000
4. छात्रनिधि कोष से विकास योजना	1998 से जनवरी 2003	—	शून्य	शून्य	—	—

राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही में विकास योजनाओं का विस्तृत विवरण

प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय वर्ष	मद	आबंटित राशि	व्यय	विवरण	कार्य समाप्ति तिथि
1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास						
320–27/20.12.1999	1999–2000	वाटर कूलर एवं अन्य उपकरण	22971/–	22971/–	मुख्य परिसर में वाटर कूलर स्थापित	30.5.2002
4138–42/17.8.2001	2001–2002	वाटर कूलर मय उपकरण	39500/–	39195/–	विज्ञान परिसर में वाटर कूलर स्थापित	31.3.2002
1519–25/10.6.2002	2002–2003	आडिटोरियम निर्माण	4.97लाख	निर्माणाधीन	विज्ञान परिसर में आडो.निर्माणाधीन	—
11116–20/29.5.2002	2002–2003	क्रिकेट किट	16318/–	16318/–	क्रिकेट किट क्रय किया गया	16.01.2003
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना						
1519–25/10.6.2002	2002–2003	आडिटोरियम निर्माण	10 लाख	निर्माणाधीन	विज्ञान परिसर में आडिटोरियम	निर्माणाधीन
3. राजकीय मद से विकास योजना						
3826–90/1994–95	2000–2001	आवासीय व गैर आवासीय	4.36 लाख	4.36 लाख	आवासीय व गैर आवासीय निर्माणाकार्य	मार्च, 2002
4. छात्रनिधि कोष से विकास योजना						
1880–93/12.11.2001	2001–2002	कम्प्यूटर रूम	4.20 लाख	4.20 लाख	कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण	01.7.2002
3/95/1.8.2001	2001–2002	स्टेज, नोटिस बोर्ड, साईकिल स्टैण्ड, फेनसिंग	2.00 लाख	183032/–	स्टेज, नोटिस बोर्ड, साइकिल स्टैण्ड विस्तार फेनसिंग का निर्माण कार्य	30.8.2002

राजकीय महाविद्यालय, सिरोही

नवीं पंचवर्षीय योजना यू.जी.सी. विकास सहायता 1997–98 से 2001–2002

विकास का नाम	राशि
स्नातक स्तर पर पुस्तकें एवं जनरल	1,98,000/–
स्नातक स्तर पर उपकरण	4,40,000/–
स्नातकोत्तर स्तर पर पुस्तकें एवं जनरल रसायन	96,000/–
स्नातकोत्तर स्तर पर उपकरण	2,00,000/–
स्नातकोत्तर स्तर पर पुस्तके एवं जनरल हिन्दी	78,000/–
स्नातक स्तर पर उपकरण हिन्दी	20,000/–
स्नातकोत्तर स्तर पर पीटीएसी	2,000/–
स्नातकोत्तर स्तर पर पीटीएसी रसायन	4,000/–
स्नातकोत्तर स्तर पर पीटीएसी हिन्दी	2,000/–
कुल योग	10,40,000/–

भवन निर्माण की सहायता

स्नातक स्तर पर पुस्तकालय	स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी
प्रथम किस्त 2,00,000/–	प्रथम किस्त 50,000/–
द्वितीय किस्त 1,60,000/–	द्वितीय किस्त 40,000/–
तृतीय किस्त 40,000/–	तृतीय किस्त 10,000/–
कुल योग 4,00,000/–	कुल योग 1,00,000/–

GOVERNEMNT COLLEGE, SIROHI, RAJASTHAN
Total UGC allocated Grants IN IXth Plan
File No. F-3-13/98 (Cd-III/CRO)

Name of Item	Amount in Rs.		Building Grant			
			UG Lib	PG Hindi	Total	
UG Books and Journal	198000	I Inst	200000	50000	250000	3.9.1998
UG Equipment	440000	II Inst	160000	40000	200000	2.7.1999
PG Books and Journal City	96000	III Inst	40000	10000	50000	12.12.2000
PG Equipment Chy	200000	**Total**	**400000**	**100000**	**500000**	
PG Books and Jouranl Hindi	78000					
PG Equipment Hindi	20000					
UG PTAC	2000					
PG PTAC Chy	4000					
PG PTAC Hindi	2000					
Total	**1040000**					

I UGC Installment

Date-25.3.1998 & 30.9.1998

Name of Item	Amt Recd.	Expend.	Remaining
UG Books and Journal	54000	54000	0
UG Equipment	176000	175456	544
PG Books and Jouranl Chy	18000	18000	0
PG Equipment Chy	80000	79788	212
PG Books and Jouranl Hindi	18000	17999	1
PG Equipment Hindi	8000	8000	0
UG PTAC	0	0	0
PG PTAC Chy	0	0	0
PG PTAC Hindi	0	0	0
Total	**354000**	**353243**	**757 Amt Sent**

DD No 595142/3.6.1999

Date 27.3.1999

II UGC Installment

Name of Item	Amt Recd.	Expend.	Remaining
UG Books and Journal	18000	17996	4
UG Equipment	44000	42193	1807
PG Books and Jouranl Chy	6000	5998	2
PG Equipment Chy	20000	19960	40
PG Books and Jouranl Hindi	6000	6000	0
PG Equipment Hindi	2000	1999	1
UG PTAC	0	0	0
PG PTAC Chy	0	0	0
PG PTAC Hindi	0	0	0
Total	**96000**	**94146**	**1854 Amt**

Revised I & II UGC Installment transformed from PTAC to B &J

26.10.1999

Name of Item	Amt Recd.	Expend.	Remaining
UG Books and Journal	7200	6985	215
PG Books and Jouranl Chy	14400	14084	316
PG Books and Jouranl Hindi	7200	6908	292
Total	**28800**	**27977**	**823**

III UGC Installment **Date 21.2.2000**

Name of Item	Amt Recd.	Expend.	Remaining
UG Books and Journal	19800	19663	137
UG Equipment	44000	43500	500
PG Books and Jouranl Chy	9600	9286	314
PG Equipment Chy	20000	20240	0
PG Books and Jouranl Hindi	7800	7719	81
PG Equipment Hindi	2000	2000	0
UG PTAC	0	0	0
PG PTAC Chy	0	0	0
PG PTAC Hindi	0	0	0
Total	**103200**	**102408**	**1032**

IV UGC Installment **Date 24.3.2000**

Name of Item	Amt Recd.	Expend.	Remaining
UG Books and Journal	19800	19735	65
UG Equipment	44000	44350	0
PG Books and Jouranl Chy	9600	9655	0
PG Equipment Chy	20000	19435	565
PG Books and Jouranl Hindi	7800	7905	0
PG Equipment Hindi	2000	2000	0
UG PTAC	0	0	0
PG PTAC Chy	0	0	0
PG PTAC Hindi	0	0	0
Total	**103200**	**103080**	**630Amt**

4339/- sent, DD No. 619291/23.10.2001

V UGC Installment **Date 30.10.2000**

Name of Item	Amt Recd.	Expend.	Remaining
UG Books and Journal	19800	19775	25
UG Equipment	44000	44308	0
PG Books and Journal Chy	9600	9650	0
PG Equipment Chy	20000	20000	0
PG Books and Journal Hindi	7800	7800	0
PG Equipment Hindi	2000	2000	0
UG PTAC	0	0	0
PG PTAC Chy	0	0	0
PG PTAC Hindi	0	0	0
Total	**103200**	**103533**	**25Amt Not Sent**

VIth & VIIth UGC Installment **Date 29.8.2001 & 29.8.2001**

Name of Item	VI th Amt	VII th Amt	Total	Expend.	Remaining
UG Books and Journal	19800	39600	59400	53143	6257
UG Equipment	44000	44000	88000	82949	5051
PG Books and Journal Chy	9600	19200	28800	26011	2789
PG Equipment Chy	20000	20000	40000	29580	10420
PG Books and Journal Hindi	7800	15600	23400	22835	565
PG Equipment Hindi	2000	2000	4000	3920	80
UG PTAC	0	1217	1217	931	286
UG PTAC Chy	0	4000	4000	3314	686
UG PTAC Hindi	0	2000	2000	0	2000
Total	**1030200**	**147617**	**250817**	**222683**	**28134Amt**

परिशिष्ट-11

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये)

कब्रिस्तानों व मजारों के नाम पर बेशकीमती जमीनों पर कब्जा

[श्री मदन दिलावर (अटरू)]

महोदय,

राजस्थान सरकार मुस्लिम समाज को प्रोत्साहित कर शहरों की बेशकीमती भूमि पर कब्रिस्तानों व मजारों के नाम पर अवैध व नियम विरुद्ध आबंटन की कार्यवाही कर रही है जो हिन्दू समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुस्लिम समाल षडयंत्र पूर्वक कब्रिस्तानों व मजारों के नाम पर शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा कर रहे है ताकि राजस्थान का बहुत बड़ा भू–भाग कब्रिस्तान व मजारों के रूप में पाटा जा सके यदि हम कोटा शहर का ही विचार करें तो 19 स्थानों पर लगभग 18 हैक्टयेर भूमी यानि 116 बीघा भूमि सरकार ने अधिकृत रूप से कब्रिस्तान हेतु आबंटित की हुई है। यदि वर्गफुट के हिसाब से देखे तो कुल 20,36,430 वर्गफुट जमीन आबंटित की हुई है। यदि हम एक कब्र के लिए 18 वर्गफुट भूमि आरक्षित करें तो उक्त जमीन पर 1,13,135 कब्रें उसमें बनाई जा सकती हैं परंतु यदि अभी तक सभी कब्रों की गणना करे तो कोटा शहर में 10000 से ज्यादा कब्रे नहीं मिलेगी तो फिर जिला कलक्टर कोटा ने अपने आदेश क्रमांक प.8/1499/राजस्व/2947 दिनांक 20.10.1999 ग्राम छत्रपुरा तहसील–लाडपुरा के खसरा नं. 85 की 4.74 हैक्टेयर भूमि यानि लगभग 29 बीघा तथा नगर विकास न्यास कोटा द्वारा ग्राम–रंगवाड़ी की खसरा नं.1 में 50 बीघा भूमि आदेश क्रमांक एफ–1(58) सा./87/919 दिनांक 7.12.1988 द्वारा कब्रिस्तान के लिए आरक्षित की गई थी। क्या पूर्व में आबंटित 19 कब्रिस्तानों में 1,13,135 व्यक्ति दफनाये जा चुके हैं? यदि नहीं तो फिर उपरोक्तानुसार जो 80 बीघा भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित की है उसमें क्या राज है? क्या यह नहीं जानते हैं कि यह जमीन 77,440 व्यक्तियों को दफनाने हेतु आंकी जा सकती है? इससे साफ जाहिर है कि मुस्लिम समाज कब्रिस्तान के नाम पर राजस्थान की महत्वपूर्ण बेशकीमती भूमि हथिया कर राजस्थान की अधिक से

अधिक भूमि पर अपना कब्जा साबित करना चाहते हैं और एक दिन इनका संकल्प है कि समस्त राजस्थान को कब्रिस्तान से पाट दिया जावे। यदि यही रफ्तार रही तो कोटा शहर सहित कई प्रमुख शहर कब्रिस्तानों से पाटे जा सकते हैं।

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार कब्रिस्तानों हेतु जो भूमि बताई गई है वह सरकारी रिकार्ड के अनुसार है इसके अतिरिक्त भी कोटा शहर में 25 कब्रिस्तान जो लगभग 200 बीघा भूमि पर फैले हुए हैं तथा सरकारी रिकार्ड में दर्ज नहीं है वहां भी प्रशासन सरकार की मदद से 10-10, 20-20 कब्रें बनाकर शहर की बेशकीमती जमीन हथियाई हुई है। यही नहीं अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान को अपनी आय का साधन बना लिया है इसका जीता जागता उदाहरण सदर जिला व वक्फ कमेटी कोटा के अनुसार केवल कब्रिस्तान रंडियान ग्राम-गुमानपुरा सोफिया स्कूल के सामने तहसील-लाडपुरा कोटा रकबा 1 लाख वर्गफुट कब्रिस्तान हेतु भूमि जिसे 1998 से 17 व्यक्तियों को वाणिज्यिक उपयोग पर दिया हुआ है जिसमें मोहम्मद सलीम, फय्याद हुसैन, अब्दुल गनी, अब्दुल वहीद, सुबराती, मुस्ताक अली, मोहम्मद आरिफ, मंगू खां, अहमद रजा, अब्दुल रशीद नवाब खां, अब्दुल रहमान, खुतेजा खान, तथा शाहीद अहमद सहित 17 लोगों द्वारा उक्त भूमि पर अपना व्यवसाय चलाया हुआ है क्या सरकार द्वारा कब्रिस्तानों को किराये पर देने की छूट दी हुई है? यदि नहीं तो अभी तक उक्त कब्रिस्तान से अनधिकृत रूप से व्यवसाय करने वाले लोगों को बेदखल क्यों नहीं किया गया। इससे लगता है कि सरकार मुसलमानों को बिना आवश्यकता भी जमीन आबंटित कर रही है। कोटा मेडिकल कालेज के पास 50 बीघा भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने में क्या षडयंत्र है? जहां मेडिकल कालेज परिसर नजदीक हो नगर विकास न्यास करोड़ों रुपये खर्च कर विकास कर रही हो तथा जहां कालोनी व मार्केट डवलप कर रही हो उसके बीच 50 बीघा भूमि आबंटित करने का आश्वासन स्थानीय विधायक ने किस आधार पर दिया। यदि इस जमीन का बाजार भाव देखें तो यह भूमि 3000 रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से 2 अरब 61 करोड़ 36 लाख की बनती है।

क्या सोफिया स्कूल के सामने कब्रिस्तान को व्यावसायिक रूप से खोला हुआ है? पूर्व में आबंटित 19 कब्रिस्तान जो 20,36,342 वर्गफुट में फैला हुआ है उसमें

1,13,135 कब्रे बन गई हो और उससे प्रशासन आश्वस्त हो गया हो तो उसके बाद ही कब्रिस्तान हेतु अतिरिक्त भूमि का आबंटन उचित है वैसे तो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए वनों की कटाई व पेड़ों की कमी को देखते हुए कब्रिस्तान हेतु भू-आबंटन करना उचित नहीं हैं इसके बदले तो कब्रिस्तानों पर पेड़ लगा कर जंगल विकसित किये जा सकते हैं या फिर भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु छोटे-छोटे तालाब खोदे जा सकते हैं। होना तो यह चाहिए कि जिन कब्रिस्तानों में 3 वर्ष पूर्व कब्रें बनाई गई थी उन्हीं स्थानों पर दफनाने हेतु कब्र बनानी चाहिए क्योंकि 3 वर्ष बाद कंकाल गल कर मिट्टी में समाहित हो जाता है। इसलिए शहरों की बेशकीमती भूमि को इस प्रकार कब्रिस्तान के उपयोग हेतु आबंटित किया जाना उचित नहीं है।

यह काफी लोक महत्व का मामला है। अतः मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

बहरोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कनिष्ठ विशेषज्ञ में परिवर्तन

[डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)]

अध्यक्ष महोदय,

1. बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र ही नहीं पास के बानसूर व मुण्डावर क्षेत्र के ग्रामीणों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड़, अलवर ज़िले में अग्रणी स्थान रखता है।

2. यहां जनरल सर्जरी, मेडीसिन, नेत्र रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, विषयों में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद सृजित हैं तथा इन सब पर चिकित्सक कार्यरत भी है। इन पदों के अलावा यहां दो पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के भी हैं तथा दो पद चिकित्सा अधिकारी के है।

3. इस अस्पताल में कनिष्ठ विशेषज्ञ ओरथोपेडिक सर्जरी का पद नहीं है। नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर स्थित इस कस्बे के चिकित्सालय में बहुत अधिक संख्या में सड़क दुर्घटनाओं से ग्रसित ऐसे रोगी आते हैं जिनमें हड्डियों व जोड़ों के फ्रेक्चर आदि होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी हड्डी-जोड़ों व कुट्टी व प्रेशर मशीन में हाथ कट जाने के रोगी भी अच्छी संख्या में आते है।

इन कारणों से यहां हड्डी जोड़ (ओरथोपेडिक विशेषज्ञ) की महत्ती आवश्यकता है। पूर्व में यहां S.M.O. के पद के विरुद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ ओरथोपिडक्स सर्जन कार्यरत रहे हैं। लेकिन अब पद के विरुद्ध पदस्थापन बन्द हो जाने से यह इलाका ओरथोपेडिक सर्जन की सेवाओं से वंचित है। राज्य सरकार की यह नीति भी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचित चिकित्सालयों में ओरथोपिडिक सर्जन की नियुक्ति की जावे।

अतः मेरा निवेदन है कि यहां पर क.वि. ओरथोपिडिक का पद सृजित किया जावे। इस मामले में मेरा निवेदन है कि इस अस्पताल में ही उपलब्ध एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (S.M.O.) के पद को क.वि. ओरथोपेडिक में परिवर्तित कर दिया जावे ताकि यहां ओरथोपेडिक सर्जन की नियुक्ति हो सके।

इस पद को नामान्तरण से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और यहां की जनता को विशेष तौर पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल सकेगी।

कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत फव्वारा सैट पर भी अनुदान नहीं

[**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी)]

महोदय,

निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कृषि विभाग द्वारा फव्वारा सैट की सब्सिडी (अनुदान) के लिए पंजीकरण किया गया था। जिसमें सूर्या एल्यूनियम कम्पनी के उत्पाद सूर्या फव्वारा सैटों का पंजीकरण किया था बाद में मान्यता समाप्त कर दी थी। नकद भुगतान पर जिन किसानों ने सूर्या फव्वारा सैट क्रय किया था जिनकी पत्रावलियों का कृषि विभाग में अनुदान के लिए पंजीकरण भी करवा दिया था उन किसानों को अब अनुदान नहीं मिल रहा है।

अतः जिनका पंजीकरण हो गया उनका भुगतान भी किसानों को भी मिलना चाहिए।

शिक्षाकर्मियों को वरिष्ठ शिक्षाकर्मी वेतन श्रृंखला

[श्री गणेशीराम मेघवाल (बागीदौरा) **]**

महोदय,

निवेदन है कि शिक्षाकर्मी योजना सन् 1985 से निरन्तर प्रगति पर चल रही है। इस योजना का कार्य सभी तरह के मूल्यांकन के आधार पर संतोषजनक पाया गया है। शिक्षाकर्मियों को राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के आदेशानुसार प्रति वर्ष में जनवरी माह में मानदेय बढ़ाए जाने का प्रावधान था जो इस समय बन्द है। प्रारम्भ में त्यौहारों पर त्यौहार उपहार राशि मिलती थी जो उसे बोनस बताकर बन्द कर दी।

शिक्षाकर्मी परियोजना में जिन शिक्षाकर्मियों ने 8 वर्ष की सेवाकाल संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर लिया है। उन्हें वरिष्ठ शिक्षाकर्मी (तृतीय वेतन श्रृंखला) बनाने का प्रावधान है और पूर्व में भी तीन बार वरिष्ठता की सूची जारी हो चुकी है। वर्तमान में राजस्थान में करीब 400 शिक्षाकर्मियों का वरिष्ठता का मूल्यांकन उनके मापदण्डों के अनुसार लगभग एक साल पूर्व में हो चुका है।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन है कि शिक्षाकर्मियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें वरिष्ठ शिक्षाकर्मी ग्रेड (तृतीय वेतन श्रृंखला) दिलवा कर अनुग्रहित करावें। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी चार साल सेवा करने पर उन्हें स्थायी एवं तृतीय वेतन श्रृंखला दिए जाने का सदन में आश्वासन दिया है।

अजमेर नगर परिषद् में परचूनी की दुकान लाइसेंस के नवीनीकरण में एक डाक्टर द्वारा की जा रही लूट

[श्री ललित भाटी (अजमेर–पूर्व) **]**

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि परचूनी की दुकानों के लाइसेंस नगर परिषद् द्वारा जारी किये जाते हैं। इसी क्रम में नगर परिषद् अजमेर द्वारा भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नये लाइसेंस जारी एवं नवीनीकरण किये जाते हैं। नवीनीकरण के लिए नगर परिषद् द्वारा 106/–रुपये की फीस वसूली जाती है पूर्व में नगर परिषद् अजमेर द्वारा परिषद् कार्यालय में शुल्क राशि जमा कर सप्ताहावधि में सम्बन्धित को लाइसेंस जारी नवीनीकृत कर दिया जाता था।

इस वर्ष परिषद् सभापति ने पूववर्ती व्यवस्था को बदलते हुए कस्तूरबा हास्पिटल में डाक्टर गोपीकिशन मूंदड़ा के ही हस्ताक्षरति अनुमोदित आवेदनों पर नवीनीकरण किया जाएगा राजकीय सेवारत किसी भी डाक्टर से अनुमोदित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक्टर गोपीकिशन मूंदड़ा अपने दस्तखत करने के लिए प्रति हस्ताक्षर रुपये 35/- वसूल किये जा रहे हैं जिसकी कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है जो खुले भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अजमेर के कुछ परचूनी व्यावसायियों द्वारा सभापति श्रीमती अनिता मदेल से मिलने एवं शिकायत करने गए जिन्हें सभापति महोदया ने संतोषप्रद जवाब देने के बजाय यह कहा कि यह डाक्टर के साइन करने की फीस होगी। सभापति का ऐसा आचरण भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण है। मेरा आपसे आग्रह है कि नगर परिषद् अजमेर में सभापति द्वारा भ्रष्टाचार को खुलेआम दिए जा रहे संरक्षण पर लगाम कसते हुए अजमेर शहर के समस्त परचूनी व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाय तथा लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था को भ्रष्टाचार रहित बनाने के साथ-साथ इसे अत्यन्त सरल बनाया जाय और डाक्टर मूंदडा द्वारा की जा रही खुली लूट पर तुरन्त रोक लगाते हुए रिश्वत लेने वाले ऐसे डाक्टर को ऐसे पब्लिक डिलिंग वाले पद से तुरन्त प्रभाव से हटाकर अन्यत्र भेजकर इस आचरण के लिए कठोर दण्डात्मक विभागीय कार्यवाही की जाए।

अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए बनी नीतियों का क्रियान्वयन

[श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)]

महोदय,

निवेदन है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रति राज्य सरकार भी तत्परता नहीं दिखा रही है। अनुसूचित एवं जनजाति के राष्ट्र अध्यक्ष श्री डाक्टर विजय शंकर शास्त्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के सम्बन्ध में एक प्रश्नावली राज्य सरकार के पास भेजी थी राज्य सरकार की ओर से लिए गए जवाब को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस वर्ग को लोगों के प्रति विकास के प्रति उदासीन है। राज्य सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने लोग स्नातक हैं। जुलाई, 2000 में आयोग के तात्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार भुरिया ने राज्य का दौरा कर आरक्षित वर्ग के लोगों की दशा सुधारने के लिए कुछ निर्देश दिए थे। उनमें से करीब 90 प्रतिशत का पालन नहीं हुआ। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर अत्याचार के मामले

में राजस्थान सबसे अग्रणी हैं इस घटना का 20 प्रतिशत यहां होता है। उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं का प्रतिशत 28 प्रतिशत है। परन्तु वहां की आबादी 8.5 करोड़ है। इसलिए राजस्थान की 5 करोड़ की आबादी में 20 प्रतिशत होना अधिक खतरनाक है। राज्य में अनुसूचित जाति के करीबन 44 प्रतिशत तथा जनजाति के 64 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसी वर्ग के लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में आरक्षित वर्ग के 60 हजार पद रिक्त होने के बाद भी सरकार कोई नई भर्ती नहीं कर रही है। राज्य के अधिकांश अधिकारियों को आरक्षण की नीतियों का ज्ञान नहीं है।

अतः मेरी मांग है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बनी नीतियों की प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सहकारी बैंक कर्मचारियों हेतु संशोधित वेतनमान

[श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)]

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 295 राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा निम्नप्रकार से निवेदन करता हूं :-

1. यह कि राज्य के जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों से कार्यरत कर्मचारियों के 1 जनवरी, 1999 से बकाया चल रहे संशोधित वेतनमानों की तरफ आकर्षित निवेदन करना चाहता हूं कि जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी बैंक जयपुर (स्टेट को आपरेटिव बैंक जयपुर लि.) के कर्मचारियों के समान लागू होते है चूंकि शीर्ष सहकारी बैंक के कर्मचारियों का 1 जनवरी, 1999 से वेतनमान संशोधन 2 फरवरी, 2002 को सम्पन्न समझौते के अनुरूप लागू हो चुके है तथा 1 जनवरी, 1999 से बकाया एरियर नकद भुगतान भी मिल चुका है, लेकिन उक्त संशोधन का लाभ जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है।

इन संशोधित वेतनमानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों में लागू करने बाबत पंजीयक, सहकारी समितियों राज-जयपुर द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2003 को बैंकों के प्रशासकों को पत्र जारी कर निर्देश दिये थे कि बैंकों की वित्तीय स्थिति एवं पूर्व परम्परा के अनुरूप बैंक में कार्यरत कर्मचारी संगठनों वार्ता कर संशोधित वेतनमान का समझौता

पत्र मसविदा बनाकर पुनः सहकारी विभाग को भिजवाये जावे। उक्त समझौता मसविदा में यह शर्त भी सम्मिलित थी कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर लागू है या नहीं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से राय प्राप्त होना अपेक्षित है। उक्त अधिनियम लागू होने की दशा में अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही समझौता लागू होगा।

राज्य के कुछ सहकारी बैंकों द्वारा बैंक प्रबन्धवर्ग एवं कर्मचारी संगठनों के मध्य सहकारी विभाग के निर्देश दिनांक 25.1.2003 के अनुरूप संशोधित वेतनमान समझौते का मसविदा तैयार कर पंजीयक, सहकारी समितियां राज–जयपुर को प्रेषित कर दिये परन्तु विभाग द्वारा राज्य सरकार से उक्त राजस्थान अधिनियम, 1999 (रेपसर) के अन्तर्गत प्रावधित सक्षम अधिकारी (वित्त विभाग, राज सरकार) से स्वीकृति प्राप्त कर इसे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान एवं बकाया एरियर 01.01.1999 से भुगतान के आदेश जारी नहीं किये है। उक्त संशोधित वेतनमान की अवधि 5 वर्ष (01.01.1999 से 31.12.2003 तक) की ही है।

अत्यधिक लम्बे समय से बकाया चल रही वेतनमान संशोधन की मांग की तरफ सहकारी विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से ध्यान नहीं दिये जाने से सहकारी बैंकों के कर्मचारियों में राज्य सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता रहा है चूंकि यह वर्ष चुनावी वर्ष है। कुछ समय पश्चात् राज्य विधान सभा के चुनाव होने जा रहे है। जबकि दूसरी तरफ बैंक कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार स्थिति गम्भीर रूप धारण कर रही है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान लागू होने पर राजस्थान सरकार के राजकोष पर किसी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंक स्वयं अपनी आमदनी से ही अपने समस्त प्रकार के खर्चें वहन करते हैं, फिर भी राज्य सरकार इन बैंक कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान लागू करने में रोडे अटका कर कर्मचारियों के वित्तीय हकों का हनन कर रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

कृपया राज्य भर के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये संशोधित वेतनमान 01.01.1999 से तत्काल लागू करने बाबत सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही करने बाबत निर्देश प्रदान करावें ताकि कर्मचारी वर्ग को राहत मिल सकें।

श्रीडूंगरगढ़ के स्वीकृत 33 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण

[श्री मंगलाराम गोदारा (श्री डूंगरगढ़)]

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत जी.एस.एस. 33 के.वी. गत एक वर्ष से स्वीकृत है। ग्राम दुसारणा व धीरदेशर चोटियान व बीझासर में 33 के.वी. सब स्टेशन अभी तक नहीं है। महोदयजी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि स्वीकृत जी.एस.एस. का निर्माण कार्य शीघ्र चालू कराये ताकि जनता को आने वाली गर्मियों में पीने के पानी की व्यवस्था हो सके तथा कृषि कुओं से अच्छी बिजली मिल सके। जिससे अकाल में पशुधन बचाने के लिए किसान हरे चारे का उत्पादन कर सके तथा भीषण अकाल में पेयजल की आपूर्ति हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम उपनी व कीतासर में 132 के.वी.जी.एस.एस. काफी लम्बे समय से विचाराधीन है इसी वित्तीय वर्ष में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृति प्रदान करे। जिससे इस क्षेत्र में विद्युत भार में सुधार हो सके तथा अकाल में किसान हरे चारे व पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में निम्न गांवों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है गुसाइसर, धोलिया, लादडिया, उदरासर, कीरमसर, जालबसर, डेलवा, लोडेरा, बींझासर, माणकरासर, समन्दसर, लखासर, बेनीसर, हेमासर, श्रीडूंगरगढ़ का उत्तरीभाग में पानी की भयंकर कमी है और फ्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा है। अतः लूणकरणसर से कंवरसेन लिफ्ट से पेयजल आपूर्ति करवाने का प्रस्ताव स्वीकार करें।

मण्डावर में स्वीकृत अकाल राहत कार्यों में श्रमिक संख्या में वृद्धि

[श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)]

महोदय,

राजस्थान में पिछले पांच वर्षों से भीषण अकाल पड़ रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्वी राजस्थान में भीषण अकाल पड़ गया है। और स्थिति भयावह हो गई है। इससे 52 बांध, 453 बावड़ियों में पानी नहीं है। पशु प्यासे एवं भूखे है। सरकार ने महामहिम के अभिभाषण में लगभग चार हजार चारा डिपो खोलने की बात कही है। हमारे जिले में सिर्फ 29 चारा डिपो स्वीकृत किये और उनमें से भी 24 चालू हुए। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सिर्फ एक ही चारा डिपो मुण्डावर में खोला गया है और तो और पैसा भारत सरकार का आ रहा है जो अकाल के अन्दर कार्य हो रहे हैं। उनमें भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। अलवर जिले 7100 श्रमिकों की सिलिंग कर रखी है। उसमें भी भारी भेदभाव है। मुण्डावर में अभी तक 19 कार्य अकाल में स्वीकृत किए हैं। उसमें श्रमिकों की संख्या 395 एवं 3 कार्य अन्य विभागों में श्रमिकों की संख्या 60 कुलमिलाकर 22 कार्य एवं 55 श्रमिकों और मिट्टी के कच्चे कार्यों में भी पक्षपात किया जा रहा है। इस भीषण अकाल के समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की कृपा करें जिससे गरीब लोगों का भला हो सके और जो केन्द्र सरकार से अकाल का पैसा और अनाज [illegible] है। उसका भी बंटवारा आप सही ढंग से करें। उसमें भेदभाव नहीं बरते। इ[illegible] के गरीब आदमी और बेरोजगारों को इस भीषण अकाल के समय कार्य मिल[illegible]
